खण्ड-453, अंक-3
सोमवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(7 मार्च, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 453 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	1-82
निर्धारित प्रश्नों को सत्रावधि में लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	82
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	83
जनपद आजमगढ़ के कतिपय गांवों के किसानों की नहरों की माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद बाराबंकी के तहसील मुख्यालय फतेहपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83-84
जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत अधूरे खुदाई कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भदार वसीमऊ के मध्य गम्भीरी नदी पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
अम्बेदकर नगर के टाण्डा-बसखारी-जलालपुर मार्ग को हाट मिक्स प्लांट द्वारा निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	84-85
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिंहपुर में विजय बहादुर सिंह स्टेडियम का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
जनपद मेरठ के ओडियन नाले की तली झाड़ सफाई कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत कुआनों नदी पर गौरा घाट पर बन रहे अधूरे पुल के निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद बागपत के अति भारित विद्युत् केन्द्रों की क्षमता वृद्धि करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
निदेशक होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश को पद से मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
प्रदेश के कान्स्टेबिल (एम) लिपिक वर्ग पर कार्यरत कर्मियों को पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87

विषय	पृष्ठ-संख्या
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	87
कार्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचनायें	87-93
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	93-132
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	132-154
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	154-177
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत) ...	178
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	178-179
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	179-182
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग (स्वीकृत)	182
अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	182
अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	183
अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) ...	183
अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	183
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	184-193
वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	193-197

विषय	पृष्ठ-संख्या
मंत्रि परिषद् के प्रति विश्वास मत का प्रस्ताव विना पूर्व सूचना के लाये जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	197-202
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	203-204
जनपद ललितपुर के ग्राम सिमरा बुजुर्ग निवासी श्री रामेश्वर लोधी की मृत्यु के उपरान्त आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	204-205
जनपद मेरठ स्थित नौचन्दी मेले में भाग लेने वाले व्यापारियों को व्यापार कर में छूट दिये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	205
जनपद प्रतापगढ़ की कोतवाली नगर में आरोपियों के उपरान्त भी श्री पहुप सिंह निरीक्षक (पुलिस) को तैनात किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	206
राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ में स्थापित पानी की टंकी में सप्लाई ठीक से न होने के संबंध में श्री अनिल कुमार मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	206-207
जनपद सिद्धार्थनगर स्थित बांसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री जय प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	207-208
जनपद जौनपुर स्थित तरहठी-असवां-काछीडीह सम्पर्क मार्ग की मरम्मत किये जाने के संबंध में श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक-निर्माण मंत्री का वक्तव्य	208-209
शाहजहांपुर नगर की सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को चालू कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	209-210
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर के अन्तर्गत चोरवां गांव में निर्मित सड़क के खड़न्जे को प्रशासन द्वारा उखाड़े जाने एवं अपात्र व्यक्तियों को उसका पट्टा किये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	210-211
नत्थियां	212-224

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-306

1--अकीलुर्रहमान खां, श्री मुरादाबाद
2--अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
3--अजय कुमार, डा0 बागपत
4--अजीम भाई, श्री फिरोजाबाद
5--अताउल रहमान, श्री बरेली
6--अनार सिंह दिवाकर, श्री एटा
7--अनिल कुमार पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
8--अनिल कुमार वर्मा, श्री सीतापुर
9--अनिल कुमार पासवान, श्री हरदोई
10--अनिल कुमार सिंह यादव, श्री एटा
11--अनिल सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
12--अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
13--अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री देवरिया
14--अनूप कुमार पांण्डेय, श्री बस्ती
15--अन्सार अहमद, श्री इलाहाबाद
16--अब्दुल कलाम, श्री सन्त कबीर नगर
17--अब्दुल मन्नान, श्री हरदोई
18--अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री बाराबंकी
19--अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री फतेहपुर
20--अमरमणि, श्री महराजगंज
21--अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री हाथरस
22--अम्बिका चौधरी, श्री बलिया
23--अम्बेश कुमारी, श्रीमती महोबा
24--अरविन्द गिरि, श्री खीरी
25--अरुणवीर सिंह, श्री बहराइच
26--अरुणा तोमर, श्रीमती कानपुर नगर
27--अवधेश कुमार वर्मा, श्री शाहजहांपुर
28--अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
29--अशोक कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
30--अशोक बाजपेयी, डा0 हरदोई
31--अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
32--आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री सिद्धार्थनगर
33--आनन्द प्रकाश लोधी, श्री फतेहपुर
34--आर0 एस0 कुशवाहा, श्री खीरी
35--आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
36--आलम बदी, श्री आजमगढ़
37--आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
38--आशीष यादव, श्री बदायूं
39--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
40--इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
41--इलम सिंह, श्री सहारनपुर
42--उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
43--उदयभान सिंह, श्री वाराणसी
44--उदयराज यादव, श्री उन्नाव
45--उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
46--ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
47--ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
48--ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
49--ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
50--ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
51--ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर

52--कपिल देव यादव, श्री मऊ
53--कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
54--कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
55--कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
56--कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
57--कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
58--किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
59--किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
60--किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
61--कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
62--कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
63--कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
64--केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
65--कैलाश, श्री गाजीपुर
66--कौकब हमीद खां, श्री बागपत
67--कौशल किशोर, श्री खीरी
68--कौशल किशोर, श्री लखनऊ
69--गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
70--गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
71--गया चरन दिनकर, श्री बांदा
72--गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
73--गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
74--घूरा राम, श्री बलिया
75--चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
76--चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
77--चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
78--चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
79--छेदी राम, श्री गाँजीपुर
80--छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
81--छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
82--जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
83--जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
84--जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
85--जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
86--जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87--जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
88--जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
89--जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90--जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
91--जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
92--जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
93--डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
94--दयाराम, श्री कौशाम्बी
95--दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
96--दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
97--दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
98--दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
99--दीनानाथ भाष्कर, श्री संत रविदास नगर भदोही
100--दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
101--दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
102--देवकी नन्दन, श्री, हाथरस
103--देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
104--देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
105--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
106--धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
107--धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
108--धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
109--धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
110--धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
111--धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
112--धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
113--नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
114--नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
115--नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्ध नगर
116--नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
117--नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
118--नरेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री गाजियाबाद
119--नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
120--नारद राय, श्री बलिया
121--परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
122--पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
123--पीटर फेन्थम, श्री नाम-निर्देशित

124--पीतम राम, श्री पीलीभीत
125--पूरन सिंह बुंन्देला, श्री ललितपुर
126--पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
127--प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
128--प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
129--प्रभु दयाल, श्री मेरठ
130--प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
131--प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
132--प्रमोद कुमार गौड़, श्री अलीगढ़
133--प्रेम पाल सिंह यादव, बदायूं
134--प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
135--प्रेम सिंह, श्री मथुरा
136--फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
137--बंशीधर राज, श्री खीरी
138--बलराम यादव, श्री आजमगढ़
139--बाबूराम, एम0 काम0, श्री जालौन
140--बाबू लाल, श्री गोण्डा
141--बाबू लाल, चौधरी आगरा
142--बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
143--बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
144--वीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
145--बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
146--बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
147--बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
148--बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
149--ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
150--भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
151--भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
152--भरत सिंह, श्री बलिया
153--मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
154--मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
155--मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
156--मदन भैया, श्री बागपत
157--मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
158--मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
159--मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
160--मशहूद खां, श्री बलरामपुर
161--मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
162--महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
163--महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
164--महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
165--महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
166--महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
167--माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
168--माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
169--मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
170--मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
171--मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
172--मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
173--मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
174--मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
175--मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
176--मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
177--मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
178--मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
179--मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
180--मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
181--मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
182--यशपाल चौधरी, श्री खीरी
183--यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
184--याकूब, हाजी मेरठ
185--योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
186--योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
187--रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
188--रणवीर राणा, श्री मेरठ

189--रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
190--रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
191--रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
192--रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
193--राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
194--राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
195--राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
196--राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
197--राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
198--राजपाल सिंह बलियान, श्री मुजफ्फरनगर
199--राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
200--राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
201--राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
202--राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
203--राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
204--राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
205--राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
206--राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
207--राजेश कुमार, श्री खीरी
208--राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
209--राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
210--राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
211--राम करन आर्य, श्री बस्ती
212--राम किशुन, श्री वाराणसी
213--राम कृष्ण, श्री सीतापुर
214--राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
215--राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
216--रामजी शुक्ला, श्री औरैया
217--राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
218--रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
219--रामपाल यादव, श्री सीतापुर
220--राम पाल वर्मा , श्री हरदोई
221--रामबाबू हरित, डा0 आगरा
222--राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
223--राम मगन, श्री बाराबंकी
224--राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
225--रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
226--रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
227--राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
228--राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
229--राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
230--रामहेत, श्री सीतापुर
231--रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
232--लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
233--लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
234--लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
235--लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
236--लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
237--लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
238--वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
239--वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
240--विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
241--विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
242--विजय सिंह, श्री सोनभद्र
243--विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
244--विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
245--विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
246--विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
247--विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
248--विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
249--विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
250--विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
251--विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
252--विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
253--वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
254--वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
255--वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
256--शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदास नगर भदोही

257--शब्बीर, श्री	बहराइच
258--शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
259--शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
260--शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
261--शाकिर अली, श्री	देवरिया
262--शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
263--शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
264--शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
265--शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
266--शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
267--शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
268--शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
269--शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
270--शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
271--शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
272--शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
273--शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
274--श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
275--श्याम नारायण, श्री	महराजगंज
276--श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
277--श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
278--श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
279--संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
280--संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
281--सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
282--सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
283--सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
284--समरपाल सिंह, श्री	बागपत
285--सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
286--सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
287--सियाराम सागर, डा0	बरेली
288--सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
289--सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
290--सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
291--सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
292--सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
293--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
294--सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
295--सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
296--सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
297--सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
298--सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
299--सुल्तान बेग, श्री	बरेली
300--सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
301--सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
302--स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
303--हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
304--हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी, श्री	वाराणसी
305--हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
306--होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :--(1) श्री अहमद हसन--परिवार कल्याण मंत्री।

(2) श्री मुन्ना सिंह चौहान--सिंचाई मंत्री।

(3) श्री बनवारी सिंह यादव--प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री।

(4) श्री राम आसरे विश्वकर्मा--उच्च शिक्षा राज्य मंत्री तथा

(5) श्री अजित कुमार राजू--बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

भू-माफियाओं तथा ठेकेदारी व्यवस्था से उत्पन्न आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना

*1--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जों से उत्पन्न भूमि विवादों के कारण तथा ठेकेदारी प्रथा में दबंगई के चलते, होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी हां।

भू-माफिया तथा ठेकेदारी व्यवस्था के कारण उत्पन्न आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित योजना बनायी गयी है--

1--भू-माफियाओं को चिन्हित किया जाना।

2--माफिया ठेकेदारों को चिन्हित किया जाना।

3--चिन्हित भू-माफिया, ठेकेदारों एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।

4--विभिन्न सरकारी विभागों के माफिया ठेकेदारों के चरित्र प्रमाण-पत्रों का पुनरावलोकन कर सत्यापन कर गलत पाये जाने पर जारी करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाना।

5--विभिन्न विभागों में ठेकेदारों के साल्वेन्सी प्रमाण-पत्रों की शत-प्रतिशत जांच।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट के उत्तर में, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने नीति बनायी है वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अवैध कब्जों के कारण बहुत सी आपराधिक घटनायें घटित होती हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति में व्यवधान आता है तो पहले अंश के उत्तर में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कितने अवैध कब्जे जो भू-माफियाओं द्वारा किये गये हैं उनको आपने चिन्हित किया है और उनके कब्जे से मुक्त कराया है ? दूसरे पार्ट में मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने एक लगायत पांच नीतियां बनायी हैं, इनके अन्तर्गत आपने क्या कार्यवाही की है और सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इनकी कुल संख्या, जो भू-माफिया हैं उनकी कुल संख्या 275 है और इनमें से 123 के खिलाफ कार्यवाही फौरी तौर पर इस वक्त चल रही है। जो ठेकेदारी से संबंधित माफिया हैं इनकी संख्या 82 हैं जिनमें से 70 के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 357 है जिनमें से 153 के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही हो रही है और कुछ लोगों को जेल में जाना पड़ गया है और कुछ भू-माफिया फरार हैं। इनके ऊपर एन0एस0ए0 भी लगाया गया है और एस0टी0एफ0 के अधिकारी भी इनके पीछे लगे हैं। चौधरी साहब की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सरकार की आंख के सामने भू-माफिया दबाव व धमकी दे रहे थे। हम उदाहरण भी दे सकते हैं लेकिन ऐसे भू-माफियाओं के नाम कार्यवाही में लाना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे भू-माफियाओं के बारे में सवाल पूछा चौधरी साहब ने। आपको तो धन्यवाद देना चाहिये, बधाई देना चाहिये था कि यह पहली सरकार है जिसने माफियाओं को चिह्नित करके कार्यवाही की। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग भाग खड़े हुये हैं, घरों से भाग खड़े हुये हैं, वह रात भर सो नहीं पा रहे हैं। नेता विरोधी दल जी अपने साथियों को समझाइये।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उससे मैं शत-प्रतिशत सहमत हूं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जमीनों पर दबंगई के बल पर अपने रसूख के बल पर लोग कब्जा कर लेते हैं और उसे औने-पौने दाम पर अपने नाम करवा लेते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना निश्चित रूप से एक साहसिक कदम है। मैं इसके लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से अगर जमीनी स्तर पर इस पर क्रियान्वयन हुआ तो बहुत से गरीब लोगों को इससे निजात मिलेगी और ऐसे लोगों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है जो अपनी दबंगई के बल पर और अपने रसूख के बल पर कब्जा कर लेते हैं उनका मनोबल टूटेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं पूरे सदन के सदस्यों से कहूंगा कि उनके संज्ञान में जहां भी इस तरह के मामले आयें जहां किसी ने दबंगई के बल पर कब्जा किया हो वह हमें लिस्ट दे दें हम उस पर कठोर कार्यवाही करवायेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

इस समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक जो हजारों की तादाद में कोआपरेटिव सोसायटियां बन गयी हैं उन्होंने सरकारी जमीन पर या अवैध जमीन पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करके उन्होंने प्लाटिंग करके बेच दिया है इतना ही नहीं उन्होंने एक ही प्लाट को तीन-तीन आदमियों को बेच दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

नेता विरोधी दल जहां के बारे में बात कर रहे हैं वह मुझे मालूम है। इस संबंध में आपसे बातचीत करके समस्या का निराकरण करेंगे।

श्री लालजी टण्डन--

इस समस्या के निदान की मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। यह सोसायटी कभी खत्म नहीं होती है बिके हुये प्लाट को यह दुबारा बेचती रहती है। मैं त्रिवेनी नगर का मामला बताना चाहता हूं वहां पर एक इंच जमीन नहीं बची लेकिन वहां पर फाटक लगा रहे हैं और दूसरे का रास्ता बन्द कर रहे हैं इस संबंध में कुछ सचिवालय कर्मी हमसे मिले थे उन्होंने हमें जानकारी दी। जिसका मुनाफा खा लिया वहां पर फिर से फाटक लगाने का क्या औचित्य है ? इससे लोगों के

आने-जाने का रास्ता बन्द हो रहा है। इस तरह की और भी घटनायें हैं। ऐसे पूरे गिरोह हैं एक-एक प्लाट को तीन-तीन बार बेचा। एक अपने को उत्तर प्रदेश के नवाबी परिवार का बताता है उसके पास जाली मोहरें 1867 की और उसके पहले की हैं। इसमें वकीलों का एक पूरा गिरोह भी शामिल है। जो भी सरकारी जमीन खाली पड़ी है उसको वह कानूनन अपने नाम करवा लेते हैं वह कागज में दिखा देते हैं। रजिस्ट्री कहीं वह दाखिल नहीं करते हैं केवल उसकी फोटो स्टेट दिखाते हैं। अभी हरदोई रोड पर एक राजा थे अब गोमती पार एक नये राजा बलरामपुर हो गये हैं। बन्दूक लेकर 10 लोग पहुँच गये कि यह टुकड़ा राजा साहब का है और उनके पास कुछ कागजात इस तरह के बने हुए रखे हैं कि जैसे वह उन्हीं को है। मान्यवर, कोई कुछ करता नहीं है। इसमें कोई एक दो आदमी नहीं है इसके पीछे बहुत बड़ी जमात है जो कोआपरेटिव के नाम पर, बड़े ताल्लुकेदार के नाम पर फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, टंडन जी नगर विकास मंत्री रहे हैं। हम समझते हैं कि यह मामला गम्भीर है। हम चाहते हैं कि टंडन जी नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, पूरे प्रदेश के बारे में यह मामला है, कुछ इनको भी जानकारी होगी। आप इस तरह के मामलों के बारे में लिखकर दे दीजिये, हम कार्यवाही करा लेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, जहां सरकार द्वारा एक साहसिक कदम उठाया गया है, मैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मुझे दुःख हो रहा है कि इतना गम्भीर प्रकरण है और इस सवाल पर माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर किसी भी माननीय सदस्य ने इस गम्भीर प्रकरण पर अपनी भावना व्यक्त नहीं की है।

श्री अध्यक्ष--

नेता सदन कह दें, नेता प्रतिपक्ष कह दें तो सबका प्रतिनिधित्व हो गया।

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर सदस्य, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर उपस्थित नहीं थे)।

प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु सरकार की कार्य योजना

*2--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंतकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु निम्नलिखित कार्य योजना/कदम उठाये गये हैं :--

1--आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु अभिसूचना विभाग के मुख्यालय तथा संवेदनशील जनपदों में 33 विशेष कोष्ठ इकाइयों का गठन, उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पर 13 नेपाल बार्डर इकाइयों की स्थापना तथा नेपाल सीमा से आवागमन पर दृष्टि रखने हेतु 8 चेकपोस्ट स्थापित हैं।

2--संवेदनशील जनपदों में जिला/मण्डल स्तर पर समीक्षा।

3--उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबन्धन हेतु पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ व गोरखपुर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन।

4--18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाया जाना जिसका कार्य तहसील नौतनवा, जनपद महराजगंज में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त आंतकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल टास्क फोर्स एवं उत्तर प्रदेश अन्तर्राजीय सीमा फोर्स भी कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, इलाहाबाद को आई0 टी0 शहर बनाने की योजना

*1.--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, इलाहाबाद को आई0 टी0 शहर बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है। कितने लोगों को इस योजना से रोजगार मिलेगा तथा इस योजना का क्या स्वरूप होगा।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह)--

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक नीति-2004 में कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, इलाहाबाद के अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा को भी आई0 टी0 शहर बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त नीति के अन्तर्गत इन शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं तथा उद्योगों के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इसका उद्देश्य सभी वर्गों की सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। इन शहरों में निजी क्षेत्र द्वारा काल सेंटरों, व्यापारिक प्रक्रिया वाह्य स्रोतीकरण (वी0पी0ओ0) कम्प्यूटर/इन्टरनेट्स तथा साफ्टवेयर टेक्नालजी पार्कस् आदि की स्थापना के माध्यम से आवश्यक जन-सुविधाएं एवं सूचनाएं आदि उपलब्ध करायी जाएंगी। प्रस्तावित शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु बेहतर अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप जहां एक ओर स्वदेशी/विदेशी निवेशक प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित होंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे तथा सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो सकेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो यह है कि जैसा कि मेरे प्रश्न में ही तीसरे खंड में स्पष्ट है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे तथा सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो सकेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इससे कितने रोजगार सृजित होंगे और प्रचुर मात्रा को जरा स्पैसिफाई कर दें। दूसरा प्रश्न यह है कि कितने राजस्व की प्राप्ति होगी। अगर माननीय मंत्री जी के पास सूचना है तो बता दें कि पिछले वर्ष या उससे पहले वर्ष में कितना साफ्ट वेयर का हमने एक्सपोर्ट किया। राजस्व की बात कहा गई है इसलिये मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह --

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहला जो उनका प्रश्न था कि कितना रोजगार सृजित होगा, मैं बता देना चाहता हूं कि अब तक जो देशी और मल्टी नेशनल कम्पनियां हैं वे 6 हजार के आस-पास रोजगार सृजित कर चुकी है और लोगों को रोजगार मिला है। संभावनाएं अपार हैं, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004 को अभी-अभी लागू किया है इसलिये उसका इम्प्लीमेन्टेशन आने वाले वक्त में बहुत ही बढ़िया होगा। जो दूसरा प्रश्न किया है उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि नोएडा क्षेत्र में जो साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वह 6 हजार करोड़ से ज्यादा का निर्यात साफ्टवेयर का कर चुका है। कानपुर में करीब 30 करोड़ के आस-पास हुआ है और लखनऊ में 5 करोड़, इलाहाबाद में एक करोड़ के साफ्टवेयर का निर्यात हो चुका है।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न का उत्तर आ गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

अगर आप अनुमति नहीं देते है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ, कानपुर, नोएडा, इलाहाबाद के साफ्टवेयर के बारे में अवगत कराया है। मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन अन्य नगरों में साफ्टवेयर की स्थापना की जा रही है ? क्या उसमें भरठ है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

अभी हमने उन शहरों को लिया है जहां निर्यात की ज्यादा समस्यायें हैं। जहां औद्योगिक इकाइयों को एस0टी0सी0 से ज्यादा लाभ मिले। लखनऊ में स्थापित कर रहे हैं, हो चुका है, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा में शीघ्रता से शुरू करने जा रहे हैं। बनारस, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा है यहां दो तीन चरणों में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क को स्थापित किए जाने की जरूरत है।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति

*2--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में नागरिकों को जल संस्थान द्वारा दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण लोगों को अनेक संक्रामक बीमारियां पैदा हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉं--

जी नहीं, विधान सभा मध्य क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं, कोई संक्रामक बीमारी पैदा नहीं हो रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।7 फरवरी को मेरे विधान सभा क्षेत्र में रकाबगंज के पास खजुआ इलाका है वहां पानी में कीड़े निकलने शुरू हो गए हैं। इससे वहां के नागरिकों ने रोष में आकर जोन-2 के अधिशासी अभियन्ता मंजूर अहमद साहब का घेराव किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे ताकि कीड़े पानी में न आए। मेरा कहना है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद, लखनऊ जो राजधानी है वहां जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसी तरह से मान्यवर रुकन्दीपुर राजाजीपुरम का हिस्सा है वहां गन्दा पानी आ रहा है। मेरा पहला प्रश्न था कि खजुआ के नागरिकों ने मंजूर अहमद साहब, जो जोन-2 के अधिशासी अभियन्ता हैं उनका इस कारण घेराव किया कि पानी में कीड़े आ रहे हैं उनके आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जल संस्थान ऐशबाग में भूमिगत जलाशय बनाया गया है काफी समय पहले भूमिगत जलाशय की सफाई करते समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। उसके बाद से भूमिगत जलाशय की सफाई नहीं हुई है वहां से गन्दा पानी सप्लाई हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह ऐशबाग जोन 2 के पानी की सफाई के लिए जल संस्थान को आदेश देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

यह सही नहीं है कि लखनऊ को गन्दा पानी दिया जा रहा है। दिया जाता रहा होगा, मैं यह नहीं कहता। अब ऐसा नहीं है कि गन्दा पानी दिया जाता है। अब दवा क्लोरीन आदि, अब आप बीच में ही हाथ खड़ा कर रहे हैं तो मैं बैठ जाऊँ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मैंने आपसे नहीं कहा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कमजोर व्यक्ति हूँ। अभी उत्तर शुरू नहीं हुआ। मैंने सोचा छत रोक रहे हैं। आपने जहां की शिकायत की है,मंजूर अहमद साहब ने उसकी शिकायत मंजूर की है, सम्भवत: समस्या का निदान हो गया होगा, यदि नहीं हुआ होगा तो मैं आज ही दिखवाता हूँ और जो शिकायत है, उसको दूर करायेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

ऐशबाग जहां बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उसका आप जिक्र कर रहे हैं, कर्बला के जिक्र से भी तो डर लगता है, 72 शहीद हुए थे। मान्यवर, उसमें हुआ यह था कि जो सेटलिंग टैंक है, उसमें पानी इकट्ठा होता है, पानी में जो गन्दगी होती है, वह नीचे बैठ जाती है और ऊपर के पानी में दवा मिलाकर सप्लाई किया जाता है। बहुत जमाने बाद इस काम को शुरू कराया था, लम्बे अर्से के बाद यह सेटलिंग टैंक्स साफ हुआ था लेकिन उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और इसमें हमने सबसे बड़े अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग थे, उन सबको मुअत्तल किया था। केवल एक अधिकारी को इस कारण बहाल किया गया था कि गर्मी का मौसम आ रहा है और पानी की सप्लाई बेहतर होनी चाहिए। काम उसका लगभग शुरू हो गया है, अगले सत्र तक आपको शिकायत नहीं रहेगी। वास्तव में पानी गन्दा नहीं हो रहा है,सेटलिंग का मतलब है कि सेटल मिट्टी को निकाला जाना है।

प्रदेश में "हाई टेक" टाउनशिप विकसित किये जाने का निर्णय

*3--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महानगरों में बढ़ती आवासीय मांग को देखते हुए प्रदेश में "हाई टेक" टाउनशिप विकसित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

जी हाँ।

प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु† संलग्न शासनादेश दिनांक 22-11-03 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी नीति के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो सूची उपलब्ध करायी गयी है, वह बहुत लम्बी-चौड़ी है और आज ही सुबह प्राप्त हुई है उसमें मेरे लिए या किसी के लिए पढ़कर उसमें से कुछ निकालना सम्भव नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने अपनी नीति के सम्बन्ध में कहा है कि जनगणना, 2001 के अनुसार प्रदेश की 28 प्रतिशत आबादी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले छः महानगरों यथा कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ व इलाहाबाद में केन्द्रित है तथा वर्ष 1991-2001 के दशक में इन महानगरों की जनसंख्या वृद्धि पर सर्वाधिक 48.10 प्रतिशत रही है। ऐसी स्थिति में आपने इन महानगरों को पिन प्वाइंट किया है और वहां की आवासीय मांग को देखते हुए हाई-टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए यह नीति बनायी है, 2003 में और आज 2005 है, मै जानना चाहूगां कि जो कुछ भी किया है, जो नीति बनायी है और जो सुविधा देने का प्रस्ताव किया है, उससे कितने लोग आकर्षित हुए है और उन्होंने कहां-कहां कितनी पूंजी निवेश की है, कितनी भूमि अर्जित की है और वह किस स्तर पर है तथा कब तक इसका लाभ जनता को मिलना प्रारम्भ हो जायेगा।

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 212-215पर 1)

श्री अम्बिका चौधरी --

माननीय अध्यक्ष जी, जिस आवसीय नीति के सम्बन्ध में माननीय चौधरी जी ने प्रश्न पूछा है, मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूं, उन्होंने पूछा है कि कितनी भूमि का अधिग्रहण हो गया है और उससे जुड़े कई सवाल आपने पूछे हैं, उनका एक ही उत्तर है, मैं सभी को शामिल करके बता रहा हूं। मान्यवर, इस नई नीति के अनुसार जिन कम्पनियों को चयन होना था, उनके लिए अनिवार्य शर्तें हैं। वह कम्पनी, कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनी होगी और उस कम्पनी का विगत तीन वर्षो में न्यूनतम टर्न ओवर रु0 100 करोड़ होना आवश्यक है। इन्हीं के अधीन जिनके प्रस्ताव थे, उनके मूल्यांकन का काम चल रहा है।

मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अभी प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। कितनी जमीन एक्वायर की गयी यह इस प्रश्न से जनित प्रश्न है। और मान्यवर, दिनांक 16.07.04 को प्रस्ताव आवंटन हेतु प्रस्ताव आ गया। इन शर्तों में आने वाली कम्पनियों ने इन 6 शहरों को हाइटेक टाउनशिप बनाने के लिए प्रस्ताव दिये हैं। लखनऊ के लिए 6, कानपुर के लिए 1, वाराणसी के लिए 1, गाजियाबाद के लिए 3, आगरा के लिए 3, और मथुरा के लिए 1 विकासकर्ता कम्पनियों ने प्रस्ताव दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी --

अगर उनके नाम बता सकें।

श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, उनके नाम बताना उचित नहीं होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी --

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी आपने अपने उत्तर में बताया कि अभी प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह मूल्यांकन का कार्य कब तक पूर्ण होगा और यह सब प्रस्ताव शासनादेश के मुताबिक मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ अंतिम निर्णय के लिए कब तक चले जायेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि प्रदेश की 28 प्रतिशत जनता जिन 6 शहरों में रहती है और जिनमें वर्ष 1991-2001 के दशक में आबादी के बढ़ने का प्रतिशत 48.01 रहा है उन्हें हाईटेक टाउनशिप बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया और जब श्री श्यामदेव राय चौधरी जी ने पूछा तो उत्तर आया कि लखनऊ, कानपुर, बनारस और आगरा। लेकिन मथुरा और गाजियाबाद उस नीति के 6 महानगरों में नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इससे सम्बन्धित शासनादेश जिन शहरों में हाईटेक टाउनशिप बनाने के लिए जारी हुआ था तो उन शहरों के अतिरिक्त भी प्रस्ताव प्राप्त होगा तो शासन विचार करेगा और दूसरा कि क्या मेरठ के लिए भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हुआ है ?

श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, कई प्रश्न एक साथ पूछे हैं, मेरठ का प्रश्न अंत में पूछा है। इसके लिए मेरठ का प्रश्न अंत में होगा लेकिन वह हमारे लिए पहले नम्बर पर है। मैं मेरठ के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरठ के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। और दूसरा प्रश्न यह था कि क्या अन्य शहरों को भी इन्क्लूड करेंगे तो इसमें मेरा उत्तर यह है कि जो अध्ययन किया गया जिन 6 शहरों का नाम आया उन पर जनसंख्या वृद्धि का दबाव सर्वाधिक था। जहां प्रदेश के अन्य शहरों में औसतन

जनसंख्या का दबाव 28 प्रतिशत था वहीं इन शहरों पर सर्वाधिक 48 प्रतिशत जनसंख्या का दबाव था। उन्हें तो प्रियोरिटी में रखा गया लेकिन अगर इन शहरों के अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार विचार करेगी और शर्तें इसमें वही रहेंगी और उन्हीं शर्तों के तहत इनका मूल्यांकन करेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, जो 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यह जो मूल्यांकन चल रहा है तो इसमें मेरा प्रश्न यह है कि यह मूल्यांकन कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और शासनादेश के मुताबिक मुख्य सचिव के विचारार्थ और अंतिम निर्णय के लिए कब तक चला जायेगा ?

मेरठ में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कम्पनी के द्वारा हाईटेक सिटी का विज्ञापन दिया गया था और इस हेतु उन्होंने लोगों से धन एकत्र किया था, यह धन साढ़े तीन सौ करोड़ एकत्रित हुआ है और यह कहा गया कि भूमि अर्जन की कार्यवाही हो रही है, तो क्या प्रदेश में बिना शासनादेश का पालन किये हुए, मुख्य सचिव समिति की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, शासन द्वारा विज्ञापन प्राप्त किये बिना जो इन्होंने मेरठ से धनराशि एकत्र किया है, शासन उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी --

एक तो माननीय सदस्य ने कहा है कि कब तक मूल्यांकन का कार्य हो जायेगा तो तिथि बताना तो संभव नहीं है लेकिन प्रगति बहुत तेजी से हो रही है और बहुत शीघ्र यह कर लिया जायेगा। मान्यवर, मेरठ की बात कही गयी तो हम इसको निश्चित रूप से देख लेंगे और आपसे भी आग्रह करेंगे कि जितनी सूचना आपके पास है, वह सूचना हमको उपलब्ध करा दें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब तक ऐसी परियोजना की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं कर दी जाय तब तक किसी भी प्रपोजल को इस हेतु धन इकट्ठा करने या एडवांस में इकट्ठा कर लेने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसी गड़बड़ी हुई है, तो हम इसको दिखवा लेंगे, यह एक गम्भीर प्रकरण है। माननीय सदस्य से आग्रह है कि जो भी जानकारी आपके पास है वह हमें उपलब्ध करा दें।

(प्रश्न संख्या-4 पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं थे।)

जनपद लखनऊ के थाना कैंट में पकड़ी गयी ट्रक में कई पशुओं की हुयी मृत्यु में दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*4--श्री रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित थाना कैण्ट में माह अगस्त, 2004 को पुलिस द्वारा जानवरों से लदा हुआ ट्रक पकड़ कर गोवध के नाम पर पशु व्यापारी का उत्पीड़न किया गया था ? क्या यह सही है कि उस ट्रक पर लदे 18 पशुओं की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन एवं यातायात पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा कराई गई थी तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट तथा अन्य पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो जांच का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या जांच में दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कोई अपराध पंजीकृत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जनपद लखनऊ के थाना कैण्ट क्षेत्र के अन्तर्गत (बड़ी लालकुर्ती के पास) रायबरेली रोड पर संदिग्ध परिस्थिति में जानवरों से लदा ट्रक पाया गया था। इस प्रकरण में व्यापारी के उत्पीड़न की शिकायत प्रकाश में आयी थी। इस ट्रक में कुल 34 जानवर लदे थे, दिनांक 2-8-04 को 16 बैल,

3 गाय कुल 19 जानवर मर गये थे। इसके बाद 4 जानवर और मर गये । इस प्रकार कुल 23 जानवरों की मृत्यु हुई थी। प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, लखनऊ से करायी गयी थी। पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध होने के कारण प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट श्री हेमन्त कुमार त्यागी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, शारदा प्रसाद दीक्षित, कान्स0, बच्चू लाल तथा कान्स0 सन्तोष कुमार को तत्काल निलम्बित कर दिया गया था।

उपरोक्त जांच के निष्कर्ष संलग्न† है।

उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया है, क्योंकि प्रारम्भिक जांच से पुलिस कर्मियों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव--

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरी रुचि है क्योंकि यह लखनऊ का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो उत्तर सरकार ने दिया है कि उनमें 16 बैल और 03 गायें मारी गईं और बाद में 04 जानवर और मर गये। यह प्रश्न मैंने उठाया था और उसी के तहत वहां के कैण्ट के प्रभारी को सस्पेंड किया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो व्यापारी अपने ट्रक पर लादकर इन जानवरों को ले जा रहे थे, उस व्यापारी के खिलाफ क्या कार्यवाई की गयी, यह मेरा पहला प्रश्न है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार ने इसकी जांच करायी और जांच कराने के बाद उत्तर में आपने लिखा है कि 10 लोगों को कर्तव्य पालन में लापरवाही के लिए दोषी पाया गया, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जो लोग दोषी पाये गये, चाहे वह हेमन्त त्यागी हों या कोई भी हो, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, यह ट्रक लावारिस हालत में पाया गया था, इस ट्रक को बन्द कर दिया गया था। जो जानवर मर गये थे, वह तो मर गये, जो बाकी जानवर बच गये थे, उनको लक्ष्मण गोशाला पहुंचा दिया गया है इसमें जिन लोगों को दोषी पाया गया था, उनको निलम्बित कर दिया गया।

(इस समय 11 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, लेकिन जांच के उपरान्त क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, जांच की रिपोर्ट पीछे लगी हुई है और जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष यह है कि उनको कर्त्तव्य पालन में लापरवाही हेतु दोषी पाया गया था।

---

†(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 216 पर।)

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 4 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की रूचि पर लिया गया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या उनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीकृत किया गया था ?

श्री अधिष्ठाता--

उनके विरुद्ध कोई संदिग्ध अपराध नहीं था, वह कर्त्तव्य पालन में लापरवाही के लिए दोषी पाये गये थे, जिसके तहत उनके खिलाफ पुलिस रेगुलेशन ऐक्ट के तहत कार्रवाई की गयी है, कोई अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है, ऐसा उत्तर का आशय है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ और यह मेरा अधिकार भी है अगर वह जाँच में दोषी पाये गये, उनको डिपार्टमेण्टल जांच में दोषी करार दिया गया है....

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, उनके खिलाफ विभागीय जांच अभी चल रही है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हेतु उपाय

*5--डा0 सुशील चौधरी (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है ? यदि हां, तो कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

यद्यपि भारतीय दण्ड विधान के कुल अभियोगों में वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में 12 प्रतिशत की कमी आयी है। इससे स्पष्ट है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं है।

कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं --

1--पुराने विवादों को पहचान कर इसकी समय-समय पर जांच पड़ताल कर पक्षकारों को 107 व 116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पाबन्द किया जाना।

2--प्रत्येक जनपद में पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में एक एण्टी किडनैपिंग एवं एक्स्टोर्शन सेल का गठन।

3--रेलवे क्रासिंग जैसे संवेदनशील स्थानों व एक बार से अधिक रोड हाल्डअप की घटना से सम्बन्धित स्थल पर पुलिस पिकेट लगाना।

4--जनपदीय दस्यु गिरोहों को पहचान कर सूचीबद्ध किया जाना एवं इनके गैंग नोट व गैंग चार्ट बनाया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरी रुचि है।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 5 श्री मुंशी लाल गौतम की रुचि पर लिया गया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि प्रश्नकर्ता ने 2 मार्च, 2005 को प्रश्न किया था। माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में चर्चा का जबाव देते हुये बताया था कि 973 केस ऐसे पाये गये हैं जिनमें रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है। जिन्होंने अपराध छिपाने के लिए रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने यह कार्य किया है, कार्यवाही करेगी और करेगी,तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, अवश्य और यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या-26 में मेरी रुचि है।

श्री अधिष्ठाता--

अतारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई रुचि का सवाल नहीं होता है।

श्री मुंशीलाल गौतम--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो अपराधी है और जघन्य अपराध करते हैं ऐसे अपराधियों की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होती है जबकि जो हमारी पुलिस है, उनकी आयु 50 और 60 वर्ष होती है और उन्हें 7-8 किग्रा0 का रायफल भी लेकर 20 से 30 वर्ष आयु के अपराधियों के पीछे छोड़ना पड़ता है। पुलिस वाले अपराधियों का पीछा ठीक से कर सके क्या इसके लिए सरकार पुलिस वालों की आयु सीमा में कटौती करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं बहुत गम्भीरता से इस प्रश्न को ले रहा हूँ और माननीय सदस्य की जन्मतिथि का आज ही पता लगाऊँगा। क्योंकि उन्हें यह शंका क्यों पैदा हुई ? माननीय सदस्य ने प्रदेश या देश के 18 साल से 30 साल के नौजवानों को ऐसी गलत निगाह से क्यों देखा और उनकी यह सोच क्यों बनी ? पहले इस बात का परीक्षण कराया जायेगा कि उनकी यह सोच क्यों बनी, इसके पीछे राज क्या है ? बात जरूर कोई खास है, मुझे उनसे हमदर्दी है, हम 60 साल वालों को आपके साथ दौड़ाकर देखते हैं।

श्री मुंशीलाल गौतम--

मान्यवर, यह प्रश्न था कि जो अपराध करने वाले लोग है वह कम उम्र के होते हैं और हमारे पुलिस वाले 55-60 वर्ष के होते है तथा अपनी पीठ पर 6-7 किग्रा0 का रायफल लेकर नौजवान अपराधियों के पीछे नहीं दौड़ सकते तो क्या सरकार पुलिस बल की आयु सीमा में कटौती करेगी ?

(संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उत्तर न देने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब प्रश्न काल समाप्त हुआ।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्न का समय समाप्त हो गया।

*6--श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)--

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद इलहाबाद में माघ मेला को सुचारु रूप से चलाने हेतु मेला सलाहकार समिति का गठन

*7--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में सम्पन्न होने वाले माघ मेला को सुचारु रूप से चलाने हेतु माघ मेला सलाहकार समिति का गठन किया जाता है ? यदि हां, तो इस वर्ष सलाहकार समिति में कुल कितने और कौन-कौन सदस्य हैं ? क्या सलाहकार समिति के गठन का कोई मापदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी हाँ।

इस वर्ष सलाहकार समिति में 62 सदस्य मनोनीत हैं, जिनकी सूची संलग्न† है।

मेला सलाहकार समिति का गठन उ0 प्र0 मेला अधिनियम, 1938 की धारा 5 तथा मेला नियमावली, 1940 के नियम 4 के अन्तर्गत एक मेला सलाहकार समिति के गठन का प्राविधान है। मेला नियमावली, 1940 के नियम 4 के अन्तर्गत समिति के कुल 30 सदस्य होंगे, जिसमें 12 राजकीय तथा 18 गैर राजकीय सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को विशेष आमन्त्री के रूप में आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। सलाहकार समिति का गठन मेला व्यवस्था कार्य में प्रभारी अधिकारी, माघ मेला को उचित सलाह देने हेतु किया जाता है। जिसमें मेला से जुड़े समुदाय के प्रतिनिधियों, साधु-सन्तों, मेला के अनुभवी व्यक्तियों एवं गणमान्य जनप्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने हेतु समय सीमा तय किये जाने की मांग

*8--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने हेतु समय सीमा तय करने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी नहीं। शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने हेतु आयुध अधिनियम एवं आयुध नियमावली, जो केन्द्रीय विधान हैं, के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय लिया जाता है। अत: इस हेतु समय सीमा तय करने की योजना प्रदेश में बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में समय सीमा अगर निर्धारित करने का सरकार ने विचार नहीं किया है तो इसकी एवज में पूरे प्रदेश में हर थाने में सैकड़ों लोगों का इसके माध्यम से

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 217-219 पर।)

शोषण किया जा रहा है और यह डी0 एम0 स्तर पर लम्बित रखा रहता है। उनके लाइसेंस जारी नहीं किये जा रहे हैं और फिर यह कहा जाता है कि 6 महीने हो गये फिर से प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और फाइल लौटा दी जाती है। फिर वही थाने स्तर पर सुविधा शुल्क और रिकमन्डेशन शुरू होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अगर यह प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है और वह 6 महीने में वापस कर देते हैं, तो क्या जो पूरी प्रक्रिया कर ली गयी है उसके अनुसार शासन लाइसेंस निर्गत करने पर विचार करेगी ? दूसरे जो लाइसेंस धारक है उनके निधन के बाद जो लाइसेंस उनके आश्रितों को मिलना चाहिए, लेकिन होता यह है कि उनके आर्म्स को थाने में जमा करा दिया जाता है और वह वहाँ पर बिना किसी मरम्मत के पड़े रहते हैं, तीन साल, चार साल, पांच साल तक पड़े रहते हैं। तो मानवीय आधार पर उनके आश्रितों को, एक समयबद्ध होना चाहिए, निर्धारित सीमा के भीतर लाइसेंस दे दिये जायेंगे ताकि वे लोग जो पारिवारिक सम्बन्धित है या पैतृक सम्बन्धित हथियार है वह उनके पास जा सकें और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न पूछिए ?

श्री राम इकबाल सिंह--

श्रीमन्, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो आश्रित कोटा के लाइसेंस है उन्हें निश्चित समयावधि के भीतर उपलब्ध करा देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

माननीय अध्यक्ष जी, यह भी सही है कि बहुत से फार्म्स लम्बित हैं, देर लगती है। बराबर यह शिकायत है, सरकारों से भी है, खुद से भी है, यही कि तीन महीने का समय है और तीन महीने में इसका निस्तारण हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जहां तक आप उन लाइसेंसों की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर जिसे आप विरासत वाला लाइसेंस कहते है तो मान्यवर, यह जरूरी नहीं होता है कि भला आदमी का वारिस भी भला आदमी ही हो। उसमें भी जांच की प्रक्रिया वही रहती है ताकि यह मालूम हो सके कि वारिस कैसा है ? अगर उसका वारिस भला आदमी है, तो उसे विरासत के आधार पर नहीं बल्कि फ्रेस लाइसेंस ही निर्गत होता है। मान्यवर, पहले से ज्यादा लाइसेंस देने हैं और इसको भी दिखवा लिया जायेगा कि निश्चित समय के अन्दर ही उपलब्ध हो जाए।

श्री जगदीश नारायण राय--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि तीन महीने में निस्तारण हो जाना चाहिए, क्या जो व्यापक तादात है लाइसेंस की, वह इसलिए हो गई है कि उस पर कोई जी0 ओ0 जारी हुआ है कि नीचे के थाने के बिना किसी उच्च अधिकारी से फारवर्ड हुए वह तीन महीने से पहले नहीं हो सकता है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, यह तो शुरू से ही प्राविधान है कि तीन महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन यह बाध्यता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो व्यावहारिक स्थिति है जनपदों में छः महीने से अधिक प्रार्थना पत्र जिला कार्यालय में पड़े रहते हैं और उसके बाद वापस भेज दिए जाते हैं और फिर से वही प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है तो जिनको लाइसेंस मिलना चाहिए वह लाइसेंस से वंचित रह जाते हैं। मान्यवर, हत्या और डकैती के मामले में जहां डकैती पड़ी, हत्या हुई उनके सम्बन्ध में जो शासनादेश जारी हुए थे कि प्राथमिकता के आधार पर उनको कन्सीडर कर लिया जायेगा तो ऐसी स्थिति में, मैं शासन से आग्रह करूँगा कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस निर्गत कर दिया जाए और छः-छः महीने उन्हें पेण्डिंग रखने के बाद वापस करने की जो प्रक्रिया है उस पर अंकुश लगवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, खुद ही सदस्य ने स्वीकार किया है कि यह प्रक्रिया है, तो जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया तो रहेगी ही।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने विरासत वाले प्रकरण में कहा है कि किसी भले आदमी की औलाद भी भली हो, इसकी कोई गारण्टी नहीं है, लेकिन अगर उसके भले होने का सर्टीफिकेट जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच जाता है तो क्या उसको प्राथमिकता के आधार पर छः महीने के अन्दर लाइसेंस जारी करने के दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात निश्चित तौर पर यह मेण्ट्रल ऐक्ट, आर्म्स ऐक्ट है लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदेश की स्थिति है उसके अन्तर्गत, आप भी देखते है एक शस्त्र प्राप्त करने के लिए कितनी भाग-दौड़ करनी पड़ती है,उसके बावजूद भी उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है, तो क्या इसके लिए सुनिश्चित करेंगे कि इतने समय के भीतर ही उसका आवेदन पत्र निरस्त हो जाए या उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाए, तो क्या इसके लिए कोई आप समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, समय-समय पर इसका परीक्षण होता रहता है और जो लोग पात्र होते हैं उनके लाइसेंस जारी करने में देरी नहीं लगाई जाती है। जो अच्छा है वह मान्यवर, अच्छा ही रहेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यदि किसी प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र समुचित परीक्षण के बाद यानी पुलिस और तहसील की ठीक आख्या के बाद जिलाधिकारी के पास लाइसेंस जारी करने की संस्तुति के साथ पहुंचता है और जिलाधिकारी कार्यालय में उसका अनुमोदन होने में देरी हो जाती है और जिस कारण छः माह की अवधि समाप्त होने पर वह प्रार्थना-पत्र पुनः प्रार्थी के पास वापस आ जाता है जब कि गलती न तो प्रार्थी की है और न नियमों की है इसमें लापरवाही आर्म्स क्लर्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय की होती है। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंनें पहले ही कहा कि जो पात्र व्यक्ति हैं और जो ठीक-ठाक लोग है जिन्हें लाइसेंस मिलना चाहिए उन्हें समय के अन्दर दिया जाता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, जो प्रार्थना-पत्र पूर्णतया संस्तुति होकर आया और माननीय मंत्री जी के कथानानुसार उसे छः महीने में प्रार्थी को मिल जाना चाहिए और जब वह समय पर नहीं मिलता है तो फिर वह प्रार्थी को दुबारा प्रक्रिया के लिए वापस भेज दिया जाता है तो इस पर कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु या इस प्रतिबंध के संबंध में विचार करने का कष्ट करेंगे। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया था।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, कहीं कोई विरोध नहीं है जिन लोगों को जरूरत होती है उन्हें समय से दिया जाता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, जो लोग पात्र व्यक्ति हैं और उनको शस्त्र लाइसेंस प्राप्त हैं कुछ लोगों को तो उत्तर प्रदेश के बाहर से प्राप्त हैं और कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के अन्दर से प्राप्त हैं तो क्या यह जो शस्त्र लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति हैं उनके लाइसेंस सही है या गलत है, क्या इसकी जांच फिर से सरकार करा रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अगर कहीं कोई ऐसी सूचना देंगे तो उसमें अवश्य ही विचार किया जायेगा।

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

मान्यवर, जो विलम्ब अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण होगा और फिर उसमें छः माह के बाद दुबारा परीक्षण की आवश्यकता होगी तो फिर उस दुबारा परीक्षण की आवश्यकता के लिए प्रशासनिक स्तर पर ही वह परीक्षण सुनिश्चित हो जाए और समयबद्ध सुनिश्चित हो जाए और उसके लिए दुबारा प्रार्थी को न परेशान होना पड़े क्या कुछ ऐसी समय अवधि निर्धारित करने का विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, तीन माह का प्राविधान है लेकिन बाध्यता नहीं है कोशिश यही की जाती है कि अगर पात्र व्यक्ति है तो समय रहते ही उन्हें लाइसेंस मिल जाए।

प्रदेश में प्रमुख सचिव एवं विशेष सचिवों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत अधिकारी

*9--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त पदों के विरुद्ध कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में उक्त पदों पर अधिकारी नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में 467 पद हैं--इनमें से 253 पद सीनियर ड्यूटी पोस्ट के रूप में परिभाषित हैं। 63 पद राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के रूप में परिभाषित हैं तथा 101 पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व हैं। 09 पद प्रशिक्षण में परिभाषित हैं। राज्य सरकार द्वारा

सीनियर ड्यूटी पोस्ट, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व इत्यादि में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के सापेक्ष उपयोग में न किये गये पदों पर तैनाती करने का अधिकार है। इनमें से केवल सीनियर ड्यूटी पोस्ट के पदों को वेतन सहित परिभाषित किया गया है तथा शेष पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों के अधिकारियों को तैनात करने का विवेक राज्य सरकार के पास है। सीनियर ड्यूटी के 253 पदों में प्रमुख सचिव के 12 पद तथा सचिव में 28 पद हैं। इसके अतिरिक्त राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के 63 पद में से 24 पद प्रमुख सचिव एवं 25 पद सचिव के प्रयोग हेतु निर्धारित हैं। कुल 36 प्रमुख सचिव स्तर तथा 53 सचिव स्तर सरकार में कार्यरत हैं।

विशेष सचिव के पद हेतु भी भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में उपरोक्तानुसार परिभाषित सीनियर ड्यूटी पोस्ट में से 38 पद हैं तथा पी0सी0एस0 संवर्ग में विशेष सचिव के 40 पद तथा सचिवालय सेवा के 08 पद चिन्हित हैं। इनके सापेक्ष 103 अधिकारी विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। इसके अतिरिक्त 28 विभागीय अधिकारी भी इस पद पर तैनात हैं।

स्वीकृत पदों में से आई0ए0एस0 संवर्ग के 38 पदों के सापेक्ष 39 तथा पी0सी0एस0 संवर्ग के 40 विशेष सचिव के पदों के सापेक्ष 58 विशेष सचिव पी0सी0एस0 संवर्ग से तैनात हैं। यह स्थिति कार्यहित में की गई है।

डा0 अजय कुमार --

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में यह संकल्प दोहराया गया है कि खर्चों में कटौती की जायेगी। मेरा सीधा सा सवाल था कि प्रदेश में प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव के कितने पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं। तो इसके उत्तर में विशेष सचिव के पदों के लिए तो बताया गया लेकिन प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के कितने स्वीकृत पद हैं इसका खुलासा अपने स्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने पद स्वीकृत हैं सचिव और प्रमुख सचिव के और अगर ये अधिक हैं तो क्या ये अधिक लोग हटाये जायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह उत्तर में है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें यह उत्तर में है कि सीनियर ड्यूटी के 253 पदों में प्रमुख सचिव के 12 पद तथा सचिव में 28 पद हैं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों का गठन

*10--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग की संस्तुति के अनुरूप क्या विकास प्राधिकरणों को चयनित नगर निगमों के नियंत्रण में लाने के संदर्भ में कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम वित्त आयोग द्वारा प्राधिकरणों को नगर निगमों के नियंत्रण में लाने की संस्तुति की गयी थी किन्तु प्राधिकरणों का गठन उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार एक पृथक् एवं विशिष्ट संस्था के रूप में किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य भू-अर्जन, सम्पत्तियों का सृजन, निस्तारण तथा विकास का विनियमन है। विकास प्राधिकरणों की मुख्य आय भूमि विकास एवं सम्पत्तियों के सृजन से होती है। नगर निगमों के वर्तमान वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि उनके अधीन प्राधिकरणों को रखा जाय। अत: वर्तमान में उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरणों का संचालन किया जा रहा है।

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा आवास हेतु ऋण दिये जाने की नीति

*11--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को आवास हेतु बिना ब्याज के ऋण देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी --

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत कार्यरत आवास विकास परिषद् तथा समस्त विकास प्राधिकरण अपनी सम्पत्तियों का सृजन तथा विक्रय विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर बिना हानि-लाभ के करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम करन आर्य --

मान्यवर, इसमें उत्तर आया है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आवास विकास परिषद् तथा समस्त विकास प्राधिकरण अपनी सम्पत्तियों का सृजन तथा विक्रय विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर बिना लाभ-हानि के करते हैं तो इन्होंने बताया कि नो प्राफिट नो लास पर, मान्यवर, इनके विभाग के जो अपने कर्मचारी हैं, उनके काम हैं, वेतन-भत्ते हैं, सब कुछ मिला जुलाकर यह देते हैं। मेरा कहना यह है कि जैसे इंदिरा आवास दिया जाता है, ग्रामीण अंचलों में वह दिया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। मैंने सवाल किया है कि क्या सरकार ऐसा ऋण देगी गरीबों को जो बिना इन्ट्रेस्ट के हो और उनसे 2 साल, 3 साल, 4 साल में किस्त बांधकर 200-300 रुपया लगातार लेते रहें। इससे दो फायदे होंगे एक तो गरीब धीरे-धीरे कर्जा अदा कर लेगा और मकान बना लेगा और दूसरा सरकार का जो करोड़ों रुपया जाता है वह लास में चला जाता है, जनता से उसकी रिकवरी हो जायेगी तो क्या बिना ब्याज के गरीबों को, चाहे किसी जाति बिरादरी के हों उनको सरकार ऋण देगी और बिना ब्याज के किस्तवाइज लेती रहेगी ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न ही गलत हो रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, कोई नया प्रश्न माननीय सदस्य ने नहीं किया है, प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, इनकी जो भावना है उस भावना से सरकार सहमत भी है और इनकी भावनाओं के अनुसार ही कार्रवाई होती है, प्रक्रिया देखने की आवश्यकता है। प्रश्न में अनुसूचित जातियों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्गों का उल्लेख किया गया। अनुसूचित जातियों के लिये और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये, श्रीमन्, इनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिनकी अनिश्चित आय है और यदि कुल 5 आदमियों का परिवार है और कुल मिला जुलाकर उनके परिवार की आय 2098 प्रतिमाह होती है यानि 2100 में 2 रुपये कम यदि वह परिवार कमा करता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। यह अलग बात है कि किसी महीने 50 रुपये ज्यादा आमदनी हो जाय और किसी महीने 200 रुपये कम हो जाय। जैसा आपने अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में कहा। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आवास के मामले में यह पहले ही निर्णय कर लिया जाता है कि कितनी सुविधा दी जानी है। वीकर सेक्शन के लिये आवास बनाये जाते हैं, अल्प आय वर्ग के वीकर सेक्शन हैं, उनके लिये जो आवास होते हैं, वह सबसिडाइज होते हैं। उन पर पहले से सब्सिडी दी जाती है। उस पर जैसे लागत 50 हजार रुपये आती है तो उसे 40 हजार या 35 हजार जैसे भी जिस योजना के हिसाब से सब्सिडी तय हो, उसको पहले ही लागत मूल्य से कम पर उपलब्ध कराया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि निर्माण के समय ही यह तय कर दिया जाता है कि उसमें कितनी छूट दी जानी है। अब इसके बाद श्रीमन् ब्याज रहित ऋण देना कदाचित् उचित नहीं होगा। इसमें पहले लागत पर कम करके जोड़ लिया जाता है कि कितनी लागत पर यह बायबिल हो जायेगा। जहां तक माननीय सदस्य ने अनुसूचित वर्ग के बारे में कहा, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि अनुसूचित वर्ग के जो व्यक्ति किसी नगरीय योजना में आवास ले सकते हैं, उनके लिये आवास आवंटन में कोटा तय है, प्रतिशत तय है, उनको उनके लिये आरक्षित कर दिया जाता है और मूल्य भी कम कर दिया जाता है। अब इन अनुसूचित वर्ग के लिये ब्याज मुक्त ऋण कर दिया जाय, ऐसी कोई योजना नहीं है और इसका कोई औचित्य भी नहीं है।

उ0 प्र0 सचिवालय लेखा संवर्ग के कर्मियों को नियमावली के अनुसार प्रोन्नति

*12--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा संवर्ग के कार्मिकों को अन्य संवर्गों के कार्मिकों की भांति पदोन्नति का अवसर प्रदान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सेवा नियमावली के प्राविधान के अनुसार उ0 प्र0 सचिवालय के लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार पद पर उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन होता है, जिन्हें पहले लेखाकार एवं

उसके बाद मुख्य लेखाकार के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। अन्य संवर्गों को उनकी नियमावली के अनुसार जिस प्रकार प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हैं, उसी प्रकार लेखा संवर्ग को भी उनकी नियमावली के अनुसार पदोन्नति के अवसर पहले से ही प्राप्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री द्वारा उत्तर पढ़ा गया परन्तु माननीय सदस्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किया गया।)

प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान की मांग

*13--श्री बाबू लाल कुशवाहा (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को माह जुलाई, 2004 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

वर्तमान में दिनांक 1-1-2004 से 61% की दर से भुगतान किए जा रहे महंगाई भत्ता की दर में दिनांक 1-7-2004 से 3% की वृद्धि का मामला शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या 13 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता श्री बाबू लाल कुशवाहा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है।

श्री अध्यक्ष--

पहले की रुचि वाले प्रश्न ले लें, फिर इसको देखते हैं।

अतारांकित प्रश्न

पुलिस महानिरीक्षक जोन-वाराणसी, इलाहाबाद व कानपुर में हत्या, डकैती, अपहरण व लूट की पंजीकृत घटनायें

1--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-4-2004 से 9 सितम्बर, 2004 तक वाराणसी, इलाहाबाद व कानपुर एवं झांसी जोन में कुल कितनी हत्यायें, डकैती, अपहरण, लूट की घटनायें पंजीकृत हुई तथा इनमें से कितने मामले ऐसे हैं जिनमें अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये जा सके तथा कितने मामले ऐसे हैं जिनमें आरोप-पत्र दाखिल नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

अवगत कराना है कि झांसी जोन नहीं बल्कि परिक्षेत्र है जो इलाहाबाद जोन के अंतर्गत ही आता है।

पुलिस महानिरीक्षक जोन-वाराणसी, इलाहाबाद व कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-4-2004 से 9 सितम्बर, 2004 तक हत्या, डकैती, अपहरण व लूट की पंजीकृत घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :--

जोन/परिक्षेत्र	हत्या	डकैती	अपहरण	लूट
वाराणसी जोन	269	9	97	123
इलाहाबाद जोन	321	10	77	72
कानपुर जोन	567	22	92	206
झांसी परिक्षेत्र	76	4	20	20

वाराणसी जोन--

हत्या के अभियोगों में 34 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है तथा 67 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

डकैती के अभियोगों में 2 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 4 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

अपहरण के अभियोगों में 15 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 24 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

लूट के अभियोगों में 32 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 29 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

इलाहाबाद जोन--

हत्या के अभियोगों में 35 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है तथा 48 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

डकैती के अभियोगों में 3 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 3 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

अपहरण के अभियोगों में 13 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 22 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

लूट के अभियोगों में 17 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 19 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

कानपुर जोन--

हत्या के अभियोगों में 74 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है तथा 101 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

डकैती के अभियोगों में 3 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 5 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

अपहरण के अभियोगों में 14 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 31 में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

लूट के अभियोगों में 46 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 44 में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

झांसी परिक्षेत्र--

हत्या के अभियोगों में 6 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है तथा 13 में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

डकैती के अभियोगों में 3 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 1 में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

अपहरण के अभियोगों में 4 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 10 में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

लूट के अभियोगों में 1 मामले में गिरफ्तारी शेष है एवं 3 में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है।

लखनऊ, गोरखपुर एवं फैजाबाद परिक्षेत्र में पंजीकृत हत्या, डकैती, लूट, अपहरण की घटनायें

2--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-4-2004 से 9 सितम्बर, 2004 तक लखनऊ, गोरखपुर एवं फैजाबाद परिक्षेत्र में कुल कितनी हत्यायें, डकैती, अपहरण, लूट की घटनायें पंजीकृत हुई तथा इनमें से कितने मामले ऐसे हैं जिनमें अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये जा सके तथा कितने मामले ऐसे हैं जिनमें आरोप-पत्र दाखिल नहीं किये जा सके ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दिनांक 01-4-2004 से 9 सितम्बर, 2004 तक पंजीकृत हत्या, डकैती, लूट, अपहरण की घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :--

परिक्षेत्र	हत्या	डकैती	लूट	अपहरण
लखनऊ	335	7	123	69
गोरखपुर	135	2	46	66
फैजाबाद	171	03	41	70

लखनऊ परिक्षेत्र में हत्या के 46 अभियोगों में गिरफ्तारी शेष हैं, 54 में आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किये गये। डकैती के 3 मामलों में गिरफ्तारी शेष तथा 3 में आरोप-पत्र भेजना शेष है। लूट के 25 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 23 में आरोप-पत्र भेजना शेष है। अपहरण के 25 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 12 में आरोप-पत्र भेजना शेष है।

गोरखपुर परिक्षेत्र में हत्या के 20 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 27 में आरोप-पत्र भेजना शेष है। डकैती के समस्त मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। लूट के 11 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 14 में आरोप-पत्र भेजना शेष है। अपहरण के 11 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 12 मामलों में आरोप-पत्र भेजना शेष है।

फैजाबाद परिक्षेत्र में हत्या के 14 मामलों में गिरफ्तारी शेष है एवं 22 मामलों में आरोप-पत्र भेजना शेष है डकैती के समस्त मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। लूट के 9 मामलों में गिरफ्तारी एवं 10 में आरोप-पत्र भेजना तथा अपहरण के 10 मामलों में गिरफ्तारी एवं 11 में आरोप-पत्र भेजना शेष है।

जनपद आजमगढ़, मऊ, बनारस व गाजीपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज अपराधों का विवरण एवं रोकने के उपाय

3--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान जनपद आजमगढ़, मऊ, बनारस व गाजीपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या, हत्या का प्रयास, छिनैती, डकैती व अन्य संगीन अपराधों के कितने मामले दर्ज किये गये तथा कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया ? क्या सरकार द्वारा उक्त जनपदों में अपराध रोकने हेतु कोई उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

गत दो वर्षों के दौरान जनपद आजमगढ़, मऊ, बनारस व गाजीपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या, हत्या का प्रयास, छिनैती, डकैती व अन्य संगीन अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है :--

अपराध शीर्षक	आजमगढ़	मऊ	बनारस	गाजीपुर
	03-04	03-04	03-04	03-04
हत्या	88 108	41 39	73 80	48 60
हत्या का प्रयास	59 58	53 51	43 65	43 54
छिनैती	63 82	24 21	23 36	11 18
डकैती	02 04	01 01	03 02	00 03
अन्य संगीन अपराध	00 01	14 12	28 34	20 20

उक्त अभियोगों में अपराधियों की गिरफ्तारी का विवरण निम्न प्रकार है :--

अपराध शीर्षक	आजमगढ़	मऊ	बनारस	गाजीपुर
	03-04	03-04	03-04	03-04
हत्या	144 167	48 29	50 65	47 52
हत्या का प्रयास	80 71	46 46	36 58	45 53
छिनैती	76 109	24 15	15 29	09 16
डकैती	12 24	01 01	03 02	00 02
अन्य संगीन अपराध	00 00	14 08	25 31	17 20

वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में अपराधों में कमी परिलक्षित होती है।

उक्त जनपदों में अपराध रोकने हेतु किये गये उपाय निम्नवत् हैं :--

1--हत्या व हत्या का प्रयास के रोकथाम हेतु प्रत्येक दिवस अधिकारियों के कार्यालय व जनपद के थानों पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच/पुलिस कार्यवाही त्वरित गति से की जाती है।

2--मामलों का निस्तारण प्रयास कर दोनों पक्षों से सुलह समझौतों के आधार पर कराये जाते हैं।

3--छोटे-छोटे अपराध यथा अहस्तक्षेपीय पंजीकृत होने पर उसकी जांच 24 घन्टे के अन्दर की जाती है तथा गिरफ्तारी व संबंधित दोषी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही/मा0 न्यायालय से पाबंद करायी जाती है।

4--हत्या हत्या के प्रयास में पंजीकृत अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय के आदेश से कुर्की की कार्यवाही की जाती है।

5--डकैती छिनैती के अपराधों की रोकथाम हेतु प्रत्येक दिवस, समय स्थान बदल-बदल कर वाहनों की चेकिंग एवं बार्डर को सील कर तत्काल कार्यवाही की जाती है। साथ ही साथ छिनैती डकैती के सक्रिय अपराधियों की पांच सालवा सूची तैयार कर उनके विरुद्ध अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के माया नगर मोहल्ले के माया नगर महल वाली गली की मरम्मत की मांग

4--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव तथा श्री [illegible]--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के माया नगर मोहल्ले के माया नगर महल वाली गली में वर्ष 2004 के मध्य में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प-II की रि-बोरिंग आर0 सी0 सी0 रोड को क्षतिग्रस्त करके की गई थी ? यदि हां, तो उक्त आर0 सी0 सी0 रोड के क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जी नहीं।

क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहल्ले निराला नगर एवं बाबूगंज में लगे ट्यूबवेलों से बाधित जलापूर्ति

5--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के माया नगर एवं मुंशीगंज के समीप मोहल्ले निराला नगर एवं बाबूगंज में वर्ष 2002 में एक-एक ट्यूबवेल पानी की सप्लाई हेतु लगाये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त ट्यूबवेलों से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है ? यदि

हां, तो क्या यह सही है कि माया नगर एवं मुंशीगंज मोहल्ले में उक्त ट्यूबवेलों से पानी सप्लाई न करके ऐशबाग से पानी की सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार समीप के ट्यूबवेलों से पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित दोनों नलकूपों से पानी की सप्लाई की जा रही है।

जी नहीं। उक्त दोनों नलकूपों के अतिरिक्त ऐशबाग जलकल से भी पानी की सप्लाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री बृजेश कुमार को जानकीपुरम् कुर्सी रोड (लखनऊ) योजना में आवंटित भवन का कब्जा दिलाये जाने की मांग

6--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-10-04 जो सेक्टर-जे, जानकीपुरम् कुर्सी रोड (लखनऊ) योजना के भवन संख्या-1/789 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दो व्यक्तियों को आवंटित कर दिये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 31-7-03 तथा व्यवस्था अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय के पत्रांक-591/व्य0अधि0 (प्रशा0), दिनांक 20-8-2003 के आधार पर बृजेश कुमार को आवंटित भवन पर कब्जा-पत्र प्रदान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

पूर्व आवंटी का आवंटन निरस्त कर श्री बृजेश कुमार को भवन संख्या-1/789, सेक्टर-जे, में आवंटित किया गया था, वर्तमान में भी उक्त भवन श्री बृजेश कुमार के नाम आवंटित है। इन्हें आवंटित भवन का कब्जा-पत्र औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की इन्दिरा नगर आवास योजनान्तर्गत ग्राम तकरोही एवं कमता की भूमि का कब्जा लेने की मांग

7--डा0 विनोद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 2004 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0-10 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रश्नगत योजना के प्रथम चरण में ग्राम तकरोही एवं कमता की 172.93 एकड़ भूमि का कब्जा लिया जाना था जिसमें से ग्राम तकरोही की मात्र 110 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया है परन्तु ग्राम कमता की भूमि का कब्जा आज तक नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों को दंडित करते हुए ग्राम कमता की भूमि का कब्जा शीघ्र लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं। कुल 87.51 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया है।

जी हां।

कब्जे की कार्यवाही प्रगति पर है। किसी अधिकारी को दण्डित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिला बस्ती के थाना गौर में श्री विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट

8--श्री बीजू पटनायक--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम लखन गुप्ता, निवासी बभनान बाजार, जनपद बस्ती द्वारा दि0 5/6 अक्टूबर, 2003 को थाना गौर, जिला बस्ती में दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 में बताये गये मामले की फाइनल रिपोर्ट संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 8-10-03 को लगा दी गई थी ? यदि हां, तो क्या थानाध्यक्ष द्वारा एफ0आई0आर0 में नामजद लोगों को मय चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

एफ0आई0आर0 में दर्ज घटना विवेचना से असत्य पाई गयी। अत: प्रथम सूचना में नामजद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही चोरी का कोई सामान बरामद हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान की मांग

9--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल निगम के कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है जिससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों का नियमित वेतन देने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

उ0 प्र0 जल निगम के कर्मचारियों को माह अक्टूबर, 2004 तक का वेतन वितरित किया जा चुका है।

उ0 प्र0 जल निगम स्वायत्तशासी निगम है, जिसको कर्मियों के वेतन आदि हेतु कोई शासकीय सहायता उपलब्ध नहीं होती है। निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों से अर्जित सेन्टेज से ही कर्मियों को वेतन आदि की पूर्ति की जाती है। उ0 प्र0 जल निगम के कार्यभार में वृद्धि करने तथा सेन्टेज से होने वाली आय में वृद्धि करने के प्रयास निगम के प्रबन्ध तंत्र द्वारा किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश जल निगम के माल एवेन्यू स्थित जल निगम के फील्ड, हास्टल, विभाग के जनरेटर, एयर कन्डीशनर को बेचने पर विचार

10--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार द्वारा माल एवेन्यू स्थित जल निगम का फील्ड, हास्टल, विभाग में प्रयुक्त किये जा रहे जनरेटर, एयर कन्डीशनर को सरकार बेचने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

इस प्रकार का प्रस्ताव उ0 प्र0 जल निगम के प्रबन्ध तंत्र के समक्ष विचाराधीन है।

उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अधिष्ठान मद में व्यय की जा रही धनराशि को, व्यवहारिक सीमा तक कम करने हेतु इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

जनपद आगरा, कानपुर तथा अलीगढ़ के जिला कारागार के क्षतिग्रस्त बैरिकों के पुन: निर्माण कराये जाने की मांग

11--डा0 सुशील चौधरी--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा, कानपुर तथा अलीगढ़ के जिला कारागार की बैरिकों के भवन क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पुरानी बैरिकों के स्थान पर नई बैरिकें बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)--

जनपद आगरा एवं अलीगढ़ में जिला कारागारों में कोई भी बैरक क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण नहीं है, केवल जनपद कानपुर की जिला कारागार में 03 बैरकों के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं, जिनमें से एक बैरक के पुन: निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र पुरोनिधानित कारागार प्रशासन की आधुनिकीकरण योजना 2002-07 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

जनपद वाराणसी के नगर निगम के पार्षद श्री शैलेन्द्र यादव आदि के विरुद्ध थाना भेलूपुर में दर्ज अपराध की वापसी लिये जाने विषयक पत्र

12--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक कार्यकर्ता एवं वाराणसी नगर निगम के पार्षद श्री शैलेन्द्र यादव उर्फ बिल्लू तथा समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद तथा कतिपय अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी में दर्ज अपराध सं0-125/2002 को वापस लिये जाने विषयक विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-104 के लिखित उत्तर के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वाद वापसी के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

13--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

[दिनांक 25-2-2005 को अता0 प्र0 सं0-59 द्वारा उत्तरित।]

मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परोख एवं ग्राम कांकन में पानी की टंकी बनवाये जाने की मांग

14--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परोख एवं ग्राम कांकन में पीने का पानी दूषित होने के कारण पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो उपरोक्त ग्रामों में टंकियों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)--

जी हां।

मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परोख एवं ग्राम कांकन में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय विकास हेतु कार्यदायी संस्था इूडा द्वारा निर्माण कार्य हेतु चयन का आधार

15--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय विकास हेतु कार्यदायी संस्था इूडा द्वारा जिन कार्यों का निर्माण किया जा रहा है उसके चयन का आधार क्या है ? क्या सरकार इन कार्यों के चयन के लिये जन-प्रतिनिधियों की चयन समिति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित सामुदायिक विकास समितियों के प्रस्ताव पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (इूडा) के शासी निकाय द्वारा कार्य चयनित किये जाते है ।

जी नहीं।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में मा0 जनप्रतिनिधियों को समिति बनाये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के निर्माणाधीन ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की मांग

16--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के निर्माणाधीन ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना मेंहदिया, कन्धई मधुपुर, नरहरपुर, सैफावाद, रामगंज से पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आपूर्ति कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना मेंहदिया, कन्धई मधुपुर, नरहरपुर, सैफावाद, रामगंज से पेयजल आपूर्ति का कार्य धनाभाव के कारण अवरुद्ध है।

उक्त कार्यों का पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में हैण्ड पम्प लगवाये जाने की मांग

17--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या वी0आई0पी0 458/38-5-03/200 (3)/03, दिनांक 25-6-03 ग्राम्य विकास अनुभाग-5 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये जनपद में पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त 100 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री, कृषि विभाग के अनुरोध पर निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा हैण्ड पम्पों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी :--

शासनादेश संख्या वी0आई0पी0-223/38-5-03/200(3)/03, दिनांक 22-4-03	50 नग
शासनादेश संख्या सी0एम0-144/38-5-03/200(3)/03, दिनांक 20-5-03	25 नग
शासनादेश संख्या वी0आई0पी0-458/38-5-03/200(3)/03, दिनांक 25-6-03	100 नग
योग . .	**175 नग**

उक्त प्रकरण पर पुनर्विचार करने के पश्चात् शासनादेश संख्या-4088/38-5-03, दिनांक 17-11-2003 द्वारा उक्त 175 हैण्ड पम्पों के स्थान पर मात्र 75 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं।

उक्त स्वीकृत 75 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु 10 प्रतिशत सहभागिता की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। सहभागिता की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी, मंगरौरा, आसपुर देवसरा के लिये हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने संबंधी पत्र

18--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, मंगरौरा, आसपुर देवसरा के लिये 10% सहभागिता के आधार पर प्रत्येक ब्लाक हेतु पचास हैण्ड पम्प कुल 150 हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने हेतु उनके आदेश 1040 (9)/वी0आई0पी0/रा0मं0 (स्व0प्र0)/03, दिनांक 10-7-03, सचिव ग्राम्य विकास को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां। सन्दर्भित पत्र आदेश सहित प्राप्त हुआ है। जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी हेतु कुल 175 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत 175 हैण्डपम्पों के स्थान पर संशोधित शासनादेश संख्या-4088/38-5-98, दिनांक 17-11-2003 द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी हेतु 75 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं।

उक्त स्वीकृत 75 हेण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु 10 प्रतिशत सहभागिता की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। सहभागिता की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त हेण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशक, पुलिस कार्यालय लखनऊ तथा पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में लिपिकीय कर्मियों के स्थानान्तरण की नीति

19--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-102 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक, पुलिस कार्यालय, लखनऊ तथा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में लिपिकीय कर्मियों के अलग-अलग 5 संवर्ग क्या हैं ? क्या सरकार उक्त कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय कर्मियों के स्थानान्तरण हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पुलिस विभाग के समस्त लिपिकीय कर्मियों को 5 संवर्गों में विभक्त किया गया है जो निम्नवत् हैं :--

1--उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय संवर्ग

2--अपराध अनुसंधान संवर्ग

3--अभिसूचना संवर्ग

4--जिला पुलिस संवर्ग

5--राजकीय रेलवे पुलिस संवर्ग

जी नहीं।

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण किये जाते हैं।

विधान सभा सदस्यों के आवास पर लगे टेलीफोन की वर्तमान काल सीमा में वृद्धि किये जाने की मांग

20--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधान सभा सदस्य को उनके सरकारी आवास पर लगे टेलीफोन की वर्तमान काल सीमा में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

अधिसूचना दिनांक 29 मार्च, 2004 द्वारा दिनांक पहली अप्रैल, 2004 से विधान मण्डल सदस्यों के लखनऊ तथा क्षेत्रीय आवास में योजित टेलीफोन पर टेलीफोन विभाग द्वारा अनुज्ञात नि:शुल्क काल के अतिरिक्त प्रतिमाह अनुमन्य नि:शुल्क स्थानीय काल की सीमा एक हजार से बढ़ाकर एक हजार दो सौ पचास तथा दोनों टेलीफोन पर की गयी काल्स को समेकित करते हुए दो हजार पांच सौ काल्स प्रतिमाह कर दी गयी है। वर्तमान में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुन: टेलीफोन काल्स सीमा में वृद्धि किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

21--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ में श्री आर0 एस0 राजौरिया द्वारा श्रीमती जुबैदा खातून उर्फ गुड्डी के विरुद्ध दिये गये पत्रों पर कृत कार्यवाही

22--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-166 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-10-03, 28-10-03, 31-10-03, 8-5-04, 8-4-2004, 26-4-2004 के शिकायती-पत्रों पर क्या सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कोई मुकदमा पंजीकृत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिनांक 12-7-04 को मुकदमा पंजीकृत कर जांच के दौरान वादी के बयान दर्ज किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री आर0 एस0 रजौरिया, 62 रामदास का हाता सदर बाजार, थाना-कैण्ट, लखनऊ के द्वारा श्रीमती जुबैदा खातून उर्फ गुड्डी के विरुद्ध प्रेषित किये गये शिकायती-पत्र दिनांक 21-10-03, 28-10-03, 31-10-03, 8-4-04 तथा 8-5-04 प्राप्त हुये थे। इन प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी। जांच में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी, जिसके कारण विपक्षीगण के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-4-04 प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

श्री आर0 एस0 रजौरिया के एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-5-04 के आधार पर थाना-कैण्ट में मु0अ0सं0-144/04, धारा 452, 506, भा0 दं0वि0 पंजीकृत इस अभियोग के वादी श्री आर0 एस0 रजौरिया से दिनांक 13-7-04 को पूछ-ताछ की गयी तथा इनके बयान के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण विवेचनोपरान्त प्रतिवादीगणों पर लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये। विवेचना में अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त करते हुए जुर्म खारिज की रिपोर्ट प्रेषित की गयी। श्री आर0 एस0 रजौरिया के अनुरोध पर पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त प्रकरण की पुन: विवेचना स्थानान्तरित की जा चुकी है, जिसकी विवेचना थाना ठाकुरगंज द्वारा प्रचलित है।

कान्स0 (एम)/वैतनिक शिशुक्षु के नियत वेतनमान के स्थानापन्न ए0एस0आई0 (एम) के नियमित वेतनमान में नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक पत्र

23--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि "कान्स0/(एम)/वैतनिक शिशुक्षु" के नियत वेतन के स्थानापन्न ए0एस0आई0 (एम) के नियमित वेतनमान में नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के दो पत्र आपके कार्यालय में क्रमांक सी0एम0वि0को0/94185/2004, दिनांक 23-01-04 एवं सी0एम0वि0को0/एम-1/101252/2004, दिनांक 16-06-04 पर प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

लिपिक सम्वर्ग में भर्ती का स्रोत कान्स0 (एम) जो पेड अपरेंटिस (वैयक्तिक शिशुक्षु) नियत वेतन का पद है, पर नियुक्ति प्रदान करने के बाद वरिष्ठता क्रम में ए0एस0आई0 (एम) के नियमित

पद पर नियमानुसार प्रोन्नति/नियुक्ति प्रदान की जाती है। तत्समय आरक्षण कोटा को पूर्ण करने के उद्देश्य से कान्स0 (एम)/वैयक्तिक शिशुक्षु के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को ए0एस0आई0 (एम) के नियमित वेतनमान के पद पर प्रोन्नत किया गया और सामान्य/पिछड़ी जाति के कर्मी पदोन्नति नहीं पा सके थे क्योंकि इस वर्ग में रिक्ति नहीं थी।

जनपद सीतापुर में संचालित जे0बी0 दारुका पेपर मिल्स स्थित निकट कटीली बंगला द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में शिकायती-पत्र

24--श्री राम हेत--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ ग्राम शंकरपुर, खगेंसियामऊ आदि ग्रामीणों के संलग्न प्रार्थना-पत्र दिनांक 02-12-2004 जो जनपद सीतापुर में संचालित जे0बी0 दारुका पेपर मिल्स स्थित निकट कटीली बंगला द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण व मिल का गन्दा पानी तथा कचरा खेतों व नदी नालों में छोड़े जाने के विषय में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)--

जी हां।

प्रश्नगत उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है तथा शोधन संयंत्र का संचालन संतोषजनक है। उद्योग से निकलने वाले ब्लैक लिकर को बायोफ्यूल के सह-उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में व्वायलर में किया जाता है। दिनांक 03-01-2005 को उद्योग के निरीक्षण में शुद्धिकरण संयंत्र से निकलने वाले उत्प्रवाह के नमूने बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में खोदी गयी सड़कों/गड्ढों की मरम्मत विषयक योजना

25--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर में विभिन्न स्थानों पर पानी की पाइप लाइन बिजली एवं टेलीफोन की केबिल जमीन के नीचे डालने हेतु खुदवाई गई जमीनों, सड़कों के गड्ढों को पाटने तथा उसकी मरम्मत कराने हेतु क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शहर के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा जो सड़कें खोदी जाती हैं, उनकी मरम्मत हेतु व्यय का विवरण संबंधित विभाग को भेजा जाता है। रोड कटिंग की मरम्मत धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कटिंग की मरम्मत करायी जाती है। विद्युत विभाग द्वारा जो रोड कटिंग की जाती है उसकी मरम्मत विद्युत विभाग द्वारा की जाती है।

लखनऊ में स्थित राजाजीपुरम् कालोनी में आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों का नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने की मांग

26--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में स्थित राजाजीपुरम् कालोनी के सेक्टर-5, 6 एवं सेक्टर-13 में आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित भवनों एवं भूखण्डों को नगर निगम, लखनऊ को हस्तानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनका हस्तानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

भवनों एवं भूखण्डों को परिषद द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया जाता है बल्कि भवनों एवं भूखण्डों के क्षेत्र की सेवाओं/जन सुविधाओं को रख-रखाव हेतु नगर निगम को हस्तान्तरित किया जाता है। उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ के सेक्टर-5, 6 एवं 13 की सेवायें/जनसुविधाएं जनवरी, 1988 में नगर निगम लखनऊ को रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ की शिवानी बिहार कालोनी में संचालित दूध डेरी हटाने की मांग

27--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के प्रथम सोमवार को पूछे गये अता0 प्रश्न सं0-81 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत स्थल पर अभी भी दूध डेरी संचालित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-9-04 नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

दूध डेयरियों को पूर्व में हटाया जा चुका है तथा समय-समय पर आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही भी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

28--श्री श्याम देव राय चौधरी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोंडा के बलरामपुर चीनी मिल एवं उसकी केमिकल इकाई के उत्प्रवाह से पशुओं के मरने के संबंध में कथित शिकायत

29--श्री संजीव दरियाबादी--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-44 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार को जानकारी है कि क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद द्वारा प्रश्नगत रसायन कारखाने के प्रदूषित जल के संबंध में दिनांक 8-3-2004 को दी गयी रिपोर्ट में जल प्रदूषण निस्तारण के अनुरूप कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उसी कारखाने के प्रदूषित जल पीने के कारण ग्राम मकोइया तथा रतनपुर विकास खण्ड छपिया, जनपद गोण्डा के 10 लोगों के पशुओं के मरने के फलस्वरूप हर्जाना के रूप में उप जिलाधिकारी, मनिकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा विषाक्त जल प्रमाणित करते हुए मिल प्रशासन से पीड़ित लोगों को रु0 48,000/= का जुर्माना 17 सितम्बर से 19 सितम्बर, 2004 के मध्य दिलवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व में गलत रिपोर्ट देने वाले क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण, फैजाबाद के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह--

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2004 को किये गये निरीक्षण की आख्यानुसार उद्योग में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्ग दर्शिका के अनुसार तथा पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुरूप बायो कम्पोस्टिंग आधारित शून्य निस्तारण व्यवस्था स्थापित की गयी है।

स्थानीय प्रशासन द्वारा मुआवजे के संबंध में सक्षम स्तर से कार्यवाही की गयी है। प्राप्त सूचनानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बभनान द्वारा अगस्त, 2004 में यह प्रमाणित किया गया है कि बलरामपुर चीनी मिल एवम् उसके कैमिकल इकाई के उत्प्रवाह से क्षेत्र में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई सूचना दर्ज है। पशु चिकित्साधिकारी, बभनान द्वारा प्रमाणित किया गया है कि बलरामपुर चीनी मिल, बभनान एवम् इसकी केमिकल इकाई के उत्प्रवाह से क्षेत्र में पशुओं के किसी प्रकार हताहत होने अथवा किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैली है और न ही इस प्रकार की क्षेत्र से कोई शिकायत है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर के कैन्ट थानान्तर्गत मोहद्दीपुर में नो-ट्राफिक इन्ट्री जोन की व्यवस्था एवं ट्रकों के प्रवेश पर रोक

30--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के कैन्ट थानान्तर्गत मोहद्दीपुर में नो-ट्रेफिक जोन में व्यस्त समय में ट्रकों के प्रवेश करने के कारण पिछले वर्ष दुर्घटना में कितने नागरिकों की मौत हुयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नो-ट्रैफिक जोन के व्यस्त समय में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस दौरान क्षेत्राधिकारी, कैण्ट तथा क्षेत्राधिकारी, यातायात दोनों का ही दायित्व एक ही अधिकारी के पास था ? यदि हां, तो क्या दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के लिये उक्त क्षेत्राधिकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मन्नाराम सिंह यादव--

03 (तीन)

उक्त क्षेत्र में नो-ट्रैफिक इन्ट्री जोन की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है, जिसके अनुसार जाड़े के समय प्रातः 8.00 से रात्रि 21.00 बजे तक एवं गर्मी के समय प्रातः 7.30 से रात्रि 22.00 बजे तक व्यस्त समय में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगी है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

तीन घटनाओं में मृतक तीन नागरिकों के संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच प्रचलित है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को शासकीय विभाग की भांति वेतनमान दिये जाने की मांग

31--श्री राम किशुन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की भांति वेतनमान रु0 (5000-8000) देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त वेतनमान विकास प्राधिकरणों में कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को वेतनमान रु0 5000-8000 दिये जाने पर विचार किया गया। वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह परामर्श दिया गया कि मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के लिए प्राप्त हुए हैं। अतएव शासकीय विभाग की भांति प्राधिकरण सेवा के अवर अभियन्ताओं को उक्त वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री हरतेज सिंह थापर व श्रीमती निर्मल हरभजन सिंह द्वारा लीज की शर्तों के विपरीत इण्डस्ट्रीज के प्रयोग में लाकर नियमों का उल्लंघन किये जाने की जांच

32--कु0 रतनजीत प्रताप नारायण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा श्री हरतेज सिंह थापर व श्रीमती निर्मल हरभजन सिंह को नोटिस संबंधी पत्र संख्या-07/05-13/इण्डस्ट्रीयल, दिनांक 13-12-99 व 08/05(11)/इण्डस्ट्रीयल, दिनांक 13-12-99 संबंधित लीज की अवधि पूरी होने के अट्ठारह वर्ष बाद जारी की गई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि लीज धारक द्वारा लीज की शर्तों के विपरीत इण्डस्ट्रीज के प्रयोग में लाकर 1968 से किराये पर आवासीय उपयोग में लाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लीज को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पट्टे की शर्तों के अनुसार मौके पर इन्डस्ट्री स्थापित है। वर्ष 1968 से किराये पर आवासीय उपयोग में लाये जाने की कोई जानकारी विभाग को नहीं है।

वर्तमान में यह प्रकरण रिट पिटीशन संख्या-2285(एमबी)/2000 के रूप में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार 'लीज' चालू रखने अथवा उसे समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर में माफिया अपराधियों की संख्या तथा उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही

33--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में कितने अपराधी माफिया चिन्हित किये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद सहारनपुर में कुल 103 अपराधी माफिया चिन्हित किये गये हैं।

उक्त अपराधी माफियाओं में से विभिन्न श्रेणी के 71 माफियाओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

जनपद लखनऊ, मुजफ्फरनगर व मेरठ में पंजीकृत अभियोग

34--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मेरठ में वर्ष 2002 की तुलना में विगत वर्ष में हत्या, डकैती, बलात्कार, चोरी, राहजनी आदि की घटनाओं में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई रूपरेखा बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जनपद लखनऊ में वर्ष 2004 में हत्या के कुल 169 अभियोग पंजीकृत हुए जबकि वर्ष 2002 में 171 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में 2004 में कमी आई है ।

जनपद मुजफ्फरनगर में 2004 में हत्या के 251 अभियोग पंजीकृत हुए तथा वर्ष 2002 में 446 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में काफी कमी आई है ?

जनपद मेरठ में वर्ष 2004 में हत्या के 222 अभियोग पंजीकृत हुए तथा वर्ष 2002 में 221 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में आंशिक वृद्धि हुई है ।

डकैती--

जनपद लखनऊ में वर्ष 2004 में डकैती के 10 अभियोग पंजीकृत हुए जबकि वर्ष 2002 में भी 10 अभियोग पंजीकृत हुए हैं स्थिति सामान्य है।

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2004 में 8 अभियोग पंजीकृत हुए जबकि 2002 में 11 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में काफी कमी आई है।

जनपद मेरठ में वर्ष 2004 में 14 अभियोग पंजीकृत हुए जबकि वर्ष 2002 में 11 अभियोग पंजीकृत हुए हैं इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में आंशिक वृद्धि हुई है।

बलात्कार--

जनपद, लखनऊ में वर्ष 2004 में 45 अभियोग पंजीकृत हुए वर्ष 2002 में 38 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में आंशिक वृद्धि हुई है।

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2004 में 42 अभियोग पंजीकृत हुए तथा वर्ष 2002 में 27 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में आंशिक वृद्धि हुई है।

जनपद मेरठ में वर्ष 2004 में 30 अभियोग पंजीकृत हुए तथा वर्ष 2002 में 27 अभियोग पंजीकृत हुए। इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में आंशिक वृद्धि हुई है।

चोरी--

जनपद लखनऊ में वर्ष 2004 में 2056 अभियोग एवं वर्ष 2002 में 2096 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार 2002 की तुलना में 2004 में काफी कमी आई है।

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2004 में 510 अभियोग एवं वर्ष 2002 में 446 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में आंशिक वृद्धि हुई है।

जनपद मेरठ में वर्ष 2004 में 1151 अभियोग एवं वर्ष 2002 में 737 अभियोग पंजीकृत हुए हैं इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में आंशिक वृद्धि हुई है।

राहजनी--

जनपद लखनऊ में वर्ष 2004 में 84 अभियोग एवं वर्ष 2002 में 117 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में काफी कमी आई है।

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2004 में 76 अभियोग एवं वर्ष 2002 में 94 अभियोग पंजीकृत हुए इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2004 में काफी कमी आई है।

जनपद मेरठ में वर्ष 2004 में 111 अभियोग एवं वर्ष 2002 में 106 अभियोग पंजीकृत हुआ इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में 2004 में आंशिक वृद्धि हुई है।

अपराधों की रोकथाम एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समय-समय पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्र निर्गत किये गये हैं एवं समय-समय पर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रदेश स्तर पर अभियान एवं मयूर अभियान चलाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती जुबेदा खातून एवं छोटे मोहम्मद इस्माईल को जान से मारने

की धमकी दिये जाने सम्बन्धी पत्र

35--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 26-9-04 का जो श्री आर0 एस0 राजौरिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इण्डियन एकता पार्टी, उत्तर प्रदेश का स्पीड पोस्ट से प्रेषित जो श्रीमती जुबेदा खातून एवं छोटे मोहम्मद इस्माईल पुत्र इब्राहिम द्वारा 25-9-2004 को झगड़ा करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले पर मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं। श्री राजौरिया के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप पुलिस की जांच में असत्य पाये गये हैं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

36--श्री सुन्दर सिंह--

[दिनांक 3-3-2005 के अता0 प्र0 सं0 131 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में नगरा, पकड़ी और कुरेनी में

पानी की टंकियों के निर्माण हेतु अनुमानित लागत

37--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के नगरा, पकड़ी और कुरेनी में प्रस्तावित पानी की टंकी हेतु सहभागिता का धन जमा हो गया है ? यदि हां, तो शासन से अवमुक्त होने वाली धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में नगरा, पकड़ी और कुरेनी में प्रस्तावित पानी की टंकियों के निर्माण हेतु अनुमानित लागत रु0 223.06 लाख की 15 प्रतिशत सहभागिता अंशदान की धनराशि रु0 33.459 लाख के सापेक्ष रु0 15.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो गयी है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में 151 स्वीकृत/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं एवं हैण्ड पम्प कार्यों के निष्पादन हेतु उ0 प्र0 जल निगम को रु0 181.2121 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। जल निगम विभिन्न स्वीकृत/निर्माणाधीन योजनाओं पर समग्रता में धनराशि की आवश्यकता व उपलब्धता अनुसार कार्य करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा नगर, लखनऊ में श्री गनेश राम चौरसिया द्वारा आवास विकास परिषद् की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

38--डा0 विनोद तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ भवन संख्या-ए, 1407/11 व ए-1405/1 तथा ए-1403/11 के बगल में आवास विकास परिषद् की भूमि पर श्री गनेश राम चौरसिया द्वारा 14956.20 वर्ग फुट पर अनधिकृत कब्जा कर लिया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इन्दिरा नगर "ए" ब्लाक के निवासियों द्वारा अवैध निर्माण को रोकने के लिये आवास आयुक्त को दिनांक 14-12-2001 को प्रार्थना-पत्र देकर अनुरोध किया था तथा तत्कालीन उपाध्यक्ष, विधान सभा, डा0 अम्मार रिजवी का पत्रांक सं0 707/उ0वि0स0, 24-12-2001, भी प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन (आवास विभाग) को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, वर्ष 1994 में श्री गनेश राम चौरसिया द्वारा परिषद् की कब्जा प्राप्त भूमि खसरा संख्या 129, ग्राम बस्तौली के आंशिक भाग पर अनधिकृत कब्जा/निर्माण कर लिया गया था।

जी हां।

पत्रांक 253/सं0 22-2002, दिनांक 25-1-02 के द्वारा इंगित अनधिकृत निर्माण को रुकवाने हेतु थानाध्यक्ष, गाजीपुर, इन्दिरा नगर, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 1505/एम0बी0-99 (श्री गनेश राम चौरसिया बनाम परिषद्) में इंगित अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ करने, एडवोकेट कमिश्नर की तैनाती करने एवं स्थगन आदेश निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-9-2002 को दाखिल किया गया था, जो कि विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के समक्ष विचाराधीन है। सुनवाई हेतु वाद दिनांक 11-1-2005 को सूचीबद्ध था, पुन: सूचीबद्ध कराने की कार्यवाही परिषद् अधिवक्ता द्वारा की जा रही है।

लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के भवन संख्या 22/640 से अवैध कब्जेदार एवं दुकान को हटाने की मांग

39--डा0 विनोद तिवारी--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित सदस्य श्री रामतेज यादव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 128 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर 22 इन्दिरा नगर, लखनऊ में भवन सं0 22/640, श्रीमती लगन देई दलित महिला के नाम आवंटित हुआ था ? क्या कब्जा पत्र जारी होने के बाद उक्त भवन पर मो0 यूसुफ पुत्र रज्जाक द्वारा अवैध कब्जा करके आवासीय भवन में दुकान खोल रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यूसुफ के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

श्रीमती संख्या लगन देई को आवंटित भवन संख्या 22/640, भौतिक कब्जा देने हेतु कब्जा पत्र संख्या 1151/क0प0, दिनांक 31-1-96 जारी हुआ था, परन्तु भवन संख्या 22/640 में उक्त तिथि के पूर्व से अवैध अध्यासन होने के कारण श्रीमती लगन देई को भवन संख्या 21/1171 आवंटित कर दिनांक 10-3-97 को भौतिक कब्जा दिया गया। पुनः श्री बब्बू पाण्डेय के पक्ष में कब्जा पत्र संख्या 7915/क0प0, दिनांक 11-11-98 जारी होने के उपरान्त उक्त भवन का भौतिक कब्जा दिनांक 20-3-99 को श्री बब्बू पाण्डेय को दिया गया। मो0 युसुफ पावर आफ एटार्नी होल्डर श्री बब्बू पाण्डेय की हैसियत से उक्त भवन में निवास कर रहे हैं तथा भवन के एक कमरे का प्रयोग दुकान के रूप में टेलरिंग कार्य हेतु कर रहे हैं।

अनधिकृत निर्माण/कब्जा को हटाने हेतु थानाध्यक्ष, गाजीपुर, इन्दिरा नगर, लखनऊ को दिनांक 29-9-99 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 83 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस पत्रांक 2451/से0-22/640/99, दिनांक 29-9-99 एवं अनधिकृत निर्माण गिरवाने की नोटिस पत्रांक 2521/से0-22/640-99, दिनांक 12-10-99 जारी किया गया।

प्रकरण मा0 न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), लखनऊ के यहां रेगुलर सूट संख्या 468/1999 (श्री बब्बू पाण्डेय बनाम परिषद) विचाराधीन है। उक्त वाद निस्तारण हेतु अगली तिथि 22-3-2005 सूचीबद्ध है।

लखनऊ स्थित महानगर सचिवालय कालोनी एवं लाल बहादुर शास्त्री वार्ड संख्या 86 में अनधिकृत रूप से पाले जा रहे दुधारु पशुओं को शहर/आवासीय परिसर से बाहर कैटिल कालोनी में बसाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

40--डा0 विनोद तिवारी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत महानगर स्थित सचिवालय कालोनी एवं लाल बहादुर शास्त्री, वार्ड संख्या 86 के अन्तर्गत सेक्टर "सी" एवं "डी" बेगमपुरवा (कुमांचल नगर) में अनधिकृत रूप से पाले जा रहे दुधारु पशुओं को शहर/आवासीय परिसर से बाहर कैटिल कालोनी में बसाये जाने के सम्बन्ध में विधायक श्री दयाशंकर वर्मा का पत्रांक ख-3 सं0 364504, दिनांक 6 अगस्त, 2004 प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

प्रकरण में महानगर सचिवालय कालोनी में समय-समय पर आवारा पशुओं को पकड़वाने की कार्यवाही की जाती है। दिनांक 22-09-2004 को 07 बछड़े, 01 बछिया, 03 गाय कुल 11 पशु पकड़े गये। दिनांक 28-09-04 को 01 गाय व 01 बछिया बंद की गयी। दिनांक 30-9-04 को 03 बछिया व 01 बछड़ा बंद कराया गया है, कुल 17 पशुओं को पकड़ा गया है।

दिनांक 31-08-2004 को 19 आवारा सुअर व दिनांक 04-10-2004 को 12 आवारा सुअर कुल 31 आवारा सुअरों को पकड़कर कांजी हाउस में बन्द किया गया।

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड कुर्मांचल नगर स्थित श्री फारूक पुत्र नूर मोहम्मद 12, कुर्मांचल नगर, श्री मुबीन पुत्र श्री मो0 अली डी-53 कुर्मांचल नगर श्री रफीक उर्फ नब्बा पुत्र जान मोहम्मद डी-16 कुर्मांचल नगर एवं श्री अब्दुल हफीज पुत्र जान मोहम्मद डी-16 कुर्मांचल नगर की अवैध दूध डेरियों को लखनऊ नगर निगम द्वारा अभियान के अन्तर्गत हटाया गया था एवं इनके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम की धारा 550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी इसके अतिरिक्त समय-समय पर कई बार इनकी दूध डेरियों को हटाया गया। सम्बन्धित थाने द्वारा समुचित कार्यवाही न करने के कारण इनके द्वारा पुन: दूध डेरी स्थापित कर लेने के कारण लखनऊ नगर निगम द्वारा बाध्य होकर समस्त पशुपालकों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ से मा0 उच्च न्यायालय की अवमानना के आरोप में अवमानना वाद संख्या 856 (सी) आफ 2004 दायर की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सम्बन्धित पशुपालकों को नोटिस जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा विकास खण्ड खुदागंज, सिधौली, जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर को आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

41--श्री कौशल किशोर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रियाज अहमद, विधायक, पीलीभीत द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0 550/2004/वीआई0पी0, दिनांक 27-10-2004 के साथ संलग्न नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ का मूल पत्र जो विकास खण्ड खुदागंज, सिधौली, जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर को आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान विषयक था, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मऊ, विकास खण्ड रतनपुरा में नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

42--श्री कौशल किशोर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शबीहुल हसन, सदस्य, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, लखनऊ उ0 प्र0 सरकार का पत्र संख्या 105/2004, दिनांक 30-10-04 जो कि विकास खण्ड रतनपुरा, जिला मऊ में नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान के सम्बन्ध में था, आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

मामले का परीक्षण कर भुगतान के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मऊ, विकास खण्ड फतेहपुर मंडावा (मधुबन) में नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

43--श्री कौशल किशोर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 कौशल किशोर, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न नफीस नर्सरी का मूल प्रार्थना-पत्र पत्रांक सं0 क-1 नं0137405, दिनांक 27-10-2004 जो विकास खण्ड फतेहपुर मंडावा (मधुबन), जिला मऊ में नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा आपूर्ति किये गये पौधों का भुगतान न मिलने हेतु विषयक था, मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के राजामऊ रजबाहा की कच्ची पटरी को, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पक्की कराये जाने की मांग

44--श्री विश्राम सिंह यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के राजामऊ रजबाहा की पटरी कच्ची है जिससे नागरिकों को आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर की पटरी को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पक्की करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का चयन सम्बन्धित जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। अभी तक उक्त नहर पटरी इस योजनान्तर्गत चयनित/स्वीकृत नहीं है।

गोरखपुर के बसन्तपुर मुतनाजा वार्ड शेखपुर में अतिक्रमण को हटाने के बाद मलवा हटवाये जाने विषयक पत्र

45--श्री पूर्णमासी दहातो--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर के पत्रांक 185/स0म0आ0/अति/2004-05, दिनांक 3-8-04 द्वारा मुहल्ला बसन्तपुर मुतनाजा वार्ड शेखपुर में किये गये अतिक्रमण को हटाया गया था ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण हटाने के बाद मलवा आदि मौके से क्यों नहीं हटाया गया ? मलवा न हटाने के कारण पुन: रास्ते का अतिक्रमण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसे पुन: हटाने एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश सरकार सम्बन्धित अधिकारी को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां । सहायक नगर आयुक्त/तत्कालीन प्रभारी (अतिक्रमण) द्वारा अतिक्रमण दिनांक 11-8-2004 को हटवा दिया गया था।

अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही दिनांक 11-8-04 को सम्पन्न कराने के पश्चात् भी मलवा निश्चित ही वहां पड़ा रह गया था, जिससे आवागमन लेश मात्र ही प्रभावित था। उक्त मलवा दिनांक 09-12-04 को हटवा दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

टिकैत राय सचिवालय कालोनी, लखनऊ के फेज-3 के सामने स्थित पार्क में लगे पानी के कनेक्शन से असुविधा

46--श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ के फेज-3 में आवास संख्या आर0एस0-11/282 के सामने बने पार्क में अवैध पानी कनेक्शन कर आये दिन बहाया जाता है जिससे कालोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस पर रोक लगाने एवं अवैध कनेक्शन को हटाकर सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

टिकैत राय आवासीय योजना के अन्तर्गत फेज-3 में भवन संख्या आर0एस0-2/282 के सामने स्थित पार्क में लगे हुए पेड़-पौधों की सिंचाई हेतु पानी का वैध कनेक्शन दिया गया है पार्क में किये गये कनेक्शन से कालोनी वासियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बलिया के थाना फेफना के ग्राम सागरपाली में राज कुमार वर्मा पुत्र श्री राम सिंगासन वर्मा की हत्या विषयक पत्र पर कार्यवाही

47--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 12841/दिनांक 30-11-04 जो जिला बलिया के थाना फेफना के ग्राम सागरपाली में राजकुमार वर्मा पुत्र श्री राम सिंगासन वर्मा की हत्या के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा की गयी पदोन्नति विषयक पत्र

48--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरे द्वारा भेजा गया पत्र सं0 1240/दिनांक 30-11-04 जो होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा की गई पदोन्नति से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा की गई पदोन्नति में दिनांक 25-09-2001 को जारी शासनादेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि उक्त शासनादेश का पालन किया जायेगा तो कब तक ?

होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के श्री किशन रावत के पुत्र उग्रसेन के अपहरण से सम्बन्धित पत्र

49--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 12829, दिनांक 25-11-2004, जो जनपद लखनऊ के श्री किशन रावत के 21 वर्षीय पुत्र उग्रसेन के अपहरण तथा नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, अपितु श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता विधान मण्डल, बहुजन समाज पार्टी, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 24-11-04 के साथ आवेदक श्री किशन रावत पुत्र स्व0 गया प्रसाद रावत, निवासी ग्राम उत्तरधौना, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ का पत्र विशेष सचिव, मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन को पृष्ठांकित दिनांक 3-12-04 के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

श्री किशन रावत पुत्र गया प्रसाद, ग्राम उत्तरधौना, थाना चिनहट की तहरीर सूचना पर दिनांक 18-1-04 को उनके पुत्र उग्रसेन के सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज करायी थी। तत्पश्चात् दिनांक 26-2-04 को मु0अ0सं0-46/04, धारा 364 भा0 द0 वि0 थाना चिनहट बनाम रामनरेश जगत दुलारी, कंचन पाठक के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना से नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि न होने पर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 49, दिनांक 10-6-04 के द्वारा न्यायालय प्रेषित की गयी थी, किन्तु उच्चाधिकारियों के निदेशानुसार उक्त अभियोग की पुन: विवेचना प्रचलित है।

कानपुर नगर स्थित अर्बन/प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक को यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंक में विलय का विचार

50--श्री विनोद कुमार सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्थित अर्बन/प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक, जिसकी वित्तीय स्थिति खराब है, को सरकार यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंक में विलय करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)--

वित्तीय स्थिति खराब नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में स्थित अर्बन/प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन यू0 पी0 कोआपरेटिव संस्थागत सेवा मण्डल से किये जाने की मांग

51--श्री विनोद कुमार सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्थित अर्बन/प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन यू0 पी0 कोआपरेटिव संस्थागत सेवा मण्डल से करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों का अनुमोदन यू0 पी0 कोआपरेटिव संस्थागत सेवा मण्डल से कब तक करा लिया जायेगा ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी नहीं।

अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के निरालानगर, डालीगंज एवं बाबूगंज में जलापूर्ति ट्यूबवेल से कराये जाने की मांग

52--श्री देवकी नन्दन--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के माया नगर एवं मुंशीगंज के समीप मोहल्ले निरालानगर, डालीगंज एवं बाबूगंज में वर्ष 2002 में एक-एक ट्यूबवेल पानी की सप्लाई हेतु लगाये गये हैं, परन्तु उक्त ट्यूबवेलों से निकट स्थित मायानगर, मुंशीगंज में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जर्जर एवं जगह-जगह टूटी एशबाग पाइप लाइन से पानी की सप्लाई मायानगर, मुंशीगंज में होने के कारण नागरिकों को गन्दे पानी की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार निराला नगर, डालीगंज एवं बाबूगंज में लगे ट्यूबवेलों से मायानगर, मुंशीगंज में पानी की सप्लाई करायेगी ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

पानी की सप्लाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

पानी की सप्लाई की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

53--श्री देवकी नन्दन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बागपत की तहसील बड़ौत मुख्यालय पर मुन्सिफी न्यायालय स्थापित किये जाने की मांग

54--डा0 अजय कुमार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बागपत की बड़ौत तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफी न्यायालय स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

संविधान के अनुच्छेद 227 की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी न्यायालय की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय की सहमति तथा संस्तुति पर ही की जाती है। जनपद बागपत की तहसील बड़ौत मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु मा0 उच्च न्यायालय ने सहमति नहीं दी है। अतः जनपद बागपत की तहसील बड़ौत मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्राम इस्माइलगंज में लगे हैण्ड पम्प को ठीक न कराने का प्रकरण

55--श्री सोमारू राम सरोज--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता जोन-5, लखनऊ जल संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 315/एल0जी0एस0/ई0ई0-5, दिनांक 10-7-03 द्वारा परियोजना प्रबन्धक, पेयजल प्रथम, उ0 प्र0 जल निगम को ग्राम इस्माइलगंज में लगे हुए हैण्ड पम्प को ठीक करने हेतु निर्देश दिये थे परन्तु एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आज तक उक्त गांव का हैण्ड पम्प ठीक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

प्रश्नगत हैण्ड पम्प वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर वि0 स0 क्षेत्र पुवायां के नगर विकास के कार्यों हेतु प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा धनराशि जारी कराने विषयक आदेश पर कार्यवाही

56--श्री मिथिलेश कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के नगर विकास के कार्यों हेतु धनराशि जारी करने/स्वीकृति हेतु आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-108758-2004, दिनांक 21-8-04 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला कारागार, बुलन्दशहर में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

57--श्री सुन्दर सिंह--

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, बुलन्दशहर में ग्रामीण क्षेत्र से विद्युत की आपूर्ति किये जाने के कारण कारागार में अंधेरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कारागार में सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर से कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश कुमार वर्मा--

जी नहीं, जिला कारागार, बुलन्दशहर में विद्युत आपूर्ति यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र के फीडर से की जा रही है। परन्तु विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जिला कारागार, बुलन्दशहर में 125 के0वी0ए0 के जनरेटर की व्यवस्था की गयी है, जिसके द्वारा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

पावर कारपोरेशन द्वारा अवगत कराया गया है कि अरबन फीडर से नगर पालिका सीमा के बाहर विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकती है।

जनपद अदालत गोण्डा से विभिन्न मामलों की फाइलों के गायब होने की जांच

58--कुँ0 रतनजीत प्रताप नरायण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अदालत गोण्डा से विभिन्न मामलों की लगभग पांच हजार फाइलों के गायब होने तथा जुलाई, 2004 में शासकीय न्यायाधीश द्वारा जांच के दौरान बरामद होना पाया गया है ? यदि हां, तो इसमें अभी तक जिला प्रशासन गोण्डा द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

मा0 प्रशासनिक न्यायमूर्ति, गोण्डा परिक्षेत्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निरीक्षण दिनांक 1-7-2004 से 4-7-2004 के मध्य 135 निर्णित पत्रावलियां जो आपराधिक प्रकृति की थीं, न्यायालय प्रांगण के बाहर चौरसिया फोटो स्टेट मशीन की दुकान से बरामद की गयी थीं तथा 13058 पत्रावलियां जो आपराधिक तथा अन्य अभिलेखों की हैं, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से सम्बन्धित लेबोरेटरी से बरामद की गयी तथा 28 अधजली नोटिसें जो न्यायिक अभिलेखों से सम्बन्धित थीं दिनांक 03-07-2004 को बरामद की गयी थी।

इस सम्बन्ध में दिनांक 5-7-04 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर, गोण्डा में अपराध संख्या 307/04, अन्तर्गत धारा 435/427/389/411/201 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया था। पंजीकृत उक्त अपराध दिनांक 20-9-04 को आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमें 5 निलम्बित कर्मचारियों का चालान किया गया है। इन

अभियुक्तों को आरोप-पत्र आदि की नकलें दी जा चुकी हैं तथा दिनांक 28-2-05 से अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोण्डा में विचाराधीन है। 135 बरामद पत्रावलियों के सम्बन्ध में तथा लेबोरेटरी से प्राप्त पत्रावलियों के संबंध में छः कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच द्वितीय अपर जिला जज, गोण्डा द्वारा की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों के चयन स्थल का आधार

59--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र में आपके द्वारा 500 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प दिये गये हैं ? उक्त हैण्ड पम्प को लगाने हेतु स्थल चयन का आधार क्या है ? क्या स्थल चयन हेतु सम्बन्धित जनप्रतिनिधि द्वारा सूची दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त सूची के अनुसार प्रश्नगत हैण्ड पम्प स्थापित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

पेयजल हेतु क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता ही स्थल चयन का आधार है।

स्थल चयन हेतु विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सूची दी गयी है।

विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गयी सूची एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र का स्थलीय परीक्षण कर क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता के अनुसार हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

60--श्री अशोक सिंह चौहान--

[दिनांक 4-3-2005 के अता0 प्र0 सं0 52 द्वारा उत्तरित ।]

जिला गोरखपुर, तहसील सदर मुतनाजा वार्ड संख्या-31 के रास्ते में अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

61--श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्ती रास्ता नं0-132 बसन्तपुर मुतनाजा वार्ड संख्या-31, शेखपुर तहसील सदर, जिला गोरखपुर रास्ते को मुहल्ले के ही अनन्तलाल व सन्तलाल पुत्रगण गोरख प्रसाद द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिसकी लिखित सूचना मुहल्ले के सुरेन्द्र पाल यादव द्वारा नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर में दिसम्बर, 04 में की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

यह प्रकरण दो पट्टीदारों की आपसी लड़ाई का विषय है। मुहल्ले का कोई भी व्यक्ति न तो इससे प्रभावित है और न ही किसी को कोई शिकायत है। मौके पर पच्चासों वर्ष से लगभग 8 फीट

का रास्ता कायम है तथा इस रास्ते में सामान्य आवागमन में कोई प्रतिरोध भी नहीं है। दिनांक 11-8-2004 को नगर निगम द्वारा की गयी कार्यवाही के बाद मलवा निश्चय ही वहां पड़ा रह गया था, जिससे आवागमन लेश मात्र प्रभावित था। उस मलबे को दिनांक 9-12-2004 को हटवा दिया गया है और आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान सम्बन्धी गठित समिति की रिपोर्ट

62--श्री सुखदेव राजभर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान सम्बन्धी गठित समिति की रिपोर्ट क्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उ0 प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में हुई सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 27-04-2000 में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में नगर निगम आर0 बी0 आर0 डी0 एस0 डी0 इण्टर कालेज, नवाबगंज में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं के वेतन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय

63--श्री महेन्द्र सिंह राजपूत--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्थित नगर निगम आर0बी0आर0डी0एस0डी0 इण्टर कालेज, नवाबगंज, कानपुर में वर्ष 1998 से नियत वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं के वेतन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 10708 के सम्बन्ध में दिनांक 26 मार्च, 2001 को दिये गये आदेश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26-03-2001 द्वारा याचियों के प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में नगर निगम द्वारा दिनांक 09-11-2001 को याचियों के प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

दिनांक 09-11-2001 को याचियों के प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0 स0 क्षेत्र मेहनगर के ऐतिहासिक पोखरे के जल प्रदूषण की जांच

64--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के स्थानीय बाजार के पास सटे हुए ऐतिहासिक पोखरे का जल प्रदूषित होने के कारण वहां बीमारियां तेजी से फैल रही हैं यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त पोखरे का जल साफ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह--

जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के स्थानीय बाजार के पास सटे हुए दो ऐतिहासिक पोखरों के जल प्रदूषण की जांच करायी गयी। मण्डलेश्वर महादेव पोखरे में जल प्रदूषण की कोई शिकायत नहीं पाई गयी। लखराव पोखरे में निकटवर्ती मकानों के घरेलू मल जल के निस्तारण के अतिरिक्त किसी प्रदूषण की जानकारी नहीं प्राप्त हुई । बीमारियों के बारे में स्थल निरीक्षण के समय कोई शिकायत नहीं पायी गयी है।

फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिशंकर श्रीवास्तव, मोहर्रिर, नगर निगम, कानपुर की पेंशन भुगतान विषयक पत्र

65--डा0 अजय कुमार--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री हरी शंकर श्रीवास्तव, जो नगर निगम, कानपुर के जोन-5 से मोहर्रिर के पद से वर्ष 1993 में सेवा-निवृत्त हुए थे, उनको नवम्बर, माह 2004 से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06-01-2005 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

जी हां।

श्री हरिशंकर श्रीवास्तव को माह नवम्बर, 2004 से जनवरी, 2005 तक पेंशन धनांक 8,262 रु0 का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर, थाना बेबाना में श्री काशीराम यादव को धमकाने, अवैध वसूली, मारने-पीटने की दर्ज रिपोर्ट

66--कुं0 रतनजीत प्रताप नारायण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बेबाना, जनपद अम्बेडकर नगर में दिनांक 10-12-2004 को 12.45 बजे संख्या 50/2004 पर कोई रिपोर्ट, गिरोह बनाकर गरीब किसान काशीराम यादव को धमकाने, अवैध वसूली, मारने-पीटने की दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं. तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। विवादित जमीन को लेकर दिनांक 29-11-2004 को काशीराम यादव व आशाराम वर्मा आदि निवासी ग्राम हसनपुर, जलालपुर, थाना बेबाना अम्बेडकर नगर के बीच कहा-सुनी व गाली-गलौज तथा हल्की मार-पीट के सम्बन्ध में दिनांक 7-12-2004 को राम सुरेश वर्मा द्वारा एन0सी0आर0 नं0 49/04 धारा 323/504/506 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत काशीराम यादव आदि 4 नवम्बर के विरुद्ध तथा दिनांक 10-12-2004 को काशीराम के भतीजे राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा एन0सी0आर0 नं0 50/04 पर धारा 323/504/506/352/427 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत राम सुरेश वर्मा आदि 4 सफर के विरुद्ध थाना बेवाना में रिपोर्ट दर्ज हुई ।

जांचोपरान्त दोनों पक्षों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 117/116 जा0फो0 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित कर 116(3) जा0फो0 के अन्तर्गत पाबन्द किया गया।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ के मोहल्ला केशरीपुर स्थित मनकामेश्वर मन्दिर की भूमि पर अनधिकृत रूप से श्री बराती लाल घोसी द्वारा चलाई जा रही दूध डेयरी को हटाये जाने विषयक पत्र

67--श्री बादशाह सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मनकामेश्वर वार्ड-45 के मोहल्ला केशरीपुर में श्री बराती लाल घोसी द्वारा मंदिर की भूमि पर अनधिकृत रूप से चलायी जा रही डेरी को हटवाने सम्बन्धी, श्री सोमारू राम सरोज, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 041/0412 (भाजपा विधान मण्डल कार्यालय), दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

श्री बराती लाल की दूध डेयरी को पूर्व में ही हटा दिया गया है तथा इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही दिनांक 08-02-2005 एवं दिनांक 10-02-05 करके सक्षम न्यायालय में प्रेषित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नफीस नर्सरी मुजासा, मलिहाबाद, लखनऊ को पौधों की आपूर्ति का शेष भुगतान

68--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नफीस नर्सरी मुजासा, मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, रामपुर को विकास खण्ड चमरौवा, जिला रामपुर से पौधों की आपूर्ति की शेष राशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र पत्रांक सं0 103/2004, दिनांक 20-7-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

सम्बन्धित फर्म को समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है । कोई भी भुगतान शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मऊ, विकास खण्ड रानीपुर में पौधों की आपूर्ति में घोटाला

69--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रानीपुर, जिला मऊ में वर्ष 2001 में पौधों की आपूर्ति में किये गये भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के दुरुपयोग एवं राजस्व की क्षति की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री दयाराम चौरसिया के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के आदेश सं0 779/अभि/ज0ग्रा0स0यो0/2001-02, दिनांक 1-8-2001 का पालन न करने के सम्बन्ध में श्री शबीहुल हसन, सदस्य, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, लखनऊ, उ0 प्र0 द्वारा प्रेषित पत्र सं0 2050/2004, दिनांक 29-12-2004 संलग्नकों सहित ग्राम्य विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

प्रश्नगत मामले में परीक्षणोपरान्त शिकायत सही नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ, ग्राम ताजोपुरजमीन, थाना सरायलखत्सी के श्री हरिलाल के अपहरण विषयक जांच

70--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ताजोपुरजमीन, थाना सरायलखत्सी, जनपद मऊ के हरिलाल का अपहरण करके उससे सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराने सहित अन्य मामले में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु श्री सन्तलाल राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय कल्याण परिषद् का पत्र दिनांक 12-3-2004 पर प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री के पत्रांक 2669, दिनांक 14-3-2004 द्वारा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, मऊ को प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराकर प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री सन्त लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण परिषद का पत्र दिनांकित 12-03-2004, जिस पर मुख्य मंत्री सचिवालय, उ0 प्र0 पत्र संख्या 2669/सी0एम0-2/0, दिनांकित 19-03-2004 के द्वारा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज कराकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है, प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, नगर मऊ से करायी गयी। जांच से प्रकरण में अपहरण का कोई मामला नहीं पाया गया था। जांच से यह पाया गया कि तथाकथित अपहृत श्री हरिलाल जो कथित आरोपित लोगों का भाई व पट्टीदार हैं अपने घर वालों से घरेलू बातचीत व निपटारे के लिए श्री राम बदन के गाजीपुर स्थित निवास पर उनके साथ गया था। जयनाथ सिंह के कहने पर श्री राजेन्द्र भारती, अपनी पत्नी से प्रार्थना-पत्र,

थाना सरायलखत्सी में न दिलाकर बाहर-बाहर उच्च स्तर पर कार्यवाही कराने का प्रयास निरन्तर कर रहा है। हरि लाल व उसकी पत्नी घूरिया देवी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि हरि लाल का अपहरण नहीं किया गया था। जांच से यह प्रकाश में आया कि हरि लाल व उसकी पत्नी द्वारा कोई भी प्रार्थना-पत्र अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु थाना सरायलखत्सी पर नहीं दिया गया था। अत: अपराध पंजीकृत करने का कोई आधार नहीं था।

इस प्रकरण में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया।

जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा अन्तर्गत पुलिस की गोली से हुई दो लोगों की मृत्यु की मजिस्टेरियल जांच

71--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-6-2000 को जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा अन्तर्गत ग्राम छॉयसा में पुलिस की गोली से हुई दो लोगों के मृत्यु की जांच एस0 पी0, देहात, गौतमबुद्धनगर द्वारा कराई गई थी जिसकी जांच आख्या पत्र सं0 7579/6 पुलिस सेवा-1-03/146/0/पी0एफ0, दिनांक 12-1-2004 द्वारा विशेष सचिव, गृह पुलिस सेवा अनुभाग-1 शासन, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), उ0 प्र0 के पत्र संख्या डी0जी0/दो-डी0सी0-2000/132, दिनांक 24 जून, 2002 के माध्यम से जांच रिपोर्ट शासन में प्राप्त हुई है।

घटना की मजिस्टेरियल जांच किये जाने तथा उसके परिणाम की जानकारी प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, ऐशबाग, लखनऊ की भूमि को विधिवत् किरायेदारों के पक्ष में फ्री होल्ड योजना के अन्तर्गत आवंटित किये जाने की मांग

72--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 के पहले सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-80 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि सम्बन्धित पट्टाधारी पार्टी द्वारा पट्टे की शर्तों को पूर्ण न करने के उपरान्त आज तक अवैध रूप से पट्टाधारी पार्टी का कब्जा बना हुआ है जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण की करोड़ों रुपयों की हानि प्रतिवर्ष हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा 30-30 वर्षीय दो मध्यवर्तीय नवीनीकरण के प्राविधानों के साथ कुल 90 वर्ष की अवधि हेतु पट्टाधारी पार्टी के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया था। पट्टे की शर्तों के अनुसार मौके पर पट्टाधारी पार्टी की इण्डस्ट्री स्थापित है।

प्रश्नगत भूखण्ड के निष्पादित पट्टा विलेख में पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा फ्री होल्ड जारी किये गये मांग-पत्र के विरुद्ध पट्टाधारी पार्टी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में एक रिट याचिका सं0 2285 एम बी/2000 योजित की गयी है जो वर्तमान में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रकरण पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् द्वारा कराये गये मार्गों का निर्माण

73--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 2004 (1-1-2004 से 31-12-2004 तक) में कितने मार्गों का निर्माण कराया गया ? क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बोर्ड की बिना स्वीकृति के कितने मार्ग बनवाये गये ? उस अवधि में निर्माण मद में कितना धन नगर पालिका परिषद् पर बकाया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

कुल 144 मार्गों का निर्माण कराया गया।

शून्य।

44.94 लाख रुपये।

नजूल की भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने विषयक नीति

74--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 में नजूल की जमीन को फ्री-होल्ड करने की वर्तमान सरकार की नीति है ? यदि हां, तो फ्री-होल्ड किये जाने के हजारों प्रार्थना-पत्र जिला स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का कोई स्थगनादेश है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। नजूल की भूमि फ्री-होल्ड किये जाने हेतु वर्तमान में नजूल नीति विषयक शासनादेश संख्या 2875/9-आ-4-02-152 एन/2000 टी0सी0 दिनांक 10-12-2002 द्वारा फ्री-होल्ड की नीति लागू की गयी है। परन्तु रिट याचिका संख्या 11363/03 विचित्रवीर सिंह तथा अन्य बनाम स्टेट तथा अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-03-2003 में उक्त फ्री-होल्ड नीति को स्थगित कर दिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 12-03-2003 के कारण शासनादेश दिनांक 10-12-2002 के तहत प्राप्त आवेदन- पत्र फ्री-होल्ड किये जाने हेतु जनपद स्तर पर लम्बित है। फ्री-होल्ड नीति विषयक शासनादेश दिनांक 10-12-2002 को प्रभावी बनाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में शासन एवं जिलाधिकारी, बांदा की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये गये हैं तथा मामले में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु अपर महाधिवक्ता को आबद्ध किया गया है।

जी हां।

लखनऊ नगर की गोमती नदी को स्वच्छ बनाये रखने हेतु बड़े नालों के डाइवर्जन हेतु योजना

75--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व नगर विकास मंत्री, श्री लालजी टण्डन द्वारा लखनऊ नगर की गोमती नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए गोमती नदी में शहर के 6 बड़े नालों का गन्दा पानी मेन स्ट्रीम में न गिरने हेतु इन नालों के डाइवर्जन का कार्य-प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार द्वारा उक्त कार्य को रोक दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

5 बड़े नालों (नगरीया, सरकटा वजीरगंज, पाटा तथा घसियारी मंडी) का गन्दा पानी मेन स्ट्रीम में न गिरने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया था। यह कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा उनका रख-रखाव किया जा रहा है। कुकरेल नाले से संबंधित कार्य के प्राक्कलन की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना के विरुद्ध भारत सरकार से धन अवमुक्त होना अपेक्षित है।

जी नहीं, कुकरेल नाले से संबंधित कार्य के टेण्डर आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

76--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव [3सरे गुरुवार के अता0 प्रा0 सं0-42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट में दलित, उत्पीड़न, दहेज हत्या, बलात्कार के मामले

77--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट में दलित उत्पीड़न, दहेज हत्या, बलात्कार के कितने मामले वर्ष 1997 से दिसम्बर, 2004 तक दर्ज किये गये हैं ? क्या यह सही है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष उक्त मामलों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट में दलित उत्पीड़न, दहेज हत्या, बलात्कार के वर्ष 1997 से दिसम्बर, 2004 तक दर्ज किए गए मामले निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :--

क्र0सं0	शीर्षक	वर्षवार							
		97	98	99	2000	01	02	03	04
1	दलित उत्पीड़न	264	173	237	317	383	284	152	172
2	दहेज हत्या	42	43	48	70	64	55	40	51
3	बलात्कार	29	30	31	51	60	42	26	42

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि वर्ष 2004 में सामान्यत: वृद्धि नहीं हुई है।

अपराधों की रोकथाम हेतु घटित घटनाओं में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित गति से गिरफ्तारी करके विधि सम्मत् एवं समय-समय पर शासन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अनुपालन में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद मुजफ्फरनगर में पंचायतों द्वारा प्रेमी युगलों को मौत की सजा सुनाये जाने संबंधी आदेशों को प्रतिबंधित किये जाने की मांग

78--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2004 तक कितने प्रेमी युगलों को पंचायत द्वारा मौत की सजा सुनायी गयी ? क्या सरकार ऐसे पंचायत के आदेशों पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1999 से 2004 तक की अवधि में किसी प्रेमी युगलों की पंचायत द्वारा मौत की सजा सुनाये जाने के संबंध में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसी पंचायत करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी में पंजीकृत अपराध

79--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी में अपराध संख्या-151/97, धारा 498 ए, 304, भा0दं0सं0, दिनांक 25-10-1997 को पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच के परिणाम क्या हैं ? क्या उपरोक्त मामले में आरोप-पत्र जांच अधिकारी द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उक्त अभियोग की विवेचना में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया किन्तु विवेचना से श्रीमती रतुवा पत्नी रामेश्वर के विरुद्ध धारा 498 ए/304बी आई0पी0सी0 के अन्तर्गत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने पर नामजदगी गलत पाई गई और धारा 169 दं0 प्र0 सं0 के तहत रिहा करने हेतु रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई।

विवेचना के उपरान्त अभियुक्त 1--रामगोपाल, 2--रामेश्वर, 3--बंशी उर्फ बंशगोपाल, 4--चुन्नू के विरुद्ध धारा 498 ए/304 बी आई0पी0सी0 के अन्तर्गत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर जांच अधिकारी द्वारा आरोप -पत्र संख्या 13, दि0 15-11-1997 को न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद चित्रकूट, पुलिस चौकी सीतापुर में पंजीकृत अपराध

80--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट की पुलिस चौकी सीतापुर में अपराध संख्या-26/2004 एवं अपराध संख्या-194/2004, धारा 498 ए भा0 द0 सं0 में दिनांक 23-07-2004 को पंजीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

नामजद दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दि0 29-08-2004 को जेल भेजा गया तथा तीसरे अभियुक्त द्वारा दि0 30-9-2004 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर दि0 10-10-2004 को, आरोप -पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद लखनऊ, ग्राम गहलवारा, पो0-काकोरी, थाना-काकोरी की निवासी पूजा के साथ बलात्कार सम्बन्धी घटना की जांच

81--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की निवासी पूजा, ग्राम गहलवारा, पो0-काकोरी, थाना-काकोरी के साथ दिनांक 10-06-2004 को बलात्कार किया गया था ? क्या इसकी रिपोर्ट थाना काकोरी में अपराध संख्या-156/2004, धारा-376 भा0द0सं0 में दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मामले में जांच की गई ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम है ? क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां, विवेचना के दौरान अभियुक्त आजाद द्वारा दिनांक 19-6-04 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया है। इस अभियोग में अभियुक्त आजाद के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-ए-12, दिनांक 5-7-2004 को न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है एवं अभियोग विचाराधीन न्यायालय है।

सदर कोतवाली, जिला बलिया में पंजीकृत मुकदमा

82--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-07-2003 को सदर कोतवाली, जिला बलिया में मुकदमा संख्या-3/2004 में धारा-304/504 भा0द0सं0 में पंजीकृत किया गया है ? यदि हां, तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

थाना कोतवाली सदर, जिला बलिया के अभिलेखों में दिनांक 12-07-2003 को मु0अ0सं0-3/04 अंतर्गत धारा 304/504 भा0द0वि0 पंजीकृत होना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बुटीखेड़ी, जनपद उन्नाव में बलात्कार की दर्ज रिपोर्ट

83--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिंकी 14 वर्ष निवासी ग्राम बुटीखेड़ी, जनपद उन्नाव के साथ दिनांक 30-7-2004 को बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 1030/04, धारा 307/376 भा0 द0 वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट थाना कोतवाली उन्नाव पर नन्दराम, निवासी बुद्धीखेड़ा, उन्नाव के विरुद्ध दर्ज है।

आरोपी द्वारा दिनांक 30/31-7-2004 को रात्रि में ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर लेने के कारण दिनांक 9-8-2004 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

84--ठाकुर मूलचन्द चौहान--

[दिनांक 4-3-2005 के अता0 प्र0 सं0-53 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा में जल संस्थान के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में संचालित इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्प

85--डा0 रामबाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जल संस्थान के अन्तर्गत नगर में कितने इण्डिया माकां II हैण्ड पम्प संचालित हैं ? कितने स्थायी रूप से खराब हैं ? खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

आगरा जल संस्थान के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में 4164 इण्डिया मार्क II हैण्ड पम्प संचालित है।

434 हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब है। जिन्हें दिनांक 31-3-2005 तक ठीक कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जल संस्थान द्वारा पानी पीने योग्य बनाने हेतु किये गये उपाय

86--डा0 रामबाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा जल संस्थान द्वारा पानी पीने योग्य बनाने हेतु वर्तमान में प्रतिदिन कितनी फिटकरी तथा क्लोरीन का प्रयोग किया जा रहा है ? पानी उपलब्ध कराने हेतु डाली गयी पाइप लाइनें तथा केदार नगर, ताल फिरोज खां की टंकियां चालू कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त टंकियां कब तक चालू कर दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

आगरा जल संस्थान द्वारा माह दिसम्बर, 04 एवं जनवरी, 05 में प्रतिदिन लगभग 12,500 मै0 टन एल्यूमीना फैरिक एवं 6.500 मै0 टन तरल क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया में मिलायी गयी।

केदार नगर स्थित पाइप लाइन एवं टंकी चालू है। ताल फिरोज खां स्थित पाइप लाइन एवं टंकी चालू नहीं है। ताल फिरोज खां की टंकी एवं आंशिक पाइप लाइन (30 कि0मी0) टेस्ट कर कमीशन कर दी गई थी परन्तु नौलख जोनल पम्पिंग स्टेशन पर जलकल प्रथम से आने वाली फीडर मेन से वांछित मात्रा में पानी न मिलने के कारण नहीं चल पा रही है। उक्त फीडर मेन की मरम्मत का कार्य किया जाना है।

टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि पर्यावरण विभाग से प्राप्त होने पर उक्त फीडर मेन की मरम्मत कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही ताल फिरोज खां की टंकी चालू की जा सकेगी।

उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत सहायक लेखाकारों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की मांग

87--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 बैच में लोक सेवा आयेग, उ0 प्र0 द्वारा विज्ञापित प्र0 व0 सं0/अ0व0सं0/स0 लेखाकार का वेतनमान क्रमशः 1640-2900, 1350-2200, 1400-2300 के सापेक्ष चयन किया गया ? यदि चयन किया गया तो क्या विज्ञापित/चयनित वेतनमान में समस्त पदधारकों को नियुक्ति प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि दिनांक 03-10-2001 को प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित लेखा संघ की बैठक में उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत सहायक लेखाकारों को 4500-7000 तथा लेखाकारों को 5500-9000 का वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त वेतनमान सम्बन्धित कार्मिकों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

नियुक्ति प्रदान करते समय प्रादेशिक लेखा संवर्ग का गठन हो गया, जिसमें पूरे प्रदेश के सहायक लेखाकार का वेतनमान रु0 1200-2040 पुनरीक्षित रु0 4000-6000 कर दिया गया , जिसके आधार पर सचिवालय में नियुक्त किये गये सहायक लेखाकारों को भी उनकी सहमति प्राप्त करके रु0 1200-2040 में नियुक्ति प्रदान की गयी।

दिनांक 3-10-2001 को प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित लेखा संघ की बैठक में उ0 प्र0 सचिवालय के सहायक लेखाकारों को रु0 4500-7000 एवं लेखाकारों को रु0 5500-9000 वेतनमान दिये जाने के संबंध में वित्त विभाग से प्रकरण में पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

लेखा संवर्ग के कार्मिकों को उक्त वेतनमान अनुमन्य करने का आदेश वित्त विभाग द्वारा पत्र संख्या-वे0आ0-2-26/दस-2005-44/2001, दिनांक 14-1-2005 निर्गत कर दिया गया है, जिसके क्रम में, वित्त विभाग की अपेक्षानुसार सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा लेखा संवर्ग के कार्मिकों के वेतन को उच्चीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में चयनित समग्र गांवों के विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग

88--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में चयनित समस्त समग्र गांवों के विकास कार्य अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो अधूरे विकास कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)--

जी हां।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

89--श्रीमती विद्या चौधरी--

[3 सरे गुरुवार के अता0 पृ0 सं0 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के सफाई कर्मचारियों का बोनस व एरियर की काटी गयी धनराशि वापस किये जाने की मांग

90--श्री रमापति उर्फ रमाकान्त--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी कुशीनगर के पत्र सं0-889/एल0बी0सी0 2001-02, दिनांक 27-4-01 द्वारा अध्यक्ष नगर पंचायत खड्डा (कुशी नगर) को सफाई कर्मचारियों के जबरन बोनस व एरियर की काटी गयी धनराशि को वापस करने का निर्देश हुआ है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि वापस कर दी गयी ? यदि नहीं, तो दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गयी है, इसलिये धनराशि वापस किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर जी के आवासों के सामने मार्ग पर विद्युत व्यवस्था सम्बन्धी मांग

91--श्री रामकरन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर जी के आवास संख्या-700 एस0एस0 से एस0एस0 900 तक आवासों के सामने मार्ग पर विद्युत व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार बिजली के खम्भों पर लाइट लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। जनपद लखनऊ के कानपुर रोड के आवासीय योजना के सेक्टर-जी के आवास संख्या-700 एस0एस0 से एस0 एस0 900 तक कुल 46 पोल लगे हैं जिनमें से 17 पोलो पर ट्यूब फिटिंग तथा 02 पोलों पर सोडियम फिटिंग लगी है जो जल रही है।

जी हां। शेष खाली पोलों पर धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त लाइट लगवा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर जी में नाली सीवर पानी की सुविधा की मांग

92--श्री रामकरन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर जी0 में नाली सीवर, पानी की सुविधा नहीं है ? क्या यह भी सही है कि सेक्टर जी0 के आवास संख्या-एस0एस0-722 के सामने बना पार्क पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क को खाली कराने का निर्देश देने तथा नाली पानी सीवर की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर-जी में पानी एवं नाली की सुविधा उपलब्ध है। इस सेक्टर के साइट एण्ड सर्विसेज पाकेट में पानी की सुविधा हेण्ड पम्प द्वारा उपलब्ध करायी गयी है एवं पहले से नाली बनी हुई थी परन्तु सीवर लाइन डाले जाने के कारण टूट गई है। इस सेक्टर को जल व्यवस्था हेतु लखनऊ जल संस्थान को दिनांक 30-09-04 को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा पाइप लाइन डालने हेतु उन्हें रु0 6.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

आवास संख्या : एस0एस0 722 के सामने कोई पार्क नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

93--श्री श्याम देव राय चौधरी--

[दिनांक 3-3-2005 के अता0 प्र0 सं0-132 द्वारा उत्तरित।]

ग्रामीण अंचलों के आवास विहीन नागरिकों को आवास देने हेतु योजना

94--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों के आवास विहीन नागरिकों को आवास देने हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

ग्रामीण अंचलों के आवास विहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार सहायतित निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :--

1--इन्दिरा आवास योजना।

2--प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, मुक्त बंधुवा मजदूरों के परिवारों को कुल आवंटन का कम से कम 60 प्रतिशत तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को अधिकतम 40 प्रतिशत आवास निर्माण कराये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत नवीन आवास निर्माण कराने हेतु रु0 25,000 तथा अप्रयोजित आवास के उच्चीकरण हेतु रु0 12,500 की सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना का क्रियान्वयन इन्दिरा आवास योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार ही कराये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विधायकों को सुरक्षा हेतु दिये गये गनर

95--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे विधायक हैं जिन्हें एक से अधिक गनर सुरक्षा हेतु दिये गये हैं ? एक से अधिक गनर दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में 156 ऐसे विधायक हैं जिन्हें एक से अधिक गनर सुरक्षा हेतु दिये गये हैं।

उक्त विधायकों को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तथा जीवनभय के आधार पर अतिरिक्त गनर दिये गये हैं।

96--श्री बादशाह सिंह--

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद कुशीनगर, नगर पंचायत खड्डा में कराये जा रहे घटिया निर्माण की जांच

97--श्री बादशाह सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड कार्यालय-खड्डा परिसर में जनहित की समस्याओं को लेकर दिनांक 21-8-04 को कोई धरना, प्रदर्शन हुआ था, जिसमें जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन पूर्व सदस्य, विधान सभा श्री दीपलाल भारती द्वारा उपस्थित उप जिलाधिकारी पडरौना को नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) में कराये जा रहे घटिया निर्माण की जांच व जटाशंकर पोखरे के पास अतिक्रमण हटवाने इत्यादि का पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

प्रारम्भिक जांच में घटिया निर्माण की शिकायत सत्य पाये जाने पर विस्तृत जांच करायी जा रही है। श्री जटाशंकर पोखरे के पास अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर निगम द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था हेतु विस्तृत कार्य योजना

98--डा0 रामबाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा नगर निगम सीमा में बनी कालोनियों को अधिग्रहीत करने के उपरान्त उनमें सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था, डस्ट कन्टेनर आदि की व्यवस्था करा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

नगर निगम ने वर्तमान समय में कुल 2188 नियमित सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों से सम्पूर्ण नगर की सफाई व्यवस्था करायी जाती है। इसके अतिरिक्त ताजमहल की 2 किलोमीटर की सीमा के भीतर ठेके पर सफाई करायी जा रही है। नगर का विकास होने के कारण आबादी का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। नये-नये क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं। इस प्रकार नगर निगम सीमा के भीतर अनेक क्षेत्र हैं, जहां पर नियमित रूप से सफाई कर्मी कार्यरत नहीं है। ऐसे

क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से ठेके पर सफाई करायी जाती है तथा मशीनों द्वारा कूड़े को उठवाया जाता है।

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स-2000 के अनुरूप विभिन्न प्रकार के डस्टबिनों/कन्टेनरों इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु विस्तृत कार्य योजना बनवा ली गई है। जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था 6 माह में होने की संभावना है।

आगरा नगर में रेलवे फाटक एवं चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की मांग

99--डा0 रामबाबू हरित--

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा नगर में रेलवे फाटक-रूई की मण्डी, मदिया, कटरा, सिकन्दरा तथा चौराहा, भोगीपुरा, रूई की मण्डी, संगीता चौराहा, शाहगंज तथा लोहामण्डी चौराहा व बोदला चौराहा जगदीश पुरा में जाम लग जाता है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। इन स्थलों पर यदाकदा वाहनों की अधिकता व भीड़भाड़ के कारण पीक अवधि में जाम लग जाता है।

इन क्षेत्रों में जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाये, इस हेतु यातायात की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नगर क्षेत्र को 09 उप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए प्रत्येक क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी (उप निरीक्षक स्तर) एवं उक्त स्थल पर यातायात व्यवस्था सुचारू कराये जाने हेतु यातायात आरक्षियों की नियुक्ति की गयी है जिसके कारण उक्त स्थलों पर जाने की समस्या में व्यापक रूप से कमी आयी है। इसके अतिरिक्त उक्त स्थलों तथा क्षेत्र के अन्य स्थलों, चौराहों पर यातायात व्यवस्था समिति के सदस्यों के माध्यम से यातायात व्यवस्था को विनियमित किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार व्यस्त समूहों में एकल यातायात व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाती है जिससे यातायात व्यवस्था पर समुचित नियंत्रण कराया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कालोनी बादशाहनगर लखनऊ में पानी की टंकी व जीर्ण-शीर्ण बिल्डिंग/बाउन्ड्री वाल के जीर्णोद्धार की मांग

100--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कालोनी बादशाहनगर लखनऊ में स्थित पानी की टंकी की हौज बहुत पुरानी हो गयी है तथा पम्प घर की बिल्डिंग/बाउन्ड्री वाल बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके जीर्णोद्धार हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां। कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण

101--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् द्वारा 1-01-2001 से 31-12-2004 तक कितने मार्ग (खड़ंजा सी0सी0 डामर) स्वीकृत हुए तथा कुल कितने कि0मी0 मार्गों का निर्माण हुआ ? उक्त मार्गों पर कुल कितने रुपये खर्च हुए तथा कितने रुपये का भुगतान किया गया तथा कितना धन बकाया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

कुल 314 कार्य स्वीकृत हुए।

कुल 19.03 कि0मी0 मार्गों का निर्माण हुआ।

कुल रुपये 471.50 लाख भुगतान में व्यय किया गया। कुल 61.63 लाख भुगतान किया जाना शेष है।

जिला लखनऊ, थाना माल गांव मकहमा खेड़ा में ग्राम सभा की भूमि पर लाशें फुकवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

102--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला लखनऊ थाना-माल के गांव मकहमा खेड़ा के पप्पू के घर के पास ग्राम संभा की भूमि पर गांव के ही राम सहाय, गयासदीन, राम चन्दर व लाल बहादुर सिंह द्वारा लाशें फुकवाने के सम्बन्ध में उक्त गांव के श्री पप्पू का प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-12-2004 एस0एस0पी0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ, समर बिहार कालोनी, आलमबाग में अवैध तरीके से लगी पानी की गुमटी, ठेला आदि हटवाये जाने विषयक पत्र

103--श्री रमापति उर्फ रमाकान्त--

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में मानक नगर स्टेशन के सामने समर बिहार कालोनी, आलमबाग, लखनऊ में मकानों से सटाकर पानी की गुमटी, ठेला आदि अवैध तरीके से सड़क पर लगाये गये हैं ? क्या यह सही है कि इससे सड़क पर आवागमन में असुविधा होती है ? क्या इस सम्बन्ध में समर बिहार कालोनी वासियों का पत्र दिनांक 26-11-04 तथा 13-12-04 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है तथा इस सम्बन्ध में एक एफ0आई0आर0 भी थाना मानकनगर, लखनऊ में 30-10-04 को दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी समर बिहार कालोनी का पत्र दिनांक 26-11-04 तथा 13-12-04 प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जांच करायी गयी। जांच से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रकरण नहीं पाया गया। दिनांक 30-10-04 को थाना मानक नगर पर कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गयी है। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री मिश्रा का मानक नगर रेलवे स्टेशन के सामने मकान है, मकान के साईड वाला भाग रेलवे स्टेशन की तरफ है। मकान रेलवे स्टेशन के मध्य आम सड़क पर है। सड़क के किनारे मोमफली, अण्डा बेचने वाले ठेलिया लगाते थे, जिन्हें वहां से हटा दिया गया है।

जनपद कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

104--श्री रमापति उर्फ रमाकान्त--

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद में दिनांक 22/23-9-04 को मु0अ0सं0-211/04 धारा-302/307/449/34 आई0पी0सी0 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो क्या अपराध से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

नामजद अभियुक्तों में से दौरान विवेचना राकेश कुमार व अमरेश चन्द्र को दिनांक 24-9-2004 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त हरिश चन्द्र व अरुण कुमार के गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे, किन्तु इसी मध्य दिनांक 3-11-2004 को प्रकरण की विवेचना स्थानीय पुलिस के स्थान पर अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी0बी0सी0आई0डी0) को हस्तान्तरित कर दी गई जो अभी चल रही है।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचनोपरान्त साक्ष्य के प्रकरण में गिरफ्तारी की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आजमगढ़ वि0 स0 क्षेत्र मेहनगर, रासेपुर बाजार में एक ही थाने की पुलिस चौकी को नये थाने में परिवर्तित किये जाने की मांग

105--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में पूर्वी छोर स्थित रासेपुर बाजार में क्षेत्रीय अशांति को देखते हुए थाना-तरवाँ ने पुलिस चौकी रासेपुर बाजार में खोल रखी है, जबकि इसी रासेपुर बाजार में थाना तरवाँ की दूसरी पुलिस चौकी भी स्थापित है ? क्या यह सही है कि रासेपुर बाजार में तीन किमी0 दूरी पर बोगरिया पुलिस चौकी थाना तरवां में पहले से स्थापित है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक ही बाजार में एक ही थाने की पुलिस चौकी को एक नये थाने में परिवर्तित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना स्थापना हेतु प्रचलित मानक को पूर्ण न करने के कारण उक्त स्थानों पर नये थाने स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों पुलिस चौकियां शासन से स्वीकृत नहीं हैं, जनपद स्तर से अपराध नियन्त्रण हेतु अस्थायी रूप से इनकी व्यवस्था की गई है।

जनपद जालौन, विकास-खण्ड माधौगढ़ अन्तर्गत ग्राम कुटरा से सिरसा दोगढ़ी तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य की जांच की मांग

106--कुँ0 बृजेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम-कुटरा से सिरसा दोगढ़ी में वर्ष 2000-2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारा कार्य कराया गया था। क्या यह सही है कि शासन द्वारा निर्धन व्यक्तियों द्वारा उक्त कार्य कराने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य जे0सी0बी0 मशीन द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर वि0 स0 क्षेत्र माधौगढ़ में वर्ष 2003-2004 व 2004-2005 में चयनित समग्र ग्राम को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

107--कुँ0 बृजेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ जिला-जालौन में वर्ष 2003-2004 में 2004-2005 में चयनित समग्र ग्राम को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद--

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में चयनित 11 ग्रामों में से एक ग्राम सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है। दो ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। शेष 8 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। वर्ष 04-05 में चयनित 16 ग्रामों में से 5 ग्राम पूर्व से सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं। चार ग्राम अभी तक किसी भी योजना में प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं हो सके हैं। शेष 7 ग्रामों के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

जनपद हरदोई में दलित उत्पीड़न विषयक पंजीकृत अभियोगों की संख्या की जानकारी

108--श्री रामपाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में दलित उत्पीड़न के कितने मामले जनवरी, 2003 से अक्टूबर, 2004 तक पंजीकृत किये गये ? क्या यह सही है कि गत वर्षों की अपेक्षा वर्तमान समय में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत जनपद हरदोई में माह जनवरी, 2003 से अक्टूबर, 2004 तक दलित उत्पीड़न के कुल 194 अभियोग पंजीकृत किये गये। जी नहीं। इसी अवधि में विगत वर्षों में पंजीकृत अभियोगों की तुलना में दलित उत्पीड़न के अभियोग में कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मुसेपुरकलां, थाना हंसवर, जनपद अम्बेडकर नगर में मारपीट की दर्ज रिपोर्ट

109--श्री जयराम विमल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुसेपुरकलां, थाना हंसवर, तह0 अलापुर, अम्बेडकर नगर में दि0 28-12-04 को हुई मारपीट में गम्भीर रूप से घायल श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री शिव प्रसाद को यार मो0 पुत्र निवाज अली, मो0 अकरम पुत्र यार मुहम्मद आदि द्वारा दलित समझकर बुरी तरह से मारा पीटा गया एवं जातिसूचक शब्दों में गाली गलौज दिया गया जिसकी रिपोर्ट थाना हंसवर में अ0 धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पेड़ से लकड़ी तोड़ने के विवाद को लेकर दिनांक 29-12-2004 को मो0 अकरम, मो0 आजम, यार मोहम्मद व वीरेन्द्र कुमार, ज्ञान चन्द्र उर्फ घयालू, सुरजीत, रमाकान्त निवासीगण मुसेपुर कलां, थाना हंसवर, जनपद अम्बेडकरनगर के मध्य हुई मार-पीट में दोनों पक्षों को चोटें आयी, जिसके सम्बन्ध में एन0सी0आर0 संख्या-81/04, धारा 323/504 भा0द0वि0 मो0 अकरम द्वारा तथा एन0सी0आर0 सं0-82/04, धारा 323/504/506 भा0द0वि वीरेन्द्र कुमार द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध थाना हंसवर में दिनांक 29-12-2004 को दर्ज करायी गयी। जांच से जाति सूचक शब्द आदि के इस्तेमाल का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है।

वीरेन्द्र कुमार को दिनांक 30-12-04 को गिरफ्तार कर 151 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की गयी तथा दोनों पक्षों के व्यक्तियों के विरुद्ध 107/116 सी0आर0पी0सी0 की चालानी रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ के श्री आर0 एस0 रजौरिया द्वारा श्रीमती जुबैदा खातून के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

110--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2004 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-155 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर किस स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मुकदमा पंजीकृत कराकर जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो बिना मुकदमा दर्ज किये जांच करने का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री आर0एस0 रजौरिया, 62 रामदास का हाता, सदर बाजार, थाना कैण्ट, लखनऊ द्वारा श्रीमती जुबेदा खातून उर्फ गुड्डी के विरुद्ध किये गये शिकायती प्रार्थना-पत्रों (जिनका उल्लेख अतारांकित प्रश्न सं0-155 में है) की जांच तत्समय उपनिरीक्षक ना0पु0 श्री टी0सो0 गौतम, थाना कृष्णानगर तथा उ0 नि0 ना0पु0 श्री आर0के0 शर्मा द्वारा की गयी।

जांच से श्री आर0एस0 रजौरिया के प्रार्थना-पत्रों में अंकित आरोप की पुष्टि नहीं हुयी है।

श्री रजौरिया के बाद में दिये गये एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 14-5-04 के आधार पर थाना कैण्ट में मु0अ0सं0-144/04, धारा 452/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना भी की गयी। वादी के कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य न मिलने के कारण अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट संख्या-39 मयजुर्म खारिज प्रेषित की गयी।

जनपद लखनऊ के सेक्टर-ए, अलीगंज योजना के फेज-2 से दूध डेयरियों को हटाये जाने की मांग

111--श्री उमाशंकर कुशवाहा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सेक्टर-ए, अलीगंज योजना फेस-2 में अनाधिकृत रूप से दुग्ध डेरियां खोले जाने से गन्दगी व्याप्त है तथा आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उन दुग्ध डेरियों को शहर के बाहर किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लखनऊ के सेक्टर-ए, अलीगंज योजना के फेज-2 से समस्त दूध डेयरियों को पूर्व में ही हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में प्रदूषण फैलाने वाली इंकाइयों के खिलाफ कार्यवाही

112--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी व भदोही में प्रदूषण फैलाने वाली इंकाइयों के खिलाफ गत तीन वर्षों के दौरान क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह--

जी हां।

प्रदेश के जनपद आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी व भदोही जनपदों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों के खिलाफ गत तीन वर्षों में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत 18 इकाईयों को कारण बताओ नोटिस तथा 04 को बन्दी, वायु (प्रदूषण निवारण एवम्

नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत 93 इकाईयों को कारण बताओ नोटिस तथा 43 के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही की गयी है। उपरोक्त के अलावा प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों के विरुद्ध उपरोक्त जल एवम् वायु अधिनियमों के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

113-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द--

[3सरे सोमवार के लिये स्थगित।]

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में संविदा के आधार पर तैनात कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन अनुमन्य कराये जाने की मांग

114--डा0 रमेश चन्द्र बिन्द--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में कितने कार्मिकों को संविदा के आधार पर तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्या संविदा पर तैनात सभी कार्मिकों को वर्ष 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतन अनुमन्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में 16 कार्मिकों को संविदा के आधार पर तैनात किया गया है।

संविदा पर तैनात कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग/निगम/उपक्रम द्वारा निर्गत अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर परिलब्धियां निर्धारित की गयी हैं, अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कुशीनगर स्थित उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा से प्रदूषण की समस्या

115--श्रीमती माया प्रसाद तथा श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर स्थित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा की चिमनी से निरन्तर राख उड़ने व चीनी मिल के पूरब व दक्षिण में काफी मात्रा में शीरायुक्त प्रदूषित जल जमा होने के कारण नागरिकों को सांस लेने व आखों में दर्द होने की परेशानी हो रही है ? क्या इस कारण वहां स्थित हैण्ड पम्पों का पानी भी दूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका निवारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह--

प्रश्नगत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, जिसमें स्थापित जल एवम् वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों का समुचित रख-रखाव एवं संचालन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या विद्यमान है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन हेतु दिनांक 08-02-2005 को नोटिस दी गयी है। यदि नोटिस की अवधि में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों का सुचारु संचालन नहीं किया जाता है, तो उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्गों का निर्माण कार्य

116--श्री लालजी वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना फेज-3 के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में जनपद अम्बेडकर नगर के कुछ मार्गों के निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो कुल कितने मार्गों के निर्माण की स्वीकृतियां हुई हैं ? उक्त स्वीकृत मार्गों का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

जनपद अम्बेडकर नगर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2003-04 में कुल 26 मार्ग स्वीकृत हुए हैं।

इन स्वीकृत मार्गों में से 13 मार्गों पर कार्य चल रहा है, जिसे माह जुलाई, 2005 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। शेष 13 मार्ग, जो विश्व बैंक द्वारा पोषित है, के निविदा आमंत्रित किये जा चुके हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत फेज-3 के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

117--श्री लालजी वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में उत्तर प्रदेश के कुछ मार्गों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की योजनायें स्वीकृत हुई हैं तथा इस हेतु कितनी धनराशि उ0प्र0 को प्राप्त हुई है ? क्या उक्त स्वीकृत मार्गों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत फेज-3 हेतु रु0 1011.14 करोड़ की परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी थी जिसमें से रु0 343.94 करोड़ के कार्य विश्व बैंक से पोषित होने थे, जिन पर विश्व बैंक की अनापत्ति जनवरी, 2005 में उपलब्ध हुई। उक्त स्वीकृति परियोजनाओं के सापेक्ष प्रदेश को रु0 335.27 करोड़ की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हुई है।

जी हां योजनान्तर्गत विश्व बैंक से पोषित होने वाले सम्पर्क मार्गों से निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं। सामान्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अन्य स्वीकृति मार्गों के पैकेज पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त सामान्यत: 09 कार्य माह में निर्माण कार्य पूर्ण होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना कैन्ट के अन्तर्गत पुलिस लाइन के सामने आवारा पशुओं को हटाये जाने की मांग

118--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना कैन्ट के अन्तर्गत सदर चौराहे से चारबाग जाने वाले मार्ग तथा यातायात पुलिस लाइन के सामने आवारा पशुओं का जमावाड़ा रहने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होने एवं यातायात में व्यवधान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवारा पशुओं को हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रकरण केन्टोमेन्ट बोर्ड से संबंधित है, जो नगर निगम, लखनऊ की सीमा से परे है।

लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत चारबाग की सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़वाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती चुनकी देवी निवासी ग्राम आहार, थाना बबेरू, जनपद बांदा द्वारा कराया गया पंजीकृत मुकदमा

119--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनकी देवी (दलित) निवासी गांव आहार, हरदौली, बबेरू, जिला बांदा को शिव बालक एवं सुरेश ने दिनांक 15-7-04 को लात-घूसों से मारकर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया था ? यदि हां, तो क्या अपराध पंजीकृत करके अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाना अंकित नहीं कराया गया है और न ही विवेचना के मध्य इस घटना की पुष्टि ही अभी तक हुई है।

प्रश्नगत घटना के संबंध में श्रीमती चुनकी पत्नी स्व0 रामकृपाल नि0 आहार, थाना बबेरू, जनपद बांदा ने मा0 न्यायालय द्वारा 156 (3) सी0आर0पी0सी0 के तहत दि0 5-8-2004 को मु0अ0सं0-25/04 धारा 147, 452, 504, 506 भा0द0वि0 व 3(1) 10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट बनाम शिव विलाश उर्फ अलबेला पुत्र शौकील आदि 8 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसके विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरू द्वारा की गई, विवेचनोपरान्त उनके द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं0 6 दिनांक 27-8-2004 समाप्त की गई। पुन: क्षेत्राधिकारी बबेरू को प्रश्नगत अभियोग की विवेचना के निर्देश दिए गये हैं।

जिला चित्रकूट, थाना पहाड़ी के रामकेस यादव द्वारा बलात्कार सम्बन्धी दर्ज रिपोर्ट पर जांच

120--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुश्री रेखा, निवासी पहाड़ी, जिला चित्रकूट थाना पहाड़ी के साथ दि0 25-09-03 को रामकेस यादव द्वारा जबरन बलात्कार किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मामले की रिपोर्ट संबंधित थाने में दि0 26-9-03 को दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वादी मुकदमा श्री कोदू पुत्र सलका (अनुसूचित जाति) नि0 ग्राम मकरी पहरा, थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई कि उसकी पुत्री रेखा के साथ अभियुक्त रामकेस यादव पुत्र मंगल यादव, नि0 मकरी पहरा, थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट द्वारा दिनांक 25-9-2003 को बलात्कार किया गया।

जी हां।

उक्त दोषी अभियुक्त को दिनांक 1-10-2003 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस अभियोग की विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रामकेस के विरुद्ध दि0 16-10-2003 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जिला सहारनपुर, थाना बेहट, गांव मरवा बेहट की निवासिनी राखी के साथ बलात्कार के संबंध में राज कुमार व प्रीतम बृजपाल के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

121--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मत्री बताने की कृपा करेंगे कि राखी, निवासी गांव मरवा बेहट, जिला सहारनपुर, थाना बेहट के साथ 6-10-2000 को घर में घुसकर राजकुमार, प्रीतम बृजपाल आदि ने बलात्कार किया था ? क्या यह सही है कि संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार रिपोर्ट दर्ज कराकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जी नहीं। घटना छेड़खानी की थी जिसके संबंध में थाना बेहट पर मुकदमा अपराध संख्या 253/2000 धारा 452, 354, 323, 504 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त प्रीतम को दिनांक 21-10-2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा अभियुक्त राजकुमार व ब्रजपाल दिनांक 30-11-2000 को मा0 न्यायालय में हाजिर होकर जेल गये हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या 182, दिनांक 4-11--2000 को प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद के पांच बड़े नालों की सफाई न होने से जल निकासी की समस्या

122--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नालों को साफ करने की क्या नीति है ? क्या शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत आने वाले पांच बड़े नाले चौकी हद्दफ, अन्टा चौराहा, भोजागंज पूर्वी फाटक, झण्डा कलां तथा शहीद उद्यान के पश्चिम वाले नालों की सफाई न होने के कारण जल निकासी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रदेश में नालों को साफ कराये जाने की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। प्रदेश के समस्त नगर निकायों में संविदा के आधार पर कार्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

शाहजहांपुर नगर में स्थित नालों चौकी हददफ, अन्टा चैराहा, भोलागंज पूर्वी फाटक झण्डा कलां तथा शहीद उद्यान के पश्चिम नालों की सफाई आंशिक रूप से ठेकेदारों के माध्यम से पालिका परिषद् द्वारा कराई गयी है।

जी हां। वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व सफाई करा दी जायेगी।

शाहजहांपुर के नगरीय क्षेत्रों में पानी की टंकियों की नियमित सफाई कराये जाने की मांग

123--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में पानी की टंकी की सफाई कितनी समयावधि के उपरान्त किया जाना निर्धारित है ? शाहजहांपुर नगर में स्थित पानी की टंकियां कब से साफ नहीं की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त टंकियों की नियमित सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नगरीय क्षेत्रों में पानी की टंकी की सफाई प्रत्येक तीन माह में कराया जाना निर्धारित है।

शाहजहांपुर नगर में स्थित पानी की टंकियों की सफाई मार्च, 2004 में करायी गयी थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के बधौजर ब्लाक महाराजगंज स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर का सुन्दरीकरण एवं पर्यटन स्थल बनाने की कार्यवाही की मांग

124--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बधौजर ब्लाक महाराजगंज, जनपद जौनपुर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन विष्णु मंदिर के सुन्दरीकरण पर्यटन विकास, स्थल विकास हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मंत्री जी का पत्र संख्या 328/वी0आई0पी0/पर्यटन मंत्री/04, दिनांक 30-6-04 प्रमुख सचिव पर्यटन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पर्यटन मंत्री (श्री कौकव हमीद)--

जी हां।

प्रश्नगत मंदिर का केवल स्थानीय महत्व है। यहां देशी-विदेशी पर्यटक न आने के कारण योजना पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के आपराधिक लोगों के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त करने की मांग

125--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के आपराधिक लोगों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र 1-3-2002 पर शसन का पत्र सं0-सी0एम0 159 आर/छः-2-5-2002, दि0 4 जून, 2002 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो या उक्त के क्रम में जिलाधिकारी,

प्रतापगढ़ द्वारा पत्र सं0 469/1-242 (01-04) दिनांक 26-9-02 कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के संबंध में प्रेषित आख्या भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र दिनांक 01-3-2002 में कुल 20 व्यक्तियों का उल्लेख है जिसमें से 09 व्यक्तियों सर्वश्री अजय गिरी, संतोष सिंह, रमाशंकर यादव, अरविन्द पाण्डेय, लालमणि दुबे, बबलू सिंह, कान्तिलाल दुबे, रामानुज पाण्डेय एवं भंवर सिंह को शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं हुआ है।

अन्य 11 लाइसेंसियों में से सर्वश्री सभापति यादव, दामोदर प्रसाद पांडे, अक्षय कुमार दुबे, राम उजागिर सिंह, आलोक तिवारी, राकेश कुमार तिवारी एवं खेदन लाल जायसवाल के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जा चुके हैं तथा सर्वश्री कैलाश नाथ तिवारी एवं प्रदीप कुमार सिंह के शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है। शेष दो लाइसेंसधारकों सर्वश्री महेन्द्र यादव एवं रामं प्रसाद सिंह के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं पाये जाने के कारण उनके शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पुवायां विधान सभा क्षेत्र में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प उपलब्ध कराये जाने की मांग

126--श्री मिथिलेश कुमार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक विधायक को वर्ष 2004-05 के लिये 100 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प दिये गये हैं ? यदि हां, तो पुवायां विधान सभा क्षेत्र के लिये 100 हैण्ड पम्प न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत 100 हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का-II पुवायां विधान सभा क्षेत्र को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, थाना लालगंज, नि0 महेशपुर के श्री राजेन्द्र प्रसाद के भाई की मृत्यु से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

127--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0 008/दि0 6-01-05 जो श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बेनी राम नि0 महेशपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के भाई की मृत्यु से संबंधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मैनपुरी, थाना बरनाहल, ग्राम सरायं मुगलपुर के अनिल कुमार की हत्या विषयक पत्र

128--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0 004/दि0 6-01-2005 जो जिला मैनपुरी, थाना बरनाहल, ग्राम सरायं मुगलपुर (मगरिया) के अनिल कुमार की हत्या से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

मृतक के पिता श्री राम औतार सिंह शाक्य की सूचना पर दिनांक 14-10-04 का थाना बरनाहल, जनपद मैनपुरी पर मु0अ0सं0-940/04 धारा 147/148/149/302/307 भा0द0वि0 6-7 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, करहल द्वारा की जा रही है।

क्षेत्राधिकारी करहल, मैनपुरी से श्री राम औतार सिंह शाक्य के शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी। जांच से थानाध्यक्ष बरनाहल श्री देव सिंह यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान से संबंधित पत्र

129--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 003/दि0 6-01-2005 जो जल निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने से संबंधित था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

माह अक्टूबर, 2004 तक के वेतन के भुगतान के आदेश किये जा चुके हैं। आगे धन की उपलब्धता के अनुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, वि0स0 क्षेत्र मेहनगर, गोसाई की बाजार में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने की मांग

130--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 स0 क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में उचहुवा, बछवल, जयनगर, गोंसाई की बाजार में पानी की टंकी के निर्माण हेतु विगत वर्ष सर्वे हो गया है ? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर पानी की टंकी का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ में जय नगर ग्राम पंचायत की पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष ग्राम ऊँचहुवा, बछवल एवं गोसाई की बाजार में पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु सर्वे का कार्य नहीं किया गया है।

ग्राम जय नगर हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जलकल हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा जल सम्पूर्ति योजना के अनुरक्षण करने पर सहमति का प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है। प्राक्कलन पर राज्य स्तरीय सोर्स फाईंडिंग समिति एवं तकनीकी समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि/सहभागिता का अंशदान प्राप्त होने पर योजना का निर्माण कराया जायेगा।

शेष तीन ग्रामों ऊँचहुवा, बछवल एवं गोसाई की बाजार में पाइप पेयजल योजना के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतों प्रस्ताव से प्राप्त न होने के कारण विचार किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के रासेपुर बाजार स्थित पुराना शिव मंदिर व ऐतिहासिक पोखरा की मरम्मत व सुन्दरीकरण कराने की मांग

131--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0स0 क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार में पुराना शिव मंदिर व ऐतिहासिक पोखरा है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा पोखरा पट गया है ? यदि हां, तो उक्त स्थान की मरम्मत व सुन्दरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कोकब हमीद--

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण पर्यटन दृष्टि से कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद उन्नाव के इंडारगो फैक्ट्री द्वारा प्रदूषित वातावरण को रोके जाने हेतु ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाये जाने की मांग

132--श्री रामशंकर पाल--

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के इंडारगो फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लान्ट न होने के कारण उसके चारों तरफ हड्डी व चमड़ों के टुकड़े फैले हुए हैं जिससे वहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री में प्लान्ट लगाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह--

जी नहीं। उद्योग में चमड़े व हड्डी के सुरक्षित प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था होने के कारण आस-पास के वातावरण में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है।

फैक्ट्री में प्लान्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हड्डी व चमड़े का निस्तारण रेन्डरिंग प्लान्ट में कर खाद व तेल (टैलो) बनाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की कतिपय पुलिस चौकियों को थाने में परिवर्तित किये जाने की मांग

133--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस चौकी को थाना में परिवर्तित करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? बस्ती जनपद के कुदरहा पुलिस चौकी, असरहरा पुलिस चौकी एवं विक्रम जोत पुलिस चौकी को क्या थानों में परिवर्तित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पुलिस चौकी को थाना में परिवर्तित करने हेतु शासन से पृथक से कोई मानक निर्धारित नहीं है, परन्तु पुलिस आयोग, 1960-61 की संस्तुतियों की आधार पर नवीन थाने स्थापित किये जाते हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र के थाने हेतु जनसंख्या 50,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र के थाने हेतु जनसंख्या 75,000 से 90,000 एवं क्षेत्रफल 113 वर्गमील निर्धारित है।

जी नहीं।

कुदरहा व विक्रम जोत के क्षेत्रफल, थाना स्थापना हेतु प्रचलित मानक को पूर्ण नहीं करते हैं जबकि असनहरा (असरहरा) को थाना बनाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव परिसीमन आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के सृजन पर लगी रोक के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री दीनानाथ, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

134--श्री रामकरन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री दीनानाथ, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का शिकायती-पत्र विशेष सचिव, गृह के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 5088 वि0स0 (ज)/2004, दि0 12-10-2004 द्वारा पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को कार्यवाही करने हेतु भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना मड़ियांव में मु0अ0सं0 356/04 अन्तर्गत धारा 39/427 भा0दं0वि0 का अभियोग श्री सतवीर, रनवीर, भूरे एवं 10--12 अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना से धारा 395 भा0दं0वि0 का अपराध न पाये जाने के फलस्वरूप धारा 427 भा0दं0वि0 का अपराध पाये जाने पर परिवर्तित किया गया। उपर्युक्त के स्पष्ट है।

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित इण्टर कालेजों में नियत वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं के बराबर वेतन दिये जाने की मांग

135--श्री भूपेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्थित नगर निगम द्वारा संचालित इण्टर कालेजों में वर्ष 1998 में नियत वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को वर्ष

2000 में नियत वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं से कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 1998 में नियत वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को वर्ष 2000 में नियत वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं के बराबर वेतन दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1998 में नियत वेतन पर कार्यरत शिक्षिकाओं को रु0 4500.00 प्रतिमाह तथा वर्ष 2000 से नियत वेतन में कार्यरत शिक्षिकाओं को, जो प्रवक्ता स्तर पर कार्य कर रही हैं उन्हें रु0 4500/- प्रतिमाह तथा जो स्नातक वेतन स्तर पर कार्य कर रही हैं उन्हें रु0 3500/- प्रतिमाह कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला महोबा, थाना महोबा बिलवई की श्रीमती हीरा देवी विधवा स्व0 श्री परमेश्वरी दयाल के साथ बलात्कार सम्बन्धी दर्ज मुकदमा

136--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती हीरा देवी विधवा स्व0 श्री परमेश्वरी दयाल, बिलवई, जिला महोबा, थाना महोबा के साथ दि0 05-03-2004 को बलात्कार किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है उक्त पीड़ित की रिपोर्ट अपराध सं0 167/2004 में दर्ज है ? क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट भिन्न धाराओं मे दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट भिन्न धाराओं में लिखने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वादिनी श्रीमती हीरा देवी विधवा परमेश्वरी दयाल, नि0 बिलवई के साथ दि0 05-03-2004 को बलात्कार की घटना घटित नहीं हुई है बल्कि छेड़खानी, मारपीट, गाली-गलौज व धमकी दिए जाने की घटना घटित हुई है। इस संबंध में वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली महोबा में मु0अ0सं0 212/2004 धारा 354,323, 504, 506 भा0दं0वि0 का अभियोग अभियुक्त मंगल पुत्र दृगपाल अहीर निवासी ग्राम बरात पहाड़ी, थाना कोतवाली महोबा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण कराया गया। विवेचनोपरान्त अभियुक्त मंगल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है। अपराध सं0 167/04 एक भिन्न मुकदमा है यद्यपि उक्त मुकदमें एवं मु0अ0सं0 212/04 का अभियुक्त एक ही व्यक्ति है। रिपोर्ट भिन्न धाराओं में दर्ज नहीं की गई है। अत: भिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा श्री राजकुमार, बारादरी चौपटिया, थाना चौक तथा श्री मो0 युसुफ तम्बाकू मंडी चौपटिया, थाना चौक को शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने की जानकारी

137--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकुमार पुत्र स्व0 संतराम, म0 नं0 416/20क/2/1, दिलाराम की बारादरी चौपटिया, थाना चौक, लखनऊ को एवं मो0 युसुफ पुत्र

स्व0 मो0 अहमद, म0 नं0 423/27, तम्बाकू मंडी चौपटिया, थाना चौक, लखनऊ को रिवाल्वर शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिये (शैलेश कृष्ण) सचिव, मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 15-07-04 को जिलाधिकारी, लखनऊ को आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा श्री राम कुमार को दिनांक 28-12-2004 को तथा मो0 युसुफ को दिनांक 15-12-2004 को शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत कर दिया गया है।

कृषि निदेशालय, लखनऊ के वरिष्ठ सहायक श्री छोटे लाल पर प्राणघातक हमले विषयक पंजीकृत मुकदमें की जांच

138--श्री मदन सिंह गौतम उर्फ संतोष कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कृषि निदेशालय, लखनऊ में दिनांक 26-5-04 को श्री छोटे लाल, वरिष्ठ सहायक पर कृषि भवन कार्यालय के अंदर प्राणघातक हमला किया गया जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध कृषि निदेशक के हस्तक्षेप पर मु0अ0सं0 374/04, धारा 323/504/506/147/149 आई0 पी0सी0 में दिनांक 5-6-04 को थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ में दर्ज है तथा उन्हीं अभियुक्तों द्वारा दिनांक 13-10-04 को पुन: उनके ऊपर हमला किया गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना आलमबाग, लखनऊ मु0 अ0 सं0 336/04, दिनांक 15-10-04 को धारा 332/353/504/506 में अभियोग पंजीकृत किया गया ? यदि हां, तो उक्त अपराधों में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई हैं तथा दोनों पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा है। इस संबंध में मुकदमा न्यायालय कमिश्नरी में चल रहा है। वादी छोटे लाल द्वारा झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। विवेचना निरीक्षण घटना स्थल/गवाहान के बयानात से घटना का होना नहीं पाया गया है। विवेचना अंतिम रिपोर्ट दिनांक 23-10-04 द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

139--श्री मिथिलेश कुमार--

[दिनांक 4-3-2005 के अता0 प्र0 सं0 51 द्वारा उत्तरित]

140--श्री मिथिलेश कुमार--

[दिनांक 3-3-2005 के अता0प्र0सं0 134 द्वारा उत्तरित]

श्री ग्रिजेश कुमार, थाना कोतवाली, मैनपुरी द्वारा फर्जी पता दर्शाकर शस्त्र लाइसेंस लेने के संबंध में पत्र

141--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शस्त्र लाइसेंस नं0 2745/जी0एम0 2001 (डी0बी0बी0एल0 गन) श्री ग्रिजेश कुमार पुत्र श्री विद्या सागर, निवासी अवधनगर, थाना

कोतवाली, मैनपुरी के नाम व पते पर जारी हुआ था ? क्या यह सही है कि श्री ग्रिजेश कुमार जनपद देवरिया के मूल निवासी हैं तथा पिछले 15 वर्षों से सी0एम0ओ0, लखनऊ के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात हैं ? क्या श्री ग्रिजेश द्वारा फर्जी पता दर्शाकर शस्त्र लाइसेंस लेने के संबंध में मो0 शमीमुल हक, विधायक, 18, मुरादाबाद देहात की शिकायत पर जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा उक्त लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है ? क्या धोखाधड़ी से फर्जी पता दर्शाकर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अब तक मैनपुरी में प्राथमिकी अंकित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां। श्री ग्रिजेश कुमार का मूल निवास जनपद देवरिया है तथा वह दिनांक 21-12-1991 से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में तैनात हैं।

जी नहीं।

संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध थाना कोतवाली पर दिनांक 17-2-2005 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

परगना व तहसील लखनऊ, मौजा भिलांवा में खसरा नं0 664 के अधीन भूमि के स्वामित्व की जानकारी

142--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

उ0प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2003 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत खसरा सं0 664 नगर निगम की भूमि है ? क्या यह सही है कि नकल इन्तिखान खतौनी (खाता खेवट) मुहाल भवानी सिंह, मौजा भिलांवा परगना व तहसील लखनऊ बाबत 1332 फसली के अनुसार खसरा नम्बर 664 राम अधीन वल्द घासीराम कौम कोरी, साकिन लोरा मंडी, शहर लखनऊ के नाम दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त खसरा नगर निगम का न होने के कारण क्या सरकार उक्त भूमि पर मकान निर्मित कर निवास कर रहे झिंकन पुत्र स्व0 बनहा के ऊपर चलाये जा रहे मुकदमें को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

खसरा संख्या 664 में 15 बिस्वा भूमि बंजर दर्ज है जो नगर निगम में निहित है।

जी हां। उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व के जिल्द बंदोबस्त सन् 1332 फसली में गाटा संख्या 664 जीम क्षेत्रफल 2 बीघा 18 बिस्वा भवानी सिंह के मोहाल में राम अधीन बल्द घासीराम, कौम कोरी, सा0मो0 लोरा मंडी, शहर लखनऊ का नाम बतौर आसामी दर्ज है, परन्तु जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के समय 1359 फ0 के अभिलेखों में उपरोक्त श्री राम अधीन बल्द घासीराम का नाम उपरोक्त गाटा संख्या 664 में कहीं पर भी दर्ज नहीं है, बल्कि भवानी सिंह के मोहाल में गाटा सख्या 664/3 क्षेत्रफल 15 बिस्वा पर गोकरन सिंह ठाकुर व 664/4 क्षेत्रफल 18 बिस्वा पर किसी का नाम दर्ज नहीं है व गाटा संख्या

664/5 क्षेत्रफल 1 बीघा 5 बिस्वा दुर्गा लोध के नाम बतौर आसामी दर्ज है। वर्तमान अभिलेखों में गाटा संख्या 664/3 क्षेत्रफल 0.190 (18 बिस्वा) श्रेणी 5 (3) बंजर खाते में दर्ज है। शेष रकबा विभिन्न खातेदारों के नाम दर्ज है।

जी नहीं।

श्री झिंकन का मकान खसरा संख्या 664/3 की नगर निगम में निहित भूमि पर बना है।

सहकारिता विभाग में बिना चयन प्रक्रिया अपनाये हुये श्री वीरेन्द्र यादव को उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक में उप महाप्रबंधक बनाये जाने अथवा कथित व्यक्तियों की नियुक्ति विषयक जांच की मांग

143--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहकारिता विभाग में बिना चयन की प्रक्रिया अपनाए हुए श्री वीरेन्द्र यादव को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में उप महाप्रबंधक बना दिया गया है ? क्या इसके अतिरिक्त अभिषेक यादव, सविता यादव, कुलदीप सिंह यादव और वरुण यादव की भी नियुक्ति उप महाप्रबंधक के पद पर वर्ष 2004 में की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी नहीं। उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक में श्री वीरेन्द्र यादव को उप महाप्रबंधक नहीं बनाया गया है।

जी नहीं।

संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा द्वारा विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में आरक्षित वर्ग के रिक्त उप महाप्रबंधक के पदों के सापेक्ष अधियाचन उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को भेजा गया था। सेवा मंडल द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित कर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि प्रक्रियायें पूर्ण करते हुए 11 अभ्यर्थियों की चयनित सूची संवर्ग प्राधिकारी को भेजी गयी जिसमें श्री वीरेन्द्र यादव, अभिषेक यादव, सविता यादव, कुलदीप सिंह एवं वरुण यादव आदि के भी नाम सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 तथा अनुसूचित जाति के 5 कुल 11 चयनित अभ्यर्थियों को वर्ष 2005 में सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा में उप महाप्रबंधक के पद पर नियुक्तियां नियमानुसार की गयी हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा कर्नलगंज, वि0खं0 कटरा बाजार, ग्राम पंचायत जमथरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध विधायक निधि योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों में अनियमितता विषयक जांच

144--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत जमथरा, विकास खण्ड कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज, गोण्डा ग्राम पंचायत के पूर्व तथा वर्तमान ग्राम प्रधान के विरुद्ध इन्दिरा आवास योजना, खड़ंजा निर्माण कार्य, इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प स्थापन, विधायक निधि योजना के अन्तर्गत कार्यों के संबंध में अनियमितता विषयक श्री दीनबन्धु दुबे का शिकायती-पत्र माह जुलाई, 2004 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं। ग्राम पंचायत जमथरा, विकास खण्ड कटरा, तहसील कर्नलगंज, गोण्डा ग्राम पंचायत के संबंध में श्री दीनबंधु दुबे का शिकायती-पत्र माह जुलाई, 2004 में प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि माह अगस्त, 2004 में प्राप्त हुआ है। की गयी शिकायत के संबंध में अपर आयुक्त (कार्यक्रम), ग्राम्य विकास विभाग से जांच कराई गई। जांच में की गई शिकायत निराधार पाई गई किन्तु जांच अधिकरी द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने की संस्तुति की गई है जिसके क्रम में निर्माण कार्यों की जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

"विशेष भर्ती बैकलाग" के अन्तर्गत कान्सटेबिल (एम) के चयनित पदों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

145--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन सं0 18-71-2003, दिनांक 2-6-2003 के अन्तर्गत "विशेष भर्ती बैकलाग" के अन्तर्गत कान्स्टेबिल (एम) के 185 पदों के लिये चयनित अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

वर्तमान में स्वीकृत नियतन से अधिक संख्या में कान्स0 (एम) नियुक्त होने तथा वित्तीय भार बढ़ने के कारण उक्त पदों पर भर्ती का कोई औचित्य नहीं है।

वर्तमान में रिट याचिका संख्या 46812/2003 वीरेन्द्र कुमार कन्नौजिया व अन्य बनाम राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रकरण सब जूडिश है।

निर्धारित प्रश्नों के सत्रावधि में लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें सूचना मिली है कि कुछ तारांकित प्रश्न 15वें मंगलवार और बुधवार को आयेंगे जबकि मुझे नहीं लगता कि 15वां मंगलवार और बुधवार आ पायेगा क्योंकि इतनी अवधि तक सत्र ही नहीं चलना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से व्यवस्था चाहूंगा कि क्या इसका उत्तर इसी सत्र में दिलवा देंगे। मान्यवर, जो सत्र चल रहा है, इसी सत्र में इसका उत्तर दिलवा दें क्योंकि मैं नहीं समझता कि 15वां व 16वां मंगलवार व बुधवार आ पायेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप परिचित हैं, प्रश्नों का वार निर्धारित है और वार के साथ-साथ एक माननीय सदस्य का एक ही प्रश्न आयेगा। तब उस कारण से जितने विभाग निर्धारित हैं और विभाग के नाते उस दिन प्रश्नकर्ता का प्रश्न आयेगा तो स्वाभाविक है कि उस विभाग से संबंधित प्रश्न अगले वार को जायेगा। इसमें कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। अगर यह प्रश्न रह जायेंगे तो पुनर्जीवित करके अगल सत्र में आ सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 7 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई।

माननीय सदस्य श्री राम नरेश यादव, श्रीमती राजरानी रावत, श्री मलिक मसूद, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री लालजी वर्मा, श्रीमती विद्या चौधरी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राम करन आर्य, डा0 अजय कुमार मेहरोत्रा उपस्थित थे जिनकी सूचनाएं स्वीकार की गईं। श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री मुकुट बिहारी वर्मा अनुपस्थित पाये गये इसलिए उनकी सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री राजेश कुमार, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री दया शंकर वर्मा, श्री जगदीश नरायन राय तथा श्री बीजू पटनायक की सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

श्री कल्याण सिंह दोहरे, श्री अशोक सिंह चौहान की सूचनाएं यदि नियमानुसार होंगी तो ली जायेंगी।

(स्वीकार की गयी सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

जनपद आजमगढ़ के कतिपय गांवों के किसानों की नहरों की माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव--

[आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक खण्ड 32 की शाखा हैदराबाद माइनर तथा पवई ब्लाक के अन्तर्गत ताकया माइनर एवं अन्य जो माइनर बनी हैं, किसानों को मुआवजा उनकी जमीन का न मिलने से किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। बार-बार पत्राचार के बाद उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिल सका है। ऐसे कई गांव हैं, जिसमें मुख्य रूप से युसुफपुर, खानपुर, असई मोलमापुर, कुरियावां, कछरा, शाहमदीनपुर, रामनगर, अलीपुर आदि सम्मिलित हैं। मुझे कल बताया गया कि अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी इस प्रश्न पर उदासीनता के कारण यह समस्या हल नहीं हो सकी है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जनपद आजमगढ़ में फूलपुर ब्लाक, पवई ब्लाक के अन्तर्गत तथा अन्य ब्लाकों में किसानों को नहरों के माइनर में गई जमीन का मुआवजा उपरोक्त गांवों के साथ-साथ अन्य गांव का भी दिलाया जाय।]

जनपद बाराबंकी के तहसील मुख्यालय फतेहपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजरानी रावत--

[महोदय, मैं आपके माध्यम से तहसील मुख्यालय फतेहपुर, जनपद बाराबंकी पर राजकीय डिग्री कालेज न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।

जनपद बाराबंकी के तहसील मुख्यालय फतेहपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने की मांग काफी समय से की जा रही है। यहां पर डिग्री कालेज न होने के कारण छात्र/छात्राओं को

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। तहसील मुख्यालय पर राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/1056665/04, दिनांक 2-8-2004 द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को दिया गया था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जनहित में राजकीय डिग्री कालेज खोला जाना आवश्यक है। मा0 मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी डिग्री कालेज न खोले जाने से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तहसील मुख्यालय फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत अधूरे खुदाई कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मसूद--

[महोदय, छोटी सरजू नदी जो आजमगढ़ जनपद से होते हुए मऊ जनपद की तरफ जाकर टोंस नदी से मिलती है नदी पूरी तरह पट गयी है जिसके कारण सगड़ी विधान सभा में जल जमाव के कारण हजारों एकड़ फसल रबी एवं खरीफ की बुआई से वंचित रह जाती है। मऊ जनपद में खुदाई का कार्य 2002-03 में पूरा हो चुका है। सगड़ी क्षेत्र की संपूर्ण लागत का आकलन बाढ़ खण्ड आजमगढ़ द्वारा बना दिया गया है, जिससे आधा कार्य का पैसा शासन से रिलीज हो गया है जिससे आधा कार्य पूरा हो गया है और आधा कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए शेष कार्य को पूर्ण कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भदार वसीमऊ के मध्य गम्भीरी नदी पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव--

[मान्यवर, हरदोई जनपद की 74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक सांडी में भटार गांव वसीमऊ गांव के मध्य गम्भीरी नदी पर कोई पुल न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाई उठानी पड़ती है जिससे जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उक्त नदी पर पुल बनवाने की मांग करता हूँ।]

अम्बेडकर नगर के टाण्डा-बसखारी-जलालपुर मार्ग को हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा--

[महोदय, टाण्डा-बसखारी जलालपुर मार्ग जनपद-अम्बेडकर नगर का एक प्रमुख मार्ग है, जो कि बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग को गया टाण्डा राज्य मार्ग द्वारा जोड़ता है। उक्त मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण टाण्डा से जलालपुर जिसकी दूरी लगभग 28 कि0मी0 है, तक पहुंचने में लगभग दो घंटे से ज्यादा समय लगता है। आम जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण आम जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए टाण्डा बसखारी-जलालपुर मार्ग को हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत राम सिंहपुर में विजय बहादुर सिंह स्टेडियम का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी--

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड मेहनगर के रामसिंहपुर में विजय बहादुर सिंह स्टेडियम हेतु भूमि ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। खेलकूद हेतु ग्रामीण युवाओं के लिये उपरोक्त स्टेडियम का निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है। इस पिछड़े क्षेत्र में खेलकूद हेतु कोई स्टेडियम नहीं है जिससे ग्रामीण युवाओं का मानसिक एवं शारीरिक विकास हो सके। स्टेडियम निर्माण जनहित में अति आवश्यक है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्टेडियम का निर्माण करवाने की मांग करती हूँ।]

जनपद मेरठ के ओडियन नाले की तलीझाड़ सफाई कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

[मेरठ महानगर के 40 प्रतिशत भाग में जलभराव एक सामान्य समस्या है। इसका एक मात्र प्रमुख कारण ओडियन नाला है। इसकी तलीझाड़ सफाई न होना, इसका जनक है।

इसके कारण आलोक विहार भगवतपुरा, हो रामनगर, पुरवाइलाही बाग, लक्ष्मणपुरी, गौतमनगर, मास्टर कालोनी, शिवशक्ति नगर, इन्द्रानगर 1 तथा 11 पूर्वी एवं पश्चिमी ब्रह्मपुरी, हरी नगर, ठठेरबाग, ईश्वरपुरी, सराय लाल दास, कबाड़ी बाजार, बागपत गेट, पला मोहल्ला, किशनपुरी, पत्थर वालान, शारदा रोड, शिवशंकर पुरी, बागाडियान, माता का बाग, देवपट्टी, आनन्दपुरी, महावीर नगर, रेलवे रोड, रौनकपुरा ओमनगर, बागपत रोड तक के लोग जलभराव की समस्या से त्रस्त होते हैं।

इसके दो उपाय हैं कि समय रहते अभी से नाला सफाई, पारदर्शी भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था जिला प्रशासन, नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल निगम के 4 अधिकारियों की जिला मजिस्ट्रेट मेरठ की अध्यक्षता में समिति बनाकर उसकी देख-रेख में ओडियन नाले सहित, अहमद रोड नाला, फिल्मस्तान थापरनगर, सुभाष नगर नाला, हनुमानपुरी, लक्ष्मीनगर, आर्य नगर, माहेनपुरी, आकूनाला, मकाचिन नाला की सफाई कराई जाये। 30 जून तक यह सफाई कराई जाये। हर हालत में यह सफाई 15 अप्रैल से प्रारम्भ हो जावे।

तात्कालिक दूसरा उपाय यह है कि भगवतपुरा की ओर से आलोक बिहार तक आने वाले दायीं ओर के नाले का सैनी धर्मशाला के सामने से बन्द पाइप में डी शेप में ले जाकर भूमि या पुल के पार मिला दिया जाये।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत कुआनो नदी पर गौरा घाट पर बन रहे अधूरे पुल के निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामकरन आर्य--

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में त्वरित योजना के अन्तर्गत कुआनो नदी पर गौरा घाट पर पुल बन रहा है मात्र कुछ धन ही मिला है शेष धन के अभाव में कार्य रुका पड़ा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कई सूचना लिखित व मौखिक रूप से दी गयी है परन्तु धन नहीं दिया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण विषयक है।

अत: इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल धन अवमुक्त करने एवं कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बागपत के अतिभारित विद्युत केन्द्रों की क्षमता वृद्धि करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अजय कुमार--

[जनपद बागपत में स्थापित सब स्टेशन (विद्युत उपकेन्द्र) अतिभारित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है और ग्रामीण उपभोक्ताओं के खेतीबाड़ी के काम एवं लघु उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। विद्युत की सही आपूर्ति न मिलने के कारण धरना, प्रदर्शन इत्यादि होते हैं।

अत: 33 के0 वी0 के आदर्श नंगला, किशनपुर बराल, जौनभाना व किरठल और 132 के0वी0 के निरपुडा, बड़ौत छपरौली व बागपत तथा 220 के0वी0 बड़ौत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करना अति आवश्यक है, जिससे ग्रामीण जनता को सरकार द्वारा घोषित मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हो सके है।

अत: उपरोक्त व्यापक जनहित के मसले पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश को पद से मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्याण सिंह दोहरे--

[मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 8-1-85, शासन के कार्मिक व न्याय विभाग के बहुमूल्य परामर्श, कारण बताओ नोटिस, प्राप्त उत्तर, जन प्रतिनिधियों की संस्तुतियों, मुख्यमंत्री सचिवालय, होम्योपैथी चिकित्सा मंत्रालय के आदेशों के क्रम में डा0 राम अवध सिंह को निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 के पद से मुक्त न कर विभागीय अधिकारियों द्वारा पत्रावली बार-बार न्याय एवं कार्मिक विभाग को संदर्भित कर प्रकरण के मेरिट पर निस्तारण में असहयोग किया जा रहा है। निदेशक, होम्यापैथी, उ0प्र0 के विरुद्ध वर्ष 1999 के होम्योपैथिक कम्पाउण्डर चयन से संबंधित जांच काफी दिनों से संस्थित है, आरोप पत्र दिया जा चुका है किन्तु जांच के नाम पर जांच अधिकारी/विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा मात्र खानापूर्ति की जा रही है। स्थानान्तरण सत्र 2003-04 में निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 ने अपने अधीनस्थ हर सेवा संवर्ग

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में भारी पैमाने पर नीति विपरीत उत्पीड़नकारी स्थानान्तरण किया था, जिन्हें शासन स्तर से न तो निरस्त किया गया न ही दोषी निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 को दंडित किया गया। शासन के आदेश व माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना तो निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 के लिये आम बात है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के गत चुनाव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धन का लेखा-जोखा निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0/चुनाव अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। गंभीर आडिट आपत्तियों, वित्तीय प्रशासनिक अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतों की अनदेखी हो रही है। विकास एवं उत्थान से संबंधित कोई कार्य नहीं हो रहा है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का अस्तित्व एवं भविष्य खतरे में है। सम्पूर्ण होम्योपैथी जगत क्षुब्ध एवं असंतुष्ट है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए लोकहित में निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 के शीर्षस्थ तकनीकी पद को अवैध कब्जे से मुक्त किये जाने, प्रकरण पर चर्चा एवं वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के कान्सटेबिल (एम) लिपिक वर्ग पद पर कार्यरत कर्मियों को पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक सिंह चौहान--

[मान्यवर, उ0 प्र0 पुलिस अधीन में कान्स्टेबल (एम) लिपिक वर्ग लगभग 5 वर्ष से कार्यरत होने के उपरान्त भी सामान्य वर्ग के कान्स्टेबल (एम) लिपिक वर्गों को अभी तक न तो विभाग द्वारा पदोन्नति की गई और न ही वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई है। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 में 4 में उल्लेखित निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारी को 12 माह की सेवा पूर्ण करने पर कार्यरत वेतनमान अगली वृद्धि म्योकृत की जानी चाहिये।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रदेश में हजारों कांस्टेबल (एम) लिपिक वर्ग पद पर कार्यरत कर्मचारियों को न्याय दिलवाने एवं विज्ञप्ति के अनुसार कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 7-3-2005 को नियम 300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें से किसी भी सूचना पर नहीं सुना जाएगा। श्री मिथलेश कुमार की जो सूचना है इसके लिए निदेश संख्या 165-166 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग की जा सकती है। इसलिए नहीं सुनी जायेगी। डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की सूचना में कोई एक निश्चित विषय नहीं है इसलिए नहीं सुनी जायेगी।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, इस बारे में लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी से बहुत सहानुभूति है मैं लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का सहयोग करने के लिए खड़ा था लेकिन वह यहां सदन में नहीं है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 7 मार्च, 2005 को नियम 56 के अंतर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[illegible] इन सूचनाओं में पहली सूचना, श्री लालजी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जयराम [illegible] की है। दूसरी सूचना श्री प्रसाद [illegible], श्री [illegible] यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद की है। तीसरी सूचना श्री [illegible] की है और [illegible] सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है। श्री राम इकबाल सिंह, श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह एवं श्री ओम प्रकाश पांडेय की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

*श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रदेश में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के अन्तर्गत लगभग 41 हजार लोगों का चयन किया गया। चयन में पिछड़े वर्गों के लिए या आरक्षित वर्गों के लिए जो आरक्षण है उसके नियमों की अनदेखी की गई जिसके कारण हजारों पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जो चयन की प्रक्रिया अपनाई गई उसमें जो श्रेणी-वार अन्तिम गुणांक है उसमें सामान्य श्रेणी महिला विज्ञान में अन्तिम गुणांक 274.47, महिला कला में सामान्य श्रेणी का अन्तिम गुणांक 310.86 इसी तरह से पिछड़े वर्ग में विज्ञान वर्ग में महिला में 188.12 और पिछड़े वर्ग में 290.56, अनुसूचित जाति में 192.44 अनुसूचित जाति में कला वर्ग में है 256.58 अनुसूचित जनजाति में है 170.74 इसी तरह से पुरुष विज्ञान में सामान्य में है 305.84 सामान्य में कला वर्ग में 309.90 पिछड़े वर्ग में है 281.47 पिछड़े वर्ग कला में है 300.19 अनुसूचित जाति में 178.90 अनुसूचित जाति में है 280.03 कला वर्ग अनुसूचित जनजाति के विज्ञान में 192.44 अनुसूचित जनजाति कला वर्ग में 245.11 ।

इसी तरह से जो गुणांक निकला उसमें अनियमितता कहाँ हुई उसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि मंत्री जी इसको गम्भीरता से देखें जो पहले सामान्य वर्ग का चयन किया गया था उसमें पहले जो अन्तिम गुणांक था वह 316 कुछ था तो 316 के बाद लिस्ट जारी हुई उसमें से जब परीक्षण किया गया तो उस परीक्षण के उपरान्त करीब 7-8 हजार लोगों के प्रार्थना पत्र अवैध पाए गए जिसके कारण उनको नियुक्ति नहीं दी गई और सूची दो बार बनी एक बार में 30 हजार और दूसरी बार में 11 हजार लोगों की फिर से सूची बनाई गई । इसमें 316.03 जो अन्तिम गुणांक है जो सामान्य वर्ग का अन्तिम गुणांक 310.86 और पहला अन्तिम गुणांक 216 तो इस दोनों के बीच अन्तर है। बीच में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी थे उनको पिछड़ी जाति के कोटे में उनका आरक्षण कर दिया गया और जब दुबारा चयन किया गया 11 हजार लोगों का तो वह पिछड़े वर्ग में जो चयनित हुए थे इनको सामान्य श्रेणी में रखने का काम नहीं किया गया और उसके बाद सामान्य श्रेणी का 310.86 अन्तिम गुणांक आया। तो 316 के बीच में जितने अभ्यर्थी थे पिछड़े जाति में उनको पिछड़ी जाति में पहले से ही चयनित मानकर उसको सामान्य श्रेणी में रखने का काम नहीं किया गया जिसके कारण जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी थे जो सामान्य श्रेणी में चयनित हो सकते थे उनकी दुबारा संशोधित सूची जारी की गई उसमें होना यह चाहिए था जो-जो सामान्य श्रेणी में अन्तिम गुणांक है उसके बाद जितने अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के जो लोग चयनित हुए थे उनको सामान्य श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए था उसके बाद फिर से संशोधित सूची के अनुसार 27 प्रतिशत और 22 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षित वर्ग के लोगों का चयन होना चाहिए था लेकिन विभाग ने पिछड़ी जाति के लोगों के साथ यह अन्याय किया जो सामान्य श्रेणी के साथ चयनित हो गए थे जो सामान्य श्रेणी का अन्तिम गुणांक आया था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामान्य श्रेणी से उस गुणांक के बीच के लोग पिछड़ी जाति के रूप में या अनुसूचित जाति के रूप में चयनित किये थे उनको सामान्य सूची में शामिल करने का काम नहीं किया गया जिसके आधार पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी गये और आयोग ने अपने दिनांक 1-12-2004 के फैसले में इस बात की संस्तुति की कि इस पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो दोनों गुणांक के बीच में लिये जा सकते थे जैसा कि मान्यवर, इसमें कहा गया है कि प्रथम सूची में महिला अनारक्षित श्रेणी का अंतिम चयनित गुणांक 316.93 व ओ0 बी0 सी0 का 294.43 तथा इसी वर्ग का द्वितीय श्रेणी में नीचे खिसक कर अंतिम गुणांक अनारक्षित वर्ग का 310.86 व ओ0 बी0 सी0 का 290.46 को गया है। अर्थात् आरक्षण नियमानुसार द्वितीय सूची जारी करते समय ओ0 बी0 सी0 के ऐसे अभ्यर्थी जिनका गुणांक 310.86 या इससे अधिक है अनारक्षित श्रेणी में समायोजित होने चाहिए। अनारक्षित श्रेणी में शामिल करके उसके बाद द्वितीय संशोधन सूची जारी करनी चाहिए थी। इस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी बैठक में इसकी संस्तुति की है।

श्री अधिष्ठाता--

वर्मा जी केवल ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूँ। इस बात की संस्तुति की इस तरह से जो लोग अनारक्षित वर्ग में जिनका चयन हो सकता था जो 1994 के आरक्षण अधिनियम में आते हैं अन्य पिछड़े वर्ग के उसके तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को जो सामान्य कैटेगिरी में जिनका चयन हो सकता था उनको आरक्षित वर्ग में शामिल नहीं किया जायेगा। आरक्षित वर्ग में अलग से 27 प्रतिशत रिजरवेशन देने का काम किया जायेगा। इसलिये इस तरह से संशोधित सूची जारी होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

ग्राह्यता पर बोलिये। यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता यह है कि इसके चलते लगभग ढाई हजार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है जिसके कारण पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों में असन्तोष है और वे पिछड़ा वर्ग आयोग गये और उच्च न्यायालय भी गये। बार-बार इस बारे में निर्देश भी दिये गये लेकिन शासन द्वारा उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। समाज में और अनुसूचित जाति में आरक्षित लोग हैं सामान्य श्रेणी के कैटेगिरी में आये हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और लोगों में आक्रोश भी है और स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है। यह पूरे प्रदेश का मामला है। यह एक सुनिश्चित विषय है जो नियम 56 के अन्तर्गत आता है, जिसमें प्रस्ताव भी लाया जा सकता है और जिसके आधार पर इनकी संशोधित सूची जारी किया जाना आवश्यक है। इसलिये यह पूरी तरह से नियम 56 के जितने भी कारण हैं, जिसके आधार पर सदन में चर्चा हो सकती है, में आता है। मैं इसलिये भी चाहूँगा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जिनके संज्ञान में पूरी बात है, वे इस सदन में नहीं है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका उत्तर नहीं दे पायेंगे वे अपनी तरफ से उसका उत्तर बनाकर दे देंगे और यह कह देंगे कि यह नियम 56 में नहीं आता। इसलिये यह आवश्यक भी है इसको नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें जिससे यह

जो अन्याय पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के आरक्षित वर्ग के साथ हो रहा है, न हो। इसमें जान बूझकर कोई गलती नहीं हुई है लेकिन सूची दो बार होने के कारण पहली बार जो 316 का गुणांक आया उसके बाद वह ज्यादा हो गया। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, वर्मा जी ने जो प्रश्न रखा है, उसकी गम्भीरता से मैं इन्कार नहीं कर रहा हूँ। यह अलग बात है कि नियम 56 में यह नहीं आता, अत: आप इसे निरस्त कर देंगे। आप गम्भीरता से लेते हुए इस बात को भी मानते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री होते तो इसका अच्छी तरह से उत्तर देते। मैं अपेक्षा करूँगा कि वे भी और सरकार भी इसका परीक्षण करायेगी। कहीं भी अनियमितताओं के कारण ऐसा हुआ है तो उस अनियमितता को दूर किया जाएगा।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

अनियमितता तो हुई है श्रीमन् उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1-12-04 में निर्देशित किया है। साथ ही साथ मान्यवर एक बार स्पष्ट मूल्यांकन कर दिया गया कि इतना गुणांक नीति के अनुसार होगा। एक बार लिस्ट आ गई । एक बार विज्ञापन हुआ। एक बार नीति निर्धारण हुआ फिर क्यों अनियमितता हो रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया है।

श्री अधिष्ठाता--

यह सूचना श्री लाल जी वर्मा, आपकी ओर जयराज विमल की थी। वर्मा जी ने ग्राह्यता पर विस्तार से बोल दिया। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा मामला गम्भीर है। इसको संज्ञान में लेते हुए साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री की बात कही। सब परीक्षणों में बाद कोई कमी आएगी तो तदनुसार कार्यवाही करेंगे, यह कहा गया तो उसके बाद बोलने का औचित्य नहीं रह जाता है। मैंने वर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम 56 में नहीं आती है मैं इसको निरस्त करता हूँ।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक बहुत ही हृदय विदारक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राह्यता के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जनपद कौशाम्बी के ग्राम चन्दुपुर में थाना सराय में विगत 6 मार्च को 21 वर्षीय युवती ऊषा जो दलित वर्ग की है उसके सिर के बाल बनवाकर गधे पर बैठाकर कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र करके तीन घंटे तक घुमाया गया, सारे गांव में यह घटना अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पिछड़ेपन, अशिक्षा और कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। जिस घटना का जिक्र मैं सदन में कर रहा हूँ। मेरा सिर शर्म से झुक गया हम उस पीढ़ी में रह रहे हैं उस युग में रह रहे हैं जहां ऐसी घटनायें होती हैं। पूरी घटना का ब्यौरा देखें। 2 फरवरी को झगड़ा होता है एक बच्चा गायब हो जाता है दो दिन के बद उसकी लाश तालाब में मिलती है। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ इस घटना का दुखद पहलू यह है कि एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं होती है। जिस समय उस बच्चे को मारा गया उसको किसी के द्वारा देखा नहीं गया। यहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से परम्पराओं का जिक्र आता है, अशिक्षा का जिक्र आता है जो भारत माता के माथे पर कलंक है। गांव के लोग 50 किलोमीटर दूर जाते हैं वहां एक तांत्रिक हरिया रहता है। बाबा को दो-तीन नाम बताये जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से हत्यारा कौन है ? बाबा एक के ऊपर हाथ रख देता है कि इसने हत्या की है। जबकि उसने देखा नहीं है। अगर मान्यवर, इस तरह से तांत्रिक लोग हाथ रखकर बता देंगे और उसको मान लिया जाएगा तो जिले की पुलिस, प्रदेश की पुलिस देश की पुलिस, और सी0 बी0 आई0 पर ताला बन्द कर देना चाहिए और तांत्रिकों के हाथों में देश की कमान दे देनी चाहिए। इतना बड़ी घटना हुई इससे सिर शर्म से झुक जाता है। जो किसी की बहन बेटी हो सकती है। दलित वर्ग की लड़की के सिर के बाल बनवाकर जिस तरह से तांत्रिक के कहने पर दो घंटे निर्वस्त्र घुमाया जाता है इसमें जिसकी चूक हुई है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें सरकार की निश्चित रूप से भूमिका दंड देने वाली होगी। जिस व्यक्ति की लाश गायब हुई जिस तरह से लड़का गायब हुआ। गांव के लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। मान्यवर, पुलिस को लिखना न पड़े 302 का मुकदमा, तो कहते हैं कि पंचनामा करके लाश को बहा दो। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी घटनाएं करने वाले दोषी लोगों को जरूर दण्डित किया जाए जिससे भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। मान्यवर, वहां से जब पुलिस नहीं आती है तो गांव वाले तांत्रिक के पास जाते हैं और उसके बाद इस घटना को अन्जाम दिया जाता है। विजय प्रकाश जी वहां से विधायक थे, वह वहां गये, उन्होंने लोगों को बहुत शान्त करने का प्रयास किया लेकिन स्थिति विस्फोटक हो गई । मान्यवर, इससे हमारी व्यवस्था पर काला-धब्बा लगा है।

जब प्राथमिकता पर बोल रहा हूं, तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आज लोग को, हर राजनीतिक व्यक्ति को यह विचार करना पड़ेगा कि जो अन्ध-विश्वास को बढ़ाने वाली ताकतें हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिन्ता व्यक्त की है, हरियाणा और मुजफ्फर नगर की घटनाओं पर कि किस पैनल कोड में पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी के लिए ऐसा निर्णय ले सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, सरकार से मेरी अपेक्षा इतनी है कि इस घटना से सबक लेते हुए ऐसे तांत्रिकों और ऐसी पंचायत करने वालों के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाने का संकल्प ले और मेरे इस उल्लेख का मकसद यह है कि इस काण्ड में जो दोषी हैं, उनको दण्डित करने के लिए जरूर निर्देश दें और उस पीड़ित का वह क्षण कैसे गुजरा होगा, उसे जो यातना झेलनी पड़ी है, उसे लौटाया तो नहीं जा सकता है लेकिन शासन की तरफ से कोई उच्च स्तरीय मंत्री वहां जाए और सांत्वना दे, उसकी वेदना को सहलाये और उस पीड़ित की आर्थिक मदद की जाए जिससे वह अपने आपको पुन: व्यवस्थित कर सके।

*श्री राम नरेश यादव--

अभी जिस हृदय विदारक और शर्मनाक घटना की ओर प्रमोद जी ने जिक्र किया है, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हो सकता है क्योंकि आज भी इस युग में जब हम विज्ञान में बहुत आगे चले गए हैं, ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, हमारे लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से लड़की को घुमाया गया, गधे पर बिठाकर, उसके बाल काटे गए, इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई नहीं होगी। इसीलिए, मैं भी चाहूँगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस प्रश्न पर बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गम्भीरता के साथ जरूर विचार करें क्योंकि इसमें मानवीय दृष्टि से भी सोचने की जरूरत है। जो पंचायतें इस तरह का निर्णय लेती हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और जो तांत्रिक के नाम पर इस तरह का आचरण करते हैं, उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए और इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। यह बहुत ही अविलम्बनीय, लोकमहत्व का प्रश्न है, सरकार को इसे बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। उस युवती की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि उसकी भी हत्या कर दी जाए। मुझे विश्वास है कि इस घटना को सरकार सदन में गम्भीरता के साथ लेगी और उस पीड़ित युवती की आर्थिक सहायता करने का भी कार्य करेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जहां माया त्यागी जैसे काण्ड हो चुके हों, वहां की जनता को निश्चित ही ऐसे मामलात के लिए गम्भीर भी होना चाहिए, सरकारों को भी गम्भीर होना चाहिए और ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाई भी होनी चाहिए। जिस तरह की घटना का प्रमोद कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री के जरिए जानने को मिला है, अखबारों में भी उल्लेख आया है। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और इसकी जितनी भी निन्दा की जाए, कम है। मुझे उम्मीद थी कि इसकी टिप्पणी जरूर आ जायेगी, जो मैं आपके संज्ञान में ला सकता, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। हो सकता है, पूरी तफ्तीश के बाद अधिकारी रिपोर्ट भेज रहे हों। अगर कहीं अतिश्योक्ति है तो वह कितनी होगी। अगर बात को बढ़ाकर भी कहा गया तो कितना कहा गया है। जितनी भी बात सच होगी वह भी निन्दनीय है। इसमें सरकार सख्त कार्यवाही करेगी मैं इसके लिए सदन को आश्वस्त करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन इन दो बातों की ओर आपने नहीं कहा कि चाहे जितनी भी सूचना आ जाए सदन उठने के बाद 10 या 11 को तो मुझे अवगत करा दें कि एक तो सरकार का कोई मंत्री या उच्चाधिकारी वहां पर चला जाये और मौके पर पहुँचकर उस पीड़ित महिला को मानवता के आधार पर ढांढस देने का काम करे और दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबकी तरफ से एक अनुरोध कर लें कि उस पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता देने के लिए विचार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं नेता सदन तक प्रमोद कुमार जी के विचार पहुंचा दूंगा।

श्री अध्यक्षता--

मैं इस सूचना पर माननीय श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव व संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त करता हूं। अगली सूचना डा0 विनोद तिवारी जी की जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है और इसके बाद की सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त राजपूत की जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है। शेष सूचनाएं निरस्त की जाती हैं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न प्रहर जब समाप्त होता है तो विधान सभा की कार्यसूची में अगली मद ले ली जाती है। इस तरह से कार्य स्थगन की सूचना ले ली गयी। आपकी सूचना निरस्त हो गयी।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह देखा गया है जिनके प्रश्न होते हैं वह माननीय सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जिनके प्रश्न हो उस पर वह गम्भीर हों। जब वाजपेयी जी आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा। मान्यवर, माननीय वाजपेयी जी अगर यहां बैठे होते तो 5 मिनट तक हृदयविदारक प्रहार करते।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या--13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) अनुदान संख्या--18 कृषि तथा ,अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कृषि मंत्री जी उपस्थित नहीं है तो विधान सभा को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि प्रश्नकाल समय से पहले समाप्त हो गया तो अगली मद आ जाने दीजिए। मैंने कृषि मंत्री जी को पुकार लिया है।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कृषि मंत्री जी को पुकार चुके हैं। व्यवस्था का प्रश्न बाद में है।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9,19,49,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,57,72,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री लालजी वर्मा--

यह अलग मद है, इसको बाद में ले लें। यह ग्राम्य विकास अलग मद है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी चूँकि मद संख्या 7 (1), 7 (2), 7 (3) कृषि से संबंधित है और एक व्यक्ति इसमें कटौती रख रहा है इसलिए इन तीनों को एक साथ ही एक व्यक्ति से प्रस्तुत करा लेते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 36,46,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है और सामूहिक जिम्मेदारी में कोई भी विभाग का बजट कोई भी मंत्री रख सकता है। अभी तक इस सदन की, इस विधान सभा की परम्परा रही है कि अन्य विषयों में तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सक्षम हैं, माननीय मंत्री जी कोई परेशानी नहीं है, माननीय मंत्री जी ने सोचा होगा कि 12.20 बजे प्रश्नकाल ओवर होगा उसके बाद 'जीरो' आवर चलेगा और वह एक घंटा चलेगा तो इस परिप्रेक्ष्य में वह बीच में चले गये। चूँकि माननीय मंत्री जी इस समय नहीं हैं और कोई मंत्री पूरा ब्योरा दे नहीं सकते हैं इसलिए यह उचित होगा कि सदन को दस, पन्द्रह या बीस मिनट के लिए स्थगित कर दें और माननीय मंत्री जी को बुला लें। दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि आज तक विधान सभा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कृषि विभग का, ग्राम्य विकास का, सहकारिता का, तीनों विभाग का बजट एक साथ नहीं रखा गया है, आप कार्यवाही उठाकर देख लें। ऐसा उदाहरण तो आपको कम ही मिलेगा। या तो हो हल्ला में पास हो गया हो, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। सदन को इसमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस समय शांति है इसलिए आपसे मैं यह व्यवस्था चाहता हूँ और मेरा सुझाव भी है, यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गयी कि इतने महत्वपूर्ण विभाग, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, जनमानस से जुड़ा हुआ है, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ और न ही माननीय मंत्री जी को कोई दोष दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि प्रश्नकाल 12.20 तक चलेगा उसके बाद एक घंटे तक 'जीरो' आवर चलेगा उसके अनुसार वह सदन में नहीं आये हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सदन को एक घंटे के लिए स्थगित कर दें। माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं दे पायेंगे। हम चाहते हैं कि सदन में गम्भीर बहस हो, शांति से हम सुनना चाहते हैं। यदि यह बजट एक साथ ऐसे ही पास हो जाय तो यह जो सदन की इच्छा है उसके विपरीत होगा। इसलिए मैं चाहूँगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर स्वत: इस बात का सुझाव दें कि सदन को डेढ़ घंटे के लिए स्थगित कर दें चूंकि समय से पहले यह कार्यवाही शुरू हो गई है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा।

श्री अधिष्ठाता--

संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उस पर आप कुछ कहेंगे ?

(श्री सतीश महाना के बार-बार खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

महाना जी, आप अपने [illegible] ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह उस कुर्सी की खूबी है, उस कुर्सी में कुछ ऐसी विशेष बात है। यह अपनी कुर्सी पर थे तो आराम से बैठे थे, इस कुर्सी पर आ गए तो अब बैठ नहीं पा रहे हैं।

मान्यवर, यह प्रतिष्ठा का कोई विषय नहीं है। यह एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी की बात होती है, चूँकि कृषि मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि मैं इसे देख लूँ, इसलिए मैंने इसे रख दिया। लालजी वर्मा जो से मैं यह कहना चाहूँगा कि वह भी सरकार में रहे हैं और बड़े जिम्मेदारी के पद पर रहे है, वह मुझे इतना भी आहल न समझें कि हम सम्बन्धित विभाग के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं और हम उसका बजट भी पेश न कर सकें और फिर संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मेरा यह दायित्व भी है कि अगर कोई मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं और उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका मुझे निर्वहन भी करना चाहिए।

*श्री सतीश महाना--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी चतुरतापूर्वक अपनी बात रखी। मान्यवर, कृषि मंत्री जी यहां उपलब्ध नहीं हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से आवाज आई कि माननीय मंत्री जी आ गए हैं)

श्री सतीश महाना--

मैं भी उन्हें देख रहा हूँ कि वह अब आ गए है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अगर ऐतबार न हो तो छूकर देख लीजिए।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, उन्होंने अगर इन्हें पावर आफ एटार्नी दी है तो फिर इन्हें बजट प्रस्तुत करने के बाद अपनी बात रखनी चाहिए थी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कृषि मंत्री जी तो अब आ ही गए हैं।

श्री सतीश महाना--

माननीय कृषि मंत्री जी आ गए हैं तो क्या हुआ, संसदीय कार्य मंत्री जी इसे रखें या तो कृषि मंत्री जी उस पॉवर आफ एटार्नी को विथड्रा करके अपनी बात रखें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा निवेदन है कि आप मेरी तरफ से बजट रखें।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता जी, आप मुस्करा रहे है या हां कर रहे हैं। मान्यवर, यह विषय जो माननीय लालजी वर्मा जी ने उठाया है, या अन्य लोगों ने उठाया है, उस विषय के प्रति विपक्ष की गम्भीरता इसी बात से पता चल जाती है कि यह विषय को लेकर लोग कितने गम्भीर है, विपक्ष के जितने भी धुरन्धर लोग हैं वह सब धुरन्धर सदन से नदारद हैं। माननीय मौर्या जी के गले में खराश

* : मना ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ जाती है, वह कुछ बोलने की हालत में नहीं है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि शेर जब छक जाता है तो उसके आगे-पीछे, आमने-सामने चाहे जितने शिकार घूमें लेकिन वह उन सबकी तरफ ध्यान नहीं देता है, कुछ वैसी ही स्थिति यहां पर मौर्या जी की है। नेता प्रतिपक्ष माननीय लालजी टण्डन जी है नहीं, माननीय हुकुम सिंह जी हैं नहीं और मेरठ से निर्वाचित हमारे एक दोस्त हैं वह भी नहीं है वरना जोरो आवर में आधा घण्टा तो वही चट कर जाते हैं और माननीय अध्यक्ष जी भी नहीं थे नहीं तो वे उत्साह बनाते रहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जब गंगा सूख जाती है तो गीदड़ छलांग लगाने लगते हैं। माननीय प्रमोद जी ने जिन बड़े-बड़े धुरन्धरों का उल्लेख किया है, वह धुरन्धर नहीं हैं तो आज यह धुरन्धर हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने जीवन में कभी किसी को गीदड़ नहीं कहा है तो फिर माननीय आजम साहब को गीदड़ कैसे कह सकता हूँ।

कृषि (कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात को छोड़कर) एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं उसके लिए खेद प्रकट करूँगा, मेरे विलम्ब से आने से जो असुविधा हुई । मान्यवर, आज कृषि विभाग का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करते समय मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी को बाजपेयी जी को हटाना था उस कुर्सी से इसलिए ऐसा प्रश्न रखा आप तशरीफ ले आयें जब माननीय लक्ष्मी कान्त बाजपेई जी का सब कुछ यहां गुजर गया। खुद कातिल का अपने हाथ से आपने कत्ल कर दिया।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष --

माननीय बाजपेयी जी अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य हैं मुझे थोड़ी दवा लेनी थी इसलिए वहां चला गया था।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में देश का कुल 11.9 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि से आच्छादित क्षेत्रफल है और देश के कुल उत्पादन का 20.84 प्रतिशत हमारा प्रदेश खाद्यान्न का उत्पादन करता है। मान्यवर, इसी प्रकार से दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है। मान्यवर, आज हमें इस बात का गर्व है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेंहू, गन्ना, आलू का उत्पादक क्षेत्र है और जो देश का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चावल, चना, अरहर, लाही और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के दूसरे स्थान पर है। मान्यवर, यह सूखे का वर्ष रहा। सूखा प्रभावित होने के बाद खरीफ की फसल में 127 लाख मीट्रिक टन खरीफ का उत्पादन किया गया। इस विपरीत परिस्थितियों में अनुमान है कि इस वर्ष हम सर्वाधिक गेंहूँ का उत्पादन करके हमारा 292.2 लाख मैट्रिक टन रबी में उत्पादन होने की आशा है।

प्रदेश की कृषि व्यवस्था को उन्नत बनाकर, उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। मान्यवर, हमारे प्रदेश के जहां 75 प्रतिशत लोग सीधे खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़

कृषि हैं इसलिए जो जैविक उत्पाद हैं उनकी ओर कृषि जगत को तैयार करने और प्रदेश के किसानों को उस ओर तैयार करने की हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि नई कृषि नीति लागू करके जो वैश्विक चुनौती है उसके लिए प्रदेश का कृषि विभाग तैयारी करेगा और मान्यवर इसके लिए हमने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति में चारों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति इसके सदस्य हैं और 17 विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष इसके सदस्य हैं। यह नई कृषि नीति में जैविक कृषि नीति और जो कांट्रेक्ट फार्मिंग है, विपणन का कार्य है, कृषि उत्पादों के निर्यात की बात है, इन तमाम विन्दुओं को उसमें समाहित करके काय किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अभी कुछ समय पहले जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था उसमें कहना है कि वह सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है, इसलिए अस्वीकार किया जाता है।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, यह नई कृषि नीति शासन की प्राथमिकता है और इस कृषि नीति को इस वित्तीय वर्ष में प्रभावी बनाने की कार्य योजना है। मान्यवर, इसके साथ ही कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सर्व सुलभ हो इसलिए कृषि विभाग के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत हमारा प्रयास है कि प्रत्येक न्याय पंचायत पर कृषि विभाग का एक अधिकारी रहे। प्रत्येक न्याय पंचायत में एक किसान सहायक हो प्रत्येक ब्लाक में कृषि विभाग का ए0 डी0 ओ0 के रूप में एक पदाधिकारी रहे। इसी तरह से तहसील स्तर पर एस0 डी0 ओ0 एग्रीकल्चर और जिला स्तर पर अन्य अधिकारियों को बिठाने का निर्णय लिया गया है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियों को उपलब्ध कराना है और वे यदि विभिन्न अधिकारियों से कोई संवाद करना चाहें तो वह संवाद कायम करने के लिए सुविधा प्रदान करना है। हमारा उद्देश्य यही है कि विश्व बाजार में हिस्सेदारी पाने के लिए हमें प्रयास करना होगा और जैविक कृषि की ओर हमें जोर देना होगा। जो हमारे वैदिक काल में कृषि की पद्धति थी जिसमें विभिन्न प्रकार के कम्पोस्ट खादों का उपयोग करके खाद्यान्नों को मानवीय शरीर के अनुकूल बनाने का कार्य हम कर सकें। आज यह चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि आधुनिक रसायनिक खादों के उपयोग से कृषि के उत्पादों पर प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए जैविक कृषि को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और इस दिशा में सरकार बड़ी तेजी से कार्य कर रही है कि जैविक उत्पादों को प्राथमिकता दी जाय।

मान्यवर, कृषि का मुख्य आधार है उन्नतशील बीज और इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि जितने बीज का उपयोग हो सकेगा उसके 20 प्रतिशत बीज के रिप्लेसमेन्ट की कार्ययोजना बन रही है और इसलिए बीज के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर नये संयत्र लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं। जिससे प्रदेश के किसानों को आवश्यकता के अनुरूप उन्नतशील बीज का उत्पादन कर सकें और अगर हमने 20 प्रतिशत रिप्लेसमेन्ट कर लिया तो निश्चित रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

सिंचाई के जो संसाधन हैं वह सीमित हैं और घटते जा रहे हैं, ग्राउण्ड वाटर भी कम होता जा रहा है। कृषि क्षेत्र में हम कैसे पानी का सदुपयोग कर सकें इसलिए सिंचाई की नई पद्धतियों पर बल देंगे। ड्रिप्ट इरीगेशन, लिफ्ट इरीगेशन, और स्प्रिंकलर इरीगेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज

आवश्यकता है कि कृषकों की आय कैसे बढ़े और कृषि का लागत मूल्य कैसे कम हो। इस पर चिन्तन कर रहे हैं। कृषि विविधीकरण की योजना के अन्तर्गत नई फसलों की ओर किसानों को ले जा सकते हैं जिससे कृषकों की आय बढ़े। कृषि विविधीकरण योजनान्तर्गत जो एक महत्वांकाक्षी योजना है उस योजनान्तर्गत हम चाहते हैं कि किसान फलों की खेती, फूलों की खेती, औषधीय पौधों की खेती और ऐसी परिवर्तित खेती करें जिससे उसकी आय बढ़ सके, उत्पादन बढ़ सके इसलिए इस ओर भी बड़ी तेजी से कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, विश्वबैंक द्वारा विविधीकरण योजना संचालित है। 32 जिलों में फर्स्ट फेज में यह कार्य किया गया है और 28 जिलों में सेकेण्ड फेज की योजना प्रस्तावित है यह योजना अब अंतिम रूप से चल रही है। इस योजना के बाद पूरे प्रदेश को कृषि विविधीकरण योजना को संतृप्त करने का कार्य करेंगे और इससे निश्चित रूप से कृषकों की आय बढ़ेगी। कृषि के साथ-साथ जो कृषि के आनुषंगिक कार्य है, मछली पालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध उत्पादन हैं इन सारे कार्यों को बढ़ावा देकर हम किसानों की आय को बढ़ाना चाहते हैं, किसानों की आर्थिक-स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। मान्यवर, वैल्यू एडीशन करना होगा कृषकों के उत्पादन का हमें वैल्यू एडीशन करना होगा। कृषि पर आधारित अधिक से अधिक उद्योग लगें, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां लगे ताकि कृषि उत्पादन की वैल्यू विश्व बाजार में तेजी से बढ़ सके और किसानों की आय बढ़े। नई खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाकर यहां पर निवेशकों को तमाम प्रकार की सुविधाएं दी हैं इससे विश्व स्तर की प्रसंस्करण इकाइयां बड़े पैमाने पर लगेंगी उससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसी तरह से किसानों को इनफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो उनकी आवश्यकता है उस दिशा में भी सरकार ने जो कार्य किये हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों की तुलना में, पिछले वर्ष हमने 32.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया था और इस वर्ष 33.98 लाख मीट्रिक टन यानि गत वर्षों की तुलना में 1.4 लाख मीट्रिक टन अधिक उर्वरक प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है और यह भी प्रयास किया गया है कि कहीं भी उर्वरक की कमी न होने पाये। इसी तरह से कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था की गयी है और हम समुचित प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से फसलों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमने जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिये 9 आई0 पी0 एम0 लैब पूरे प्रदेश में स्थापित किये हैं। हमारी यह कोशिश है कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में हमारी यह आई0 पी0 एम0 लैब स्थापित हो, जिसमें जैविक कीटनाशकों का उत्पादन करके हम रासायनिक कीटनाशकों से अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकें। इसी तरह से मान्यवर, हमारा विशेष ध्यान है कि प्रदेश के कृषि उत्पादन की गुणवत्ता विश्व मानक के अनुरूप हो। हमारी उत्पादकता बढ़े और उत्पादन की गुणवत्ता विश्व मानक के अनुरूप हो। आज स्थिति यह है कि आज हरित क्रान्ति के बाद हमारा यह देश खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी तो है और कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, परन्तु हमारे जो कृषि के मुख्य उत्पाद है, विश्व बाजार में उन कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी उतनी नहीं है, जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिये। उसका कारण यह है कि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता विश्व मानक के अनुरूप नहीं है। हमने कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि शोध और अध्ययन करके इस तरह के बीज विकसित किये जायें जो विश्व मानक के अनुरूप हों। जिस दिन हम अपने उत्पादों को विश्व मानक के अनुरूप कर लेंगे, उस दिन हमारी विश्व बाजार में बड़ी हिस्सेदारी होगी और हम तमाम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे और उससे किसानों की आय

में बड़ा इजाफा होगा। इसी तरह से मान्यवर, हमारे उत्पादन में वृद्धि हुयी है लेकिन अभी भी विश्व मानक के मामले में हमारा उत्पादन काफी पीछे है। हमारा प्रयास है कि शोध और अनुसंधानों के जरिये हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा खाद्य उत्पादन विश्व मानक के अनुरूप हो सके। इसके लिये आवश्यक है कि हमें स्वायल हेल्थ को भी देखना होगा। उसमें कौन से तत्व है और किस तत्व की कमी हो रही है, इसीलिये मृदा परीक्षण का जो कार्य है, उसको बहुत तेजी से चलाने का हमने काम किया है। प्रत्येक जिले में यह सुविधा उपलब्ध है, यदि कोई किसान अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहता है तो उसी जिले में उसकी जांच हो जाय और यह पता चल जाय कि उसकी जमीन में लोहा की, फास्फोरस की या नाइट्रोजन किस तत्व की कमी है ताकि उसी तत्व का वह उपयोग करें, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़े और स्वायल हेल्थ इम्प्रूव होने का काम हो। मान्यवर, हम निरन्तर जमीन से दोहन करेंगे और अगर उसके स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं करेंगे तो उसकी उर्वरता प्रभावित होगी, इसलिये हमारी सरकार उस ओर भी समुचित ध्यान देना चाहती है।

मान्यवर, हम चाहे जितना उत्पादन कर लें, जब तक उसके विपणन की समुचित व्यवस्था नही होगी, तब तक किसान को उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। इसके लिये मंडी समितियों का जाल बनाकर विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। लेकिन इसके साथ-साथ हम अपनी मंडियों को और आधुनिकीकृत करना चाहते हैं, जिससे विपणन का काम अच्छे ढंग से हो सके। इसके लिये हमने अपनी मंडियों का कोल्डचेन बनाने का निर्णय लिया है, जिससे फल-सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सके और वह खराब न हों। मान्यवर, मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि अभी नोएडा में एक फूलों की मंडी निर्माण कराने का सरकार ने निर्णय लिया है, 15 करोड़ की लागत से बनने वाली यह मंडी विश्व में मानक मंडी होगी और हालैन्ड के बाद यह दूसरी मंडी होगी, जहां स्पेसिफिकेशन होगा, सारी गुणवत्ता होगी और वह सब विश्वस्तरीय होगा। मान्यवर, हम कृषि उत्पादों का अच्छा विपणन कराना चाहते हैं, इसके लिये निजी क्षेत्र के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को भी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम विपणन की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करा सकें। मान्यवर, हमारे यहां फलों के बाजार का भी दुनिया में विस्तार कैसे हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे है। दशहरी हमारा विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उसका निर्यात हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मंडी विभाग ने फलों के विपणन की व्यवस्था की है हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हम विदेशों में भी निर्यात करके किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। फलों के निर्यात पर भी यह सरकार लगातार चिन्तित है। फल और फूलों को निर्यात करने की दिशा में हम इस प्रकार कार्यवाही कर रहे हैं जिससे किसानों को अधिक आय हो सके।

मान्यवर, हमारा बासमती चावल आज दुनिया के उत्तम चावलों में से है, इस बासमती चावल का उत्पादन अधिक से अधिक हो और उसका हम निर्यात कर सकें, यह भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही गेहूँ की क्वालिटी इम्प्रूव करके विश्व मानक के अनुरूप बनाकर निर्यात के रास्ते खोलने का काम भी हम करेंगे जो कृषि उत्पाद हैं, हम उनकी गुणवत्ता को बढ़ाकर विश्व बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते है। कृषकों की आय कैसे बढ़े, यह चिन्ता का विषय है और इस पर हमने और हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है। विपणन के क्षेत्र में, इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि जो समर्थन मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया था, उसी मूल्य पर किसान का एक-एक दाना बिका, जो गेहूँ का समर्थन मूल्य निर्धारित था, उससे ज्यादा पर किसानों का गेहूँ बिका। चूँकि यह किसानों की सरकार थी,

इसलिए इस सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि था। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि किसानों का कहीं पर भी शोषण न होने पाये, इसलिए जो समर्थन मूल्य था, खुले बाजार में उससे ज्यादा किसानों को दिलाया गया। पहली बार गन्ना किसानों के उत्पाद का 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर इस सरकार ने बहुत ही कल्याणकारी काम किया है। सरकार किसानों के हित चिन्तन में लगी हुई है कि कृषि का लागत मूल्य कैसे कम हो ? कृषि का लागत मूल्य उसी स्थिति में कम होगा, जब हम जमीन के स्वास्थ्य को देखेंगे, हमें जमीन के स्वास्थ्य को भी देखना होगा। यह जानकारी करके कि जमीन में किन तत्वों की कमी है, किसान जमीन में जिन तत्वों की जरूरत है, केवल उन्हीं तत्वों का उपयोग करें। किसान मंहगे उर्वरक को जमीन में डालता जाता है, यह जानकारी होने पर किसान केवल जिस उर्वरक की जरूरत है, उसी को डालेगा और उसका पैसा बचेगा, इसके लिए हम स्वायल टेस्टिंग की व्यवस्था कराना चाहते हैं। इसी तरह से हम सिंचाई की प्रणाली को भी नयी आधुनिक सिंचाई प्रणाली में बदलना चाहते हैं, और उसको विकसित करके किसानों को और अधिक सुविधा देना चाहते हैं, जिससे कि पानी का भी खर्च कम हो। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में उपकरणों की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारे यहां बड़े-बड़े फार्म नहीं हैं, हमारे यहां सीमान्त किसान और लघु किसान है, इसलिए हमारे यहां पर बड़े औद्योगिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छोटे उपकरण, जिससे किसानों को लाभ हो, ऐसे उपकरणों की खरीद के लिए हमारी सरकार ने उदारतापूर्वक अनुदान देने का भी निर्णय लिया है, ताकि किसानों को उपकरण खरीदने में कठिनाई न हो।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी अभी आप और कितना समय लेंगे ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, आप जितना समय देंगे, उतने में ही पूरा कर लेंगे। मान्यवर, आप स्वयं भी अवगत होंगे कि बासमती चावल के साथ-साथ काला नमक चावल भी बहुत महत्वपूर्ण है। काला नमक चावल से हम क्या-क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, ताकि हम विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ा सकें। किसानों को अभी तक अपने कृषि कार्यों के लिए साहूकारों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे और किसानों का शोषण होता था। इसके लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है। अभी तक यह सुविधा केवल अभिजात्य वर्ग के लिए ही उपलब्ध थी और वही इसका उपयोग करते थे, लेकिन मान्यवर, हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को गरीब किसानों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ताकि किसानों की जेब में भी क्रेडिट कार्ड हो और उसे किसी साहूकार के सामने न गिड़गिड़ाना पड़े। जो निवेश कृषि के लिए आवश्यक है, वह उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमने एक और योजना को कार्यान्वित किया है, फसल बीमा योजना। मान्यवर, तमाम दैवीय आपदाओं में किसानों की फसलें नष्ट हो जाया करती हैं, चौपट हो जाया करती है, हमने फसल बीमा योजना को लागू करके किसानों को उस नुकसान से बचाने का काम किया है, इसके द्वारा किसानों की फसलों की जो क्षति होगी, उसकी क्षतिपूर्ति हो सकेगी। किसान रात-दिन खेतों में काम करता रहता है, अगर किसी किसान को कोई सांप वगैरह काट लेता था या कोई और दुर्घटना हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में अभी तक उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती थी। बेचारे उस किसान के बच्चों को दो-दो रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता था। हमारी

सरकार ने प्रत्येक किसान के लिए बीमा योजना लागू करके उसकी सहायता करने का काम किया है। अब यदि किसान की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको एक लाख रुपया दिया जायेगा। यह क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार ने किसानों के लिए उठाया है। आज तक किसी सरकार की दृष्टि इन गरीब किसानों की ओर नहीं गयी थी। किसान एक ऐसा उद्यमी है जो 24 घण्टे काम करता है, न उसकी इतवार होती है न कोई त्योहार होता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है और रात-दिन काम में जुटा रहता है, किसान का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। हमारी सरकार का प्रयास है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे और जो भी कठिनाइयाँ हैं उनका निवारण करके उसकी अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। हमारी नई कृषि नीति का यही मूल आधार है। किसानों का लागत मूल्य कैसे कम हो और किसानों को अधिक से अधिक लागत मूल्य दिलाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी और कितना समय लेंगे ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, 5 मिनट और लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अभी सहकारिता मंत्री जी को भी इसी पर बोलना है, अपने उत्तर में कुछ बातें कह लीजिएगा।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, हमारी एक संस्था सार्वजनिक क्षेत्र की यू0 पी0 'एग्रो' है जो किसानों के लिए उपकरण मुहैया कराने, उर्वरक दिलाने तथा कृषकों को विभिन्न प्रकार की सुवधायें दिलाने का काम करती थी। यह संस्थान पिछले वर्षों में दयनीय स्थिति में पहुँच गयी थी। जबसे हमारी सरकार आयी है, 'एग्रो' ने अपनी आय में सुधार किया है और आज यह स्थिति है कि वह अपने संसाधनों पर खड़ी है। हम 'एग्रो' के माध्यम से किसानों को बहुत सारी सुविधायें उपलब्ध कराना चाहते हैं। प्रत्येक जनपद में किसानों को कृषि उपकरण मिल सके, जेनयुइन खाद मिल सके, बीज मिल सके। इसके लिए 'एग्रो' की सेवाओं को और दुरुस्त करने का हमारा लक्ष्य है और हमारा प्रयास है कि 'एग्रो' के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता की बहुत सी चीजों को उपलब्ध करा सकें। नये-नये उपकरण तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि बॉसमती चावल के लिए काफी प्रयास किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में हमने बॉसमती योजना के अंतर्गत धान के उत्पादन पर विशेष बल दिया है और काफी बड़ा परिवर्तन आया है और किसानों को निश्चित रूप से उसका लाभ हुआ है। मान्यवर, इसी तरीके से चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से शंकर धान की खेती के ऊपर, शंकर बीज के उत्पादन पर काफी जोर दे रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर हमने किसान सम्मान दिवस के रूप में किसानों को सम्मानित करने का निर्णय लिया था और उन्नतशील 283 किसनों को आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर सम्मानित करने का काम किया गया है। हमारी 27 लाख हेक्टेयर जमीन जो

अभी कृषि योग्य जमीन नहीं है। उन जमीनों को उपजाऊ बनाकर इस प्रदेश की उत्पादकता को बढ़ाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। प्रदेश में 11 लाख हेक्टेयर ऊसर जमीन थी उसमें से हमने 50 प्रतिशत से ज्यादा जमीन को उपजाऊ बना लिया है और आप उन ऊसर वाले खेतों को देखें उसमें आज कैसे धान और गेहूँ लहलहाते दिखेंगे। हमने 6 लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम किया है और जो अवशेष 5 लाख हेक्टेयर ऊसर जमीन है, उसके लिए कार्ययोजना बनाकर जल्दी ही उसे उपजाऊ बनाने का काम करेंगे। इसी प्रकार 5 लाख हेक्टेयर जमीन बीहड़ की है, उसको भी उपजाऊ बनाने की योजना है। इस जमीन को ठीक कर प्रदेश की उत्पादकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो जल-प्लावित क्षेत्र है, वहां से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करके जमीन को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश की एक-एक इंच जमीन को उपजाऊ बनाकर उसको कृषि योग्य करके किसानों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। नई बजट में हमने भूमि सेना की व्यवस्था की है। महान समाजवादी चिंतक और विचारक डा0 लोहिया के विचारों से आप जुड़े रहे हैं। डा0 लोहिया की संकल्पना थी भूमि सेना गठित करने की। उनका विचार था कि खेत में काम करने वाला उस जमीन को उपजाऊ बनाकर स्वयं खेत का मालिक बने और वह जो श्रम लगाये उस श्रम की कीमत उसको दी जाये।

डा0 अशोक वजपेयी--

मान्यवर, डा0 लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली सरकार ने उनके जीवन से प्रेरणा ली है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि भूमि सेना को कार्यान्वित करके बीहड़, बन्जर जमीन उपजाऊ बनाकर किसानों को देंगे और उसको जमीन का मालिक बनायेंगे। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हमारे बजट प्रस्तावों में है। इसी तरीके से मण्डी परिषद द्वारा हमने लगभग ढाई हजार किलोमीटर सड़क निर्माण किया है। हमारे गांव के किसान जो गांव में रहते हैं उनको अपने उत्पाद मण्डियों तक ले जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। उनको मंहगा भाड़ा देना पड़ता था। इसलिए हमने जहां रास्ते नहीं थे उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया है और उन सड़कों की गुणवत्ता किसी अन्य विभाग द्वारा बनाई सड़कों के मुकाबले कम नहीं है। इस वर्ष इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और हमने लोहिया ग्राम चयनित किये हैं। मण्डी परिषद् द्वारा पांच सौ ऐसे गांव चयनित किये गये हैं। इन गांवों में जो नयूनतम आवश्यकताएं हैं जैसे खड़ंजा, नाली, बिजली इन कामों को किया जायेगा और लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत 500 गांवों को आच्छादित करने का हमारा प्रयास है।

मान्यवर, इसी तरह से हमारी नेचुरल वाटर, रेन वाटर को संग्रहीत करने की योजना है। भूगर्भ जल स्तर निरन्तर गिरता चला जा रहा है भूगर्भ जल की एक सीमा है। उसका दोहन होगा और अगर वह रीचार्ज नहीं होगा तो जल स्तर गिरता जायेगा और किसानों के खेत की सिंचाई नहीं हो पायेगी इसीलिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की योजना बनाई है। जगह-जगह बन्धियां बनाकर उसमें पानी को संचित किया जायेगा जिससे कि वाटर रीचार्ज हो सके हमारा जो भूमि संरक्षण विभाग है इसके माध्यम से तमाम जनपदों में जो पठारी और ऊँची-नीची जमीन है वहां पर मेड़बन्दी करके जमीन को उपजाऊ बनाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, राष्ट्रीय जलागम विकास योजना के द्वारा 32 जनपदों को आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। आई0 डी0 डी0 एफ0 भूमि जल संरक्षण योजना भी महत्वपूर्ण परियोजना है। यह 103.27 करोड़ रुपये की लागत

से 46 जनपदों में संचालित की गई है। मान्यवर, भूमि सेवा योजना द्वारा 27 जनपदों में हमने ऊसर भूमि सुधार करने का निर्णय लिया है। इसमें भूमि को रि-क्लेम करके उपजाऊ बनाने की योजना है इसके लिए 809.40 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है और इसके अन्तर्गत 27 जिलों की ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के बारे में मैंने पहले आपसे निवेदन किया है किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए हमने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के द्वारा इस प्रदेश को आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। यह फसल बीमा योजना हम विकास खण्ड स्तर से न्याय पंचायत स्तर तक ले जा रहे हैं। मान्यवर, ई-गवर्नेन्स जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है इसके जरिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण और सूचना प्रणाली को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत कम्प्यूटरों को नेट वर्क से जोड़ने का फैसला लिया है। इसी प्रकार से मंडी परिषद की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का हमारा प्रयास है। मान्यवर, खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के जरिये किसानों को सहायता पहुँचाने का निर्णय लिया गया है। अगर किसानों की फसल में आग लग जाती हैं तो इस योजना द्वारा किसानों को सहायता दी जायेगी। जहां आवश्यकता है हम वहां विस्तार भी कर रहे हैं। जिससे किसान को अपने उत्पाद के विपणन में कोई कठिनाई न हो। 20 नये मण्डी स्थलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है इसमें भूमि अर्जन की कार्यवाही चल रही है। इसी तरह से किसानों के लिए 8 दुग्ध उत्पादन मण्डी समितियां 6 महानगरों में स्थापित करने जा रहे हैं। दो मैंगो पैक हाउस लखनऊ और सहारनपुर में बनाए जाएंगे जहां प्रदेश में सर्वाधिक आम होते हैं वहां पर पैकिंग की व्यवस्था होगी क्योंकि यह युग प्रेजेन्टेशन का है चाहे कितनी ही बढ़िया चीज हो जब तक पैकिंग बढ़िया नहीं होगी बाजार में उसकी खपत कम ही रहेगी और उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए लखनऊ और सहारनपुर में मैंगो पैक हाउस निर्मित किए जाएंगे जिससे विपणन का काम अच्छा हो सकेगा।

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी को कुछ सुझाव देने पर।)

डा0 अशोक बाजपेयी--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है निश्चित रूप से उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्यमंत्री जी का सुझाव सदन के संज्ञान में आ जाय।

डा0 अशोक बाजपेयी--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का आग्रह है कि रामपुर का जो चौसा और लंगड़ा एक प्रमुख उत्पादन केन्द्र है उसे भी जोड़ दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं कृषि मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने रामपुर को भी जोड़ दिया है।

डा0 अशोक बाजपेयी--

प्रदेश में 48 कृषि बाजारों को मुख्यालय से कम्प्यूटर से जोड़ दिया जायेगा जिससे किसान को कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि आज उसकी उपज का मूल्य सहारनपुर में क्या और बंगलौर में क्या है। जिससे उसको उस हिसाब से उसके उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इसी

तरह से मैक्रो मैनेजमेंट योजना में राजकीय कृषि एगमार्ग प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किया जायेगा। कृषि शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया जायेगा। आज प्रदेश में चार कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं इन कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों पर अनुसन्धान का कार्य होता है सरकार का प्रयास है कि यह विश्वविद्यालय अपनी उत्कृष्ट क्षमता के साथ कृषि क्षेत्र में अनुसन्धान का कार्य करके नई-नई कृषि तकनीकों की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराएं इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में हम एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं कृषि विज्ञान केन्द्र विश्वविद्यालय के एक परिक्षेत्र के रूप में होगा प्रत्येक विज्ञान केन्द्र में 16 वैज्ञानिक होंगे जो विभिन्न विधाओं के जानकार होंगे और वह उन्नतशील कृषि के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। यह एक क्रांतिकारी कदम है। कृषि विज्ञान केन्द्र प्रत्येक जनपद में स्थापित करके कृषकों को अत्याधुनिक कृषि की जानकारी उपलब्ध कराने का काम कर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी अभी और बजट हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी--

बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। हमारी सरकार ने कृषि के साथ-साथ पशुओं के ऊपर समुचित ध्यान दिया है। पशुपालन के लिए पशु चिकित्सा में विस्तार के लिए हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, मेरठ में एक वेटरनरी कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान होगा। उन्नतशील पशुओं के बारे में वहां के किसानों को जानकारी मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी काफी बोल चुके हैं आप।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, एक बात और कहकर मैं समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग आज के समय की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके बारे में पूरे प्रदेश के किसानों को आकर्षित करने की जरूरत है। कान्ट्रेक्ट फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग विधा है जिसमें किसान को अपनी फसल के उत्पादन से पहले उसका मूल्य निर्धारित हो जायेगा और वह उत्साह से उसमें निवेश करेगा। उस उद्यमी को जिस प्रकार के रॉ मैटीरियल चाहिए, उसके लिये वह किसान से कहेगा कि मुझे इस तरह का अच्छा धान या बासमती चाहिए और इस तरह की फसल तैयार होने पर आपको हम यह मूल्य देंगे। आलू के उत्पाद के लिये यदि कोई संयंत्र लगाते हैं तो पहले ही तय कर लेंगे कि आप इस किस्म का आलू उत्पन्न करके देंगे हम आपका आलू इस मूल्य पर खरीदेंगे। किसान को विश्वास हो जाएगा कि उसकी फसल इस तरह की होगी तो उसको यह मूल्य मिलेगा और वह पूरे का पूरा इस मूल्य पर चला जायेगा। कृषि के निवेश में उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। हम इसके लिये समुचित बल दे रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को इससे बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य मिलेगा। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों को सम्पन्न बनाने और उसको खुशहाल बनाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे मित्र यहां बैठे हैं वे कटौती की औपचारिकता का निर्वहन न कर बल्कि इस बजट का समर्थन करें।

श्री अध्यक्ष--

अंचल जी आपका बजट तो प्रस्तुत हो चुका है।

[(सहकारिता राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार)] श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, माननीय सदन के अन्दर यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये हमारी सरकार ने काफी काम किया है। मान्यवर, 166 लाख 3 हजार कृषक परिवारों को पिछली सरकार के दौरान जोड़ा गया था हमारी सरकार ने 1 लाख से अधिक मेम्बर बनाने का काम किया और 7 लाख मेम्बर बनाने की योजना सहकारिता आन्दोलन के दौरान हमारी सरकार ने की है। आपको विदित होगा कि पिछली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सहकारिता आन्दोलन को तहस-नहस कर दिया, पूरी तरह से इसको क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे कि यह फेल हो जाय। 50 प्रतिशत से अधिक इसको गत में मिला दिया और इसके काम बन्द हो गये थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि सहकारिता आन्दोलन को इतना मजबूत किया जाय कि जो डिफेक्टिव पड़ी थी उनमें काम हो जाय। 1904 में सहकारिता आन्दोलन की शुरुआत हुई थी और 1912 में सहकारिता अधिनियम उत्तर प्रदेश में कायम हुआ और 1965 में नया सहकारिता अधिनियम कायम हुआ। जब-जब मुलायम सिंह जी की सरकार बनी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने का काम किया गया है लेकिन पिछली सरकारों ने इस जलन में सहकारिता आन्दोलन को नुकसान पहुँचाया। उनकी समझ में नहीं आता है कि मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में ही यह आन्दोलन कैसे चलता है। इसलिये इसको इतना फेल कर दिया जाय, नुकसान कर दिया जाय कि किसान खाद के लिये, बीज के लिये तरस जाय। हमारी सरकार ने इसके लिये भरपूर कोशिश की है और उन्हें अच्छे बीज, खाद देने का काम किया है। वही पर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव के माध्यम से वर्ष 2004 में 1475 करोड़ रुपयें का फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य के सापेक्ष 1343.12 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया गया और 33 लाख 30 हजार लाभार्थियों को फसली ऋण देने का काम किया है।

मान्यवर इस तरीके से गत वर्ष की तुलना में 2.19 लाख लाभार्थियों की वृद्धि हुई है। सहकारी देयों की वसूली के संबंध में बताना चाहूँगा गत वर्ष में इस अवधि में की गई वसूली से धनराशि में 283 करोड़ 70 लाख रुपये अधिक वसूली हुई हैं जो 10.39 प्रतिशत अधिक हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में 31-1-05 तक 6.83 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। जो कि लक्ष्य का 97.57 प्रतिशत हुआ है। मान्यवर, हर तरीके से वितरण की व्यवस्था हमारे विभाग ने की है। धारा 11(1) के प्राविधानों में आने वाले बैंक की स्थिति में सुधार का प्रयास किया गया है। वर्तमान में 27 जिला सहकारी बैंक संदर्भित धारा 11(1) के प्राविधानों की पूर्ति नहीं कर रहे थे उक्त बैंकों में से ललितपुर बैंक नाबार्ड के वर्ष 2004 के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए निरीक्षण के आधार पर उक्त धारा के प्राविधानों की पूर्ति कर रहा है परन्तु नाबार्ड द्वारा इसे अगले वर्ष निरीक्षण के पश्चात् उक्त धारा से बाहर कर देने की सम्भावना हैं। कृषकों से संबंधित विशेष योजनाओं में 20-30 प्रतिशत बकाया की धनराशि अदा करने वालों को उनके अवशेष बकाये का कनवर्जन करते हुए उनको पुन: ऋण सुविधा देने का काम किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत 452019 बकायेदारों को 281 करोड़ 85 लाख रुपये की धनराशि चिन्हित करके देने की योजना

हमारे यहां की है। किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है 14,500 बकायेदारों में से 763 लाख 58 हजार लोगों से वसूली की गई है। जिसमें 5,238 बकायेदारों को 379.80 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है। इसी तरह से पूर्व में कृषकों को कुल वितरित किये जाने वाले ऋण का 50 प्रतिशत धनराशि नकद और 50 प्रतिशत धनराशि कृषि निवेश के रूप में दिए जाने की व्यवस्था थी लेकिन बाद में इस व्यवस्था को शिथिल करते हुए ऐसी समितियां जहां पर किन्हीं कारणों से उर्वरक कृषि निवेशों की सामयिक उपलब्धि सुनिश्चित नही हो पा रही हे ऐसे क्षेत्रों में कृषकों को ऋण सुविधा शत-प्रतिशत सुलभ कराने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास बैंकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्रामीण अंचल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है .....

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से व्यवस्था चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे हैं तो उसकी एक-एक प्रति बनवाकर सबको दिलवा दें।

श्री शारदानंद अंचल--

विभाग के आंकड़े बताना आवश्यक हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं बता रहा था तरह-तरह की योजनायें लागू की गई है समाजवादी पार्टी की सरकार है माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में प्रदेश का विकास हो रहा है। कृषि निवेश योजना के अन्तर्गत 2004-05 में फरवरी 2004 तक 20 लाख 18 हजार मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियां के माध्यम से किया गया है। 50 प्रतिशत सहकारी समितियां किसानों को खाद, बिजली, बीज देने का काम कर रही हैं। कृषि निवेश के साथ-साथ समर्थन मूल्यों के योजना के अन्तर्गत काम किया है। हमारी सरकार ने गेहूं के मूल्यों में 10 रुपये की बढ़ोत्तरी की है। किसानों को सही मूल्य दिलाने का काम किया है और यह हमने गेहूँ की खरीदारी पर किया है। धान की खरीदारी पर किया है सभी के मूल्य बढ़ाने का काम किया है। सहकारी समितियों का निर्वाचन 79 के बाद नहीं हुआ। हमने आठ हजार समितियां का चुनाव करके कर्मचारी अधिकारियों के विरोध से मान्यवर, हमारी सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के हाथ से जनता के हाथ में इन सहकारी समितियों का हक सौंपने का काम किया है। इसी तरह से भूमि विकास बैंक और अन्य संस्थाओं तथा समितियों का कार्यभार किसानों और जनता के हाथ में सौंपने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हम लोकतांत्रिक हैं, हम तानाशाह नहीं हैं इसलिए हमारी सरकार लोकतांत्रिक पद्धति से जनता के हाथ में इन सहकारी समितियों को सौंपने की योजना के तहत ही निर्वाचन का काम करवा रही है और इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है। इसी तरीके से आज हमारी सरकार द्वारा समस्त प्रकार की सहकारी समितियों के समन्वित विकास के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास योजना चयनित जनपदों में चलाई जा रही है। वाराणसी (सन्त रविदास नगर एवं चन्दौली सहित), जौनपुर, मथुरा, गोरखपुर एवं रायबरेली जनपदों में योजना का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन जनपदों में समितियों को 21 करोड़, 67 लाख, 44 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है जिससे मुख्यत:समितियों में 870 भवन निर्माण और मरम्मत के कार्य कराये गये हैं मान्यवर, वर्तमान में यह योजना 6 जनपदों बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, रामपुर, मिर्जापुर

एवं देवरिया में चलाई जा रही है। दिसम्बर, 2004 तक इन जनपदों की समितियों को 13 करोड़, 85 लाख, 41 हजार रुपये की सहायता दी गई है। मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी, बिजनौर एवं बाराबंकी में परियोजना कार्यान्वयन की स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त हो गयी है। इन जनपदों में इस योजना को वर्ष 2005-06 में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बदायूँ, गाजीपुर एवं सोनभद्र में यह योजना लागू करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करायी जा चुकी है। बलिया और इटावा में भी यह योजना लागू की जानी है और इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहमति प्राप्त हो गयी है। इसके अतिरिक्त 12 जनपदों को इस योजना से आच्छादित किये जाने हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रेषित किये गये है। जिनमें जालौन, बहराइच, लखनऊ, बरेली, सुल्तानपुर, मैनपुरी, इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद, हमीरपुर, मऊ और सिद्धार्थ नगर है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, कई बजट आज पास होने हैं।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण खाद्यान्न योजना के तहत इसके वितरण की व्यवस्था सहकारी समितियों के माध्यम से की जायेगी। पी0 सी0 एफ0 के द्वारा इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और झांसी मण्डल, ऐसे सभी 28 जिलों में समग्र ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कार्य हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, पढ़िए मत।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, हमने हर स्तर पर कोशिश की है कि सहकारिता को मजबूत बनाने का काम करें। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, इसलिए आपको इस बजट का भरपूर समर्थन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

कट-मोशन आपकी तरफ से कौन रखेगा ? बाजपेयी जी, अगर आप ग्राम्य विकास के बारे में बोलना चाहें तो बोल दें।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, ग्राम्य विकास इस सरकार की प्राथमिकता है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस प्रदेश के ग्राम्य विकास का जो मानचित्र है, इस सरकार ने तैयार किया है। मान्यवर, उसके बारे में संक्षेप में आपके सामने उसका परिचय देना चाहता हूँ। इसमें कई योजनाएं हैं, कुछ केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित हैं और कुछ योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्राम्य विकास के कार्यों में गतिशीलता देना, गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना आदि, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है और मान्यवर, इसी के चलते आज स्थिति यह है कि हमने इस वर्ष प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 72 लाख परिवार जिनमें 31.40 लाख परिवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं। मान्यवर, उन परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्षित करने हेतु विशेष प्रयास करने

का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है मान्यवर, इसके माध्यम से वर्ष 2004-05 में ढाई लाख परिवारों को स्वरोजगार देने का संकल्प था। वर्ष 2005-06 में 2 लाख 75 हजार परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत हमारी सरकार ने 17 करोड़ मानव दिवस सृजित कर ग्रामीण नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का हमारा प्रयास है और इस वित्तीय वर्ष में 17 करोड़ मानव दिवस सृजित करेंगे। काम के बदले खाद्यान्न योजना है मान्यवर, इसमें कार्य के बदले खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में गेहूँ और चावल 4.65 और 6.15 प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रति व्यक्ति को देने का निर्णय किया गया है। इस योजना में वर्ष 2004-05 में 263.78 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और 2.70 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में 551 करोड़ रुपये का प्राविधान है और इसमें 5.40 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मजदूरी के रूप उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से 10.82 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजनान्तर्गत हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को एक स्वच्छ आवास देते हैं। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना में 2.33 लाख आवास देने का लक्ष्य था। इस वर्ष इसमें बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय सम विकास योजना है इसके माध्यम से कृषि की उत्पादकता को बेहतर कराना तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को किया जाता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, बार-बार आप पीठ से इंगित कर रहे हैं निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन वह पढ़े जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आपने एक दिन पूर्व व्यवस्था दी थी कि माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य हो कृपापूर्वक उसे स्वीकार करके उसे कार्यवाही का अंग बनवा दें जिससे आपके भी निर्देश का पालन हो जाएगा।

डा0 अशोक वाजपेयी--

मान्यवर, राष्ट्रीय सम विकास योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 315 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास एवं एग्री बिजनेस की स्थापना मान्यवर, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित छोटे उद्योगों तथा अन्य धन्धों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवस्थापना सुविधा का विकास किया जाएगा। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का सही विपणन हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों के लागों को सहूलियत दी जा सके इसके लिए एग्री बिजनेस केन्द्र की स्थापना की गयी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मान्यवर, इसके माध्यम से हमने 326 करोड़ रुपये इस वर्ष व्यय करने का निर्णय लिया है। ग्रामों में उत्कृष्ट श्रेणी की सड़कें बनेंगी और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा अच्छी होगी। मान्यवर, इसके अलावा अम्बेडकर योजनान्तर्गत समाज के दबे कुचले लोगों का जीवनस्तर सुधारने का हमारी सरकार का प्रयास है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पूर्ति करने के लिए पेयजल योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में इसका पूरा अध्ययन कराया गया है इसके लिए मास्टर प्लान बना है। जहां कहीं भी शुद्ध पीने के पानी की कमी है वहां

पर हम हैण्डपम्प लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, यह सरकार की प्राथमिकता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम करे और इस पर जितना देय हो उसे हम देने का प्रयास करेंगे। लघु सिंचाई के लघु सिंचाई माध्यम से सामान्य श्रेणी के कृषकों के लिए न्यूनतम जोत सीमा 0.5 हैक्टेयर के स्थान पर 0.2 हैक्टेयर कर दी गयी है जिससे कि सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक इस योजना में अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करने हेतु पम्पसेट के क्रय में बैंको से ऋण लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए बोरिंग पर पम्पसेट लगाने की बाध्यता को शिथिल कर निम्न व्यवस्था की गयी है :--

(क) लघु कृषकों के लिए बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करना अनिवार्य रहेगा,

(ख) सीमान्त कृषकों के लिए पम्पसेट स्थापित करने की बाध्यता नहीं होगी। मान्यवर, प्रदेश में सिंचन क्षमता के सृजन में नि:शुल्क बोरिंग योजना के महत्व को देखते हुए इस योजना के परिव्यय को गत वर्ष 2004-2005 के सापेक्ष वर्ष 2005-2006 में रु0 8,39.81 लाख से बढ़ाकर रु0 11715 लाख कर दिया गया है जिससे वर्ष 2005-2006 में दो लाख बोरिंग प्रस्तावित है। इस प्रकार परिव्यय में वृद्धि 45.7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। मान्यवर, निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना में 30 मीटर तक गहरे नलकूपों का निर्माण होता है तथा गहरे नलकूपों के निर्माण की योजना में 60 मीटर से अधिक गहरे नलकूपों का निर्माण होता है। प्रदेश के एल्यूवियल क्षेत्रों में जहाँ भूजलग्राही स्ट्रेटा 31 से 60 मीटर के मध्य उपलब्ध है के लिए कोई योजना न होने के कारण बड़ी संख्या में कृषकों को लाभ नही मिल पाता था। इस समस्या के निदान हेतु राज्य सरकार के द्वारा मध्यम गहरे नलकूपों की नवीन योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसके अन्तर्गत 31 से 60 मीटर गहराई तक नलकूप निर्माण हेतु लागत का....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी इसमें छूट का प्राविधान है।

डा0 अशोक बाजपेयी--

इसमें 50 प्रतिशत छूट का प्राविधान है। इसमें हम अधिकतम 75 हजार रुपया देते है।

(ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पर्यटन मंत्री) श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, चूँकि यह मेरे से संबंधित है, इसलिए मैं बता देता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले कटौती प्रस्ताव आ जाने दें उसके बाद बता दीजियेगा।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, यह आर0 ई0 एस0 से संबंधित है इसलिए मुझे इसमें बोलने दें। यह आर0 ई0 एस0 कृषि विभाग के अंतर्गत आता है इसलिए मुझे इसमें विवरण रखने दें। मान्यवर, 1972-73 में ...

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, कृषि विभाग ग्रामीण अभियंत्रण के विभाग के अंतर्गत है या ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कृषि विभाग के अन्तर्गत है।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, मैं नियमों के अनुसार ही बोल रहा हूँ। पहले मुझे इसके बारे में बताने तो दें तब कटौती का प्रस्ताव आयेगा।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव तो आ जाने दें।

श्री कौकब हमीद--

कैसे आ जाने दें। जब तक मैं बोल कर खत्म न कर दूँ, कुछ नहीं आने का है। मान्यवर, 1972-73 में जब यह ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा डिपार्टमेण्ट शुरू हुआ तो इसकी लागत सिर्फ 05 करोड़, 20 लाख रुपये थी और मान्यवर, यह मुझे खुशी है इस बात की कि आज जितना काम हम कर रहे हैं मान्यवर, पांच सौ करोड़ की तुलना में आज हम पांच सौ पचपन करोड़ का काम कर रहे हैं। हम उसको कर रहे हैं जिसके अन्दर विधायक निधि, सांसद निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वान्चल विकास निधि के जो काम हमको मिल जाते हैं। इस डिपार्टमेण्ट का दुर्भाग्य यह है कि इस डिपार्टमेण्ट का अपना कोई बजट नही है। मान्यवर पांच करोड़ से आज 555 करोड़ का काम इस मद में हम लोग कर रहे हैं, दूसरा काम हम लोग प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत करते है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में मान्यवर, हमें पूरे प्रदेश में सिर्फ 14 जिले करवाने थे बाकी पी0 डब्लू0 डी0 करता था। इस योजना के अन्तर्गत हमने पिछले वर्ष 93 करोड़ का काम किया है उसके बाद 2002-2003 में हमें भारत सरकार से पैसा नहीं मिला। 2003-2004 के अन्दर आज हम 30 जिले कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ से कुछ हो गया है, मुझे सबसे ज्यादा फख्र इस बात का है कि इस योजना के अन्तर्गत जो काम किया जाता है उसकी मानीटरिंग अलग-अलग स्टेट से आये मानीटर करते हैं। हमारे द्वारा जो काम किया गया उसको तीन मानीटर अलग-अलग स्टेट से देखने आते हैं और उन्होंने हमारे द्वारा किए गए कार्य की प्रशन्सा की, इसलिए हमें 16 जिले और मिले। आज यह डिपार्टमेण्ट 30 जिलों में काम कर रहा है। 2003-2004 में हमें इस काम के लिए 306 करोड़ रुपये मिले, जिसके अन्तर्गत 653 सड़कें हमने बनाई जिसकी लम्बाई 1315 किमी0 है, अभी काम चल रहा है। 2002-2003 के अन्तर्गत जो हमने 98 करोड़ का काम किया था उसमें 225 सड़कें बनी थी और उसकी लम्बाई 480 किमी0 थी, यह हमारा योगदान है जो हमने प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत खर्च किया है। जो विश्व बैंक से 15 जिले अतिरिक्त और मिले है, इस तीस जिलों से अलग, उसमें जौनपुर, बरेली, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बाराबंकी, फिरोजाबाद, इटावा, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूँ, कुशीनगर, उन्नाव और बांदा आदि है और उनके अन्दर 152 करोड़ का काम जो विश्व बैंक की स्कीम है उसके अन्तर्गत करेंगे। जिसके अन्तर्गत 258 सड़कें, 442 किमी0 की लम्बी होंगी। कहने का मकसद यह है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा डिपार्टमेण्ट एक अच्छा काम कर रही है। इसकी दिक्कतें अपनी अलग हैं। इसका अपना कोई बजट नही है, जो सड़के हम बना देते हैं उन सड़कों की रख-रखाव के लिए हमारे पास कुछ नही होता है, हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसके लिए हमें बजट अलग से मिले। जो काम हम कर रहे हैं और जहाँ-जहाँ हमारी शिकायतें आई है उनके ऊपर हमने कार्यवाही भी की है,

एक-आध सस्पेन्शन भी हुए है और कार्यवाही चलती रहती है जिसकी शिकायतें आती हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री सड़क योजना का मकसद है उस पर गुड लेना भी अच्छा नहीं माना जायेगा। वेरी गुड और एक्सीलेंट न हो तब तक उनको पास नहीं किया जाता है वह पास नहीं हो पाता है उसे सर्टिफिकेट आफ पास नहीं मिलता है जब तक एक्सीलेंट न हो।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करत हूं कि अनुदान संख्या 11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं अपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं डेढ़ घंटे से माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री और माननीय कोकब हमीद जी ने, जो अपने भाषणों में बातें रखी, उनको सुन रहा था। कृषि मंत्री जी ने अभी कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने जो नहीं किया वह उनकी सरकार करने जा रही है। उन्होंने एक कृषि नीति बनायी है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के कृषकों को लाभान्वित करेंगे। कृषि नीति की उन्होंने घोषणा की। मान्यवर, पहले भी इनके पास काफी अच्छे विभाग रह चुके हैं उच्च शिक्षा विभाग रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से किसानों को गुमराह करने का काम किया है। वे कह रहे थे कि उन्होंने किसानों को उनकी उपज के समर्थन मूल्य का पूरा-पूरा पैसा दिलाया है। गेहूँ की फसल तैयार है, आपने एक शब्द कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप प्रदेश में गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन करने जा रहे है। जितनी अच्छी परिस्थितियां आज है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि न तो डीजल का ज्यादा खर्च हुआ है और न खाद डालनी पड़ी है। समय-समय पर बारिश जो हो गयी है। यह कुछ प्रकृति की देन थी इससे अच्छी परिस्थिति नहीं हो सकती है। गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन यहाँ होने जा रहा है यह बात सच है इसको कोई रोक नहीं सकता है अगर प्रकृति कोई छलावा न कर दे। कभी बादल आते है कभी बर्फ पड़ जाती है। मान्यवर, मैं निन्दा करना चाहता हूँ कि गेहूँ का सग्र्थन मूल्य 10 रुपये प्रति किवंटल बढ़ाने की बात कही गयी है। एक तरफ आप किसानों को लाभ देने की बात कह रहे हैं। दस रुपये बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। 25 रु0 या 50 रु0 समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए था। मृदा परीक्षण का काम आपने शुरू कराया है यह सही है वह कार्य चल रहा है। यह कार्य उन किसानों का हो रहा है जो विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुँच रखते हैं। उन किसानों का नहीं हो रहा है जो सीमान्त या लघु कृषक है। आप यह निर्देश दें कि जो ढाई एकड़ या पांच एकड़ जोत वाले कृषक हैं उनके घर तक मोबाइल लेबोरेट्री वाले जायेंगे आपके कर्मचारी जायेंगे और मृदा परीक्षण कर उन्हें बतायेंगे कि कितनी सल्फर डालें, कितनी फास्फेट और कितनी यूरिया डालनी है। इससे निश्चित रूप से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। आपने कहा कि आप हर न्याय पंचायत में एक कृषि सहायक रखने जा रहे हैं। मैं उसकी सराहना

करना चाहता हूँ अगर निश्चित रूप से न्याय पंचायत स्तर पर एक कृषि सहायक रहेगा और उसकी आप मानिटरिंग करते रहेंगे तो जिस मन्तव्य से आपने कृषि सहायक रखने की बात कही है उसका एक सार्थक परिणाम आयेगा। लोगों को जानकारी मिलेगी। तमाम योजनायें ऐसी होती है जो शासन स्तर से जाती है बड़े-बड़े कृषक उनका लाभ उठा लेते है। शासन की मंशा होती है कि सबसे पिछड़े व्यक्ति को निचले व्यक्ति को सहायता दी जाय।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुये)

डा0 विनोद तिवारी--

कोई अधिक व्यवस्था ऐसी नहीं बनती है। मैं आलोचना के तौर पर नहीं कहना चाहता हूँ मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि ये लोग उस व्यक्ति तक जाय जो एक एकड़, दो एकड़, तीन एकड़ की जोत के हों उसको किसान सहायक नई-नई जानकारी दे ताकि इसका सार्थक परिणाम हो सके। माननीय मंत्री जी अभी आपने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होता था उससे तरह-तरह के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग व्यापार की दृष्टि से गेहूँ और धान की खेती करते हैं और अपने खाने के लिए गेहूँ धान अलग से बोते हैं और उसमें हरी खाद, गोबर की खाद डालते हैं। आपने कहा कि जैविक कृषि की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। जैविक, उर्वरक और कीटनाशक की तरफ ध्यान दे रहे है। मेरे यहाँ कृषि मेला लगा था और जिला कृषि अधिकारी ने मुझे आमंत्रित किया था और मैंने उस कृषि मेले का उद्घाटन किया था। वहाँ पर मेले में बहुत बड़ी संख्या में किसान आये थे और उन्होंने रुचि भी ली थी। मैं कहना चाहता हूँ कि मात्र 10 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहाँ जैविक कीटनाशक और उर्वरक की जानकारी किसानों को है। देहात में रहने वाला जो छोटा किसान है उसको इसकी जानकारी नहीं है। आप कृषि सहायक को निर्देशित करें कि वह जाकर उनको शिक्षा दें, लिफ्लैट, पेम्फलेट उन कृषकों तक पहुँचे। आपने कृषि मेला लगवाया, अच्छा कार्य किया है जिस तरह से कृषि मेला जिलों में आयोजन करा रहें हैं, वह अच्छा कार्य है। मैं तो कहता हूँ हर विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को यह जानकारी रहनी चाहिए इसके अच्छे परिणाम आयेंगे।

आपने मंडी परिषद के बारे में कहा कि मंडी परिषद ने पिछले दिनों ढाई हजार किलोमीटर सड़के बनाई, मैं गुणवत्ता के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, गुणवत्ता आप जानते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कोई कमाए और कोई खाए। जो सड़के आप बनवा रहे हैं वह उन क्षेत्रों में बननी चाहिए जहाँ से मंडी समिति की इन्कम हो उस क्षेत्र के कृषकों को लाभ मिलना चाहिए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो गेहूँ और धान की खेती में अग्रणी है। इसमें पिछले साल हमारी मांग रही है लेकिन खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि जब सड़कों की बात आती है तो जो मंडी समिति हैं उसके पास पैसा है पिछली बार भी उसके किसानों को लाभ नहीं मिला है। 3 किलोमीटर सड़क जो आसाम बस्ती मार्ग से मंडी की ओर जाती है वह निर्माण करा दिया जाय। इसमें बड़े-बड़े गड्ढे हैं लेकिन मंडी समिति के पास पैसा पर्याप्त होने के बाद वह 3 कि0मी0 का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, उससे कृषकों को भी नुकसान हो रहा है मंडी समिति को भी नुकसान हो रहा है। 3 बार प्रस्ताव आया, मैं करके दे चुका हूँ, कृषि मंडी के पास पैसा है तो क्या वजह है कि मंडी समिति की वह रोड नहीं बन पा रही है। मान्यवर, इससे मंडी समिति की आय होगी। 12 जिलों को बासमती चावल के उत्पादन के लिए आपने चयन किया है।

मेरा कहना है कि वह सब पश्चिमी क्षेत्र के हैं जबकि यह पीलीभीत लखीमपुर तराई में है, तराई के बेल्ट में हैं। हमारे यहां जहानाबाद बेल्ट है, पूरनपुर बेल्ट है, पूरनपुर में अच्छे किस्म का चावल होता है, उसको सम्मिलित किया है, यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर नहीं सम्मिलित किया है तो पीलीभीत के लोगों को हक है, आप उसको सम्मिलित करें। समर्थन मूल्य योजना के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी धान की खरीद हुई आपने इसमें से रोक हटाई, उत्तरांचल या अन्य प्रदेशों में धान जा सकता है कृषकों के हित में वह निर्णय दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि फिर भी धान की फसल का कुछ न कुछ समर्थन मूल्य का लाभ कृषकों को हुआ है। लेकिन अब जो बम्बर क्राप गेहूँ की होने जा रही है, वास्तव में होने जा रही है, मैं उसके संबंध में आगाह करना चाहता हूँ कि आप यह ध्यान रखें कि जो गेहूँ का समर्थन मूल्य है, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके, इसके संबंध में मैं अपने जनपद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वहाँ पर बड़े-बड़े बिचौलिये आर0 एफ0 सी0 क्रय केन्द्र कर्मचारियों से मिल लेते हैं और इन क्रय केन्द्रों पर उन्हीं बिचौलियों का गेहूँ तौला जाता है और किसानों का गेहूँ नहीं तौला जाता है। इस बार जबकि बम्बर क्राप होने जा रही है तो आप स्वयं दौरा करें और किसी की न सुनें और जो भी कर्मचारी इस गड़बड़ में लिप्त पाये जायें, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिये। चाहे वह आपके आर0 एफ0 सी0 या पी0 सी0 एफ0 के क्रय केन्द्र हों। पूरा लाभ बिचौलिये उठाते हैं और साधारण कृषकों को समर्थन मूल्य का लाभ पूरा-पूरा नहीं मिल पाता है। मान्यवर, गन्ना मूल्य के बारे में आपने कहा कि 12 रुपये बढ़ाया। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समय मायावती जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी समर्थक दल था, उस समय आपकी पार्टी ने मांग की थी कि गन्ने का क्रय मूल्य 125 रुपये होना चाहिये। लेकिन आपने मात्र 12 रुपये बढ़ाया है। आप यह देख लें कि इस समय चीनी का रेट क्या है ? मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हों, चाहे तराई बेल्ट के किसान हों या पूर्वान्चल के किसान हों, इससे किसान लाभान्वित नहीं हुआ है बल्कि जो बड़े पूँजीपति हैं, प्राइवेट चीनी मिल वाले निश्चित रूप से लाभान्वित हुये हैं। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। अगर आपने किसानों के हित के लिये कोई चीज की है तो उसका लाभ यह चीनी मिल वाले न उठायें। मान्यवर, आपने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी कहा, यह एक अच्छी योजना है।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय तिवारी जी विद्वान सदस्य है। आज जो बजट रखा गया है, उसकी कटौती पर बोलते हुये गन्ना, चीनी, आबकारी आदि सारे विषयों पर वह अपनी राय रखना चाहते हैं, वैसे तो वह हमारा ज्ञानार्जन कर रहे है, हम लोगों का इससे ज्ञान ही बढ़ रहा है, लेकिन यह विषय उससे संबंधित नहीं है।

डा0 विनोद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जब डा0 अशोक बाजपेयी जी बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो उस समय माननीय चौधरी साहब संभवत: यहां नहीं थे। उन्होंने गन्ना के बारे में स्वयं कहा, इसलिये मैंने कटौती प्रस्ताव में उसका जवाब देना उचित समझा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

जब माननीय मंत्री जी ने कहा है तो फिर मजबूरी है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, इस सदन में सर्वोच्च स्तर का हम लोगों को बाकस्वातंत्रय प्राप्त है, इस वाक्स्वातंत्रय के अन्तर्गत हम कुछ भी कहे तो कोई कानून हिन्दुस्तान का ऐसा नहीं है जो हमें यह कहने से रोके। लेकिन मैं माननीय तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि आपके कुछ प्रशंसक इधर भी बैठे हैं, हम आपकी तारीफ करने वाले लोग है।

डा0 विनोद तिवारी--

धन्यवाद, राजस्व मंत्री जी, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरे प्रशंसकों में से है। तो मान्यवर, मैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल रहा था, यह बहुत अच्छी योजना है लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय कृषि मंत्री जी से, कि जैसा मैंने पहले कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी केवल पढ़े-लिखे फारमर्स को ही है। छोटे किसान इसके बारे में नही जानते हैं, उनको भी इसकी जानकारी हो, इस दिशा में आप प्रयास करें जिससे उन किसानों को भी उसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, आपने फसल बीमा योजना शुरू की, यह आपका बहुत अच्छा कदम है और सराहना योग्य कदम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना में जब किसान की फसल का नुकसान होता है, उसमें आपने इतनी फारमेलटीज लगा दी है कि किसान उसमें परेशान हो जाता है। अभी पिछले दिनों की बात बता रहा हूं। एस0डी0एम0, पूरनपुर क्षेत्र में एक हादसा हो गया, मैं गया, उन्होंने कहा कि एफ0आई0आर0 लिखाइये, पोस्टमार्टम के लिये ले जाइये। तो उसने कहा कि मेरे पास ट्रैक्टर ट्राली नहीं है मैं कैसे 38 किमी0 जा सकता हूं। थाने जाने से भी आदमी बचना चाहता है तो जब तक यह सारी फारमेलटीज आदमी पूरी नहीं करता, उसको योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिये इसको प्रभावी बनाने का प्रयास करें ताकि जिसको इसका लाभ पहुंचना है, उसे इसका लाभ मिल सके। आपने लोहिया ग्राम के बारे में कहा 500 ग्रामों का चयन आप लोहिया ग्राम में कर रहे हैं, मैंने भी एक ग्राम रमनगरा का प्रस्ताव दिया था, जो कि नेपाल के बार्डर पर है और माओवादी क्षेत्र है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि उसका क्या हुआ, लोहिया ग्राम में किनका चयन हुआ और किनका चयन नहीं हुआ, माननीय मंत्री जी जब इस पर बोलें तो कृपा करके इसके बारे में भी बतायें, मैं पिछले दिनों आपसे मिला था और कहा था कि भूमि संरक्षण का कार्य किसानों के लिए बहुत आवश्यक है, खासतौर से तराई के क्षेत्रों में जो नाले बहते हैं, नदियां बहती है, वहाँ पर भूमि संरक्षण विभाग एक नाला खोद देता है तो सैकड़ों एकड़ जमीन निकल आती है। आपने इस कार्य को मंडल स्तर पर कर दिया है, हमने भी आपको एक प्रस्ताव दिया था और आपने उसे मंडल स्तर पर भेज दिया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इसे जिला स्तर पर भी लागू करें तो इससे किसानों को अवश्य लाभ हो सकता है। अन्यथा इन चीजों की मानीटरिंग करें कि जहाँ पर नाले खुदवाने की जरूरत हो, वहाँ पर आपके अधिकारी जाएं, देखें, प्रस्ताव भेजें और आप उसे अनुमति दें। इसके साथ ही साथ कृषि शिक्षा के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है, तो कृषि शिक्षा की ओर भी आपको ध्यान देना होगा और ऐसे जिलों में चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो या पीलीभीत जैसा जिला हो, जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ पर पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके,

शिक्षा प्राप्त करायी जा सके, वहां पर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए। कम से कम इण्टरमीडिएट तक तो यह शिक्षा अवश्य ही दी जानी चाहिए। मान्यवर, पूरनपुर क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र है, अगर वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय खोल दिया जाए तो तराई के क्षेत्रों को उससे बहुत लाभ पहुंचेगा। आपने जिक्र किया खलिहान बीमा योजना का। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह तो मात्र एक छलावा है, क्योंकि अब तो किसान की फसल खलिहानों में रहती ही नही है, अब फसलों की थ्रेसिंग हो जाती है, इसलिए यह तो बजट भाषण में चमक लाने के लिए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। ग्राम विकास योजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र पर निगाह डालें, जो पात्र व्यक्ति है, उनको आवास नहीं दिये जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों की अपने जनपद की बात बताना चाहता हूं कि ऐसे गांवों में जहाँ 150 आवास दिये गये थे, वहीं पर 156 आवास फिर दिये गये, मेरा स्पष्ट आरोप है कि 150 में से केवल 08 आवास ही बनाये गये और 148 आवास बनाये ही नहीं गये, जबकि पैसा पूरा निर्गत हो गया है। आप इसका फिजिकल वेरीफिकेशन करवा लें तो आधा फर्जी मिलेगा। काम के बदले अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, यह सारी योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो खाद्यान्न आता है, वह न तो वहाँ के लेबर को मिलता है और न ही किसी सही पात्र तक पहुंचता है, बल्कि यह सारा का सारा ठेकेदारों की जेबों में चला जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने दो जगह पर कार्यवाही की है। प्रिन्ट मीडिया, टेलीविजन, तमाम चैनलों में खाद्यान्न घोटालों की चर्चा होती है। मान्यवर, यहाँ का गेहूं नेपाल और बांग्लादेश को जा रहा है, आप इस पर कार्यवाही करें। जिस गेहूं का वितरण खेतिहर मजदूरों में होना चाहिए, जिसके लिए आप दे रहे हैं या केन्द्र सरकार की योजना है, वह उनको नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि यह अच्छी योजना है और अच्छे मानक की सड़कें बन रही है। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं और इस विधान सभा के 403 माननीय सदस्य हैं, सभी इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना की सड़क का जब उद्घाटन होता है तो केवल क्षेत्रीय सांसद ही उसका उद्घाटन करते हैं, उस पत्थर पर क्षेत्रीय विधायक का नाम नही होता है।

मान्यवर, इससे पहले इस बात को हमारे पक्ष और विपक्ष के साथी उठा चुके हैं और दो बार सर्कुलर भी जारी हो चुका है, परन्तु मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्षेत्रीय विधायकों की न तो भागीदारी होती है और न पत्थरों पर नाम होता है। माननीय कौकब हमीद का ध्यान अपने जनपद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जब मैंने वहाँ इस बात को आर0ई0एस0 से कहा तो उन्होंने कहा कि सांसद महोदय कह रहे हैं कि विधायकों का नाम नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बैठ करके निर्णय हो गया, जब पत्रावली मांगी गयी तो आज तक नहीं आयी है। मान्यवर, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर सांसद चुनकर आया है तो पक्ष-विपक्ष के माननीय विधायक भी जनता के बीच से चुनकर आते हैं इसलिए मा0 विधायकों की भागीदारी होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने उत्तर भाषण में इस चीज को निश्चित रूप से कहें कि क्षेत्रीय विधायकों की भागीदारी इन चीजों में होगी या नहीं ? समग्र विकास योजना में मा0 अम्बिका चौधरी साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 10-10 गांव आपने दिये है लेकिन कहना चाहूंगा कि 16 प्वाइंट से आच्छादित करने की बात है तो कहीं काम हो रहा है और कही नहीं हो रहा है। जब आपने समग्र विकास में 10-10 गांव हर विधायक के क्षेत्र से लिये हैं तो जो 16 प्वाइंट है उनसे आच्छादित होना

चाहिए। लेकिन केवल समग्र विकास, समग्र विकास कहने से बात बनने वाली नहीं है। आप इसको गंभीरता से देखें और अगर उसके लिए बजट नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें। आर0ई0एस0 के बारे में कौकब हमीद जी ने कहा कि हमारा विभाग काफी जनपदों को कवर कर रहा है। मुझे भी इसकी जानकारी है। कौकब साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि यह हमारे पुराने मित्र रहे हैं। मैंने सोचा कि आपके पास विभाग है तो अच्छा काम होगा, दो वर्षों के विधायक निधि का पैसा आर0ई0एस0 को दिया था। लेकिन कहीं एलाइनमेंट चेंज कर दिया, कहीं उत्तर से पूरब बना दिया और कहीं पूरब से उत्तर बना दिया। जब विधायक निधि का पैसा है तो जहाँ से प्रस्ताव कराया गया वहाँ से बनना चाहिए और इसकी वजह से सारा काम रोक दिया है और कहा है कि और किसी संस्था से कराऊंगा। मेरी शुभकामना है कि आपका काम और आगे बढ़े लेकिन इन बिन्दुओं को निश्चित रूप से देखने का काम करें।

मान्यवर, समय कम है। मा0 अधिष्ठाता महोदय यह कहने लगेंगे कि अभी पर्यटन और सिंचाई विभाग का बजट आना है उस पर अपनी बात रखियेगा इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मान्यवर, सहकारिता के बारे में कहना चाहता हूं मुझे खुशी है और उस दिन खुशी भी हुई थी जब एक को-आपरेटर मुख्य मंत्री के कुर्सी पर बैठे। माननीय मुलायम सिंह यादव, हमेशा कोआपरेटिव की बात करने वाले जब सत्ता में आये तो उसे भूल गये। आज तक सहकारिता का चुनाव नहीं हुआ, अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। एक साल से प्रशासक बैठे हुये थे, कहीं-कहीं पर आप अपने दल के लोगों को खुश करने के लिए प्रशासक बनाकर बैठा रखा है। अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस चुनाव प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराया जाये क्योंकि जब जनप्रतिनिधि बैठेगा तो अच्छी सेवा हो सकेगी। अभी राज्यमंत्री जी कह रहे थे कि चुनाव शुरू करा दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि देर आये दुरुस्त आये इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहाँ पर शिक्षा नहीं होगी, वहाँ पर कुछ नहीं हो सकेगा।

सहकारिता के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाये अगर नहीं किया जायेगा तो यह आन्दोलन का रूप नहीं लेगा। चाहे हरित क्रान्ति हो, श्वेत क्रान्ति हो, यह क्रान्तियां सहकारिता के बदौलत आई है मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन के द्वारा 8 ट्रेनिंग कालेज चल रहे थे। इनको जो अनुदान मिलता था विगत दिनों उसको बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन का अध्यक्ष होने का अवसर मुझे मिला है चाहे मेरी सरकार रही हो, चाहे विपक्ष की सरकार रही हो इनके चलाने के बारे में आश्वासन दिये गये हैं लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा और आज तक इनको अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, विद्यालय के अनुदान से सहकारिता का क्या मतलब है ?

श्री अधिष्ठाता--

यह सहकारिता विभाग से संबंधित विद्यालय हैं।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मेरी मांग है कि इन आठों ट्रेनिंग कालेजों को अनुदान दिलाने का कष्ट करें ताकि लोगों को सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षित किया जा सके। सहकारिता क्षेत्र से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं किसानों का सहकारिता से चोली दामन का साथ रहा है। पिछले दिनों मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था।

एक जाति, एक धर्म के बारह लोगों की नियुक्ति करके उसी दिन यू0पी0सी0बी0 में ज्वाइन करा दिया गया है। हमारी व्यवस्था में हर जाति, मजहब के लोगों को नौकरी पाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से बिना प्रापर चैनल के नियुक्तियां की गयी इस पर मुझे एतराज है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह जो 2005-2006 का बजट रखा गया है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में सहकारिता के बारे में एक शब्द या एक लाइन भी नहीं कही गयी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि किसानों और सहकारिता की बात करने वाली सरकार का बजट इस तरह से बनाया गया कि उसमें सहकारिता के बारे में एक लाइन या एक शब्द नहीं कहा गया है।

इसके बारे में आप दिखवायें, यह कहाँ से और कैसे हुआ है ?

माननीय चौधरी साहब अभी हस्तक्षेप कर रहे थे। वह हमसे ज्यादा प्यार करते हैं बड़े भाई होने के नाते।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने जो मूलभूत चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है उनके बारे में बजट भाषण का उत्तर देते समय मुझे उस संबंध में बताने की कृपा करें। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप कुमार वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जनपद बहराइच में निर्जीव पड़ी सोसायटियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन सबको चलाने के लिए मंत्री जी कृपा करें। मैं आपके माध्यम से आर0ई0एस0 के मंत्री जी से कहना चाहता हूं जनपद बहराइच में सांसद निधि और विधायक निधि से, पूर्वांचल निधि का पैसा वहाँ के आर0ई0एस0 के अधिशासी अभियन्ता ने दूसरी मद में खर्च कर लिया जिससे वहाँ विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं आपने उस इंजीनियर का फैजाबाद में स्थानान्तरण कर दिया लेकिन उसको तो सजा देनी चाहिए वह सजा का हकदार है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मुंशीलाल गौतम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री विनोद तिवारी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। यह बजट तथ्यहीन है, दिशा हीन है माननीय मंत्री जी जो कृषि के बारे में ढ़िढोरा पीट रहे हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह खेती के बारे में अनुभवी हैं वह गांव से आते हैं उन्होंने हल चलाया होगा मंत्री जी को खेती के बारे में जानकारी होगी गेंहू की फसल बोने से पहले उसमें पलेवा लगाई जाती है उसके बाद उसकी जुताई की जाती है, बुआई की जाती है उसमें सिंचाई की जाती है किसान सर्दी गर्मी और बरसात में सब सहकर गेहूं की फसल तैयार करता है और गेहूं जब बाजार में आता है तो उसको वाजिब दाम

नहीं मिलता है पिछले वर्ष जो गेहूं का दाम 630 रुपये कुन्तल था वही दाम आज भी है। अभी आपने 10 रुपये प्रति कुन्तल बढ़ाये हैं। पिछली बार खुले बाजार में गेहूं मंहगा था इसलिए किसान आपके खरीद केन्द्र पर गेहूं नहीं लाया और उसने मण्डियों में बेच दिया। आज दलहन, तिलहन की पैदावार खत्म होती जा रही है। चने की तो यह हालत हो गयी है कि कहीं चने का साग खाने को नहीं मिल रहा है। किसी भी एरिया में चले जायें गौतम बुद्ध नगर, बुलन्द शहर से लेकर अलीगढ़ में कहीं चना नहीं दिखेगा मुझे अलीगढ़ में चने का एक छोटा सा खेत दिखा था बाकी चना कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पशुपालन के बारे में मंत्री जी ने कहा।

श्री अध्यक्षता--

यह पशुपालन विभाग का बजट नही है। जब पशुपालन विभाग का बजट आये तब इस संबंध में अपने विचार रखें। कृपया निर्धारित समय में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुंशीलाल गौतम--

पशुओं के गला घोटू खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है लेकिन उसकी दवा नहीं मिलती है। खेती के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है क्योंकि किसान तो मिट्टी के ढेले में लात मारकर पता लगा लेता है कि खेत बुआई के लायक है कि नहीं। आपके जो ए0डी0ओ0 कृषि हैं वह मौके पर जाते नहीं हैं वह जाकर देखें कि खेत में कौन सा रोग लगा है और कौन सी दवाइयां देनी है। किसान तो इतना भोला-भाला होता है कि वह मण्डी में अपनी उपज लेकर जाता है वह दूर बैठा रहता है और व्यापारी आपस में बातचीत करके उसकी उपज ले लेते हैं और उससे हां करवा लेते हैं। किसान की जब उपज होती है तो उसके पास जो जाता है तो वह एक दो टोकरी गेहूं मांगने पर दे देता है लेकिन भूसे को तौलेगा।

भूसे के लिए अन्टी सम्भालेगा लेकिन उसको गेहूं का सही दाम नहीं मिलेगा। किसानों को अच्छे बीज, खाद, बिजली पानी मिल जाय तो हमारे प्रदेश का किसान तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा इससे हमको राजस्व भी अच्छा प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्षता--

अब समाप्त करें।

श्री मुंशीलाल गौतम--

मान्यवर, आप देख रहे हैं किस तरह की सब्जियां आज आ रही हैं। आप भी सब्जी खाते होंगे। लौकी ही आप देखिये किस तरह की खाद का इस्तेमाल हो रहा है कि दिन रात में वह इंजेक्शन से बढ़ जाती है लेकिन उसका स्वाद कितना खराब है। इसी तरह से आप देखिये बछिया जो होती है उसको इन्जेक्शन लगाकर उससे दूध प्राप्त किया जा रहा है और उसमें कोई टेस्ट नहीं है। इस तरह से मेरा कहना है कि अनेक तरह की विषैली दवाइयों, खाद आदि का प्रयोग किया जा रहा है जिसको रोकना आवश्यक है। मैं अन्त में इतना कहना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको भी आप शमिल करें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

*श्री जियाउद्दीन रिज़वी--

मान्यवर, कृषि, सहकारिता और ग्राम्य विकास विभाग के बजट जो कि माननीय डा0 अशोक बाजपेई, माननीय शारदानन्द अंचल और माननीय कौकब हमीद द्वारा रखे गये हैं, के पक्ष में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे कृषि मंत्री बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इनके जमाने में जब से इन्होंने कृषि मंत्रालय का कार्य भार सम्भाला है तब से जो हमारी सोच थी उसमें तरक्की हुई है। चौधरी चरण सिंह जी के देश की खुशहाली का रास्ता खेतों से और खलिहानों से होकर गुजरता है। चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे कि 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और किसानी उसका मुख्य पेशा है। किसान अगर फटेहाल होगा तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। इस सपने को साकार करने के लिये माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत हुआ है और विभागों के जो बजट प्रस्तुत किये गये हैं आप सभी देख रहे हैं कि इसमें विपक्ष के लोगों की कोई रूचि भी नहीं रह गई है। जब हम लोग उस साइड बैठते थे और जब बजट पेश होता था तो उसमें रूचि लेते थे और आपके सामने 12 बजे तक बजट पर चर्चा हुई है और कटौती के प्रस्ताव भी खूब रखे जाते थे। इतनी कमियां होती थी कि हम लोग बहुत सुझाव देते थे।

आज हमारे विपक्ष के साथी इसमें कोई रूचि नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वे जान रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने खजाने का मुंह गांव की तरफ खोल दिया है। कृषि, सहकारिता, पशु पालन, पी0डब्ल्यू0डी0 या कोई भी सेक्टर हो, राजस्व हो, तमाम योजनायें जो बनाई जा रही हैं वे पूरी तरह से गांव पर आधारित हैं। गांव का आम आदमी खेत पर काम करता है। पसीना ऊपर से नीचे आता है। रात के कड़े जाड़े में खेत में पानी लगाने का काम करता है। ऐसे आदमी के बारे में पहली बार किसी ने सोचा है तो वह हमारी माननीय मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने सोचने का काम किया है। अभी विनोद तिवारी जी कह रहे थे कि गेहूं का मूल्य 10 रुपये बढ़ाया है तो कौन सा बड़ा काम किया है। आपकी भी सरकार रही है। आपके सहकारिता मंत्री थे, उनके परिवार का एक सदस्य ने आन्दोलन करके तमाम बड़े-बड़े बैंक को लूट लिया। तमाम कठिनाइयां हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई है इस क्षेत्र में काम हुए हैं। डा0 लोहिया और चौधरी साहब की सहकारिता के क्षेत्र में जो सोच थी उसमें गुणात्मक परिवर्तन किया गया है। आज उस रास्ते पर चलकर सहकारिता को पुर्नःजीवित ही नहीं किया बल्कि उसको तेज धारदार बनाने का काम किया है। आज जो कोआपरेटिव सोसाइटी 90 प्रतिशत बन्द पड़ी थी वह किसके जमाने में बन्द हुई थीं ? किसकी सरकार थी उस समय ? तीन टर्म आप थे, आपकी बहिन जी थी। आपने कोआपरेटिव का मतलब नहीं समझा कि यह क्यों बनाई गई हैं ? इनका क्या उद्देश्य हैं ? इनका क्या काम है, क्या लक्ष्य है ? डा0 लोहिया ने चौखम्बा राज्य का सपना देखा था।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

चौधरी चरण सिंह ने गांव की वकालत इसलिए की थी कि गांव के किसान खुशहाल होंगे। पिछली सरकारों ने हमेशा कोआपरेटिव पर रोलर चलवाने का काम किया। कृषि पर रोलर चलवाने का काम किया। पिछली सरकारों में विकास का काम कहां हुआ ? ट्रांसफर, पोस्टिंग में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास का कार्य हुआ। मंत्रियों के विकास का कार्य हुआ। व्यक्तियों का विकास हुआ लेकिन हमारी सरकार में मुलायम सिंह यादव की सरकार में, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछली बार धान की खरीदारी हुई गेहूं की खरीदारी हुई उसके पहले के आंकड़े मंगा लें। अखबारों की कतरनें हमारे पास हैं उस समय किसान क्रय केन्दों पर गेहूं लेकर जाता था तो उसकी खरीदारी नहीं होती थी वहां व्यापारी और बिचौलिये जाते थे वह खरीदारी करते थे। किसान मारा-मारा फिरता था। न उसके धान की खरीदारी होती थी न उसके गेहूं की खरीदारी होती थी।

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में किसान सीधा जाता है जहां उसका क्रय केन्द्र है वहां किसान धान और गेहूं देता है और धनराशि लेता है। किसानों को मुनासिब धनराशि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतने बड़े प्राविधान हुए हैं। मान्यवर, फ्री बोरिंग के बारे में कहना चाहूंगा चाहे वह कल्याण सिंह का राज्य रहा हो, चाहे राजनाथ सिंह का राज्य रहा हो, किसी के राज्य में ऐसा नहीं आ जैसा इस सरकार में हुआ है इनके राज्य में गरीब आदमी बोरिंग नहीं करा पाता था बोरिंग कराने वाले किसानों पर भार रखा गया था यह व्यवस्था उस समय थी कि जो किसान बोरिंग करायेगा उसको इंजन लेना पड़ेगा। लाखों किसान बोरिंग नहीं करा पाते थे। हमारी सरकार ने एक बड़ा और क्रान्तिकारी कदम उठाने का काम किया है हमारी सरकार ने बोरिंग फ्री कर दी। किसान इंजन ले या न ले बोरिंग करा सकता है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है। यह निर्णय समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिया है इसको पूरा देश प्रदेश देख रहा है.....

श्री अध्यक्ष--

अब बैठ जायें।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी--

समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जो किसान गांव मे काम करते हैं। रात और दिन काम करते हैं उनको गौरवान्वित किया है हमारी सरकार के नेतृत्व में.....

श्री अध्यक्ष--

समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी--

हमारी सरकार डा0 लोहिया जी और चौधरी चरण सिंह जी के रास्ते पर कार्य कर रही है। हमारी सरकार आम आदमी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। गरीब आदमी की झोपड़ी में रोशनी पहुंचाने का काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी--

इसी के साथ डा0 अशोक बाजपेयी जी, शारदानन्द अंचल और कौकब हमीद जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं ऐसा बजट आज तक के इतिहास में प्रस्तुत नहीं हुआ है।

*श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिनांक 4 मार्च को पूरे बुन्देलखण्ड में रात में भयंकर तूफान आया और ओलावृष्टि हुई जनपद हमीरपुर के महोवा, जालौन, बांदा जैसे कई एरिए इससे प्रभावित हुए हैं। इससे किसानों की रबी की फसल जो खेतों में खड़ी थी, बहुत सी फसल कटाई के बाद खेतों में पड़ी थी। किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। अनेक जगह ओलावृष्टि से फसल तहस-नहस हो गई है इसकी रिपोर्ट मंगाकर मंत्री जी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगाकर उचित मुआवजा और अनुदान जो संभव हो दिलवाने का कष्ट करें हमीरपुर के राठ क्षेत्र में चूंकि भयंकर तबाही हुई है बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है इसलिए मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और माननीय तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मुझे इसमें ज्यादा नहीं कहना है। मैं बुन्देलखण्ड की ओलावृष्टि से जो कई जगह क्षति हुई है इस संबंध में अपनी मांग को दोहराते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, मैं केवल दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी, हमारा जनपद काला नमक धान के लिए बहुत मशहूर है। मुख्य मंत्री जी गये थे और उन्होंने काला नमक धान के लिए रिसर्च सेण्टर खोलने का आश्वासन दिया था, जो खुल गया है। मैं चाहता हूं कि आपने जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों को बासमती चावल के लिए लिया है, सिद्धार्थ नगर को इस चावल के लिए जोन घोषित कर दें। दूसरी बात ग्राम्य विकास के बारे में मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, आपका इटवा ब्लाक है, यदि कोई नियमावली बन जाए कि ऐसे विकास खण्ड जो मेन बाजार में हैं, उनमें दुकानें बना दी जायें तो इससे क्षेत्र समितियों की आमदनी बढ़ जायेगी। डुमरियागंज में 100 दुकानें बन सकती हैं, इससे हजारों रुपये किराये का फायदा होगा। मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी और ग्राम्य विकास आयुक्त तक भी यह बात पहुंचा दी जाए कि यदि ऐसी नियमावली बन जाए कि जो ब्लाक मेन बाजार में हैं, या मेन सड़कों पर हैं, उनमें दुकानें बना दी जायें तो उन विकास खण्डों की बहुत आमदनी बढ़ जायेगी। मैं सहकारिता मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मरी हुई सोसाइटियां, जिनमें दम नहीं था, जिनको लोगों ने लूट लिया था, आपने उन्हें जिन्दा करने का काम किया है। यदि यह पुनर्जीवित हो जाती हैं तो जो धान और गेहूं के क्रय की समस्या खड़ी हो जाती है, वह दूर होगी और यह समितियां हर ग्राम पंचायत में अपने-अपने केन्द्र खोलकर गेहूं और धान खरीदेंगे। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और इस पूरे बजट का समर्थन करता हूं, जय हिन्द।

*डा0 अजय कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृषि सहकारिता और ग्राम्य विकास जैसे विभागों के बजट की चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह ने सपना देखा था कि जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा, देश और प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। उनका कथन था कि देश की खुशहाली का रास्ता, गांव और खेत-खलिहानों से होकर गुजरता है। मुझे खुशी है कि उनके जन्म दिवस 23 दिसम्बर पर किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन उन किसानों को जो अच्छा उत्पादन देते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि में जैविक कृषि, कृषि विविधीकरण और कान्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपने बजट में हिस्सा देकर चर्चा की है, यह भविष्य की खेती से जुड़ा सवाल एवं एक सुखद कदम है। मैं इसके लिए माननीय कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने 20 प्रतिशत सीड रिप्लेसमेंट की बात की है। मान्यवर, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उन्नतशील किस्म का बीज मात्र बदल देने से ही उपज में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाया करती है। बीज स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, प्रमाणित एवं उन्नतशील किस्म का हो और साथ ही सस्ता भी हो और समय से उपलब्ध हो सके। प्राय: यह देखने में आता है कि बुवाई खत्म होने को होती है तब बीज गोदामों पर पहुंचता है। इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उर्वरकों के सम्बन्ध में और मृदा परीक्षण की बात की गई बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। आज खेती में सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी दिया जाना समय की मांग है। आज कई जगहों पर भूजल स्तर गिर रहा है, इसके लिए सिंचाई की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है और इस हेतु ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकिलर सिंचाई विधियों को बढ़ावा दिया जाए। मेरे क्षेत्र में भी 2-2 फीट तक प्रति वर्ष भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इस जल स्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस बजट में इस बात की भी चर्चा की गई यह भी बधाई योग्य बात है। कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि कीटनाशकों के प्रभाव से न केवल जमीन बल्कि मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि एकीकृत नासी जीव प्रबंधन को और अधिक बढ़ावा दिया जाना आज समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में भी बात आई मैं कहना चाहता हूं कि कृषि शोध जो कि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं एवं शोध संस्थानों में कैद है वर्तमान में वह केवल 40 फीसदी ही किसानों तक पहुंच पाया है। इस कृषि ज्ञान के और अधिक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि कृषि शोध के प्रचार-प्रसार को मजबूती से स्ट्रेथन करें। मान्यवर, मुझे खुशी है कि आज मण्डियों को कम्प्यूट्रीकृत किया गया है जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलने में सहायता मिलेगी। नोएडा की फूल मण्डी बनी है। आज ऐसी फूल मण्डियों की बहुत मांग है। हालैण्ड के बाद नोएडा में इस मण्डी की स्थापना की जा रही है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

मान्यवर, मैं एक बात कष्ट के साथ कहना चाहूंगा कि मेरठ में सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2005-2006 तक 286 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव था लेकिन इसमें इस वर्ष तक 31 करोड़ रुपये मिले हैं। मुझे खुशी है कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के बजट में मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में एक वेटनरी कालेज भी दिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय में लगभग 10 कालेज बनने हैं और अभी तक मात्र 2 महाविद्यालय ही चालू हो पाये हैं। इस विश्वविद्यालय को कृषि के प्रचार-प्रसार एवं शोध जो कि किसानों के लिए उपयोगी होगा को हर दिशा में स्ट्रेन्थन किया जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, दिल्ली के नजदीक होने के कारण दूसरे देशों के जो कृषि विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक आयेंगे वह इसी विश्वविद्यालय को देखना चाहेंगे। यह देश की इक्कीसवीं सदी का विश्वविद्यालय है एवं इसको पंत नगर के कृषि

विश्वविद्यालय के समकक्ष बनाने की योजना थी। लेकिन मुझे दुख है कि बजट में इसके लिए वांछित बजट की व्यवस्था नहीं की गयी है। मुझे आशा है कि आगामी वर्ष में इसके लिए बजट में व्यवस्था की जायेगी। अन्त में मैं अपने क्षेत्र छपरौली की दो सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा। पहली सड़क ग्राम किशनपुर-बराल से बसौली है और दूसरी सड़क ग्राम ककड़ीपुर का बाईपास है। उक्त दोनों सड़कें मण्डी समिति से बनी हैं। यह दोनों सड़कें बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से भी कहा है और मैंने इसको लिखित में भी अनुरोध किया है लेकिन अभी तक इनकी मरम्मत का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि इन सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 यशवन्त सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे कृषि, सहकारिता और ग्राम्य विकास जैसे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज लम्बे समय के बाद किसान हित में सरकार का बजट पेश हुआ है। उस बजट को देखने के बाद लग रहा है कि इसमें हर प्रकार की चीजों का किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि कृषि का विकास जिस तेजी से हो रहा है यह टेक्नोलाजी के बिना सम्भव नहीं है। हमारे देश में 4 कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है, श्री चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में और आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। बहुत खेद की बात है कि वर्ष 1998 में इन सभी विश्वविद्यालयों के खाते सीज हैं जिसकी वजह से विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बजट नहीं मिल पा रहा है। इससे वहां पर रहने वाले सभी विशेषज्ञों के वेतन और भत्ते और उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की समस्या पैदा हो गयी है।

मान्यवर, यह विश्वविद्यालय कोई व्यवसायिक यूनिवर्सिटी नहीं है यह सरकार के बजट पर चलने वाली यूनिवर्सिटी है। जिससे इनके खाते सीज रखना इनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मान्यवर, मैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली मेरठ यूनिवर्सिटी के बारे में भी जो सरकार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस यूनिवर्सिटी में 10 कालेजों का प्राविधान था और इसको पंत नगर यूनिवर्सिटी के पैटर्न की यूनिवर्सिटी बनाने की एक योजना थी। 382 करोड़ का बजट रखा गया था लेकिन अभी तक 38 करोड़ मिल पाये हैं। मान्यवर, सिर्फ दो प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना की परियोजना है। अगर यूनिवर्सिटी डेवलेप होगी तो अच्छे किस्म के बीज और अच्छी किस्म की सुविधाएं उपलब्ध हम करा सकेंगे। मान्यवर, हमारी यह मांग है कि इस तरह की सारी सुविधाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय को दी जाय। आर0ई0एस0 के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि यह संस्था अच्छा कार्य कर रही है। इसमें अच्छी तरह की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन खेद के साथ में अपनी विधान सभा मुजफ्फरनगर के जानसठ विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि यहां मानक के अनुरूप नौ फीट मैटेल रोड बनाने की स्वीकृति दी गयी थी लेकिन अभियंताओं ने सात फीट चौड़ी ही बनायी है यह जांच का विषय है इसकी जांच करायी जाय। मान्यवर, सहकारिता के बारे में कहना चाहूंगा कि अच्छी तरह से कार्य किये गये हैं। अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, माननीय डा0 विनोद तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है आपने उस पर बल देने के लिए अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, निश्चित रूप से ग्राम्य विकास, सहकारिता और कृषि हमारे प्रदेश के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि की पैदावार और किसानों की हालत जब तक नहीं सुधरेगी तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, डा0 वाजपेयी जी ने अभी कृषि विभाग का बजट प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने काफी लम्बे चौड़े सपने को दिखाने का काम किया। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कृषि पैदावार या किसानों की हालत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कैसे बीज आप उपलब्ध करायेंगे और उर्वरक उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, इस बजट में क्या-क्या व्यवस्था की गयी है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। बीज की मद में 2004-2005 में 8,122.78 लाख का पुनरीक्षित अनुमान था लेकिन इस वर्ष उस मद में 5,717.36 लाख यानि तीन हजार लाख कम किया गया है। इसी तरह से खाद और उर्वरकों में 68.14 लाख इस वर्ष 67.64 लाख, दालों के विकास में 923.05 लाख और इस वर्ष शून्य, कृषि इंजीनियरिंग में 25 लाख और इस वर्ष 20 लाख, तिलहन के विकास में 95.65 लाख और इस वर्ष शून्य, मृदा और जल संरक्षण में 23473.44 लाख और वर्ष 21,360.44 लाख। तो यह महत्वपूर्ण अंग है जिससे कृषि की पैदावार बढ़ायी जा सकती है। आज प्रदेश में उर्वरकों की स्थिति क्या है, पिछले बार धान की फसल हुई थी तो अभूतपूर्व सूखा पड़ा था और खरीफ की फसल बरबाद हो गयी थी। उर्वरकों में डायनोमिक फास्फेट की खाद की आवश्यकता थी आज भी जरूरत है लेकिन काला बाजारी के कारण वह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर पर आप इस कार्य को नहीं कर पायेंगे। इससे जो आपने कृषि के बारे में वायदे किये हैं कि कृषि का विकास करेंगे यह संभव नहीं हो सकता है। इसी तरह से फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गयी थी लेकिन प्रदेश को कितना लाभ मिल पाया है। अभी डी0 प्रसाद अहिरवार बता रहे थे कि पूरे बुन्देलखण्ड में, अभी हमारे विधायक राठ के मौजूद थे सुबह वह बता रहे थे कि ओला एक-एक फुट पड़ गया। निश्चित रूप से जब एक फुट ओला पड़ा है तो फसल जरूर बर्बाद हुई है, लेकिन बर्बाद फसल का बीमा लाभ उनको कहां मिल पा रहा है ? कृषि विपणन का लाभ हम किसानों को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विपणन का भी महत्वपूर्ण अंग है कृषि के लिए। आज माननीय मंत्री जी असहाय हैं, मण्डी परिषद् की चर्चा पर उन्होंने कहा है। मण्डी परिषद् पर उनका प्रभाव पूरी तरह से शून्य नहीं है, लेकिन उसके ऊपर प्रभावशाली लोग काबिज हो गये हैं, जब उस पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो उसके सम्बन्ध में आप एक वाक्य भी नहीं बोल सकते हैं...

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, बस दो मिनट का समय लूंगा। मान्यवर, ग्राम विकास में सबसे महत्वपूर्ण है इन्दिरा आवास योजना, निश्चित रूप से केन्द्र से पूरी तरह से योगदान मिलता है, लेकिन इन्दिरा आवास योजना गरीबों के लिए है, इस प्रदेश का जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको हम इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित करते हैं, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्हें यह लाभ

नहीं मिल पा रहा है, हमारे सभी माननीय सदस्य हैं निश्चित रूप से अगर वह ईमानदारी से स्वीकार करेंगे तो वह महसूस करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत बड़ी धांधली होती है और पात्र व्यक्ति का भी हजार से चार हजार रुपये अतिरिक्त खर्च होता है तब कहीं उसको आवास मिलता है। मान्यवर, सबसे गरीब व्यक्ति को इन्दिरा आवास का लाभ मिलता है इसलिए यह दृढ़ निश्चय कर लें सामूहिक रूप से इसको चलाने का तथा इसमें ऐसे नियम बनायें कि इन्दिरा आवास योजना में धान्धली न हो। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में फेज-3 में तीन सड़कें ली गई थी, दो साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नही हो रहा है, मैं विशेष रूप से ग्राम विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य को पूरा कराने की कृपा करें जिससे उसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए था वह निश्चित रूप से हमें मिल सके, ऐसी आपके माध्यम से अपील करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कृषि का विकास होना चाहिए। बगैर ग्राम विकास की योजनाओं के सही ढंग से संचालित हुए बगैर हमारे प्रदेश का विकास सम्भव नहीं हो सकता है, इसलिए ग्राम विकास की सारी योजनाओं का संचालन सही ढंग से होना चाहिए। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं माननीय, डा0 अशोक वाजपेयी, माननीय शारदानन्द अंचल और माननीय कौकब हमीद द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इन मंत्री गणों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं इतना अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही साथ एक मिनट के अन्दर कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मान्यवर, ग्राम्य विकास में मण्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए है कि इसके द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाता है और उनके माध्यम से किसान अपनी उपज लेकर मण्डी तक पहुंचता है, जिससे उसकी फसल का उसे वाजिब दाम मिलता है, लेकिन हमारे जनपद बागपत में और जनपद मेरठ में दोनों ही जिलों में पिछले कई वर्षों में मण्डी परिषद् के द्वारा सड़कों का निर्माण न के बराबर कराया गया है और न ही पुरानी सड़कों का निर्माण न के बराबर कराया गया है और न ही पुरानी सड़कें जो जर्जर हो चुकी हैं उनकी मरम्मत कराई गई है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, मेरठ और बागपत जनपद के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहां की मण्डियां मुनाफे में चल रही हैं, दूसरी मण्डियों को उन्होंने लोन भी दे रखा है, लेकिन वहां काम न के बराबर चल रहे हैं। दूसरी बात मण्डियों के माध्यम से पेय जल आपूर्ति के लिए हैण्डपम्प लगाये जाते थे, हमारे यहां पेय जल स्तर भी काफी नीचा हो गया है, जिससे पीने के पानी की काफी समस्या पैदा हो रही है लेकिन पिछले कुछ दिनों से पेय जल के लिए हैण्ड पम्प लगाने का काम मण्डी परिषद् के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अगर वहां मण्डी परिषद् के माध्यम से पेय जल के लिए हैण्ड पम्प लगवाये जायेंगे तो उसका लाभ वहां की जनता को अवश्य मिलेगा। मान्यवर, दूसरे जो हमारे यहां पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय था वह विश्वविद्यालय उत्तरांचल में जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में रह गया है। मान्यवर, जो हमारे यहां हरित क्रांति हुई है उसमें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का भी नाम था और उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ मिलता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था अब वह उत्तरांचल में चला गया है। अब वह आशा की किरण है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। अभी वह नया विश्वविद्यालय है उसके पास कोई संसाधन नहीं है। अत: मैं बड़े जोरदार ढंग से मांग करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय को ज्यादा से ज्यादा धन देकर उसका विकास किया जाये जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान खुशहाल हों और उन्हें नई तकनीकी की जानकारी हो।

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, मैं डा0 विनोद तिवारी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत साधन सहकारी समितियां जो किसानों को ऋण देती हैं वह उनके कर्मचारियों द्वारा वसूली न करके बल्कि उन पर ट्रांसफर इन्ट्री ली जाती है जिससे किसानों को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अधिक धन देना पड़ता है। मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि समिति के कर्मचारी वसूली न करके उनकी ट्रांसफर इन्ट्री कराते हैं, उसे ट्रांसफर ड्यूटी पर रोक लगवाई जाये। इसके अतिरिक्त मान्यवर, सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल में कोआपरेटिव बैंक कैडर एथार्टी में सात डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों के विरुद्ध सेवा मण्डल द्वारा चयन किया गया जिसमें छ: पद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एक पद अनुसूचित जाति का था। इन छ: पदों के विरुद्ध पांच यादव एवं एक चौधरी का चयन कर किया गया जिसमें सहकारिता राज्य मंत्री के पुत्र का भी चयन किया गया। मान्यवर, जो इसके लिए चयन समिति तीन लोगों की बनी थी उसमें एक तो सी0एम0 सिंह थे जो सवर्ण जाति के हैं और दूसरे वी0 डी0 श्रीवास्तव भी सवर्ण जाति के हैं इसके अलावा श्री बी0पी0 सिंह थे जो अनुसूचित जाति के थे इसमें शासनादेश के अनुसार एक पिछड़ी जाति का सदस्य होना चाहिए था जो नहीं रखा गया है। इस तरह से शासनादेश की अनदेखी की गई है, मान्यवर, इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा न चाहे हिसाब से काम किया जा रहा है और सारे घर के लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है और पूरा-पूरा चारागाह बनाकर रखा है।

मान्यवर, सहकारी केन्द्रों पर खाद, बीज और आर्य यह सारी चीजें नदारद हैं। मान्यवर, मण्डी समितियों के अन्तर्गत जो समिति के द्वारा पिच रोड बनाने की बात है उसमें मुझे कहना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पैला लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत गोला मण्डी समिति, लखीमपुर मण्डी समिति तथा पलिया मंडी समिति है और यह लाभ में चल रही हैं लेकिन रोडों के ठीक न होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है। जिससे किसानों को अपनी फसल मण्डी में लाने व ले जाने में कठिनाई होती है और उनकी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। मेरी मांग है कि इन मण्डी समितियों में रोडें बनवाई जायें। मान्यवर, इसमें मण्डी समिति गोला है। गोला बाकेगंज पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से सरकार पर व अन्नापुर होते हुए नहर ताला पेंडेट रोड तक काम होना है इस तरह से महरताला पेंडेट रोड से ग्राम भूपपुर तक। इसी तरह से पीलीभीत बस्ती लिंक मार्ग से मोतीपुर रायपुर होते हुए बाकेगंज पी0डब्ल्यू0डी0 रोड तक। इसी तरह से ग्राम रोशन नगर (पूर्व) से जमुनहा तक। इसी तरह से ग्राम बसखारी मार्ग (ग्राम ठोगवा के निकट) से ग्राम ढूढूलिया तक। पसियापुर पेंडेट रोड से ग्राम बाबरपुर तक।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, मण्डी समिति में उक्त रोड ठीक न होने से वहां किसान भाई परेशान है वहां तत्काल रोड बनवाई जायें।

मान्यवर, इसी तरीके से हमारे जनपद की स्थिति बहुत खराब है जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था। हमारे जनपद लखीमपुर के किसान सूखे से प्रभावित हुए और उसके बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सीतापुर लखीमपुर के किसान की सारी फसल चली गयी और तबाही मच गयी, वहां पर 47-48 लोगों की जाने गयी हैं और किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है, वह दिलाया जाय। हमारे क्षेत्र में भंयकर ओला गिरा हुआ है, किसानों की फसल नष्ट हो गयी है जिससे किसान परेशान हैं। बांकेपुर है, बंगाली कालोनी है।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, जिन विभागों का बजट रखा जाना है समय उसके अनुसार सुनिश्चित है अगर माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि ओला से फसल नष्ट हो गयी है उसका इस बजट से कोई मतलब नहीं है, यह मेरे विभाग से संबंधित है। इसलिए अगर ओला वृष्टि या अन्य किसी विषय पर चर्चा हो तो मुझे बता दीजियेगा, ओला वृष्टि का नुकसान हमको दे दीजियेगा, हम मुआवजा भिजवा देंगे।

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, किसान की फसल नष्ट हो गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात खत्म हो गयी, मैंने विनोद तिवारी जी को बुलाया है। आपने अपनी बात कह दी और मंत्री जी ने सुन लिया।

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 विनोद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बुला लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये थे वह माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किये, मंत्री जी ने जवाब दिया ही नहीं, आपने निर्देशित किया है।

श्री अध्यक्ष--

फिर आपको नहीं बोलना है।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

डा0 अशोक बाजपेयी--

आदरणीय विनोद तिवारी जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय समर्थन मूल्य के बारे में उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त की। वह पुराने सदस्य हैं वह जानते हैं कि खाद्यान्न का जो समर्थन मूल्य है, भारत सरकार उसे घोषित करता है और उसमें राज्य सरकार का कोई लेना-देना

नहीं होता है लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह मानना है कि समर्थन मूल्य बहुत कम है इसलिए जो कृषि पर लागत मूल्य है उस पर किसान का 10 प्रतिशत लाभांश, 15 प्रतिशत दैवी आपदा और 10 प्रतिशत ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज इस तरह लागत मूल्य पर 35 प्रतिशत वृद्धि कर भारत सरकार को भेज दिया। लगातार प्रयास भी किया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, वह पूरे देश के लिये बाध्यकारी है। मान्यवर, मृदा परीक्षण के बारे में बात कही गयी। मृदा परीक्षण के लिए जिला स्तर पर हमारी लेबोरेटरीज है। जहां पर भी कही किसान जांच कराना चाहेंगे, उसमें यदि उसको कोई कठिनाई आयेगी तो तिवारी जी हमें बता दें हम उसको दिखवा लेंगे। मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने बासमती चावल योजना के अन्तर्गत पीलीभीत जनपद को जोड़ने के लिये कहा था। मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि इस योजना में जो 14 जनपद जुड़े हुये हैं, उसमें पीलीभीत का नाम आलरेडी है और वह भी उस योजना से लाभान्वित होगा। इसी तरह से किसान कार्ड और फसल बीमा योजना के संबंध में इन्होंने सुझाव दिये थे, हमारा यह प्रयास है कि किसान कार्ड प्रत्येक किसान को उपलब्ध हो सके, इसके लिए जगह-जगह किसान मेले लगाकर कार्यक्रम को सुप्रचारित करके किसान कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके लिए हमने लक्ष्य भी निर्धारित किये हैं और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय की है, कृषि विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की है, अपने माननीय सदस्यों से भी चाहूंगा कि वह इसमें थोड़ा रुचि ले लें और उनके क्षेत्र में जो बैंक हैं, अन्य जो संस्थायें हैं, उनसे मिलकर किसान कार्ड बनवाने में रुचि लेने का काम करें। यदि किसी को शासन अथवा किसी बैंक से कोई असुविधा होती है तो मेरा प्रयास है, उसको हल किया जायेगा और इस योजना से किसानों का शत-प्रतिशत आच्छादन होना चाहिये।

मान्यवर, इन्दिरा आवास के संबंध में माननीय सदस्य तिवारी जी और लालजी वर्मा ने एक बात कही थी, दोनों ही बहुत जानकार सदस्य हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इन्दिरा आवासों के लिए गांव सभा की खुली बैठक में चयन किया जाता है। इसमें हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गांव सभा केवल उस वित्त वर्ष के लिये ही नहीं चयन करेगी, बल्कि 5 वर्षों के लिये चयन करेगी, ताकि जितने भी पात्र व्यक्ति हैं, जैसे-जैसे आवास आयेंगे, उस सूची के हिसाब से उनको मिलेंगे और इसके लिये गांव सभा की खुली बैठक में चयन होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने बीजों के बारे में कहा कि समय पर बीज उपलब्ध हो जायें। मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 23 लाख 76 हजार क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया है। जो अपने आपमें एक मानक है और 15 अक्टूबर से पूर्व सभी जनपदों में यह बीज पहुंचा दिया गया था। गेहूं की बुवाई से पूर्व ही इसका पहुंचना सुनिश्चित कर लिया गया था। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आगे भी बीज की तैयारी हम समय से पहले ही कर लेंगे और बुवाई से पहले ही किसान को बीज उपलब्ध हो जायेगा। इसके साथ ही साथ हम 20 प्रतिशत बीज का प्रतिवर्ष रिप्लेसमेंट कर सकें, नये बीज दे सकें, इसके लिये बीज उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिये प्रदेश में 4 नये बीज के उत्पादन केन्द्र और स्थापित करने जा रहे हैं जिससे बीज उत्पादन की क्षमता बढ़ जाय। मान्यवर, बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल में प्रमाणीकरण का कार्य हो सके, उसकी भी हम चिन्ता कर रहे हैं। इसमें हम अधिक से अधिक किसानों को लगाकर उनको अधिक से अधिक आय भी करायेंगे। जहां तक उर्वरकों के संबंध में माननीय सदस्यों ने कहा, गत वर्षों की तुलना में इस

वर्ष मैंने 33.98 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण प्रदेश में कराया है जो पिछले वर्ष से काफी अधिक है। इस बार रबी की बुवाई से लेकर टाप ड्रेसिंग तक उर्वरक की कहीं कमी नहीं होने पाई है। हमारे कुछ सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में कहा, जैविक कृषि के बारे में कहा।

मान्यवर, जैविक कृषि के बारे मे समुचित प्रचार-प्रसार कर हम किसान को उससे अधिक से अधिक जोड़ना चाहते हैं। जैविक तकनीक का प्रयोग करके जैविक उर्वरकों के बनाने के बारे में जानकारी भी देना चाहते हैं, इसके लिये समय-समय पर ब्लाकों में, गांवों में किसान मेले का आयोजन करके कृषि की विधियों के बारे में, किसान गोष्ठी का आयोजन करके उन तक जानकारी देने का अवसर दिया है। इन किसान गोष्ठियों में विश्वविद्यालयों के बड़े-बड़े योग्य प्रोफेसर्स को बुलाकर उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देने का काम हम निरन्तर कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा प्रयास है कि कृषि विविधिकरण और कृषि की नयी तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का काम हो। हमारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा। कालानमक जोन के बारे में माननीय सदस्यों ने जो अपेक्षा की है, मैं इसकी जानकारी ले लूंगा और जो भी उचित होगा, किया जायेगा। हमारे कुछ मित्रों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के उद्घाटन में विधायकों की भी भागीदारी की बात कही है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर आर0इ0एस0 विभाग के मंत्री नहीं बोलेंगे ।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं ग्राम विकास का पक्ष रख रहा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्र सरकार की योजना है, इसके उद्घाटन में भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उसमें माननीय सांसद की उपस्थिति की बात है, लेकिन फिर भी मैंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन विधान सभा क्षेत्रों में उद्घाटन हो, वहां पर हमारे माननीय विधायकों की उपस्थित भी रहे और उनको भी पूरा सम्मान मिले। जहां तक हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने पेयजल के बारे में कहा है, इसके लिए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प उपलब्ध कराये जाते हैं। हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है कि शुद्ध पेयजल की कमी कहीं भी नहीं रहनी चाहिए, ग्राम सभा से लेकर छोटे-छोटे मजरों तक में हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। जो लघु सिंचाई के बारे में सुझाव दिये गये हैं, लघु सिंचाई के माध्यम से जो सीमान्त कृषक हैं, उनको स्तर बोरिंग की योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने का काम करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने सहकारिता के बारे में अपने सुझाव दिये हैं, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो सहकारिता मृतप्राय हो गयी थी, उसको हमारी सरकार ने फिर से पुनर्जीवित किया है। वर्ष 1999 के बाद से उत्तर प्रदेश में सहकारिता के चुनाव नहीं हुए थे और जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने सोचा कि ग्राम विकास का सपना बिना सहकारिता के पूरा नहीं हो सकता, इसलिए सहकारिता में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया और अब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मई के महीने तक चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे। सहकारिता के माध्यम से हम प्रदेश को गति देने का काम करेंगे, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सहकारिता से मिलने वाले ऋणों की ब्याजदर को कम करने का प्रयास किया गया है, इस तरह से सहकारिता के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिये हैं, हमारी सरकार उन पर विचार करेगी, क्योंकि इस सरकार का सपना है, उत्तर प्रदेश खुशहाल उत्तर प्रदेश और समृद्ध उत्तर प्रदेश बने।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, श्री जसवंत सिंह, श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री लालजी वर्मा, डा0 तिवारी जी और अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो प्रशिक्षण बन्द होने की बात कही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह पहले बन्द थे और अब यह प्रशिक्षण केन्द्र चालू हो गये हैं। वर्ष 2003-2004 तक इटावा, महोबा, अयोध्या, फैजाबाद, वाराणसी, मेरठ और मथुरा सात जगहों पर प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये गये हैं और इनमें 10,492 प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग दी गई है, इसके द्वितीय चरण में भी लगभग 665 अभ्यर्थियों को ट्रेंड किया गया है। हमारी सरकार यह मानती है कि जब तक को-आपरेटर्स, सहकारी बन्धुओं की, सहकारिता विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक सहकारिता आन्दोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस दिशा में हमारी सरकार पहल कर रही है। आपको तो बधाई देना चाहिए और कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की कि संस्थागत सेवा मण्डल में पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति नहीं है आप चिन्ता न करें जल्दी ही वहां कोई व्यक्ति आ जायेगा। जहां तक भर्तियों का सवाल है कि यह ज्ञान आसानी से होना चाहिए कि मंत्री कोई भर्ती नहीं करता है। ब0स0पा0 में ज्ञान रिफ्लैक्ट होकर के आता है। बड़ी जाति के बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष ने अगर छोटी जाति के व्यक्ति को योग्य समझ करके चुना है तो उस सवाल पर आपको बधाई देनी चाहिए कि पिछड़ी जातियों के लोग योग्यता पूरी करके चुन करके आये हैं। इतना ज्ञान होना चाहिए कि मंत्री ने उनका चयन नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको इस बात का ज्ञान कराया जाना चाहिए कि मंत्री नियुक्ति नहीं करता है।

श्री कौकब हमीद--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विनोद तिवारी जी ने दो-तीन बातें कही हैं। सबसे जरूरी बात तो यह कही है कि जो पत्थर लगते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत उसमें विधयकों का नाम नहीं रहता है। मैं आपको जानकारी दूं कि पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन भारत सरकार से लिख करके मांग किया कि क्या हो सकता है ? अब उन्होंने आज्ञा दी है कि विधायक का नाम भी रहेगा। अब जो पत्थर लग रहे हैं उसके अन्दर माननीय विधायकों के नाम होंगे। आज मुझे खुशी है और मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे विभाग की तारीफ सभी ने की है। थोड़ी-बहुत कमी बतायी है वह भी कि किधर का पैसा किधर लग गया है, इसकी जांच करा ली जायेगी। मुझे खुशी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एजेंसी की किसी ने बुराई नहीं की है।

श्री अध्यक्ष--

डा0 विनोद तिवारी जी. आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

बहुत संक्षेप में कहिये।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैं सबसे पहले उन सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती प्रस्ताव के संबंध में श्री मुंशीलाल गौतम, श्री डा0 प्रसाद अहिरवार, श्री राजेश कुमार तथा सत्तापक्ष के जिन मा0 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री जियाउद्दीन रिज़वी जी ने कहा कि पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री कोई था और कार्य कोई देखता था। इस समय कौन है और कार्य कौन देख रहा है ? (सत्ता पक्ष से आवाज आयी कि स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री हैं और मंत्री जी स्वयं कार्य देख रहे हैं।) स्वतन्त्र प्रभार नहीं है। कौन कार्य देख रहा है, यह सभी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष--

डा0 विनोद तिवारी जी, जो हमारे पास लिस्ट आयी है उसमें यह स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं।

डा0 विनोद तिवारी--

सम्मानित सदस्य श्री लालजी वर्मा जी ने भी कुछ चीजों के बारे में कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया कि दलहन और तिलहन के बजट को कम किया गया है। हर जगह बजट बढ़ा है जबकि आपके यहां कम किया गया है। मंडी समिति में क्या हो रहा है, आपने अच्छा काम शुरू किया था जो आपकी टीम थी, उसे लेकर के एक शक्तिशाली व्यक्ति को दे दिया गया, आप खाली बैठा दिये गये हैं। मैंने कुछ सुझाव दिया था--पूरनपुर में एक कृषि इण्टर कालेज खोले जाने की, मण्डी द्वारा रोडों के निर्माण के बारे में कहा था, उसके बारे में मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कोई जवाब नहीं दिया है। इन्दिरा आवासों के बारे में भी कहा था कि 150 आवासों का चयन किया गया लेकिन मात्र 8 आवास ही बने, 142 आवास नही बने और उनका पैसा ड्रा कर लिया गया, उसके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे ? इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही साथ मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी पिछले महीने मेरे यहां 4 रोडों का लोकार्पण हुआ लेकिन विधायक को नहीं बुलाया गया। इसको दिखवा लें। मान्यवर, इसी तरह से समग्र विकास योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है। सहकारिता मंत्री जी कह रहे थे कि 7 ट्रेनिंग कालेज चल रहे हैं। मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है कि यह बन्द हो गये हैं इन कालेजों को सरकार अनुदान देती थी जिसको बन्द कर दिया गया है। अनुदान दिलाने के संबंध में भी कोई बात नहीं की गयी है। डा0 बाजपेई जी ने कहा कि 1999 में चुनाव हुए उसके बाद किसी सरकार ने चुनाव नहीं कराये। वर्ष 2004 में आपकी सरकार थी तो यह चुनाव हो जाने चाहिए। अब वर्ष 2005 के आखिर तक यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। मैंने जो समस्यायें उठाई थी उनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिये गये हैं इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9,19,49,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,57,72,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 36,46,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,68,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बात हो और उसमें ताजमहल का जिक्र न हो तो उसका सवाल ही नहीं उठता है। इस साल 27 सितम्बर से हमने ताज के साढ़े तीन सौ साल मनाने का उत्सव शुरू किया ताजमहल के लिए कहा गया है तेरी तस्वीर से तामीरकस ताजमहल। आज तुझे

गीत का अंदाज और तरन्नुम दे दूं। यह जमुना का किनारा यह मुनक्कस दरों दीवार यह ताज यह मेहराब किसी शहन्शाह ने दौलत का सहारा लेकर सारी दुनियां को मुहब्बत की निशानी दी है। इक शहन्शाह ने बनवाके हसीन ताजमहल सारी दुनियां को मुहब्बत की निशानी दी'है। ताज की खूबसूरती को सामने रखकर तरह-तरह के ख्यालात व्यक्त किये गये इसीलिए इस सरकार ने मुलायम सिंह सरकार ने साढ़े तीन सौ साल ताज के पूरे होने पर जो महोत्सव की योजना बनाई वह सराहनीय और बेजोड़ है यह बात मैं इसलिए कहने जा रहा हूं कि पूरा सदन यह समझ ले और यह सदन की कार्यवाही में भी आ जाय कि ताज महोत्सव को लेकर क्योंकि भारत सरकार उसका कस्टोडियन है तो जब यहां यह तय हुआ कि हम ताज के 350 साल पूरे होने पर महोत्सव करेंगे तो भारत सरकार की बेचैनी शुरू हो गई और फिर प्रधान मंत्री के आदेश से एक सब कमेटी ग्रुप आफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में गठित की गयी। मुख्य मंत्री जी भी उसमें थे उनकी तरफ से मैं जाया करता था उसकी तीन बैठकें हुई जिसमें यह तय हुआ कि भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट और भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार दो-दो फंक्शन करेगा कुल मिलाकर 6 फंक्शन होंगे। यह कार्यक्रम ग्रुप आफ मिनिस्टर की बैठक में तय हुआ। लेकिन उसके बाद एक दिन भारत सरकार के कल्चरल मिनिस्टर ने बाकायदा बयान दिया कि हम इससे विदड्राल करते हैं उन्होंने कारण बताया कि यहां प्रदूषण बहुत है जिसके कारण उनको दिक्कत हो रही है और उन्होंने दो-चार दिक्कतें बताई जो मेरी समझ में नहीं आयी। जिसके कारण उन्होंने अपने को विदड्राल कर लिया।

यह बात मैं सदन को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ताजमहल की कस्टोडियन भारत सरकार है। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया तो उन्होंने अपने को विदड्राल कर लिया। वर्ष 1984 से रात को ताजमहल देखना बन्द है उस वक्त की सरकार ने जो भी निर्णय लिया हो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि चांदनी रात में ताजमहल को न खोले इस बारे में 20 साल तक कोशिशें चलती रही, और बहुत से लोगों ने कहा। हम यह बात साफ कर देना चाहते हैं और इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी इस 350 साल को एडाप्ट न करते, इस कार्यक्रम को गोद न लेते तो यह कार्यक्रम होना नामुमकिन था। उन्होंने वकील भी दिया। करना था भारत सरकार को क्योंकि कस्टोडियन वो थे लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया और विड्रा कर लिया तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार गयी कोर्ट। शुरू में तीन महीने की इजाजत मिली जो फरवरी में खत्म हुई और उसके बाद दोबारा गयी और 1 साल की इजाजत लेकर आयी। एक साल के लिए यह खुल गया है और आगे हालत ठीक रही तो हमेशा के लिए खुल जायेगा। इसका जो फायदा हुआ है मैं उसके बारे में कुछ फिगर देना चाहता हूं। दो साल के 3-4 महीनों के सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक के। सितम्बर से इसलिए क्योंकि सितम्बर में सीजन शुरू होता है और दिसम्बर तक चलता है। सितम्बर 2003 में 7,254 हिन्दुस्तानी आगरा गये और 2,276 बाहरी यानि विदेशी। सितम्बर, 2004 में 12,561 हिन्दुस्तानी और 14,760 विदेशी। अक्टूबर, 2003 में 8,433 हिन्दुस्तानी और 4,930 विदेशी। अक्टूबर, 2004 में 10,968 हिन्दुस्तानी और 12,306 विदेशी। नवम्बर, 2003 में 11,256 हिन्दुस्तानी और 4,753 विदेशी। नवम्बर, 2004 में 15,955 हिन्दुस्तानी और 9,968 विदेशी। अब मान्यवर, दिसम्बर, 2003 में 13,972 हिन्दुस्तानी और 4,660 विदेशी। दिसम्बर, 2004 में 16,474 हिन्दुस्तानी और 10,500 विदेशी। इस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि 2003 में 17,609 और 2004 में 47,634 लोग आगरा गये। यह जो परसेन्टेज बैठा है वह 160 परसेन्ट ज्यादा है।

एक वक्त यह बात थी मान्यवर कि जब हिन्दुस्तान से दूर रहने वाला आदमी यह समझता था कि आगरा जो है वह राजस्थान में है और यह बकायदा हुआ कि कहीं-कहीं तो आगरा को राजस्थान में दिखा रखा था। जो बाहर के मुल्क थे, उसकी वजह थी। जो दिल्ली से चलते थे गोल्डन ट्रांइगल था आगरा, दिल्ली को देखा फिर जयपुर, अजमेर निकल गये और अन्त में राजस्थान को पहुंचे। यह सरकारों की कमी रही कि आगरे को उत्तर प्रदेश से नहीं जोड़ा गया। शाहजहां और मुमताज महल से जोड़ दिया गया। जबकि यह उत्तर प्रदेश का अंग है। आगरा उत्तर प्रदेश के अन्दर है यह एक शब्द नहीं कह सके। अब यह मानकर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अगर यह सदन चल रहा है आज की तारीख में देखें आगरा में होटल चाहेंगे तो शायद कोई सिफारिश से ही कमरा मिल सके। वहां 7 स्टार होटल हैं विश्व के जो दस बड़े होटल हैं। उसमें से एक आगरा में है। वहां फाइव स्टार, टू स्टार, सेवेन स्टार होटल हैं। आज की तारीख में अगर चाहें तो दो-तीन कमरे बुक नहीं करा सकते हैं। वहां इतना भीड़ 22 साल बाद आई है।

(मेजें थपथपाई गईं)

ताजमहल की बात खत्म हुई मान्यवर, जब उत्तरांचल बना तो सोचा गया कि पर्यटन संबंधी जो चीजें थी वह खत्म हो गई पूरा पहाड़ चला गया। चारधाम यात्रायें जो उत्तरांचल में हैं वह चली गयी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास बहुत कुछ बाकी है। बुद्धिस्ट सर्किट, ताज सर्किट, आगरा सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, लखनऊ, अवध सर्किट, वाइल्ड लाइफ दुधवा सर्किट, बरसाना और नन्द गांव सर्किट, सूफी सर्किट, महाभारत सर्किट, 1857 में आजादी के पहले से इसके बारे में सर्किट बना रहे हैं इतना सब हमारे यहां मौजूद है। यह सही है कि जिमकारबेट पार्क उधर चला गया तो जरूर थोड़ी ठेस पहुंची। वहां फारेन जाते थे। वह दिल्ली से इतना करीब था कि विदेशी आते थे हमने तय किया है कि दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है और हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर ऐसा पार्क है जिसमें दूसरा गैंडा मिल जाता है। एक आसाम के कांजीरंगा में गैंडा है लेकिन इसको हम साबित नहीं कर सके। पोस्टर नहीं बनवाए अब बनवाने जा रहे हैं। शेर आदि भी मौजूद हैं। जो सम्पर्क मार्ग है शाहजहांपुर से होते हुए लखीमपुर को सड़क निकलती है और दुधवा पहुंचती है वह बेहतर हो रही है हालांकि वह अब तक बन जानी चाहिए थी वह बनी नहीं है। बॉटेनिकल जहां पेड़ों फलों आदि का सवाल है वह और जगह से हमारे यहां बेहतर हैं। बुद्धिस्ट सर्किट है पूरे हिन्दुस्तान में कितने ही सर्किट हैं जहां बुद्ध गए थे उनके कृतित्व मिल जायेंगे। वहां आने वाले जो लोग हैं वह हमारे महत्वपूर्ण सर्किट में रुकते हैं। सारनाथ हमारे पास है जहां बुद्ध ने पहला भाषण दिया था जो उनका पहला उपदेश था वह उन्होंने दिया था कपिलवस्तु है वहां टीम आयी है जो जगह पहले बिहार को देने जा रहे थे, मान्यवर,जो जापान की टीम आयी है, उसने हमारे साथ बैठक की है और जगह को जाकर देखा भी है। जापान की टीम ने तय किया है और वह 600 करोड़ रुपये भारत सरकार के थ्रू उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं, वह साफ्ट लोन होगा। जो वहां के आने-जाने का रास्ता है, वह उससे बनाया जायेगा। फिलहाल यहां कुछ पहले एक टीम जापान से आयी थी जो सारनाथ गयी थी, 20 बीघा जमीन हमने दी है, वह वहां पर सबसे बड़ी मूर्ति बुद्ध जी की लगाने जा रहे हैं, भूमि पूजन वह कर चुके हैं, जैसे वह करते हैं। मान्यवर, बहुत लम्बी बात की जाती है, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं।

मान्यवर, कई लोग यहां बैठे होंगे जो शायद वह नहीं जानते होंगे, बरसाना और नन्दगांव की होली के बारे में हमें बताना है वहां जो फेयर होने जा रहा है, वहां हम बताने जा रहे हैं क्योंकि उस होली में होली का दहन नहीं होता है। वह बरसाना जो राधा जी का गांव था, नन्द गांव जो कृष्ण जी का गांव था, 2 किमी0 दूर से नन्द गांव वाले बरसाना आते हैं, वहां लट्ठमार होली होती है, वहां की बेटियां अपने बेहतर लिबास में होती हैं और उनको रोकती हैं, गीत गाते हुए, लोक गीत गाते हुए। जैसा हमने सोचा है, मथुरा से 40-50 किमी0 दूर है, हम इस पूरे सर्किट को नन्द गांव बरसाना उन्हें ले जाकर दिखाना चाहते हैं। मान्यवर, मथुरा के अन्दर उत्तर प्रदेश का बेहतरीन म्यूजियम है, दिल्ली और अन्य जगहों के जो अच्छे म्यूजियम है, उनके टक्कर का है। मथुरा का जो इतिहास है, हम उसको दिखाना चाहते हैं। मान्यवर, यहीं उत्तर प्रदेश खत्म नहीं होता, उत्तर प्रदेश वह जगह है, जहां महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध भी लड़ा गया था। यहां हस्तिनापुर मौजूद है, जहां कौरव-पाण्डवों की राजधानी थी। यहां लाच्छा गृह मौजूद है। एक बागपत और मेरठ में हैं। मैं इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, जो भी रहा हो, लाच्छा गृह का वारिस मिल गया है, यह सामान्य बात नहीं है।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि लाच्छा गृह वहाँ मौजूद है। वहाँ जो जिला परिषद है, जो मेरठ के अंदर है और खूबसूरत बात यह है कि इन सब जगह में सुरंगें मौजूद हैं। मैंने लेटर लिखा हैं, भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमेन्ट को। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँ और सुरंगें खुल जायें, वह हमें योगदान दें क्योंकि टेक्निकल बात है। मैं दावा करता हूँ, जिस वक्त वह खुल जायेंगी, जहाँ जंग हुई है, महाभारत की, जहाँ लाच्छा गृह है और हस्तिनापुर है, जहाँ इस लड़ाई का इतिहास 5 हजार या 4 हजार साल पुराना है, आप साढ़े छः-सात हजार साल पुराना इतिहास अपने आप खोल कर रख देंगे।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि यह भी तय है कि सोनीपत और पानीपत के मैदान तक जो महाभारत की लड़ाई हुयी जोकि 100-101 किमी0 की दूरी तक है। गीता का उपदेश भी इसी महाभारत के अंदर हुआ। कृष्ण जी का अर्जुन को उपदेश भी महाभारत में हुआ। अगर आप साबित कर दें कि कहाँ वह रथ खड़ा था और कहाँ से कृष्ण जी का बयान हुआ था। यह कोई करके तो देखे। मैंने भारत सरकार को सारी चीज लिखकर दे दी है। उन्होंने तीन आदमियों की टीम भी गठित कर दी है जो इन चीजों को देखेगी।

*श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, इन्होंने कह दिया कि इन्होंने सारी बात लिखकर भारत सरकार को भेज दी है तो हम क्या करेंगे ?

श्री कौकब हमीद--

एक बात आपके पर्यटन मंत्री के दिमाग में आयी और मैंने उसे आपके समक्ष रख दिया। इसमें बुराई क्या है। इसमें बुराई तो बताइये। मान्यवर, हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यह भी है कि सूफी सर्किट खोलें। अजमेर शरीफ जाने वाले लोग विदेशों और हिन्दुस्तान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कोने-कोने से आते हैं। मगर जब वह यहाँ आयें तो वह देवा शरीफ जायें उसके बाद सलीम चश्ती की दरगाह, फतेहपुर सीकरी और बहराइच और पूरा सर्किट और उसके बाद दिल्ली होते हुए निजामुद्दीन औलिया होते हुए जायें। हमारा इरादा है कि हम यह विकसित करेंगे। विकसित करने के साथ-साथ यह जो विजन है उसको आपको कहीं न कहीं बताना पड़ेगा। अखबारों में छापना पडेगा, प्रेस कान्फ्रेंस करनी पड़ेगी। बाहरी मुल्कों में जाना पड़ेगा। मान्यवर, चाहे जिस मुल्क में जायें। हमने यह तय किया है कि भारत की आजादी की पहली जंग 1857 में जो शुरू हुयी थी उसके नाटक, उसकी झांकियाँ वह हम शुरू करें। क्योंकि वर्ष 2007 में 1857 की जंग के डेढ़ सौ साल पूरे हो जायेंगे। तो मान्यवर, उसकी शुरूआत इस तरह से हो कि मंगल पाण्डेय जी शहीद हो गये उसके बाद 10 मई को मेरठ से यह आन्दोलन हुआ और वह सारे के सारे फौजी दिल्ली आये। दिल्ली सरकार से भी हम बात करेंगे कि वह कुछ कार्यक्रम हमें दिल्ली के लाल किले में भी करने दे, जहाँ बहादुर शाह जफर का स्थान है। उसके बाद हम कानपुर जायेंगे जहाँ आन्दोलन हुए और हिन्दुस्तान की लड़ाई हुयी है। जहाँ नाना जी पेशवा मौजूद थे, जंग में मौजूद थे। उसके बाद लखनऊ. लखनऊ में रेजीडेन्सी है उसके अंदर हम दिखाना चाहते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि छतर मंजिल में दिखाने की इजाजत मिल जाये। फिर यहाँ से झांसी-जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी, तो यह सर्किट बनाने की योजना है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी बहुत सारे लोगों को बोलना है, संक्षेप करें।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, मैं संक्षेप में कर रहा हूँ।

एक सदस्य--

बुंदेलखण्ड के बारे में नहीं बताया ?

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, बुंदेलखंड भी हमारे पास है उसका भी विकास करेंगे। अभी जब माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे तो निगमों की इकाईयां के बारे में पूछेंगे। तो जो निगम की इकाई हैं-हमने यह तय किया है जो 30 इकाईयां हैं, जो पहले से बनी हैं या तो गलत योजना के तहत बन गयी या कोई पोलिटकली वजह से बन गयी, हम उनको किसी ऐसी संस्था को देना चाहेंगे जहाँ यह बेहतर चल सकें। जहाँ पर्यटक नहीं आते हैं वह साइट अगर अच्छी है, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आयल कम्पनीज है, आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पम्प आजकल बने है वह बड़े खूबसूरत बने हैं और वहाँ पर खाने-पीने और शापिंग भी आप कर सकते हैं, उनसे जोड़ मेल करके.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी अब आप खत्म कर लें।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूँ।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

रामपुर के नवाबों के बारे में भी बता दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कोकब हमीद--

उनका एक मेम्बर हमारे बीच में बैठा है। तो जो 30 इकाईयां हैं उनको प्रोफिट में लाने के लिए या तो लीज पर देंगे, अभी इसका प्रस्ताव नहीं बना है, वह हम बनाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी और बातें आप अपने उत्तर भाषण में कर लीजिएगा।

एक सदस्य--

आप बाकी बातें उत्तर भाषण में कर दीजिएगा।

श्री कोकब हमीद--

जो चीज मेरे दिमाग में हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, उसे आपको सुनने में परेशानी क्या है। तो मान्यवर, मैं यह कहने जा रहा हूं कि जो राजस्थान ने किया--राजस्थान ने हेरिटेज प्रापर्टी के नाम से अपनी जितनी भी हवेलियां पुरानी थी उनको लोन दिलाकर उन्हें विकसित करके होटल, रेस्ट्रां में तबदील कर दिया जहाँ पर पर्यटक आते हैं। हमारे यहाँ भी यह मौजूद है। मई और जून के अंदर उन सब लोगों को बुला रहे हैं। हमने यह तय नहीं किया है कि लोन कैसे मिलेगा क्योंकि जो प्रापटीज हैं, दो तीन हजार साल पुरानी हैं और उनके कागजात भी नहीं मिल पाते हैं, लोनिंग के साथ दिक्कत है, लेकिन जो राजस्थान ने किया उसको लेकर एक योजना बनाने चाहते हैं। और जब यह तय हो जायेगा तो जितनी प्रापटीज हैं, जो अपने में धरोहर है लखनऊ में बहुत मिल जायेंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में तो बहुत होंगी उनको विकसित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कटौती का प्रस्ताव कोई रखने वाला है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ...

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, पर्यटन मंत्री जी ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इस लठ्ठ मार होली में श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को ही वह पिटवायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

आपको 364 दिन यह देखने को मिलता है एक दिन हम भी इसे देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय खन्ना जी, यह जो कट मोशन की सूची है, उसमें आपका नाम नहीं है, आपके नाम का प्रस्ताव इसमें नहीं है तो या तो आपके नेता लिख कर दें, तब आप इसे रख सकते है।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, मैं इन्हें कटौती का प्रस्ताव रखने की अनुमति दे रहा हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--44 पर्यटन विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आपस में बात-चीत करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, हमने बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से सुना है, इसलिए हम यह चाहेंगे कि थोड़ी सी व्यवस्था आपकी तरफ से हो जाए।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह 72 पेज का लिटरेचर 2005-2006 का है, यह हमारे हाथ में है। हम समझते थे कि माननीय मंत्री जी अपनी योजना के बारे में विस्तार से बतायेंगे और कुछ कार्पोरेशन के बारे में भी बतायेंगे, जिस पार्टी से माननीय मंत्री जी संबंधित हैं और जिससे यह सरकार चल रही है हम सोचते थे कि उनके नाम का भी जिक्र इसमें करेंगे लेकिन मान्यवर, पूरी किताब में कहीं पर भी चौधरी चरण सिंह जी का नाम नहीं आया और कोई भूल जाए तो भूल जाए लेकिन कौकब हमीद साहब को तो नहीं भूलना चाहिए था। मान्यवर, चौधरी साहब नूरपुर गांव में पैदा हुए और छपरौली उनका विधान सभा क्षेत्र था। विधान सभा में छपरौली का चौधरी साहब प्रतिनिधित्व करते रहे थे। एक भी बात न तो चौधरी साहब के गाँव के बारे में आई और न ही उनके विधान सभा क्षेत्र के बारे में एक भी बात आई। मान्यवर, अभी आपने एक शेर पढ़ा था ताजमहल के ऊपर, हम एक शायर की चार लाइनें पढ़े देते हैं :--

"कि हमने होनी का एक दिन अजब चलन देखा,
और इंसान की फितरत का अजब फन देखा,
कि उम्र भर जिसने हजारों कफन बुनें होंगे,
उस जुलाहे की लाश को बिना कफन देखा।"

मान्यवर, इनके बजट साहित्य में न तो नूरपुर है और न तो छपरौली है। इन्होंने प्रदेश को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया है, ताजमहल से लेकर बुद्ध सर्किट पर। मान्यवर, इन्होंने योजनायें तो बहुत सी बताई, लेकिन उसके लिए बजट कितना है ? मात्र 13 करोड़, 68 लाख का इनका बजट है। मान्यवर, हमारे यहां एक कहावत है कि "चुकरिया भर बारूद और अंग्रेजों से जंग" । मान्यवर, नये निर्माण कार्यों के लिए केवल सात करोड़ रुपये इसमें दिया गया है। नये निर्माण कार्यों की सूची में है सैफई तालाब का सौन्दर्यीकरण 1,31,000.00 रुपये की योजना है और कुल 1,81,000.00 रुपये की वह योजना है जनपद इटावा में।

(इस समय 4.00 बजे अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पुन: पीठासीन हुये।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय खन्ना जी, आप कृपया औपचारिक रूप से पहले कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैंने पहले ही रख दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी--

औपचारिक रूप से रख दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या--44 पर्यटन विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, जितने हसीन सपने कौकब साहब ने दिखाये हैं नये कार्यों के लिए और केवल 7,56,034 रुपये का प्राविधान इसमें किया गया है। उसमें भी जो परिपथ आपने बताया है उसमें बौद्ध परिपथ, बिन्द पर्वत, सूफी पर्वत, ब्रज पर्वत, इसमें कितना-कितना पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है उसका उल्लेख क्या है ? आपने बौद्ध परिपथ के 600 करोड़ रुपये की योजना का जिक्र किया है । परन्तु कपिलवस्तु के लिए आपने 10 लाख रुपये की व्यवस्था की है। मान्यवर, अब तक पिछले कई वर्षों से मैं इस बात को सुन रहा हूँ कि वह जापान की कोई मैत्रेयी संस्था, वह यह योजना ला रही है इसमें कहा गया है कि पूरे कुशीनगर से लेकर यह सारनाथ तक एक बौद्ध सर्किट डेवलेप किया जाए। अभी तक मान्यवर, कोई लिखा-पढ़ी में नहीं है और यह भी पता नहीं है कि वह संस्था फण्ड कहाँ से जनरेट करेगी ? उसमें कहा गया कि 500 फिट की बुद्धा जी की मूर्ति बनाई जायेगी लेकिन फण्ड कहाँ से आयेगा इसका जिक्र नहीं आया है और कहीं कोई लिखा-पढ़ी में भी नहीं है। कोई भारत सरकार से किस प्रकार का एग्रीमेन्ट होगा अगर इसका जिक्र नहीं है मान्यवर, जब कहाँ से फण्ड जनरेट होंगे इसकी कोई कंकरीट सूचना नहीं है। तो यह सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखने में अच्छा लगता है लेकिन जो वास्तविकता है वह उससे दूर है। मान्यवर, जितने सर्किट हैं उन पर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। एक महाभारत काल का आपने बताया कि लाच्छागृह को खोदेंगे और उसके बारे में जिक्र किया है कि आपने ए0 एस0 आई0 को लिखा है मान्यवर, वह संस्था एक कोल्ड स्टोरेज के समान है जहाँ से कभी भी पत्र का जबाब भी नहीं मिलता है अभी माननीय मंत्री जी को उसके बारे में अनुभव नहीं है। ए0 एस0 आई0 को पत्र लिखने से संबंधित बात पर सदन का काफी समय खर्च किया गया आखिरकार हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से करेगी ऐसी कोई कंकरीट योजना मंत्री जी ने नहीं रखी है। आपने 30 इकाईयाँ जो चल रही हैं उनके बारे में बताया।

मान्यवर, आप पिछली साल का पत्रक उठा कर देख लें जो आपकी कार्य पूर्ति दिग्दर्शिका पुस्तक है वह हमारे सामने है। मान्यवर, यह 14-8-2003 को निर्णय किया गया था जो शासनादेश भी है जिसमें कहा गया था कि 10 वर्ष की संविदा पर निजी क्षेत्रों में इसे दिया जायेगा लेकिन आज तक मान्यवर, इस पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। आप किसी न किसी रूप में उसकी मानिटरिंग करते कि किन शर्तों के आधार पर हम प्राइवेटाइजेशन कर

सकते हैं वह इसमें नहीं दिया गया है। नतीजा यह है कि कारपोरेशन का जो लाभ 22 लाख रुपये दिखाया गया है वह ओवरआल डिपरीशियेशन घटा दें तो -53 लाख रुपये का घाटा इस वर्ष आया है। जो इस वर्ष की योजनायें हैं उसका जिक्र इस बुकलेट में मंत्री जी द्वारा दिया गया है। मान्यवर, इस बुकलेट का पेज संख्या 30-31 देख लें, योजाना स्वीकृत हुई 2002-2003 में, कपिलवस्तु में हुई वनवसिया कुशीनगर रोड का चौड़ीकरण, पैसा दिया गया 4509 लाख इसमें से 175 लाख बुक भी हो गया लेकिन उसकी प्रगति शून्य है, कोई प्रगति नहीं हुई ऐसे ही आपकी राज्य सेक्टर की जितनी भी योजनायें हैं इसमें 3-3, 4-4 साल हो गये इसमें उपलब्धि कहीं 50 प्रतिशत, कहीं 40 प्रतिशत, कहीं 30 प्रतिशत और कहीं 20 प्रतिशत और कहीं-कहीं शून्य उपलब्धि है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसमें पैसा दे दिया जाय, हर वर्ष 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक कास्ट बढ़ जाती है, अगर उसकी मानीटरिंग नहीं होगी तो कास्ट बढ़ती रहेगी और बराबर सप्लीमेन्ट्री के माध्यम से किसी न किसी रूप में पैसे की माँग करते रहेंगे यह नेशनल लास है। इसमें समयबद्ध तरीके से ज्यादा से ज्यादा दो साल का समय दिया जाना चाहिए। कार्यदायी संस्था बदलनी है तो बदल दी जाय लेकिन दो साल का समय दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, एक-एक सुलभ शौचालय के लिए 14-14 लाख रुपये 10 साल पहले दे दिया गया लेकिन काम नहीं हुआ है। यह जो इस पुस्तिका में दिया गया है उसको पढ़कर मैं समय नहीं खराब करना चाहता हूँ लेकिन आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि इसकी सेकेण्ड मानीटरिंग हर दो माह बाद की जाय और जितने भी कार्यों के लिए पैसा दे दिया गया उसको अतिशीघ्र पूर्ण करा दिया जाय ताकि उसकी कास्ट न बढ़ सके। मान्यवर, दुधवा नेशनल पार्क की बात कही गयी, वुद्ध सर्किट की बात कही गयी, बरसाना, नन्द गांव की बात कही गयी, सूफी सर्किट की बात कही गयी। मान्यवर, किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए धन नहीं है बिना पैसे के कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती, धन की व्यवस्था का जिक्र किया गया, साढ़े सात करोड़ रुपये में पूरा बजट समेट दिया गया। पूरा पर्यटन विभाग। मान्यवर, तमाम छोटे-छोटे राज्य हैं, केरल हमसे छोटा राज्य है वहाँ 60 करोड़ से लेकर 80 करोड़ का एक साल का बजट है वह हमसे 1/4, 1/5 है। माननीय मंत्री जी जो महत्वाकांक्षी हैं यह योजना पूरी करना चाहते हैं इसलिए बहुत लम्बे सब्जबाग दिखाये हैं। फानी का एक शेर है जो ताजमहल पर लिखा है--

हर वफा जिन्दा और जावेद नहीं होती है,
दिल का हर दर्द कहीं दिल का कमल बनता है।
जब शहंशाह हो, इंश्क भी और दौलत भी,
तब कहीं जाके एक ताजमहल बनता है ।।

माननीय मंत्री जी के पास एम्बीसन्स हो सकता है, सपने देख सकते हैं। मान्यवर, शहंशाह, इश्क भी और दौलत भी होगी तब कहीं जाकर ताजमहाल बनता है तो इनके पास इश्क भी है, शहंशाह भी हैं लेकिन दौलत नहीं है। बिना पैसे के, बिना धन की व्यवस्था के कोई ताजमहल नहीं बनता । तो यह जितना भी भाषण माननीय मंत्री जी ने दिया है, सब ख्यालीपुलाव है, हवामहल है, जिसमें एक भी ऐसा पैराग्राफ नहीं है, जिसका हम अपने पिछले एक साल के कार्यकाल के परिप्रेक्ष्य में अनुकरण कर सकें। मान्यवर, मंत्री जी ने ताजमहल की बात कही, ताजमहल के बारे में पहले

हर हफ्ते एक समाचार पत्र छपता था, आप आगरा के समाचार-पत्र उठाकैर देख लें और चाहे तो आगरा के पुलिस अधीक्षक से पता कर लें। यह खबर मिलेगी कि किसी विदेशी को किसी स्थान पर लूटा गया, ठगा गया, चारसौबीसी की गयी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ताजमहल के 350 वर्ष मनाये, बहुत अच्छा फंक्शन आयोजित किया, नं0 आफ विजिटर्स बढ़े, बहुत अच्छी बात है और रात में ताजमहल खोलने की व्यवस्था भी की, हालांकि अधिष्ठाता महोदय, यह हमारे सरकार के समय की बात है, उस समय यह नहीं हो सका। लेकिन मान्यवर, जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उन विदेशी पर्यटकों की लुटाई न हो, ठगाई न हो, इसके लिये आप सख्ती से कानून बनायें। यदि इसके लिये आप थोड़ी भी इच्छाशक्ति जगायें तो यह कानून जरूर बनायें।

मान्यवर, हमारे बहुत से आवास गृह ऐसे हैं, अगर उनका किराया 10 से 40 प्रतिशत कम कर दिया जाय तो इस पर्यटन निगम की आमदनी बढ़ सकती है। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त विभाग यदि इसके लिए सहमति दे दे तो यह जो पर्यटन निगम का घाटा दिखाया गया है, यह मुनाफे में आ सकता है। मान्यवर, हम लोगों ने एक व्यवस्था की थी कि वहाँ का मैनेजर अपने क्षेत्र में 3 टेलीफोन जरूर करेगा, अब पता नहीं यह व्यवस्था लागू है या नहीं। माननीय मंत्री जी आप इसे लागू कर सकते है। मान्यवर, प्रकाशन की धनराशि बहुत कम रखी गयी है। पहले एक ए टू जेड पत्रिका निकलती थी, जिसमें सारा जिक्र होता था, उत्तर प्रदेश का अब उत्तरांचल के अलग हो जाने के बाद माननीय मंत्री जी यह ए टू जेड पत्रिका नये सिरे से आप छाप रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसका फायदा यह था कि जैसे कोई लखनऊ में उतरता है तो यहाँ की जानकारी के साथ-साथ उसे पूरे उत्तर प्रदेश की जानकारी हो सके और वह पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा सके। उसको एक पूरी जानकारी मिल सके कि उत्तर प्रदेश में यह-यह पर्यटन स्थल है, ये-ये आवास गृह है, उनकी भी जानकारी टेलीफोन नं0 सहित अगर उसमें हो तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये यह अच्छा काम होगा। पहले ऐसी पत्रिका छपती रही है, इसको और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है इसके लिय मान्यवर, एक ऐसा सेन्टर खोलने की आवश्यकता है, जहाँ एक टेलीफोन नं0 के माध्यम से, अगर आप किसी दूसरे प्रदेश में बैठे हों, या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में बैठे हों तो उस टेलीफोन नं0 पर हर तरह की जानकारी हासिल की जा सके। ऐसा एक सूचना केन्द्र जरूर होना चाहिये। मान्यवर, गया में सीधी चार्टर फ्लाइट विदेशों से आती है, इसी तरह गोवा में सम्पूर्ण इकनामी का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिस्टों से आता है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ कि वह बहुत एम्बीशियस तो हैं, इसलिये आगरा में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलाकर सीधे चार्टर फ्लाइट्स वहाँ आयें तो इससे बहुत फायदा होगा साथ ही उनके आगरा रुकने का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। अभी तक होता यह है कि पर्यटक सुबह दिल्ली से आगरा आते हैं और दिन भर घूमकर वापस रात में दिल्ली चले जाते हैं। अगर पर्यटक रात में आगरा में रुकने लगेंगे तो इससे आपका रेवन्यू बढ़ेगा और फारेन एक्सचेंज उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा। मान्यवर, 1857 की जहाँ पर जंग हुई, उसको अपने परिपथ में शामिल करने के बाद आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिए एक शहीद सर्किट बनना चाहिए, जो हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए और जो आजादी की लड़ाई में समय-समय पर शहीद हुए, उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली को जीवित करने की पुरानी योजना थी, अगर आप चाहें तो उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। इससे उनके क्षेत्र का भी विकास हो सकता है, उस क्षेत्र को भी पर्यटक

स्थल के रूप में डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे पर्यटन विभाग के आफिस हैं, जैसे अहमदाबाद है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं मालूम होती है, इसी प्रकार से जो आफिस हमारे उपयोगी नहीं हैं, हम उन स्थानों को बदल सकते हैं, उनके लिए किसी दूसरी जगह पर व्यवस्था की जा सकती है। जैसे अहमदाबाद की जगह पर द्वारिका और सोमनाथ हो सकता है, जैसे गाजियाबाद है, इस पर भी विचार कर सकते हैं। भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन के माध्यम से टूरिस्ट के संबंध में 5 प्वाइन्ट दिये हैं, मैं उनमें से दो पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ क्रियेशन आफ वर्ल्ड क्लास इन्फास्ट्रक्चर, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। आप भारत सरकार की गाइडलाइन्स देखें, उसी प्रकार की व्यवस्था आपको भी करनी चाहिए। जो मथुरा है, बनारस है, अयोध्या है, जहाँ पर विदेशी पर्यटक सीधे-सीधे आना चाहते हैं, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की जाए। जैसे वृन्दावन के लिए बृज सर्किट है, लेकिन वहाँ पर रात्रि में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके आधार पर वहाँ पर पर्यटक रुक सकें। चूंकि भारत सरकार की गाइडलाइन्स है और प्लानिंग कमीशन के माध्यम से दी गई है, जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा हैं, वहाँ पर इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

आप जब सत्ता में थे तो आपने इसके लिए कितना बजट प्रस्तुत किया था ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

इस बजट में कहा गया है कि कारपोरेशन के अच्छे-अच्छे आवास गृह हैं, उनकी बुकिंग इंटरनेट के माध्यम से की जाए। अगर इंटरनेट के माध्यम से बुकिंग हो जाएगी तो इससे कारपोरेशन को बहुत फायदा होगा। गाजियाबाद में जो आवास गृह है, वह बहुत बड़ा है और काफी स्थान भी रिक्त पड़ा है, उसका उपयोग होना चाहिए। डिस्कवर योर रूट्स, देश दीपक वर्मा जब सचिव थे, अधिकारी थे, उनके जमाने से इसे लागू किया गया था, इसकी अभी तक कोई उपलब्धि सामने नहीं आयी है, इसकी भी उपलब्धि सामने आनी चाहिए। वृन्दावन वह स्थान है, जहाँ पर 8.17 लाख रुपये आपने दिये हैं, वृन्दावन में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए और वह अगर वृन्दावन में बनता, हम कृष्णा कुंज के नाम से बनाना चाहते थे, अगर बजट आया होता तो निश्चित रूप से यह बन जाता। 24 जुलाई, 2003 का कैबिनेट देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर हम बनाना चाहते थे। 24 जुलाई, 2003 की कैबिनेट में पास हो गया था। उसके बाद जो सरकार आयी, हमने कंसलटेंट एप्वाइण्ट किया था, उसको वापस ले लिया और योजना समाप्त कर दी गयी ।

मान्यवर, अगर यह बन जाता तो ताजमहल के समकक्ष होता और ऐसा स्थान होता कि पूरे हिन्दुस्तान के लोग उसे देखने आते। 24 जुलाई, 03 की केबिनेट में 50 लाख रुपया स्वीकृत हो गया था टोकन मनी के रूप में। यह 50 करोड़ रुपये की योजना थी। अगर बजट आ जाता तो जो माननीय रिजवी साहब पूछ रहे थे, उनको पूछने का मौका नहीं मिलता। परन्तु हमें वक्त नहीं मिला। इसी प्रकार से चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या और हरिद्वार के उत्तरांचल में चले जाने के बाद हमने

योजना बनाई थी गढ़मुक्तेश्वर को विकसित करने की। 5 करोड़ रुपये की योजना थी। माननीय मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ से गढ़मुक्तेश्वर लगा हुआ है लेकिन इस बजट में गढ़मुक्तेश्वर के बारे में एक लाइन भी नहीं कही गयी है। गढ़मुक्तेश्वर में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं लेकिन उसे विकसित करने की कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहाँ लाखों लोग गंगा के ऊपर आस्था रखते हैं, तो आपको गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार के पैटर्न पर विकसित करना चाहिए। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक यह संभव नहीं है। जहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, उन लोगों की सुविधा के हिसाब से इस बात की जरूर चिंता की जानी चाहिए कि उनकी आवश्यकता क्या है और उनको सुविधा किस प्रकार से दी जा सकती है ? खाली नारों और केवल मात्र कह देने से कुछ नहीं हो सकता। छोटी काशी नैमिषारण्य और गोला-गोकरणनाथ, जहाँ हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लोग आते है लेकिन यहाँ के लिए भी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में एक पैसे का भी प्रस्ताव नहीं रखा है। अभी कहेंगे कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लो और बजट पास कर दो। मैंने शाहजहाँपुर-मोहम्मदी मार्ग को चौड़ा करने के लिए वर्ष 1991 में जब राज्यमंत्री नगर विकास था उस वक्त 30 लाख रुपये दिया था, और योजनाओं से काटकर स्वीकृत कराया था, मोहम्मदी मार्ग को चौड़ा करने के लिए। अब शाहजहाँपुर-मोहम्मदी मार्ग हाट-मिक्स से बनने जा रहा है। मान्यवर, दुधवा पार्क में न सड़क है, न बिजली है, बिजली की कटौती रोकने के लिए रोज सरकार से माँग होती है। माननीय राजस्व मंत्री जी अगर आप शाम को 6.00 बजे पहुंचे तो लुट जायेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे लिए नहीं, अपने लिए, इस बात पर विचार करें कि वहाँ बिजली की कटौती से मुक्त करें। जब तक इच्छा शक्ति के साथ या करने की नीयत नहीं होगी और पैसे की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती । माननीय मंत्री जी के बजट भाषण में कोई सार नहीं था, न ही कोई ऐसी योजना थी जिसका समर्थन किया जा सके। मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं उस पर बल देता हूं और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि इस पर अपने विचार रखें। इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी कौकब हमीद साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा बजट लाये हैं। पहली बार ऐसा लगा कि पर्यटन विभाग कुछ करने जा रहा है और उसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति है। मान्यवर, मैं उनको इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि बहराइच में सैय्यद सालार मसऊद गाजी की दरगाह है। जहाँ पर लाखों पर्यटक आते हैं और वहाँ पर बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं। उसको सूफी सर्किट में ले लें तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि केवल दुधवा ही अकेला ऐसा क्षेत्र नही हैं जहाँ गैंडे मिलते हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बहराइच में चार गैंडे नेपाल से आ गये हैं जो पिछले 5 सालों से वहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त बहराइच में डालफिन मछली मिलती है जो और कहीं नहीं मिलती। इत्तेफाक से मंत्री जी वहाँ पर जा चुके हैं। उस क्षेत्र को पर्यटन में ले लें और योजना में शामिल कर लें तो निश्चित रूप से पर्यटन स्थलों के उत्तरांचल में चले जाने से जो कमी हुयी है वह पूरी हो जायेगी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बधाई देता हूँ।

*श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर बोलने के लिए आपने जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । बजट 13 करोड़, 68 लाख, 41 हजार का है जबकि इसको 3-4 सौ करोड़ रुपये का होना चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है भाषण ज्यादा और बजट कम पेश हो रहा था। माननीय मंत्री जी ने ताज का बहुत जिक्र किया। ऐसा लगता है कि उनका दिल जवान हो गया है। ताज की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो गया है। लेकिन भाभी जी से थोड़ा सा सतर्क रहियेगा। यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र किया है लेकिन बजट में कबीर दास जी का जिक्र नहीं है। वह सांप्रदायिक सौहार्द्र के प्रतीक थे। मगहर कबीर का स्थल है जिसका जिक्र नहीं किया गया है। कबीर दास जी बहुत बड़े विचारक थे लेकिन उनका जिक्र मंत्री जी भूल गये तो इसको भी शामिल कर लें। मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध जिनके विचारों और सिद्धांतों से हिन्दुस्तान का अस्तित्व पूरे विश्व में है उन्हीं भगवान बुद्ध के लिए 20 एकड़ जमीन दी गयी है जहाँ पर उनकी स्टैचू विदेशी बनायेंगे। मैं कुशीनगर की बात कर रहा हूँ मुझे ताज से कोई विरोध नहीं है। ताज को एक बार देखने लोग आयेंगे लेकिन भगवान बुद्ध की स्थली का दर्शन करने लोग बार-बार आयेंगे लेकिन भगवान बुद्ध का दर्शन करने 62 कन्ट्रीज के लोग आते हैं। वहाँ के लिए कोई विशेष पैकेज होना चाहिए । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक गुरम पोखरा है जहाँ पर दुर्गा माता जी का मंदिर है इसको भी अपने बजट में शामिल कर लें। मेरे यहाँ सहजनवा में 22 लोग शहीद हुये थे। दोहरिया में शहीद स्थल योजना को बजट में शामिल कर लें तो निश्चित रूप से वहाँ पर्यटन का विकास होगा और मैं कहूँगा कि बजट 13 करोड़, 69 लाख, 41 हजार से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया जाय। नहीं तो एक रुपया कर दिया जाय।

*श्री उज्जवल रमण सिंह--

माननीय मंत्री जी के द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 5-10 वर्ष में जितने टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आये हैं उन्होंने मात्र एक साल में उतने पर्यटक प्रदेश में लाने का काम कर दिया है। मान्यवर, आज आगरा हमारा प्रमुख पर्यटक स्थल है माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने ताज महोत्सव शुरू किया आज पर्यटक सबसे ज्यादा आगरा में आते हैं। उत्तरांचल चले जाने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि प्रदेश में पर्यटक स्थलों की कमी है बाकी जगह जहाँ पर समुद्र हैं, पहाड़ हैं वहाँ पर्यटक ज्यादा आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन्होंने इलाहाबाद का नाम नहीं लिया इलाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र जहाँ हर साल माघ मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं इसके अलावा अर्ध कुम्भ हर 6 साल बाद आता है व कुम्भ हर 12वें साल होता है जिसमें पूरे विश्व के लोग वहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं इलाहाबाद ऐतिहासिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, साहित्यिक नगरी है मैं चाहूँगा कि इलाहाबाद के बारे में बजट बढ़ाने पर विचार करें। इलाहाबाद और बनारस में आगरा के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आगरा के बाद सबसे ज्यादा बनारस में आते हैं। बौद्ध परिपथ के लिए तो जापान से पैसा आ सकता है लेकिन बनारस के लिए और इलाहाबाद के लिए आपको अपने संसाधनों या प्राइवेट संसाधनों से या भारत सरकार के माध्यम से पैसा लगाना पड़ेगा इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इन जगहों पर ध्यान दें जिससे इन क्षेत्रों का विकास हो सके। इसी के साथ मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी माननीय मंत्री जी ने जो स्वप्नलोक का बजट प्रस्तुत किया मैं उस समय इसे स्वप्न लोक का बजट कह रहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह कैसे मान लिया । लेकिन यह कल्पनालोक का बजट है। मैं सरकार का ध्यान चौरी चौरा की ओर ले जाना चाहता हूं जहाँ से क्रांति का बिगुल बजा था उसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। इसको भी बजट में शामिल कर लें। क्योंकि एक पैसे का प्राविधान इस स्थल के लिए नहीं किया गया। गौतम बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती जहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं वहाँ पर लंका के, कोरिया के, जापान के सबके मंदिर हैं इन मंदिरों के बने होने के बावजूद वहाँ पर जो विदेशी लोग आते हैं उनके साथ जो एक-आध घटनायें हुई है उसके कारण पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। श्रावस्ती जो गौतम बुद्ध की तपोस्थली है उसके आस-पास शक्ति पीठ है देवी पाटन जो एक शक्ति केन्द्र है इसके अलावा वहाँ 10-5 कि0मी0 दूर शिव मंदिर है जो कि हजारों वर्ष पुराने हैं जो पर्यटक श्रावस्ती जाते हैं वह इन मंदिरों में भी जाते हैं इसमें एक शिव मंदिर में ।। फीट शिवलिंग है जो कि एशिया में सबसे बड़ा है इस सारे स्थलों को विकसित किया जाय जिससे जो उत्तरांचल के चले जाने से पर्यटन में कमी हुई है वह इन स्थलों को विकसित करने से पूरी हो सके। मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय क्योंकि इनके पास कोई बजट नहीं है और इसके स्थान पर एक रुपया कर दिया जाय।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया)--

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2005-2006 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, जिस तरह से माननीय पर्यटन मंत्री ने अपने दृष्टिकोण को, अपने चिन्तन को इस सम्मानित सदन के समक्ष रखने का काम किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। अभी हमारे विपक्ष के कई माननीय सदस्य बजट पर बोल रहे थे किसी ने इसको स्वप्नलोक का बजट कहा तो कोई इसको मुंगेरी लाल के सपने कह रहा था। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति में चिंतन नहीं होगा, सोच नहीं होगी, आगे की तरफ देखने का विचार नहीं होगा तो वह कभी प्रगति नहीं कर सकता है। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने बोद्ध सर्किट का जिक्र किया, महाभारत सर्किट, सूफी सर्किट की बात कही। ताज महल को जिस तरह से महिमामंडित करने की बात की जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और विश्व के आठवें आश्चर्य में आता है। जिसका कि 350 वर्ष मनाने की बात कही गई, ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। ताज महल जो कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जिसको कि चाँद के दूधिया प्रकाश में देखने के उत्कृष्ट अभिलाषा न सिर्फ भारतवर्ष के लोग करते हैं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लाखों लोगों के मन थी उनकी इस अभिलाषा को पूरा करने का काम किया है कि अब लोग इस ताजमहल को, प्रेम के प्रतीक को जिसको चांद की दूधिया रौशनी में देख पाने की तड़प थी कि काश हम इसको चाँद की दूधिया रोशनी में देख पाते, को पूरा करने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने इस बजट को काल्पनिक कहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने पर्यटन के बारे में सोचने का काम किया है, देखने का काम किया है, नई सोच के साथ बात की है, पर्यटन की नई संभावनाओं की बात की है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि नई संभावनाओं की तलाश ही पर्यटन का नाम है। पर्यटन स्वयं विकसित नहीं होता। नई सोच के साथ पुरानी चीजों में पर्यटन ढूँढना होता है। आपने इसे ढूँढने का काम किया है प्रदेश के कोने-कोने में जाकर। मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शूकरखेत पसका है उसको विकसित किये जाने की आवश्यकता है। इलाहाबाद की तरह यहाँ भी कल्पवासी एक माह कल्पवास करते हैं। इसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लखीमपुर खीरी के अंतर्गत दुधवा नेशनल पार्क है। माननीय मंत्री जी ने इसको अपने उद्बोधन में प्रदेश के दूसरे पर्यटन स्थल के रूप में कहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आने जाने के मार्गों के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है। भोले शंकर की नगरी गोला गोकरन भी यहाँ से कुछ कि0मी0 की दूरी पर है। यह भी पर्यटन में आता है और इसको विकसित करने की जरूरत है। यहाँ पर बाकेगंज-कुकरा से होते हुए मार्ग बना दिया जाय तो पर्यटकों को 25 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि पैला विधान सभा के विकास खण्ड विजआ में गदई नाथ का मंदिर है, मडहाबाबा है, यहाँ पर दो बार मेला लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, इनको भी विकसित किये जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि दुधवा नेशनल पार्क है वहाँ मिलिनिया ग्राम में एक गैंडा भगा। दुधवा नेशनल पार्क के गैंडे ने मिलिनिया ग्राम के एक व्यक्ति को मार दिया। वह पर्यटक स्थल है लेकिन वहाँ सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ सुरक्षा हेतु एक बाउण्ड्री वाल बनाई जाए। मान्यवर, दिल्ली के पर्यटक के रूप में एक महिला वहाँ आई वहाँ के कर्मचारियों ने दुधवा नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ गैंडे के सींग रखकर एक लाख रुपया उससे वसूल करने का काम किया। इसी तरह मान्यवर, पाँच साल पहले आई0 ए0 एस0 महिला वहाँ आई तो वहाँ के अधिकारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इसी तरह से मान्यवर, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाये वहाँ पर्यटक आते हैं लेकिन वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है वह लोगों को फंसाने का काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री राजेश कुमार--

वहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं तो उनको पकड़ कर जेल भेजने का काम किया जाता है। फारेस्ट ऐक्ट के अंदर उनको जेल भिजवाने का काम किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री राजेश कुमार--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बंशीधर राज--

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की पर्यटन व्यवस्था को पूरे विश्व के नक्शे पर सुदृढ़ बनाने का कार्य किया है। इसलिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इन्होंने पर्यटन क्षेत्र को खोज करने का काम किया है और नये क्षेत्रों की खोज करके पर्यटन का बढ़ावा देने का काम किया है। मान्यवर, उत्तरांचल से जबसे अलग हो गया है उसके बाद भी पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम किया है। इसके लिए भी यह बधाई के पात्र हैं। कुछ बिन्दु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो विचारणीय हैं। मान्यवर, लखीमपुर खीरी गांव में दुधवा नेशनल पार्क का नाम लिया जाता है वह तो वहां है ही लेकिन वहां पर गोला गोकरननाथ को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भव्य तीर्थ स्थल है उसके सौन्दर्यीकरण को बढ़ाने, और उसको पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आग्रह करना चाहता हूँ कि मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मड़ियाघाट में शिवजी का मंदिर है वहां लाखों श्रद्धालु आते हैं वर्ष में दो बार मेला लगता है। तहसील मोहम्मदी में पसिगवां ब्लाक, मैगलगंज से चाह गढ़ियाघाट तक कोई संपर्क मार्ग नहीं है दो-तीन किलोमीटर का मार्ग है उसे रा0 राज मार्ग से जोड़ने का काम करें ताकि शिवजी का मंदिर उससे जुड़ सके साथ ही उसको भव्यता देने का काम करें ताकि उसका उत्कृष्ट विकास हो सके। मोहम्मदी में मेंहदीबाग है वहाँ पर केतकी का फूल खिलता है जो उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं खिलता है। वहाँ पर देवीजी का मंदिर है उसको विकसित करने की आवश्यकता है। जब मा0 खन्ना जी की सरकार थी तो वहाँ सात लाख रुपया उसके विकास के लिए दिया गया था लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ न सड़क बनी और न मंदिर का विकास हुआ। वहाँ दिया गया सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया कोई पता नहीं चला इसकी जांच कराई जाए। मेरा आपसे आग्रह है कि मेंहदीबाग को विकसित किया जाये और जो देवी का मंदिर है उसको सौन्दर्यीकरण किया जाए। दुधवा नेशनल पार्क जो बनना शेष है उसको पूरा कराने का काम करें। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि तहसील मोहम्मदी के पास ही बड़खर ग्राम है वहाँ पर अनन्य पौराणिक मानयताएं हैं का भी सौन्दर्यीकरण एवं विकास कराने का कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, समय का बहुत अभाव है और इसमें भी आपने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज पर्यटन का बजट, अपने विभाग का बजट रखते समय माननीय कौकब हमीद साहब ने जिन कल्पनाओं को शब्द देने का काम किया है, अगर उनको सिर्फ कल्पना मान लिया जाए, कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय खन्ना जी ने और उधर के अन्य साथियों ने सिर्फ इसलिए बजट की आलोचना की क्योंकि उनके अनुसार इसके लिए आवश्यक धन का

प्राविधान नहीं किया गया है बल्कि इतनी योजनाओं की चर्चा की गई, यह उनकी चिंता का विषय है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ पर्यटन अपने आप में कई विभागों से जुड़ी हुई गतिविधि का नाम है। अकेले ताजमहल के चमका देने से पर्यटन का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए वहाँ की सड़कें ठीक हों, होटल ठीक हों, कानून-व्यवस्था ठीक हो। इन कई चीजों को मिलाकर पर्यटन की बात होती है। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग का बजट आ चुका है। वन का बजट और अन्य विभागों की जो गतिविधियाँ है, उनमें सम्यक् रूप से सारी चीजों का इतना प्रावधान किया गया है और मैं यह उद्घृत करना चाहता हूँ सुरेश खन्ना जी को, उन्होंने कटौती प्रस्ताव में ही जिक्र किया है कि शाहजहांपुर से मोहम्दी की सड़क हाट मिक्स प्लांट से बनने वाली है। मान्यवर, इन तमाम गतिविधियों को बढ़ाकर पर्यटन को सही स्वरूप में विकसित किया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि आप अपनी प्राथमिकाओं को चिन्हित करते। हमारे समाजवादी दर्शन के सबसे बड़े प्रणेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जो सपने देखना बंद कर देता है, वह मर जाता है। जो आगे की योजनायें नहीं बना सकते, जिनकी दृष्टि न हो, वह अपने समाज और देश का विकास कैसे करेंगे। सचमुच में एक ऐतिहासिक बजट रखा है। पर्यटन मंत्री जी ने, मैं इसके लिए उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कोई दूसरा होता तो शायद खानापूर्ति हो जाती। लेकिन आपने पूरे उत्तर प्रदेश के पर्यटन के नक्शे को एक दूसरा स्वरूप दिया है और जितनी समस्यायें हैं उनको बिन्दुवार उठाकर उनको क्रम देने का काम जो आपने किया है, उसके लिए जहाँ मैं बधाई देना चाहता हूँ, वही प्रदेश सरकार के जो अन्य विभाग है, जो पर्यटन की गतिविधियों को बेहतर करके सुदृढ़ समर्थन दे सकते हैं, उन सभी विभागों ने अपनी भूमिका का खास ध्यान रखा है। मैं पुन: पर्यटन मंत्री जी को, जो उन्होंने शानदार बजट रखा है। उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और उनके इन बजट प्रस्तावों को पुरजोर समर्थन करते हुए, औपचारिक रूप से जो कटौती रखने का काम सुरेश खन्ना जी ने किया है, अच्छा हो, यह बजट पारित हो और सचमुच में जो विकास चाहते हैं, उस तरह का विकास हो, मुझे आशा है कि कटौती का प्रस्ताव वह वापस लेंगे, इस अनुरोध के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री, कौकब हमीद साहब ने जो बजट प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जो योजनायें पर्यटन के लिए माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताई है उसके लिए वह बधाई के पात्र है। मान्यवर, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनायें हैं और अगर इसमें इन्हें सफलता मिली तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से नम्बर एक पर आ जायेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो धन की उपलब्धता होगी और सफलता मिलेगी। आपने बागपत के बारे में बताया, वहाँ पर लाक्षागृह की सुरंगों के बारे में बताया, बहुत अच्छी योजना है। इसके बाद पर्यटन को जो बढ़ावा मिलेगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि महाभारतकालीन लाक्षागृह मेरी विधान सभा में आता है जहाँ पर पाण्डवों को मारने का काम किया गया था। लेकिन मान्यवर, उस क्षेत्र को सुधारने के लिए अभी तक कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब सुरंगें बनेंगी तब बनेगी लेकिन इस बजट से जितना भी आप धन आबंटित कर सकते हों बरनावा के लाक्षागृह को विकसित करने

के लिए दें। उसको विकसित करने से उस क्षेत्र के सम्मान के लिए अच्छा होगा और उससे लोगों की जो भावनायें जुड़ी हुयी हैं उनकी जिज्ञासा को देखते हुए भी बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात सरधना की। मान्यवर, सरधना में विश्वविख्यात चर्च है। लेकिन यह विश्वविख्यात चर्च सबसे ज्यादा उपेक्षित है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। दुनिया भर से लोग चर्च देखने के लिए आते हैं लेकिन वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बरनावा के लाक्षागृह और सरधना के चर्च को विकसित किया जाये। इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने बजट के समर्थन में और कटौती के समर्थन में अपने विचार रखे। लेकिन मैं 2-3 बाते बताना चाहता हूँ कि पर्यटन रोजगार की जड़ है। पर्यटन सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। मैं खुश होता अगर श्री खन्ना जी यह पूछते कि आपने कितने रोजगार सृजित किये या बढ़ाये हैं। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमने पर्यटन के द्वारा डायरेक्ट 13 हजार 612 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है और इनडायरेक्टली 50 हजार 590 लोगों को रोजगार इससे प्राप्त हुआ है। यह आंकड़े एक साल के है। मान्यवर, खन्ना जी ने कहा कि गुजरात में अहमदाबाद में जो हमारा आफिस है वह बंद कर देना चाहिए। मैं अहमदाबाद गया था। खन्ना जी की जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान से सबसे ज्यादा आदमी अगर कहीं जाता है तो वह गुजरात जाता है या फिर बंगाल जाता है। गुजरात के अहमदाबाद के आफिस में जो बुकिंग होती थी तो वह आपने अपने जमाने में बंद कर दी। अच्छा तो यह होता कि आप उसे विकसित करते। आपने नहीं किया तो हमने किया। यह नहीं हुआ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने देखे मैंने देखे। आपका जमाना बहुत पुराना नहीं है। अभी दो-ढाई साल पुराना है। आपने क्या किया ? कुछ तो बता दें। दो साल, तीन साल में आप कुछ तो बता दें कि मैंने यह किया। न ताज चला, न दुधवा चला, न इलाहाबाद चला, न बनारस का चला। मान्यवर, पर्यटन में भारत सरकार का बड़ा रोल होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले जमाने में जब भारत सरकार में आपकी पार्टी थी तो कितना पैसा आप लाये थे ? आपने कहा कि जो 18 करोड़ इस बजट में है इससे पूरी योजनायें हो जायेंगी ? तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो योजनायें हैं वह हमने बनाकर दे दी है। मान्यवर, वहाँ पर प्रोविजन है हर स्टेट के लिए और वह देते हैं। हमने 29 योजनायें भेजी है जिसमें 70 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है और वह सब होंगी। महाभारत पथ खोलने की बात कही गयी कि कैसे खोलेंगे यह बात सही है कि हम अकेले नहीं खोल पायेंगे। हमने ए0 एस0 आई0 से परमीशन मांगी है, इसलिए भारत सरकार को लिखकर भेजा है । और यह काम इतना बड़ा होगा कि आप ख्याल भी नहीं कर पायेंगे। आप कहते है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे है तो अगर हम यह देख भी रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और हम इस पर अमल भी करेंगे। मान्यवर, इलाहाबाद की बात आयी। मान्यवर, इलाहाबाद का जिक्र न हो तो उत्तर प्रदेश पूरा नहीं होता है। अभी अर्ध कुम्भ लगने जा रहा है 2006 में तो वहाँ पर भी जो कुछ भी होगा वह हम करेंगे। मैंने वाराणसी को आखिरी में रखा था। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह

द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड है। यह पौने तीन सौ साल पहले बसी थी, यह पुरानी सिटी है। वहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, गलियां हैं, घाट हैं, अस्सी घाट के लिए तीन करोड़ रुपया देने के प्राविधान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। अब बात यह आयी कि पैसा कम क्यों हुआ, 17 करोड़ का इतना कम प्राविधान इसमें क्यों रखा गया ? तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो पैसा पहले आप लोगों को मिलता था आपने उसको खर्च नहीं किया इसलिए इसमें कटौती होती चली गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैसा दिया है और सप्लीमेंटरी में दिया जायेगा। तो जो चीजें हमने बतायी है वह सारी की सारी होंगी। एक सरघने के चर्च का जिक्र आया और ऐतिहासिक है। बेगम समरू से यह जुड़ा हुआ है, वह पुताने की थी। उनका फोटो आपने गवर्नर साहब के भवन में भी देखा होगा। यह वेटेकन सिटी की सबसे बड़ी डोनर थी। दुनिया के चन्द बड़े डोनरों में से सबसे बड़ी डोनर थी। मैं एक बार इस संबंध में वेटिकन सिटी भी गया था, लेकिन मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि जो एक जगह बनाई थी हमने वहां सरधने में सात-आठ साल पहले वह बेकार हो गई। वहाँ लोगों का आना-जाना कम हो गया, तो हम यह बताना चाहते हैं कि वहाँ कुछ न कुछ होना चाहिए। हमारे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी भी यही चाहते है कि वहां कुछ न कुछ होना चाहिए। बाकी कुछ खास बात है नहीं। सुरेश कुमार खन्ना साहब, मैं जो कह रहा हूँ यह शब्द किताब से नहीं निकलते हैं यह दिल की सोच है और दिल से निकलते हैं।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, पर्यटन एक उद्योग है और उसके लिए प्रयास करने की उसकी सेलेब्रिटी जो है वह बहुत जरूरी है मैं यह सुझाव देता हूं , आलोचना नहीं करता हूँ, आप सफल हों, मेरी शुभकामना है, लेकिन आपको अगर उसकी सेलेब्रिटी को देखना है तो हमारा पड़ोसी राज्य का अंग है, उत्तरांचल आप वहां का लिटरेचर मंगा कर देखिये। उसमें सारे पर्यटन स्थल, कौन कहां है, कैसे कब कहां जाया जाय और कहां क्या देखें, सब जानकारी दी हुई है, उसे आप देखें और देखने के बाद वहां जाने की इच्छा अपने आप पैदा हो जाती है। आपके पास न लिटरेचर है और न तो कुछ उस तरह की सुविधा। आगरा में ताज के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है।

श्री कौकब हमीद--

आप कहें तो ताज के अलावा हम दस जगहें और आपको बता देंगे।

श्री लाल जी टण्डन--

.ताज जो हमारा हैरिटेज है उसको बनाये रखना चाहिए और उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं उसको करें, लेकिन जो और भी स्थल है उनके बारे में भी आप कुछ करें। लखनऊ अगर पूरी तरह से आप मेरे साथ घूम लें तो आपका नजरिया ही बदल जायेगा।

लखनऊ में इतनी सारी चीजें है कि शायद बहुत कम जगहों पर उतनी चीजें हों, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लखनऊ महोत्सव होता है, मैं सच कहता हूं जब मैं पर्यटन मंत्री रहा हूं मैंने लखनऊ के ऊपर एक कमेण्ट्री बनाई थी और बराबर उसमें रिकार्ड चलता रहता था, मैं लखनऊ हूँ और उसकी पूरी की पूरी संस्कृति, कितने लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी, कितने लोगों ने उसको बनाया, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है, यह सब सारी चीजें उसमें थी। मान्यवर, एक योजना मैंने

शुरू की थी गढ़मुक्तेश्वर, यह बहुत पौराणिक स्थल है और अभी सब कुछ वहां मौजूद है, जिसके बारे में पुराणों में विवरण है, सिर्फ गंगा नदी वहां से हट गई है और उसको पुराने जगह पर लाना है और उसके लिए मैंने कुछ योजना भी शुरू की थी। आपको भी उसके बारे में कुछ करना चाहिए था, लेकिन आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आन्तरिक भारत के अंदर का एक टूरिस्ट पैलेस बन सकता है, जहां सारे देश के लोग आना चाहेंगे, जब उसका इतिहास लोगों के सामने आयेगा। इसी तरह से आप खाली अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाते हैं।

वह सबको मालूम है, यहाँ कोई सूफी सन्त कम नहीं हुए हैं। आप सूफी सर्किट बनाने जा रहे हैं उसका हम स्वागत करते है। यह सूफी लोग सामाजिक और धार्मिक एकता के सेतु के रूप में काम करते हैं अगर इनको प्रचार मिले तो बहुत से लोग यहाँ आ सकते हैं जैसे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं। बस बात यही है कि हमारा वह प्रचार नहीं है चूंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये।

हमने यहाँ लखनऊ में कई हेरिटेज जोन को विकसित कराया है आप कभी कैसरबाग जाकर देख लें और पर्यटन की दृष्टि से उसे देखें, सूरज कुण्ड पार्क जाकर देख लें। गोमती के किनारे सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ है उसको देखें। लखनऊ में सबको मिलाकर केवल यह नहीं है कि यहाँ पर एक रोमी गेट है वह केवल एक हिस्सा है। आप देखें यहाँ इमामबाड़ा है कर्बला का मकबरा है हमाम हुसैन साहब का। लखनऊ एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर इस देश में जितनी प्रकार की पूजा पद्धतियाँ हैं सबके दर्शन होंगे और बहुत से स्थान देखने को मिलेगें जो हिन्दुस्तान भर में कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन यह किसी को नहीं मालूम। लेकिन आपको इसे देखना होगा और उसमें कुछ करना भी नहीं है केवल प्रचार की बात है। यहाँ पर जैन मन्दिर बने हुये हैं, यहाँ पर देवियों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ शिवाले हैं। यहाँ सूफी-सन्तों की मस्जिदें हैं, मकबरे हैं। यहाँ क्रिश्चियन के जो दोनो सेक्ट हैं, उनकी बड़ी-बड़ी चर्चे हैं और शिया-सुन्नी सम्प्रदाय के लोगों के बड़े-बड़े भवन हैं, उनको आप प्रचार देने का काम करें। आप इस हकीकत की ओर ध्यान दें।

अब अगर आप रामपुर के नवाब का स्मारक बनवाने की बात करेंगे तो हमारे भाई जान नाराज हो जायेंगे। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह हैं और जगह-जगह पर पर्यटन के विकास की सम्भावनायें हैं। हम इसको इतना महत्व दें, यह आपको देखना है। आपने बुद्धिस्ट सर्किट और सूफी सर्किट की बातें कही। आप इनका एक लिटरेचर अलग-अलग बनवा दें इसी तरह से अवध का एक अलग से बनवा दें और उसमें जितनी जरूरी सूचनायें हो सकती हैं उनका उल्लेख रहे। जैसे एक पर्यटक को यह मालूम हो सके कि हमें फलां जगह जाना है तो हमें हवाई जहाज से यहाँ पर उतरना चाहिये या बाई रोड जाना है तो यहाँ से जाना चाहिए दूसरे, यहाँ पर ठहरने के यह-यह इन्तजाम हैं और उनके फोटोग्राफ के साथ उन साहित्य को यदि हम इफरात लोगों तक पहुँचा सकें तो यह पर्यटन के व्यवसाय को यहाँ पर तरक्की मिल सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 खन्ना जी, आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, जो कार्यवाही में दो-तीन बातें आ गई हैं उसका जवाब देना जरूरी है। मान्यवर, आपका जितना बजट है साढ़े सात करोड़ रुपये का उसके अलावा केन्द्र सरकार से आपको हर साल पाँच करोड़ से कम किसी वर्ष में नहीं मिला और जब से हमारी सरकार रही। लखनऊ में जो ध्वनि प्रकाश का कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसके लिये 90 लाख रुपये का प्राविधान हमने भारत सरकार से कराया था।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, वह बन्द हो चुका है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

उसे आप फिर से देख लें। आपका घर मंत्री जी मेरठ में हैं।

(इस समय 5 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मान्यवर, आपने तो हस्तिनापुर का नाम भी नहीं लिया, जैनियों का नाम भी नहीं लिया। आपके घर मेरठ में 87 लाख 56 हजार रुपये हमारी सरकार ने दिया, हमने दिया। जहाँ तक सवाल है बनारस से लेकर आयोध्या तक उसकी इन्होंने कभी चिन्ता नहीं की। चिन्ता की तो भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने की और हमने की, हमारी सरकार ने की। मान्यवर, बस एक बात कहकर समाप्त करूँगा 29 जुलाई, 2004 को आपकी ही सरकार का, कोकेब हमीद जी यह शीघ्रता का मामला है, 19 लाख 4 हजार का एक पुल है, नहीं बना, और उसके बाद आपने कहा कि 26 लाख में बन जायेगा आज उसकी कीमत 40 लाख हो गयी।

श्री अध्यक्ष--

यह पर्यटन में कहाँ है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह पर्यटन विभाग से संबंधित है, मैं आपको भिजवा देता हूँ।

श्री कोकेब हमीद--

मान्यवर, गलत बयानी हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

यह पुल क्या पर्यटन विभाग से संबंधित है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, पुल पर्यटन विभाग से संबंधित है, पर्यटन विभाग ने पैसा दिया आज से दो साल पहले 15 लाख रुपये पर्यटन विभाग की तरफ से राजकीय निर्माण निगम को दिया गया पहले वह 19 लाख का था फिर 26 लाख का हुआ और अब 40 लाख का हो गया और मान्यवर, मेरी एक जिज्ञासा थी कि इस वर्ष मंत्री जी कौन से प्रोजेक्ट दे रहे हैं। कपिलवस्तु बौद्ध सर्किट के नाम पर आपने 10 लाख रुपया दिया है, हमने दिया है 4509 लाख रुपये जिसमें 175 लाख रुपये रिलीज हो गये, बौद्ध सर्किट की बात करते हैं अगर हम 6 माह और रह जाते तो दुनिया में शाहजहाँपुर का नाम होता। 24 जुलाई, 2003 को कैबिनेट की बैठक की कार्यवाही मंगाकर देख लीजिए जिसमें बजट

पास हुआ था। मान्यवर, शाहजहाँपुर से मोहम्मदीपुर तक का मार्ग आज भी हाटमिक्स प्लांट से नहीं बना, शाहजहाँपुर से मछेछा तक का मार्ग आज भी अधूरा है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ, माननीय मंत्री जी से जो जिज्ञासा थी वह पूरी नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूँ।

श्री कोकेब हमीद--

मान्यवर, यह जो आश्वासन चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ अब बात आ ही गयी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि पहले यह लकड़ी का बनवाना चाहते थे तो उसका इस्टीमेट आ गया, फिर उससे कहा कि कंक्रीट का बनेगा फिर उसका इस्टीमेट आ गया, फिर कहा लोहे का बनेगा तो उसका इस्टीमेट बनकर आ गया फिर कहा स्टील का बनेगा तो उसका बनकर आ गया। यह खुद ही बदल रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह जिम्मेदार मंत्री हैं यह सदन को गुमराह करते हैं कभी नहीं कहा पहले दिन से एक ही चीज थी। एक ही चीज चाही, कैसे भी वह पुल बनवा दें, लेकिन वह नहीं बना। विभाग बदल-बदलकर इस्टीमेट देता रहा। इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ।

*श्री अरविन्द गिरि--

माननीय खन्ना साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो इन्होंने यहाँ पर कहा है, वह गलत बात कही है। इन्होंने कहा कि इन्होंने शाहजहाँपुर मोहम्मदी को जोड़ने का काम किया, उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। मैं नहीं जानता इन्होंने जो कुछ किया हो। लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने गोला-मोहम्मदी और शाहजहाँपुर को जोड़ने का काम किया है और इसे 3 महीने के अन्दर बनवाया भी है। कृपया वह रहस्योद्घाटन कर दें कि छोटी काशी गोलागोकरननाथ का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था, इसी तरह मोहम्मदी में केतकी धाम के लिये 7 लाख स्वीकृत हो गया था, उसे कैन्सिल क्यों किया गया, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रहीं, जिसके नाते इसे अस्वीकृत करने का काम किया गया ?

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, आज बजट पर सबसे ज्यादा ताजमहल की चर्चा हुयी। यह मोहब्बत की दास्तान की ऐसी निशानी है, जिस पर बहुत बातें कही गयीं। बजट रखा था माननीय कोकेब हमीद साहब ने और कटौती प्रस्ताव रखा था माननीय सुरेश खन्ना जी ने। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि इन्होंने कोई ऐसी मोहब्बत की होगी जैसी शाहजहाँ ने की थी। लेकिन कोकेब साहब मेरे साथी हैं, उनकी वफादार मोहब्बत भी वैसी नहीं है, जैसी शाहजहाँ की थी। मान्यवर, आपकी टिप्पणी के बाद ही यह ताजमहल का जिक्र पूरा हो सकता था, अत: इन दोनों लोगों की बात में कुछ कमी-वेशी करके ही इसे पारित कीजिये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,68,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय व्ययक में अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान, अनुदान संख्या 95--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 96--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

*सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,38,21,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 96--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,35,52,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी यह सिंचाई विभाग का बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि महत्वपूर्ण बातें पहले रख दें, उसके बाद कटौती का प्रस्ताव रखा जाय, और माननीय सदस्य अपनी बात कह लें, बाकी फिर आपकी तरफ से उत्तर में आ जायेगा तो इससे समय की बचत हो जायेगी और अधिक लोगों को मौका मिल जायेगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के सिद्धान्तों का उल्लेख करना चाहूँगा। वह इस प्रदेश के दो बार मुख्य मंत्री रहे थे। उन्होंने जो भूमि सुधार, कृषि, सिंचाई व्यवस्था के सुधार के लिये कार्य किये हैं, आज भी वह अनुकरणीय है। चौधरी साहब की जन्म स्थली नूरपुर है। आज मैं उनकी जन्म स्थली नूरपुर, जिला गाजियाबाद का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। वहाँ उनकी स्मृति लोगों के दिल में बनी हुयी है। हम चाहते है कि वहाँ उनकी स्मृति में बहुत कुछ किया जाए। इस दिशा में हमने एक कदम उठाया है एवं वहाँ जो नहर बनायी जा रही है, उसका नामकरण चौधरी चरण सिंह नहर किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में बनी हमारी सरकार आदरणीय चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित परम्पराओं एवं आदर्शों का अनुकरण करते हुए सदैव से ही किसानों व गरीबों की हितैषी रही है। सच तो यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह किसान और गरीब जनता की सरकार है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2005-2006 को पुराने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का वर्ष घोषित किया है। वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही लम्बी अवधि से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को गम्भीरता से लिया है। प्रदेश में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित लगभग 35 बड़ी परियोजनाएं अपूर्ण हैं, इनमें से 06 बुन्देलखण्ड, 13 पूर्वांचल क्षेत्र, 09 पश्चिमाँचल क्षेत्र, 05 मध्याँचल क्षेत्र तथा 02 नलकूप सम्बन्धी योजनाएं पूरे प्रदेश से सम्बन्धित हैं। इनमें से 12 परियोजनाएं ऐसी हैं जो 1972 से 1984 के बीच प्रारम्भ की गयी थीं। जब प्रदेश के किसानों की जमीन ली गयी थी तो सरकार का यह वायदा था कि 5-6 साल में इन परियोजनाओं को पूर्ण कर उसका लाभ किसानों को उपलब्ध करा देंगे, परन्तु 20 से अधिक साल बीत गये और किसानों को अभी तक अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। सिंचाई विभाग की यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में मैं सदन को बताना चाहूँगा कि इनमें से दो परियोजनाएं बाण सागर नहर परियोजना तथा सरयू नहर परियोजना को छोड़कर अन्य 33 परियोजनाएं वर्ष 2006 में पूर्ण करने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। सरयू नहर परियोजना को भी वर्ष 2006 में पूरा करने का हमारा भरसक प्रयास रहेगा। बाण सागर नहर परियोजना जिसमें बड़े-बड़े पक्के कार्य निर्माणाधीन तथा जहाँ वन भूमि लिये जाने एवं वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के पुनर्वास की बाधाएं विद्यमान हैं, को पूर्ण करने में 02 से 03 वर्ष लगेंगे। इनके निर्माण कार्यों में प्रगति लगातार बनाये रखने का मेरा प्रयास रहेगा। मान्यवर, वर्ष 1994 से चली आ रही कानपुर पेयजल हेतु निर्माणाधीन लवकुश (गंगा) बैराज के अन्तर्गत बैराज का निर्माण पूर्ण कर माह अप्रैल, 2005 में कानपुर शहर के भैरोंघाट पम्पिंग स्टेशन को जल उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इस योजना के अवशेष तटबन्धों के कार्यों को भी जून, 2006 तक पूर्ण किये जाने हेतु हमने कार्य योजना तैयार कर ली है।

मान्यवर, नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में निर्माणाधीन 26 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से वर्ष 2002 के अन्त तक 11 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अवशेष निर्माणाधीन परियोजनाओं से दसवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2002-07) में 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन एवं 3.52 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में 1273.09 करोड़ व्यय करके ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय जल प्रबन्ध, मध्य गंगा नहर एवं चौधरी चरण सिंह (देवकली) पम्प नहर की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजनाओं को पूर्ण किया गया तथा 1.50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन एवं 0.1174 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापना सम्भव हुआ। वर्ष 2004-2005 में हिण्डन कृष्णा दोआब की खरीफ नहरों की परियोजना को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2005-2006 में राजघाट परियोजना, टिहरी बाँध परियोजना, विभिन्न पम्प नहरों के आधुनिकीकरण पुनर्स्थापना की योजनाएं तथा 400 नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अन्य वृहत् योजनाएं जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अथवा उसके आगे चलेंगी, उनके सम्बन्ध में भी वर्ष 2005-2006 में कार्य इस प्रकार नियोजित किये जा रहे हैं कि कराये गये कार्यों से यथोचित लाभ मिल सके। वर्तमान में बोये गये क्षेत्र के सापेक्ष सिंचाई व्यवस्था नियमानुसार है। बुन्देलखण्ड में 41 प्रतिशत, पूर्वांचल में 63 प्रतिशत, मध्यांचल में 75 प्रतिशत और पश्चिमांचल में 85 प्रतिशत सिंचाई के साधन हैं। मध्यांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत खेती योग्य जमीन सींचा जा रहा है तथा पश्चिमी क्षेत्र में 85 प्रतिशत सिंचाई हो रही है।

सिंचाई व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नये नलकूपों के निर्माण के साथ-साथ 6 परियोजनाएं राजघाट नहर परियोजना, सिजार बाँध, कुरार बाँध, लखेड़ी बाँध, रसिन बाँध तथा चौधरी चरण सिंह (अगौसी) पम्प नहर का आधुनिकीकरण निर्माणाधीन है। यह परियोजनाएं वर्ष 2006 में पूर्ण कर दी जायेंगी। चार नई परियोजनाएं कचनौधा बाँध, भौरट उटारी बाँध, अर्जुन सहायक पोषक नहर तथा चौधरी चरण सिंह (लहचुरा शीर्ष) कार्य का आधुनिकीकरण व निर्माण प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव हैं। इन सभी परियोजनाओं से लगभग 1.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचन क्षमता का सृजन होगा। पूर्वांचल क्षेत्र में नये राजकीय नलकूपों के निर्माण के साथ-साथ 13 परियोजनाएं--सरयू नहर परियोजना, वाण सागर नहर परियोजना, जरौली पम्प नहर परियोजना, चौधरी चरण सिंह (भुपौली) पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, चौधरी चरण सिंह (यमुना) पम्प नहर का पुनरोद्धार, नरायणपुर पम्प नहर का पुनरोद्धार, चौधरी चरण सिंह (रामपुर) पम्प नहर, चौधरी चरण सिंह (दोहरीघाट) पम्प नहर का पुनरोद्धार, चौधरी चरण सिंह (देवेकली) पम्प नहर फेज-2 का पुनरोद्धार, चौधरी चरण सिंह (जमनियाँ) पम्प नहर का पुनरोद्धार, लखनापार बेदौला तटबंध, मानीराम डोमिनगढ़ तटबन्ध तथा बाँसी डुमरियागंज तटबंध निर्माणाधीन है। इनमें से 12 परियोजनाओं को वर्ष 2006 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है। पाँच नई परियोजनायें--चौधरी चरण सिंह (टाण्डा) पम्प नहर का पुनरोद्धार, दोहरी घाट सहायक पम्प नहर का पुनरोद्धार, धोबा पम्प नहर का पुनरोद्धार, अयोध्या में घाट निर्माण, अयोध्या में जो लोग स्नान किये हैं, वे जानते हैं, गाँव के गरीब लोग वहाँ जाते थे, घाट छोटा था, नहाने का स्थान नहीं था। वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने घाट का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है जिससे गाँव के आने वाले लोग स्नान करें और अपने घर जाएं तथा जनपद बलरामपुर में जलाशयों की पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु आर्थिक संसाधन जुटाए जायेंगे। पश्चिमांचल क्षेत्र में हिण्डन कृष्णी दोआब की खरीफ नहरें परियोजना पूर्ण की जा रही हैं साथ ही आठ परियोजनायें--पूर्वी गंगा नहर परियोजना, आगरा नहर का आधुनिकीकरण, समानान्तर हाथरस शाखा, चौधरी चरण सिंह देवबन्ध शाखा, शारदा देवहा पोषक नहर की क्षमता पुनर्स्थापना, चौधरी चरण सिंह नूरपुर राजबहे का डाईवर्जन, हर्षा कटैना बदनपुर रजबाहा तथा नन्दग्राम तटबंध का निर्माण पूर्ण कराकर वर्ष 2006 में कृषकों को अपेक्षित सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त छः परियोजनायें--चौधरी चरण सिंह कांवडिया नहर पटरी परियोजना, मथुरा में यमुना नदी सुधार परियोजना, मध्यगंगा नहर परियोजना स्टेज-2, चौधरी चरण सिंह (बदायूँ सिंचाई) नहर परियोजना, पूर्वी नहर की क्षमता पुनर्स्थापना तथा जसराना नवीन नहर परियोजना वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ किया जाना विचाराधीन है। पश्चिम के माननीय सदस्य बैठे हैं, कल शिवरात्रि है काँवरिया आते हैं, नेशनल हाई-वे बन्द हो जाता है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। काँवरिया लोग नहर की पटरी से जाएं और नेशनल हाई-वे से आवागमन चलता रहे जिससे कोई बाधा न उत्पन्न हो। इसके लिए चौधरी चरण सिंह काँवडिया नहर पटरी परियोजना हम अगले वर्ष पूरी करेंगे। मध्यांचल क्षेत्र में पाँच परियोजनायें--चौधरी चरण सिंह (डलमऊ-ए) पम्प नहर का पुनरोद्धार, लवकुश (गंगा) बैराज का निर्माण, भोगनीपुर शाखा का पुनरोद्धार, शारदा नदी पर शारदा बैराज से ऐरापुल तक तटबंध तथा घाघरा नदी के दायें तट और शारदा नदी के बायें तट पर तटबंध के निर्माण की परियोजनायें निर्माणाधीन हैं जिन्हें वर्ष 2006 में पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त खीरी शाखा (शारदा नगर) की पुर्नस्थापना, निचली गंगा नहर की पुर्नस्थापना तथा शारदा सागर बाँध की पुर्नस्थापना की परियोजनाओं हेतु भी हम संसाधन जुटा रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की सिंचाई से संबंधित खास-खास बातें आ गयी हैं, अब कटौती का प्रस्ताव रखवा दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, एक मिनट और सुन लें। नदियों से जितना दोहन करना था उस पानी का दोहन किया जा चुका है अब और अधिक दोहन की सम्भावनायें नहीं के बराबर हैं। नदियाँ सूखती जा रही हैं। जो पानी नदियों से ले करके नहरों में पहुँचा रहे हैं उसमें 25 से 30 प्रतिशत पानी छीजन द्वारा बर्बाद हो रहा है। हमने योजना बनायी है, हम उस पानी को बचायेंगे और एक-एक बूंद पानी किसान के खेतों में पहुँचायेंगे। मान्यवर, वर्ष 2005-2006 में 100 करोड़ रुपये की इसके लिए व्यवस्था की गयी है। नहर प्रणालियाँ बहुत पुरानी हो गयी हैं उनकी क्षमता घट गयी है इस वर्ष उनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास है। मान्यवर, टेहरी बांध परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करके किसानों को पानी देने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के टेल क्षेत्र में इलाहाबाद, गाजियाबाद तथा आगरा नहर के टेल क्षेत्र में जनपद मथुरा और आगरा में ज्यादा पानी पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास परियोजना पिछले साल शुरू हुई थी लेकिन नाबार्ड ने आपत्ति लगा दी थी। जितनी आपत्तियां लगी थी उनका निराकरण कर लिया गया है। पहले 5 जिलों में योजना चलाने की बात थी अब यह पूरे प्रदेश में चलाने का प्रयास करेंगे। इस परियोजना में नहर की पटरियों को पक्का करने, पशुघाट बनाने, स्नान घाट बनाने और पुल बनाने की योजना है। शीघ्र ही सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में योजना चालू की जायेगी।

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना को पिछले मंत्री जी ने शुरू किया था जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 330 नलकूप लगाये जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष 2005-06 में लगभग 600 नलकूप लगाये जायेंगे। हमने कोशिश किया है कि हर माननीय सदस्य के क्षेत्र में एक-एक नलकूप बिना सलाहकार समिति की अनुशंसा के लगाये जाएं और जिन क्षेत्रों में नलकूप नहीं लग सकते हैं वहाँ पर बंधीकरण जलाशयों का निर्माण करायेंगे जिससे सभी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा हो सके। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 400 नलकूपों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और जो बचेंगे उनका भी आधुनिकीकरण करेंगे। मान्यवर, ज्ञानपुर पम्प नहर 400 किलोमीटर लम्बी है, वहाँ केवल एक पम्प चल रहा था लेकिन आज 3 पम्प चल रहे हैं। 15-20 दिनों के बाद 6 पम्प और चलने लगेंगे जिससे पूरे 9 पम्प चालू हो जायेंगे। इस योजना का पुर्नस्थापन का समय 10 साल पहले पूरा हो गया है। इस योजना के पुर्नस्थापन का प्रस्ताव मंगाकर इसका पुर्नस्थापन कर दिया जायेगा जिससे वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद के किसानों को पानी मिलेगा। और उनके खेतों की सिंचाई हो सकेगी। मान्यवर, जब यह सारी चीजें हो रही हैं तो सिंचाई विभाग में अनुशासन और विभाग के संगठन को कुशल बनाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ मुख्यालय पर अधिकारी और कर्मचारियों को 9.25 बजे आने के लिए और अन्य क्षेत्रों में जो कार्यालय हैं वहाँ पर 9.55 पर कार्यालय पहुँचने के लिए कहा गया है। 10 से 12 बजे तक, 2 घण्टे जनता की शिकायतों को सुनने और उनका निराकरण करने तथा जो गंभीर समस्याएं हैं उनको शासन तक पहुँचाने के

निर्देश दिए गये हैं ताकि एक नई कार्य संस्कृति बने। आप जानते हैं कि जब चौधरी चरण सिंह की सरकार थी तो लोग कार्यालय 9.55 पर आ जाते थे और कार्य समय में पूरा होता था। मैंने भी ऐसी ही प्रयास शुरू कर दिया है ताकि अच्छी कार्य संस्कृति का विकास हो। मान्यवर, चेकिंग भी की जा रही है। माननीय सदस्यों की यह शिकायत थी कि जो कर्मचारी हैं वह हेड क्वार्टर पर रहते नहीं हैं और राजधानी से आते जाते हैं। मैंने ऐसी व्यवस्था करा दी है कि जो जहाँ है वहीं रहेगा अगर नहीं रहना चाहता है तो राजधानी से अटैच करा दें। जिसकी पोस्टिंग जहां है उसको वहीं काम करना पड़ेगा। यह सिंचाई विभाग का संकल्प है। इसे सदस्यों की सहमति से पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

कितना समय और लेंगे ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मैं पहली बार बजट पेश कर रहा हूँ। विभागीय कार्य पद्धति में अनुशासन और कर्तव्यपरायणता स्थापित करने हेतु चिन्हित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही की गयी है इसके अन्तर्गत 261 अधिकारियों जिसमें 5 मुख्य अभियन्ता, 16 अधीक्षण अभियन्ता, 98 अधिशासी अभियन्ता, 142 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है इनमें से 41 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है जिसमें से एक मुख्य अभियन्ता, दो अधीक्षण अभियन्ता, 21 अधिशासी अभियन्ता, 17 सहायक अभियन्ता हैं जिनको निलम्बित किया गया है। जहाँ एक तरफ गलत कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध हमने कार्यवाही का मन बनाया है वहीं अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को जो माननीय सदस्यों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र देने का प्रयास करेंगे। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सिल्ट सफाई के कार्य में माननीय सदस्यों से भी सहयोग लेंगे अगर उनकी जानकारी में कोई गलत कार्य हुआ हो तो वह हमें अवगत कराएं जिससे काम की गुणवत्ता बराबर बरकरार रहे। मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वह अपने क्षेत्र में जो सिंचाई विभाग के अधूरे कार्य हैं उनसे हमारे अधिकारियों को अवगत कराएं जिससे उन पर कार्य प्रारम्भ कराया जा सके। आज एक समस्या है सदन में भी चर्चा होती है और खासकर कानून व्यवस्था पर जब चर्चा होती है सिंचाई विभाग भी इससे अछूता नहीं है हमारे यहाँ भी असामाजिक तत्व और माफिया तत्व ठेकेदारी में हावी होना चाहते हैं हमने व्यवस्था कर दी है कि ऐसे तत्वों से मुक्त रखा जाय: जिससे अच्छा काम हो गुणवत्ता बरकरार रहे इसके लिए निविदाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वेबसाइट पर निविदा सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी है। निविदा के पत्र तीन स्थानों पर बेचे जा सकेंगे और तीनों स्थानों पर निविदाएं खोली जाएंगी और एक कमेटी बनाकर खोली जायेंगी। अगर निविदाएं एक तारीख से दस तारीख तक बेची जा रही हैं तो अगर कोई ठेकेदार 11 तारीख को निविदा डालना चाहे तो वह विभाग में ली जायेगी जिससे एक दिन में कोई माफिया इकट्ठा होकर घेरकर लोगों को निविदा डालने से वंचित न कर पाये। यह भी व्यवस्था की गयी है जिससे सिंचाई विभाग से रंगदारी माफियागीरी को समाप्त किया जा सके। किसानों की भूमि का मुआवजा पिछले 20-30 सालों से बकाया था परियोजना के लिए जमीन भी ले ली गयी और मुआवजा भी नहीं दिया गया इस हेतु मुआवजे के लिए वर्ष 2004-05 में 13.80 करोड़ की व्यवस्था की गयी वहीं इस वर्ष इसको बढ़ाकर 20.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आंकड़े आप दे रहे हैं यह परफार्मेंस बजट में होंगे। जो पालिसी मैटर हो वह बता दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

हमारे विभाग की जो फालतू जमीन है जो निष्प्रयोज्य है उस पर रोज कब्जे की शिकायत माननीय सदस्यगण करते रहते हैं माननीय सदस्य कहते हैं कि सिंचाई विभाग की फालतू जमीन पर कब्जे हो रहे हैं इसके निस्तारण के लिए एक कमेटी बना दी गयी है जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसमें प्रमुख सचिव वित्त, नियोजन, राजस्व, सिंचाई विभाग, न्याय विभाग के प्रमुख सचिव होंगे व प्रमुख अभियन्ता, विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग सदस्य रहेंगे। और यह सारी निष्प्रयोज्य जमीन जो कीमती जमीन है उसका पैसा कैसे नीलामी से हो इसको यह कमेटी करेगी। जिस तरह से नोएडा में गाजियाबाद में आंखला में सारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं। बहुत पहले डी0डी0ए0 ने जमीन ली थी और पैसा नहीं दिया और जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया। इसीलिए हमने यह कमेटी बनायी है जो इस तरह की जमीन के बारे में देखेगी और माननीय सदस्य जिनके जिले में इस तरह के जमीन के कब्जे हो रहे थे वे बता दें यह कमेटी उस तरह के सारे मामलों का निस्तारण करेगी और उससे जो आमदनी होगी उसे सिंचाई विकास की योजनाओं में खर्च ह और जो बचेगा उससे किसानों को मुआवजा बांटा जायेगा। किसानों को भी मुआवजा देने के लि संसाधन जुटाएं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी अब खत्म करें। आगे और भी है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, एक दो और योजनाओं के बारे में बताकर खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय हमने एक योजना शुरू की है सिंचाई विभाग आपके द्वारा। हमारी सरकार ने यह योजना इस वर्ष चालू की है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को 9 बजे से 2 बजे तक विकास खण्ड को केन्द्र मानकर पूर्व निर्धारित स्थल पर निरीक्षण भवन पर सिंचाई विभाग के अधिकारी शिविर लगाकर वहाँ लोगों की शिकायतें सुनेंगे और विचार-विमर्श करके उसका निदान करेंगे। जो भारी समस्या होगी विशेषकर मुआवजे की समस्या आती है, अध्यक्ष माहेदय सरयू परियोजना में इसीलिये विलम्ब हो रहा है। यह व्यवस्था कर दी गयी है कि कैम्प लगाकर एक दो बीघे के जो किसान हैं जिनकी जमीन नहर में जा रही है उसे वहीं गाँव में कोई जमीन मिल रही है तो उसकी जमीन के बदले में उसे दे देंगे ताकि नहर बनाने में कोई रुकावट न हो और समय से कार्य पूरा हो जाय। मान्यवर, एक समस्या बार-बार आती है सदस्यों को और किसानों को कि नहर खेत के सामने से जा रही है और खेत में पानी नहीं मिल रहा है। हमने प्रयास किया है कि जिसके खेत के सामने से नहर निकल रही है मेहनत करके वहाँ पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाय। अगर किन्हीं कारणों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो उनसे आवपासी की वसूली नहीं करेंगे। यह दोहरा दंड उन पर नहीं लगना चाहिए। नहरों से सिंचाई के कामों में पारदर्शिता लाने की भी व्यवस्था की गयी है। पहली बार नहरों की सिल्ट सफाई के लिये बजट दिया गया है। इससे पहले इसमें जो बजट आता था वह घालमेल में चला जाता था। यह 28 लाख की सिल्ट सफाई की व्यवस्था नाकाफी है, इसकी

बढ़ाया जाना आवश्यक है लेकिन फिर भी जो कार्य होगा उसमें पारदर्शिता होगी। नदियों, जलाशयों में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण सिंचाई कम हो पाती है। लेकिन हमारी सरकार अधिक से अधिक सींच कराने के लिये प्रतिबद्ध है वर्ष 2004-05 में खरीफ 1412 फसली में 21.14 लाख हेक्टेयर की सींच हुई थी और वर्ष 2005-2006 में खरीफ 1413 फसली में 26 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य प्रस्तावित है। मेरा प्रयास होगा कि हम लक्ष्य को पूरा कर सकें। इसी तरह से नहरों में टेल फीडिंग।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी समाप्त करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में अभी तक कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के 27 प्रतिशत क्षेत्र को ही सुरक्षा हम दे पाते हैं सबसे जयादा पूर्वांचल प्रभावित है बाढ़ से हम अपने यहाँ केवल 27 प्रतिशत क्षेत्र ही बाढ़ से सुरक्षित कर पाते हैं जबकि बिहार जो कि हमसे पिछड़ा हुआ है वह 58 प्रतिशत क्षेत्र को सुरक्षित कर लेता है। पश्चिम बंगाल में 77 प्रतिशत, पंजाब में 76 प्रतिशत एवं हरियाणा में 78 प्रतिशत क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा हो रही है। पूर्वांचल में बाढ़ एक विकट समस्या है जो किसान फसल पैदा करता है उसको छान छोलकर रखता है और बाढ़ आती है तो उसकी सारी कमाई बह जाती है। हमारी सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया है। नदियों के किनारे नये तटबंध बनाकर कृषि योग्य भूमि और आबादी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है कि वर्ष 2005-2006 में नये तटबन्धों के निर्माण हेतु 157.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बाढ़ नियंत्रण कार्यों में नदियों के किनारे नये तटबंधों के निर्माण को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए 157.72 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। जिससे नये तटबंधों की सुरक्षा का काम किया जा सके।

(मेंजें थपथपाई गईं)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल निकासी की समस्या है। छोटे-छोटे किसानों के खेतों में जल-प्लावन हो जाता है और वह खेती से वंचित रह जाते हैं जल प्लावन की समस्या से निपटने के लिए 169 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्यों के सुझाव पर ड्रेनों से सफाई होगी ताकि कृषि कार्य हेतु जो जमीन है उसको बचाया जा सके। और छोटे-छोटे किसान खेती कर सकें। नहरों की टेल फीडिंग के लिए जल उपभोक्ता समितियों को जो नहर के संचालन और निरीक्षण में सहयोग दें उसके लिए 9,504 जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया गया है। इस वर्ष जौनपुर शाखा व इमामगंज शाखा पर 418 जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण कर उन्हें परिचालन एवं अनुरक्षण के अधिकार दिये गए हैं इस वर्ष 309 जल उपभोक्ता समितियों को नहर की सफाई के लिए धन उपलब्ध कराया गया और उनके द्वारा स्वयं नहरों की सिल्ट सफाई करायी गयी उसका अच्छा परिणाम आया है। इसको और क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

कितना समय और लेंगे ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, विश्व बैंक पोषित वाटर सेक्टर हेतु 128.38 करोड़ का प्राविधान है। प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में रु0 150 करोड़ रुपया दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु रु0 50 करोड़ दिया गया है। वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत रु0 148.57 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। कृषि उत्पादन से सीधा जुड़ा है ऐसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बजट रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं बहुत देर से मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा था सुन रहा था। समझ रहा था। माननीय मंत्री जी पूरा बजट भाषण, भाषण न देकर लिखा हुआ पढ़ रहे थे तो लिखे हुए की कापियाँ सरकुलेट करा देते तो इतना समय सदन का बरबाद न होता। सिंचाई विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सारी आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि की सिंचाई की व्यवस्था जब तक सही नहीं होगी तब तक कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं सकता है। न ही कृषि कार्य अच्छी तरह से हो सकता है। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि मंत्री जी द्वारा इतना महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया है यहां कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ विस्तृत प्रकाश नहीं डाला गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ मंत्री जी ने कहा नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो क्या प्रयास कर रहे हैं किस तरह का प्रयास कर रहे हैं उन्हें सदन को अवगत कराना चाहिए। मान्यवर, मंत्री जी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि जो तमाम जगह-जगह शिकायतें हैं, नहरों रजबहों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इस बजट में इसके लिए क्या प्राविधान किया गया है ? बाढ़ से बचाव के लिए मंत्री जी ने कहा कि पूर्वांचल के लिए उन्होंने योजना बनायी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्यांचल के लिए, जैसे पीलीभीत है, जहाँ शारदा नदी का प्रकोप हर साल होता है। वहाँ पर पिछले साल तीन गाँव पूरी तरह से शारदा नदी में समा गए थे। वहाँ पी0एच0सी0 बनी हुयी थी, वह भी उसमें समा गयी थी। आपने इस बजट में वहाँ बाढ़ से बचने के लिए क्या योजनाएं बनायी हैं ? पूर्वांचल के बारे में आपने बताया है, अच्छी बात है। वहाँ बाढ़ आती है, वहाँ बचाव करें लेकिन पीलीभीत के लिए शारदा और देहुप्रा नदी से बचाव के लिए क्या योजना बनायी गयी है। जब-तब यह सुनने को मिलता रहता है और पूर्व सिंचाई मंत्री द्वारा भी कहा गया था कि नहरों की जो पटरियाँ हैं, उनको पक्का करने के लिए वृहद् स्तर पर योजना बनायी जायेगी। मुझसे भी प्रस्ताव मांगा गया था और अन्य सदस्यों से भी मांगा गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इनको पक्का करने के लिए क्या योजना बनायी गयी है ? इसके अतिरिक्त कोई भी विभाग हो, वह अपनी क्षमता के बारे में बताना चाहता है। मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नहरों की सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए वह क्या सार्थक प्रयास कर रहे है, कितनी क्षमता

बढ़ायेंगे, कितने हेक्टेयर क्षेत्र के लिए वह अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करेंगे ? अधिकारियों की पोस्टिंग के बारे में मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिस अधिकारी की जहाँ पोस्टिंग होगी, वह वहीं रहेगा, हेड क्वार्टर छोड़कर नहीं जाएगा। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही हेड वर्क डिवीजन, बरेली में स्थापित है, उसका सब डिवीजन बाइफरकेशन में है, वहां एक असिस्टेन्ट इंजीनियर श्री एस0डी0ए0 उपाध्याय की नियुक्ति है लेकिन वह बाइफरकेशन में नहीं रहते हैं और 125-150 कि0मी0 दूर से अप-डाउन करते हैं। खाली जमीनों की व्यवस्था के बारे में मंत्री जी ने अच्छी बात की है। जगह-जगह सिंचाई विभाग की जमीनें पड़ी हैं, जिन पर अराजक तत्व और भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं। मंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं उनकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश स्तर पर कमेटी बना दी गयी है, लेकिन जिलों से किस प्रकार से प्रस्ताव आयेगा, कितनी जल्दी निस्तारित करेंगे ? अगर जिला स्तर पर इसके लिए सार्थक प्रयास करें तो उनका निस्तारण आसानी से हो सकेगा। इतने बड़े प्रदेश की जमीनों का निस्तारण प्रदेश स्तर पर सम्भव नहीं होगा। सिंचाई विभाग, आपके द्वार, में ब्लाक स्तर पर शिविर लगाकर समस्याओं का निराकरण की आपने घोषणा की है। मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा प्रयास है। जगह-जगह से शिकायतें आती हैं, जगह-जगह फर्जी आबपासी बनायी जाती है। आपके जिलेदार और जे0ई0 किसानों को परेशान करते हैं, लिखा-पढ़ी से भी सुनवाई नहीं होती है। जिस तरीके से घोषणा की है, यदि उसके अनुसार शिविर लगाकर कार्य किया जाए तो उससे किसानों को सुविधा मिल सकेगी। एक बात और उत्तरांचल से जो नदियाँ आती हैं और उत्तर प्रदेश से जाती हैं, तराई की बेल्ट में बहुत खाली-ऊँची जमीनें हैं, इसके कारण वहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मंत्री जी ने जल भराव के सम्बन्ध में कोई जानकारी इस बजट में नहीं दी है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ, सैकड़ों नहीं, हजारों एकड़ जमीन इससे प्रभावित है। अगर 2 कि0मी0 भी नाला खुदवा दिया जाए तो इससे हजारों एकड़ जमीन निकल आएगी जिनके पट्टे गरीबों को किए जा सकते हैं। मान्यवर, पीलीभीत में ही नहीं अन्य अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या है। अब मैं कुछ मूलभूत समस्याओं की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, नहरों के रख-रखाव के लिए जो प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि जो प्राक्कलन तैयार होते हैं उसमें केवल 30 प्रतिशत बजट देते हैं और 70 प्रतिशत बजट नहीं दिया जाता है। तो मान्यवर, 30 प्रतिशत में कैसे रख-रखाव हो सकेगा। मान्यवर, एक समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से खण्ड हैं जहाँ पर पूरा स्टाफ है लेकिन काम नहीं है। तो इसमें मेरा कहना है कि इन्हें आप हेडक्वार्टर में अटैच कर दें ताकि विभाग का व्यय भार कम हो सके। एक बात और मान्यवर, कि बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंचाई विभाग की परियोजानाएं यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन को दी जाती है। मान्यवर, जब सिंचाई विभाग के एक्सिएन, एस0डी0ओ0, जे0ई0 जिलों में तैनात हैं तो प्रोजेक्ट कार्पोरेशन से क्यों टेण्डर करवाते हैं। और मान्यवर, 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा रेट पर बढ़ाकर दिये जाते हैं करोड़ो के टेण्डर दिये जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हर जगह सिंचाई विभाग के अधिकारी तैनात है तो उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता है। इसकी जांच कराये।

इसके साथ ही मैं कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। किसी भी नहर में पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि सिल्ट की सफाई सही ढंग से नहीं हुयी है। जिसके बारे में अभी मंत्री जी ने कहा कि नहरों

की सिल्ट सफाई की योजना बनायी गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि नहरों की सफाई की सही से मानिटरिंग होनी चाहिए कि सिल्ट सफाई सही से हो रही है या नहीं। जबकि होता यह है कि जिस नहर से सड़क जा रही है तो उसके दायें-बायें तो सफाई कर दी जाती है और बाकी को छोड़ दिया जाता है। सरकारी बजट का पूरा खर्च कर लिया जाता है। आपने एक कोलाबे की बात कही है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक कोलाबे पर 40 एकड़ भूमि की सिंचाई नहीं हो सकती है। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि 25-30 एकड़ पर एक कोलाबे की व्यवस्था करें। एक और गम्भीर शिकायत जिसकी तरफ माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ठेकेदार प्रथा। मान्यवर, शारदा सागर डेम बनने के बाद 27 कि0मी0 के एरिया में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जलाशय है। शारदा सागर डेम में जिस एक्सिएन की पोस्टिंग होती है तो वह जिस जगह से पोस्ट होता है वह वहीं से ठेकेदार ले आते हैं और उनके नाम से फर्जी टेण्डर निकालते हैं। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हैड वर्क डिवीजन बरेली में है। अभी इस सरकार के बनने के बाद शिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी मैनपुरी और राजा इण्टरप्राइजेज, जब अधिशासी अभियंता वहां गया उसके बाद रजिस्ट्रेशन पीलीभीत में हुआ। उनका एक चौथाई कार्य हो रहा है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है आप इसकी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष--

कटौती प्रस्ताव रख रहे हैं तो क्षेत्र की बात न करें।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, 7 परियोजनाएं हमारे यहां से बनकर आयी थी शारदा सहायक खंड से बनकर आयी थी। इनमें से दो परियोजनाओं की लागत 625 लाख और 265 लाख की थी, इन दोनों परियोजनाओं को हेड वर्क डिवीजन बरेली को दे दिया गया। क्या कारण है कि प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया और कार्य हेड वर्क डिवीजन बरेली को दे दिया गया। सब डिवीजन इसका वनवसा में है।

श्री अध्यक्ष--

अब आपको बाद में अवसर दिया जायेगा। आप कटौती के प्रस्ताव को रख रहे हैं तो उसकी पालिसी पर बोलें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, जो इनकी व्यक्तिगत समस्या है वह लिखकर दे दें।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, एक नहर जो हरदोई ब्रांच से निकलती है वह पीलीभीत से शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर से हरदोई जाती है। मान्यवर, हरदोई में फसलों की बोआई बाद में होती है। मेरा सुझाव है कि माधो टाण्डा परियोजना जहां से निकली हैं वहां पर रेग्यूलेटर लगा दिया जाय और दोनों रजबाहों में आवश्यकतानुसार पानी छोड़ा जाय जिससे उनको सिंचाई की सुविधा मिल सके। मान्यवर, इसके साथ ही एक अहम समस्या की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माधव टांडा परियोजना बनी थी। जिन लोगों की जमीनें उसमें गयी थीं उनको मुआवजा नहीं दिया गया परिणाम यह हुआ कि सारे काश्तकारों को हाईकोर्ट जाना पड़ा। वहां से उनको मुआवजा तो मिल गया लेकिन उनको ब्याज नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि दस साल का जो डिले हुआ है उसका आप ब्याज भी दें। मान्यवर, उसमें कुछ लोगों को ब्याज दिया जा रहा है लेकिन कुछ लोगों

को ब्याज नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, इसी के साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जो माधौ टांडा परियोजना बनी है तो वहां की भूमि रेतीली है और रेतीली भूमि बनने की वजह से नहर फटती रहती है और पानी इधर-उधर चला जाता है और लोगों से फर्जी आवपासी ली जा रही है, तो इसको भी दिखवा लिया जाय और लोगों से फर्जी आवपासी न ली जाय तथा माधौ टांडा परियोजना की पटरियों को पक्का करा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी अब हो गया।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, इसी के साथ जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, जो सिंचाई आयोग की बहुत सी सिफारिशें हैं इसका भी आप जिक्र कर देते। उनका जिक्र आपने नहीं किया है।

एक सदस्य--

इनको पता ही नहीं होगा।

डा0 पी0 के0 राय--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस पर कटौती प्रस्तुत करते हुए माननीय विनोद तिवारी जी ने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और यह इतना महत्वपूर्ण है, माननीय अध्यक्ष जी कि आप संख्या देख लीजिए कि विपक्ष में कितनी संख्या इस समय मौजूद है और माननीय विनोद जी ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लेकिन उसमें उनका नाम इस कटौती प्रस्ताव, प्रस्तुत करने वालों में माननीय विनोद तिवारी जी का नाम तक नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कितनी जागरुकता है और कितना इन्ट्रेस्ट उनका इस विषय पर है और माननीय अध्यक्ष जी होगा भी कैसे ? सन् 2002 में मैं तो खैर पहली बार चुना विधायक हूं और बाढ़ प्रभावित इलाके का हूं और देखने का समझने का अवसर मुझे मिला है सन् 2002 में बाढ़ आ गयी मेरे यहां चिल्लाने के बावजूद भी बचाव कार्य नहीं किए गए, मैंने इस सदन में कहा था और जनता के मन में यह विश्वास घर कर गया है कि बाढ़ बचाव का कार्य अन्त में इसलिए किया जाता है कि उस पैसे की लूट ठेकेदारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की जा सके और इसीलिए पैसे पहले नहीं दिए जाते। बाढ़ आ गयी श्रीमन् और सवा लाख आबादी हमारे ही इलाके में प्रभावित हुई थी और कितनी संवेदनशील सरकार थी कि सरकार का कोई भी मंत्री वहां पर देखने तक नहीं गया और जैसे ही सरकार बनी है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में तो इसके पहले जो सिंचाई मंत्री थी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, संवेदनशीलता के कारण सीधे हेलीकाप्टर से जाकर उस जगह को देखा, उसमें राज्य मंत्री जी भी गए थे, बचाव कार्य समय से हुआ तो यह सरकार बाढ़ प्रभाव के प्रति और सिंचाई के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई।)

सब देख रहे हैं जिन नहरों में वर्षों से पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी गया है, माइनरों की सफाई हुई है, टेल तक पानी गया है, यह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, शायद इसकी तारीफ उनके द्वारा भी की गयी है, लेकिन जहां तक कटौती प्रस्ताव की बात है तो यह विपक्ष का धर्म है और उनके द्वारा अपने धर्म का पालन किया जा रहा है। इसके पहले भी बजट पेश हुए हैं ऐसा मन्जर पहले कभी नहीं देखा गया। मैं इस बजट पर बल देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि बजट में बाढ़ और सिंचाई के बारे में जो बातें कही गयी हैं उसके बारे में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वह संवेदनशीलता का परिचय जो पहले की सरकारें रही हैं उनके द्वारा नहीं दिया गया है। मान्यवर, हमारे यहां गण्डक नहर है और गण्डक नहर की चर्चा माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है और गण्डक नदी जो नेपाल से आती है, जिसके ऊपर नियंत्रण न तो भारत सरकार का है और न उत्तर प्रदेश सरकार का, इसलिए उसमें कभी-कभी एक साथ पानी छः लाख क्यूसेक छूट जाता है, नहर के किनारे की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जिसके कारण नहर के किनारे के जो खेत हैं, उनका वाटर लेविल हाई हो गया है, जिसके कारण खेती को नुकसान होता है इसलिए उसके लाइनों की मरम्मत कराने के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। इसी के साथ में मेरे यहां मंझारिया ड्रेन है, चखनी ड्रेन है, उसकी सफाई का कार्य भी माननीय मंत्री जी कराने की व्यवस्था करें। इसी के साथ में पुनः बजट पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्ताव रखा गया है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कहा कि ब्लाक स्तर पर कमेटियां गठित की गयी हैं, बैठकें की गयी हैं और बैठकें करेंगे, मान्यवर, वह कितना कार्य रूप में आयेगा वह आगे समय बतायेगा। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की तरफ (सदर, सुल्तानपुर की ओर) आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में करहवा ताल है, पता चला था कि उसकी खुदाई के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है, लेकिन आज पता चला कि वह नहीं हुआ है। वह करीब 500 एकड़ जमीन वहां इससे जलमग्न होती है, उसकी खुदाई मान्यवर, बहुत आवश्यक है। इसी तरह से शारदा सहायक नहर (जौनपुर ब्रांच) के पुल का भाईसांव के पास सीधा किया जाना आवश्यक है। मान्यवर, मैं काफी दिनों से मांग भी कर रहा हूं कि इस पुल को सीधा किया जाए। मान्यवर, जिस तरह से करहवा ताल की बात आयी है, उसी तरह से हमारा विकास खण्ड कुड़वार में तराई का क्षेत्र है और यह एक गोमती के किनारे का क्षेत्र है यहां पर प्रतापपुर, नेवरा ग्राम सभाएं हैं, जहां ढाई किलोमीटर लम्बा नाला है। अतः मैं कहना चाहूंगा कि विकास खण्ड कुड़वार-प्रतापपुर एवं नेवरा के बीच स्थित ढाई किलोमीटर लम्बे नाले की खुदाई कराई जाए और उसका पक्का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। मान्यवर, हमारा नगर क्षेत्र है और गोमती के किनारे पर स्थित है। वह बिल्कुल किनारे पर स्थित होने के कारण जब कभी बाढ़ आती है तो गोमती नदी का पानी हमारे नगर के मोहल्लों में घुस जाता है। अभी मान्यवर, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न भी लगाया था कि वहां एक बन्धे की आवश्यकता है। मान्यवर, इसी तरह से गोमती नदी जो सुल्तानपुर में स्थित है, के दक्षिणी छोर पर गोमती नदी पर एक बन्धा बनवाया जाए उससे बाढ़ के दौरान जो समस्या आती है वह नहीं होगी।

मान्यवर, मेरे ही क्षेत्र में अलीगंज चन्दौकी मार्ग पर मझना-कोरारी के बीच नाले पर पुलिया की नितान्त आवश्यकता है जो दो क्षेत्रों को जोड़ती है इसके बनने से आवगमन के संबंध में लोगों को एक अच्छा रास्ता सुलभ होगा। मान्यवर, हमारे यहां एक ड्रेन है जो हाजापट्टी नरही ड्रेन के नाम से जानी जाती है इसकी सफाई बहुत आवश्यक है अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रश्न लगाया था तो जवाब आया कि यह जौनपुर ब्रान्च की शारदा सहायक नहर है और उसकी पटरी पर माननीय मंत्री जी ने बहुत पहले घोषणा की थी कि 05 किलोमीटर सड़क बनायी जायेगी। जौनपुर से लेकर आगे शारदा सहायक की नहर की पटरी पर मान्यवर, वह सड़क स्वीकृत है नहर की पटरी पर लेकिन वह कार्य कब प्रारम्भ होगा यह नहीं पता है। केवल स्वीकृत होने से बात नहीं बनेगी। मान्यवर, एक योजना पहले दी गयी थी कल्याण सिंह जी की सरकार के समय में नहरों की पटरियों पर लेपन किये जाने की, निश्चित रूप से वह एक अच्छी योजना थी क्योंकि नहरों की पटरियों पर सड़क का काम होता है तो जो मिट्टी का काम कराया जाता है उससे बचत होती है। मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं सिंचाई विभाग की कार्य पद्धति में सुधार लाने का अगर नहर की पटरियों पर सड़क बनावा देंगे तो निश्चित रूप से काम अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती अरुणा तोमर--

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सरसौल में हलुवर खेड़ा नहर है जिसकी लम्बाई 36 कि0मी0 है जो 13 किमी0 शहरी क्षेत्र में आती है और बाकी मेरे क्षेत्र में आती है इसी तरह से 10 न्याय पंचायत सरसौल में है और 20 न्याय पंचायत विधनू क्षेत्र में आती है। शहरी क्षेत्र कूड़े से भरा हुआ है, मान्यवर, वहां रजबहे की जो क्षमता है वह 140 क्यूसेक की है और लेकिन पानी 30 क्यूसेक की क्षमता से आ रहा है। उस रजबहे में 5 माइनर है जिनके नाम सुमौली सवाइजपुर, सिरमा आदि है जो मेरे क्षेत्र में है। हमारे यहां 12 न्याय पंचायत में सिंचाई न होने से किसानों को बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं आज माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि हमारे यहां पर अगर सौन्दर्यीकरण हो जाय, कुछ धन उसमें दे दें और शहरी क्षेत्र की आबादी का कार्य हो जाय तो शायद इन इलाकों में पानी पहुंच जायेगा जिससे सिंचाई की सुविधा होगी। जो हमारा क्षेत्र है गंगा और पांडु नदी के बीच में है यहां पर जलस्तर ऐसा है कि निजी नलकूप भी नहीं काम कर रहे हैं इसलिए किसानों को दिक्कत है। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं डा0 विनोद तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने आज तमाम योजनाओं की घोषणा की। मान्यवर, निश्चित रूप से उन्होंने जो घोषणाएं की उनमें से कुछ घोषणाएं पिछले वर्ष भी की गयी थीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं पिछली बार इन घोषणाओं का जिक्र पूर्व मंत्री द्वारा किया गया था जिसमें से चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना, नहर पटरी योजना की घोषणा हुई थी। नहर पटरी को 5

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि0मी0 तक हर विधान सभा क्षेत्र में पक्का करने की घोषणा की गयी थी। माननीय मंत्री जी ने जाकर नाबार्ड से पैसा मांगा इन्होंने उक्त जो योजना चलाई तो इन्हें इसके लिए पिछले वर्ष नाबार्ड से एक रुपया भी नहीं मिला इन्होंने अपने संसाधनों से 5 जनपदों इटावा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा और गोण्डा में योजना चलाई इसके अलावा एक भी जिले में योजना इन्होंने नहीं चलाई।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो योजनाओं की घोषणा की वह चौधरी चरण सिंह के नाम पर की, चौधरी चरण सिंह जी इस देश के किसानों के नेता थे, चौधरी चरण सिंह का मानना था कि देश की खुशहाली खेत और खलिहान से होकर जाती है लेकिन आज खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है नहरों में टेल तक पानी नहीं है रजबहे तक नहीं बने हैं इसलिए निश्चित रूप से ये चौधरी चरण सिंह की मंशा को पूरा करने का काम नहीं करते हैं। ये चौधरी चरण सिंह का नाम राजनीतिक उद्देश्य के लिए ले रहे हैं। मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण में पिछले वर्ष कोई कार्य नहीं हुआ। मान्यवर, इन्होंने जो भी अपना बजट रखा और जो घोषणाएं की है उसमें कुछ घोषणाओं में निश्चित रूप से स्वागत भी करता हूं इन्होंने जो क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना चलाई और 2004-05 में और जो इन्होंने पैसा भेजा, वर्ष 4 और 5 का पैसा चला गया जिससे नलकूप लगना शुरू हो गये हैं वह एक अच्छी योजना है सभी सदस्यों के क्षेत्र में जो इनकी मंशा है नलकूप लगाने की इसके लिए इन्हें बधाई देना चाहता हूं लेकिन इसको समाप्त न किया जाय बल्कि अगले वर्ष में भी इसे त्वरित गति से माननीय सदस्यों के क्षेत्र में इस नलकूप योजना को चलाया जाय। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में कूड़ेभार ड्रेन है उसमें 13 किलोमीटर सफाई नहीं हुई है। इस विधान सभा में मैंने इसे सारे नियमों में लगा डाला लेकिन आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। उसकी सफाई न होने से कम से कम 15 गांव में इतना अधिक सीपेज होता है कि इन गांव के लोगों की फसल चौपट हो जाती है उन्हें किसी भी सीजन की फसल नहीं मिल पाती है। उनका धान खराब हो जाता है, गेहूं भी खराब हो जाता है इस कारण वहां के लोग बाध्य होकर बहुत ही कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने को तैयार हो गये हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कूड़ेभार ड्रेन की अटवलगिरि तक 13 किलोमीटर सफाई नहीं हुयी है, मैं मांग करता हूं कि इस ड्रेन की सफाई करवाई जाय जिससे निश्चित रूप से 40 हजार लोगों को उनकी खेती का सही मूल्य मिल जायेगा। माननीय मंत्री जी ने कुछ बातों को रखा है, मैं उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है। बहुत अच्छा काम आपने किया, जो आपने ठेकेदारी प्रथा को रोकने का काम किया। लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि एक दल विशेष के लोगों के लिये ठेकेदारी विकल्प रखा गया है, यह उचित नहीं है, इसे समाप्त किया जाना चाहिये। मान्यवर, इसी प्रकार जिलों-जिलों में सिंचाई बन्धु बनाने का काम किया गया, लेकिन इस सिंचाई बन्धु में कहीं भी किसानों को रखने का काम नहीं किया गया और इसमें भी एक दल विशेष के लोगों को रखकर उद्देश्यों की पूर्ति करने का काम किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से किसानों को इसमें भागीदारी दी जाय। इसी के साथ हमारे सिंचाई राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि चौधरी चरण सिंह के नाम से कई योजनाओं को इस बजट में चलाने की बात कही गयी है, लेकिन एक-आध योजना राम मनोहर लोहिया जी के नाम से किये होते, इस काम में आप सफल नहीं हो पाये हैं। आपके नेता जी नाराज न हो जायं,

इसलिए मैंने उनसे यह कहने का काम किया है। इसी के साथ सिंचाई विभाग में विश्व बैंक वित्त पोषित योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है, इससे पूर्व भी विश्व बैंक पोषित योजनायें चलायी गयी हैं, लेकिन उनका हश्र यह हुआ है कि वह सफेद हाथी साबित हुयी है। जो विश्व बैंक पोषित योजनायें चलाई जाती हैं, वह विश्व बैंक से कर्जा लेकर चलाने का काम किया जाता है, यह कर्जा अनुदान नहीं होता बल्कि वह कर्ज होता है, जिसे आने वाली पीढ़ियों को चुकाना होता है। मेरा सुझाव है कि इस तरह की योजनाओं पर नियंत्रण रखा जाय, उनको देखा जाय और निश्चित रूप से इसमें होने वाले काम को पूरा किया जाय। मान्यवर, आप कई बार लालबत्ती जला चुके हैं और आपकी लालबत्ती खतरे का संकेत देने लगती है। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे यहां जो कूड़ेभार ड्रेन है, उसको 13 कि0मी0 सफाई करायी जाय, इससे निश्चित रूप से 40-50 हजार लोगों की खेती को मूल्य मिल जायेगा। अंत में, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव डा0 विनोद तिवारी जी ने रखा है, उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विश्राम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहूंगा। सिंचाई मंत्री जी ने कई ड्रेनों की सफाई व्यवस्था करायी है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैंने पिछले दिनों राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुये अपने क्षेत्र के बारे में कहा था, लेकिन उस समस्या का निदान नहीं हुआ। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बिलग्राम रजबहा है, उसकी सफाई व्यवस्था करा दें, जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहो तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। सफाई के लिये पैसा नहीं है, हर बात के लिये यही जवाब देते हैं कि पैसा नहीं है। हर महीने के शनिवार को सिंचाई विभाग की मीटिंग होती है, उसकी हर बैठक में भी यही कह दिया जाता है। कृपया इस काम को प्राथमिकता पर करा दें।

श्री अध्यक्ष--

अभी और बजट हैं जो इस बजट की मुख्य बातें थी वह माननीय मंत्री जी ने रख दी। कटौती के माध्यम से बात आ गई। अगर माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याएं आपको लिख करके दे देंगे तो क्या आप उसे दिखवा लेंगे ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

हाँ, मान्यवर, अगर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याएं लिख करके दे देंगे तो हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप अपने क्षेत्र की समस्याएं लिख करके माननीय मंत्री जी को दे दें, यह प्रोसीडिंग में नहीं आयेगा लेकिन मंत्री जी उसे दिखवा लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

यह लोग कह रहे हैं कि वह पहले भी लिख करके दे चुके हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह--

मान्यवर, आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जिस कार्ययोजना की घोषणा की है, वह अच्छी है। माननीय मंत्री जी पूर्वांचल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मान्यवर, हमारे यहां बंधा गीडा है, जो अगर टूट गया तो लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि बखिरा जिले से चोरमा नाला 20 किलोमीटर लम्बा है और वहां पर एक पक्षी विहार है, जिसके नाते वहां पर पानी रुकना आवश्यक है। इस कारण से हमारे विधान सभा क्षेत्र में पानी रुक जाता है और इस पानी के रुकने से एक हजार एकड़ जमीन प्रभावित हो जाती है। यह दो विधान सभा क्षेत्रों का मामला है, सहजनवाँ विधान सभा क्षेत्र और बखिरा विधान सभा क्षेत्र, इन दोनों विधान सभा क्षेत्रों में इसे लेकर कई बार खून-खराबा हो चुका है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस झील को दिखवा लें और पानी को वहीं तक रोकने का काम करें।

श्री अध्यक्ष--

आप इसे लिख करके दे दीजिए, माननीय मंत्री जी उसे दिखवा लेंगे।

*श्री सुल्तान बेग--

मान्यवर, मैं आभारी हूँ, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, डोढ़ा नदी के डोढ़ा ग्राम से ठिरिका हेड तक किच्छा नहर की सफाई अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह नहर कॉवर विधान सभा क्षेत्र और बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र से होते हुए निकली है और यही सिंचाई का मुख्य साधन है। इस नहर की क्षमता 25 हजार क्यूसिक की है, लेकिन उसमें केवल 10 हजार क्यूसिक पानी ही आ रहा है। जिससे हमारा पूरा विधान सभा क्षेत्र सिंचाई से वंचित रह जाता है। इसके लिए मैंने कई बार लिख करके दिया है, इसके लिए प्रोजेक्ट भी बन गया है लेकिन पता नहीं अधिकारी क्यों नहीं इस काम को कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो 25 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बन गया है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है, वह वहाँ पर पहुंचा दिया जाए। मान्यवर, यह दो विधान सभा बहेड़ी और कॉवर का मामला है। मान्यवर, डोढ़ा नदी पर पिचिंग बनाना नितान्त आवश्यक है अन्यथा पूरा का पूरा गोरिक नूर मो0 पुर गांव नदी में समा जाएगा। इसके लिए भी प्रस्ताव हो चुका है, लेकिन पिचिंग नहीं बनाया गया है, इसके लिए भी बकायदा प्रस्ताव हो चुका है, आगणन वगैरह भी तैयार हो गया है। लेकिन मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 से 14 गाँव ऐसे हैं, अगर इसी बारिश से पहले पत्थर की ठोकरें नहीं लगायी गयी तो 12-14 गाँव उसकी लपेट में आ रहे हैं और मेन रास्ता मीरगंज से लेकर मुहम्मदगंज तक जाती है। मान्यवर, सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन नदी द्वारा काटा जा चुका है। इसके अलावा ब्लाक शेरगढ़ में एक पहाड़पुर गाँव पड़ता है। डोढ़ा नदी से आधा गाँव काटा जा चुका है। मा0 सिंचाई मंत्री जी को लिखकर दिया भी था, माननीय मंत्री जी ने सर्वे करा लिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मेरी मांग है कि तत्काल पैसा दे दिया जाए और ठोकरों का निर्माण तत्काल कराया जाये, वरना पूरा का पूरा गाँव नदी में समा जायेगा। चूंकि मेरी विधान सभा क्षेत्र 4-5 नदियों के बीच में है। एक नदी पड़ती है किच्छा नदी, वहां से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किच्छा नदी निकलती है। वहां पर भकावा, अम्बरपुर, जामु बरगमा, केशवपुर, गुलरिया सहित एक दर्जन गाँव हैं जो कि नदी की चपेट में है अगर वहाँ पर पत्थरों के ठोकर नहीं लगायी गयी, तो 12 गाँवों को बचाया नहीं जा सकता। भकावा गाँव आधे से ज्यादा कट चुका है। इसका भी सर्वे कराया जा चुका है। मान्यवर, ये मेरे क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं थी, अगर बारिश के पहले काम नहीं कराया गया तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। दो विधान सभा क्षेत्र कॉवर और बहेड़ी हैं ये दोनों की 5 समस्यायें बतायी हैं, ये दोनों विधान सभा क्षेत्रों की हैं क्योंकि नदी के इस तरफ बहेड़ी है तो दूसरी तरफ कॉवर विधान सभा क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

(श्री डी0 प्रसाद अहिरवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

दो माननीय सदस्य आपके दल से बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कटमोशन रखा है और एक बोले हैं, चूंकि यह बड़ा दल है इसलिए एक माननीय सदस्य इसी दल से और बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिए इसके बाद मंत्री जी अपना उत्तर भाषण देंगे।

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं डा0 विनोद तिवारी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रदेश में जो सिंचाई की स्थिति है 25.5 प्रतिशत सिंचाई नहरों से होती है।

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कुछ समस्यायें हैं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक कोडरा गाँव है, टोंस नदी के किनारे गाँव है, उसकी आबादी 3500 है और पिछड़े वर्ग के गरीब लोग वहाँ रहते हैं। मान्यवर, इस वर्ष बाढ़ नहीं आयी, नहीं तो गाँव पूरी तरह से कटान की चपेट में आ जाता। इस गाँव के लिए दो वर्ष पहले से ठोकरें सैंक्शन है लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया गया। मैंने नियम 51 में इसे लगाया था। जो उत्तर दिया गया उसमें यह बताया गया कि नाबार्ड के पास भेजा गया है। नाबार्ड के भरोसे कब तक इसको रखा जायेगा। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इस ठोकर को लगाये जाने का पैसा जारी कर दें। आपसे पुराने वाले मंत्री जी से भी अनुरोध किया था लेकिन पैसा नहीं गया है। मान्यवर, स्थिति यह है कि इस साल अगर बाढ़ आ जाती तो 3500 की आबादी बच नहीं पाती। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कुछ ड्रेन हैं जिसकी विस्तार से खुदाई करा दें तो उससे सिंचाई होने लगे लेकिन आपके विभाग में समस्या यह है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आपके विभाग में केवल मेरा कागज-पत्र ही चलता है। कोई इन्जीनियर या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से परिचित नहीं हूं। मैं देखता हूं कि काम सही नहीं हो रहा है तो कह देता हूं कि भाई ठीक से काम करो, तो वह कह देते हैं साहब क्यों करें ? 35 से 40 प्रतिशत कमीशन ले लेते हैं। हमारे बजट का स्वरूप यह है कि एमाउण्ट घोषित करते हैं लेकिन अगर करप्शन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आधा बजट उन्हीं के पास चला जाता है, जिसकी चर्चा नहीं करनी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर इसको कंट्रोल करेंगे और काम की गुणवत्ता ठीक करा दी जाए तो कम से कम बजट में ज्यादा काम हो जायेगा। इसलिए अनुरोध है कि जो लोग घास छील कर पेमेन्ट ले लेते हैं उस प्रक्रिया को ठीक करायें। मेरे यहाँ 3 ड्रेन हैं। आंवरा, तमई और बसई ड्रेन से बहुत से गाँव कट जाते हैं उनको कटान से बचाया जाए। इसी तरह से नहरों के संबंध में जो चौधरी चरण सिंह योजना है उसके अन्तर्गत लेपन कराया जाए। बीरपुराबीरामाटी, बसनवार नराँव, कुशहाबाबा पड़री गांव की नहरों के किनारे का लेपन करा दिया जाए।

श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, मुझे अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य एक घण्टे के अन्दर लिखकर दे देते है उसको प्रोसीडिंग में जुड़वा देंगे।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हमारे यहाँ टी0एस0 बन्धा है मनियर से श्रीनगर तक घाघरा का कटान होता है और हजारों लोग इस बन्धे पर आ जाते हैं इसलिए इस बन्धे का लेपन करा दें। मान्यवर, वह सिंचाई मंत्री का क्षेत्र है और मेरी ससुराल है इससे दोनों को लाभ मिल जायेगा इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन और बजट का विरोध करता हूँ।

श्री भगवत शरण गंगवार--

मान्यवर, आपने सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण मैं कुछ मुख्य समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूँ मेरे विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में नदियों का जाल है। वहाँ एक बहुत बड़ा फीडर, अफसरा फीडर है जो शारदा सागर खण्ड शाहजानपुर के अन्तर्गत है। इससे मधुनगला, अधकटा, रब्बानी बेगम ज्योति जागौर व मुडिया चौधरी गाँव को काट दिया है तथा इस फीडर द्वारा नहर सुनौर सड़क को भी काट दिया गया है। जिससे मेरे क्षेत्र का काफी हिस्सा मुख्यालय से अलग हो गया है। इस काम के लिए 8-9 महीने पहले एक प्राक्कलन 32 लाख का बनाया गया है जो शासन में स्वीकृति हेतु पड़ा हुआ है। इस कार्य को कराया जाए इसके अतिरिक्त मेरे यहाँ जरपा-मोहानपुर गाँव दोंहा नदी के किनारे है यहाँ पर बन्धे की पिचिंग करा दी जाए। नहीं तो पूरा गाँव कट जायेगा। मान्यवर, इसी के साथ में आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, आप मुझे बोलने के लिए समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप श्री ददू प्रसाद को बोलने दीजिए।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से केवल यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुंदेलखण्ड के लिए 100 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को देने की घोषणा की है।

अभी मंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र 41 प्रतिशत है यानि सबसे कम सिंचित क्षेत्र बुन्देलखण्ड में है। तो मेरा सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुन्देलखण्ड के लिए जो 100 करोड़ रुपये दिये हैं तो यह सिंचाई विभाग को दे दिए जाएं और 21 विधान सभा क्षेत्र में बराबर-बराबर बांट दिये जाएं।

श्री सिद्ध गोपाल साहू--

जब इनकी सरकार रही तो इन्होंने कुछ नहीं किया।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

मेरे क्षेत्र में सिराथम माफी पम्प कैनाल की योजना को पूरा करवा दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, मेरा क्षेत्र घाघरा नदी और गंगा के बीच में पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने मदन गोपाल वर्मा का नाम पुकारा है। आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मेरा पूरा क्षेत्र कटान में है। वहाँ पर बरसात में भयंकर बाढ़ आती है।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्यमंत्री जी आपका नियंत्रण ही नहीं है। जो रिजवी जी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जा रहा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, रिजवी जी जो बोल रहे हैं वह इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कार्यवाही में लिखा जाय वह तो मंत्री जी को सुना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह अच्छी बात नहीं है। यही हालात रहे तो मुझे कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

*श्री मदन गोपाल वर्मा --

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। हमारे घाटमपुर में जो रजबहा है जो टकोली तक जाता है उसमें टेल तक पानी नहीं जाता है उसमें वर्ष 1988 से आज तक टेल तक पानी नहीं गया है। वहाँ के जो किसानों के यहाँ एक बार भोजन बन रहा है अगर इस रजबहे की सफाई हो जाय तो टेल तक पानी पहुँचेगा। रामगंगा नहर जो फतेहपुर से इलाहाबाद जाती है उसमें इतनी सिल्ट जमा हो गई जिसके कारण 2200 क्यूसेक पानी की क्षमता की होने के बावजूद उसमें 800 क्यूसेक पानी बहता है इससे फतेहपुर में सिंचाई नहीं हो पा रही है।

(श्री अजीम भाई के अपने आसन पर खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अजीम भाई आप दूसरे बजट पर बोल लें। इस पर आप मंत्री जी को लिखकर दे दें।

श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, पश्चिम का तो कोई सदस्य बोलेगा कि नहीं ? 2/3 समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने पूरी बात बता दी थी। अभी दूसरे बजट आ रहे हैं, उस पर बोल लीजियेगा। इसके बारे में आप लिखकर दे दीजिये। तिवारी जी आप बोलिये। अजीम भाई आप भी बैठिये, दूसरा बजट आयेगा तब बोलियेगा।

*श्री अजीम भाई --

मान्यवर, बजट दूसरा है और हमारी समस्या सिंचाई के बारे में है। उसमें सिंचाई के बारे में क्या कहेंगे। आप कह रहे हैं कि लिखकर दे दें। लिखकर तो हम तीन साल से दे रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष--

तो क्या बोलने से हो जायेगा। आप लिखकर दे दीजिये **हम प्रोसीडिंग में जुड़वा देंगे। तिवारी जी आप बोलिये।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, सदन तो व्यवस्थित करवाइये।

श्री अध्यक्ष--

अजीम भाई एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री अजीम भाई --

मान्यवर, जिस दिन से मैं यहाँ पर जीत कर आया हूँ तब से मैं अपने यहाँ की यह समस्या उठा रहा हूँ और इसे चाहे प्रश्न के रूप में लगाया हो या नियम-51में दिया हो एक ही जवाब मिल रहा है और आखिरी बार 11-2-2005 का जवाब है शासन ने यह स्वीकार कर लिया है कि धन का आवंटन नहीं हआ है और धन का आवंटन हो जायेगा तो कार्य करा दिया जायेगा। मान्यवर, हाथरस फिरोजाबाद रजवाहा 48 किमी0 लम्बी है और 0 से 36 किमी0 तक सही स्थिति में है लेकिन 36 से 48 किमी0 यह जर्जर स्थिति में है। टेल तक पानी नहीं पहुँचता है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के आसपास कोई नदी कोई नहर नहीं है, जलस्तर नीचे जा रहा है। अगर यह रजवाहा चालू हो जाये, टेल तक पानी पहुँच जाये तो किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिल जाय। यह रजवाहा फिरोजाबाद शहर के बगल से निकलता है, अगर यह चालू हो जायेगा तो फिरोजाबाद शहर का जलस्तर ऊँचा हो जायेगा। आपकी कृपा चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय तीन साल से मैं यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**(माननीय सदस्यों के लिखित भाषण अंशों को देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 220-224 पर।)

समस्या यहाँ उठा रहा हूँ। हर बार यही जवाब आता है चाहे इससे पहले की सरकार रही हो या इस सरकार में भी यही जवाब मिला है कि शासन ने स्वीकृति दे दी है, धन नहीं है धन आ जायेगा तो काम हो जायेगा। मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं बोलता लेकिन यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये जीवन-मृत्यु का सवाल है इसलिये आपकी कृपा चाहिए थी। यह काम होता है कि नहीं होता है लेकिन हम जिस काम के लिये यहाँ आये हैं, हमारे दिल की भड़ास तो निकल जायेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें समय बढ़ा दिया जाय। सब लोग बोलने वाले हैं तो क्या किया जाय ?

(श्री समर पाल सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिये।

श्री समर पाल सिंह--

मान्यवर, पश्चिम क्षेत्र की कुछ समस्या के बारे में कहना चाहता हूँ। किसी भी माननीय सदस्य ने पश्चिम की समस्या नहीं उठाई।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, हमारे यहाँ मध्य गंगा नहर का निर्माण हुआ जिसमें किसानों की जमीन चली गई किसानों को जमीन का मुआवजा दिलवाया जाय। शिकारपुर रजवाहा, सरावा रजवाहा में बहुत सिल्ट है वहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ हैं इनकी सफाई करवाई जाय और सीजनल मध्य गंगा नहर में पानी छुड़वाया जाय।

श्री समर पाल सिंह--

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसलिये आपका आभारी हूँ। दो तीन समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पूर्वी जमुना नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद के जिलों की जमीन में सिंचन का काम करती है। वहाँ विगत कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। जो किसान उसी पानी पर निर्भर हैं उनकी फसल सूख रही है। मान्यवर, यह जो समस्या है यह ताजीवाला से संबंधित है ताजीवाला हैड है और इसके लिए वह जिम्मेदार है। ताजीवाला हरियाणा सरकार के नियंत्रण में हैं वह हमारे साथ बेईमानी करके पश्चिम जमुना नहर में ज्यादा पानी छोड़ रहा है। मेरा आग्रह है इसमें केन्द्रीय सरकार से वार्तालाप करके, केन्द्रीय जल आयोग में अपना पक्ष यह सरकार रखें। मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश गढ़ मुक्तेश्वर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इसके बारे में मंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की। इस बजट में गढ़मुक्तेश्वर का विकास किस तरह किया जाएगा। दूसरी समस्या नहरों की पटरी की है पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ माननीय मंत्री जी प्रेस कान्फ्रेन्स करते हैं लेकिन वहां के लिए कुछ नहीं हो रहा है मुरादनगर से रुड़की मार्ग है वहां पटरी बनाई जाए जब

कांवड़िए उस रास्ते से जाते हैं तो नेशनल हाईवे मार्ग सात दिन तक बन्द रहता है मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पटरी का काम शुरू करा दें इसकी वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के कांवड़िए लाखों की संख्या में वहां आते हैं उनको सुविधा हो जायेगी वहां एक हफ्ते में राष्ट्रीय राज्य मार्ग बनवाया जाए। मान्यवर, कृष्णा हिंडन परियोजना है मंत्री जी ने कहा था पूरा करायेंगे वह पूरा हो गया है उसको गंगा से जोड़ दिया जाए जमुना से तो यह जुड़ा है गंगा से नहीं जुड़ा है इसको गंगा से जोड़ दिया जाए। मेरा निवेदन है कृष्णा हिंडन परियोजना को गंगा नदी से जोड़ने का काम करें।

श्री शब्बीर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं दो बातें रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र नेपाल की तलहटी से मिला है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा भकला, राप्ती नदी सीधे नेपाल नदी से बहराइच में विधान सभा चर्दा में आती है मिलती है। मेरे क्षेत्र गोरखपुर से यह जाती है इसमें मैं मंत्री जी से निवेदन करुँगा कि प्रत्येक वर्ष यहां भीषण तांडव राप्ती और भकला नदी करती है। इससे किसानों की फसल बरबाद हो जाती है हम बार-बार जिले की मीटिंगों में अधिकारियों को सूचित करते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अचानक बाढ़ आ जाती है तब अधिकारी सचेतते हैं। तो सरकार के पैसे का काम हो जाता है। मान्यवर, मलांनापुरवा-होलिया, मुडवा, बेतवी कलप्पतवा तमाम गाँव हैं जो मेन सड़क नेपाल बार्डर पर जाती हैं हजारों की संख्या में झोपड़ी हैं गरीब किसान सड़कों पर मड़ैया डालकर रहते हैं छोटी-छोटी बिल्डिंगें हैं हजारों लोगों की फसल अचानक पानी आ जाने से बरबाद हो जाती है कई जाने चली गई हैं। मेरा विशेष आग्रह है कि इस पर ध्यान दें। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ जाड़ों में भी अचानक नेपाल में बंधा जो बना है वहां पर पानी भर जाता है गर्मियों में भी तेज वेग के साथ गाँव में पानी घुस जाता है जिससे बहुत से गाँव बर्बाद हो जाते हैं, उनकी फसलों व आवास हेतु विशेष व्यवस्था करने की कृपा करें। मान्यवर, तटबन्ध इस तरह के बनाये जाएं जिससे वहां के निवासियों की जान बचाई जा सके और किसानों की फसलों को भी बचाया जा सके। मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ जनपद बहराइच, विकास खण्ड-नवाबगंज में सीमा से लगे हुए क्षेत्र शिवपुरा व रंजितवा आदि दर्सों गाँव ऐसे हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है। वहाँ पर ट्यूबवेल भी नहीं लग पाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस एरिया को दिखवा लें, उसका सर्वे करवा लें और वहाँ पर सिंचाई के लिए कुछ इस तरह के संसाधन जुटा दिये जायें जिससे वहाँ के किसानों का भरण-पोषण हो सके।

श्री वसीम अहमद--

मान्यवर, मैंने लिखकर दे दिया है, उसको आप कार्यवाही का अंग मान लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, जुड़वा देंगे। आधे घण्टे के अन्दर जो लिखकर दे देगा, उसको मान लेंगे। उसके बाद नहीं लिया जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। माननीय ओम प्रकाश जी, राम इकबाल सिंह, मुंशी लाल गौतम और कई अन्य सदस्यों ने कटौती

के प्रस्ताव पर अपने विचार रखे और यही नहीं सत्तापक्ष के तमाम सम्मानित सदस्यों ने भी अपने विचार रखें। इनमें अजीम भाई, विश्राम सिंह यादव, समरपाल सिंह जी ने अपने विचार रखे। मैं समझता हूँ, उनकी जो भावना थी वह भी कटौती प्रस्ताव के फेवर में थी। विपक्ष के सारे सदस्यों ने अपने विचार कटौती प्रस्ताव के पक्ष में व्यक्त किए और जब सत्ता पक्ष के सदस्य भी कटौती प्रस्ताव के पक्ष में ही विचार व्यक्त कर रहे हैं तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो सभी सदस्यों ने भावना व्यक्त की है, उन सभी समस्याओं को वा ली वह अपने बजट प्रस्ताव में शामिल कर लें, अगर नहीं शामिल करते हैं तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बदल देता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, हमारे बजट के समर्थन में श्री जी0एम0 सिंह, अरूण तोमर, अजीम भाई, इन सभी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और बजट का समर्थन किया। माननीय अध्यक्ष जी, तिवारी जी ने जो कहा है कि नहरों की क्षमता के पुनर्स्थापन की बात नहीं की गई है, मान्यवर, इस बजट में 10 नहर प्रणालियों की क्षमता की बात की गई है, उस पर पैसा जा रहा है जिससे सिंचन क्षमता बढ़े। शारदा सागर बाँध की योजना, नाबार्ड, में वित्त पोषण हेतु गई है। पीलीभीत की बात तिवारी जी ने कही है, 7 में से 5 का धन स्वीकार हो गया है, इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है ? माननीय सदस्य ने सुरक्षा कार्यों के अन्तर्गत बाढ़ पर चिन्ता जताई है। मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य सेक्टर से भी बाढ़ निरोधक कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में भी की गई है। इसके लिए इससे पहले कभी इतने धन की व्यवस्था नहीं की गई है। ठेकेदारों की जो बात कही, मान्यवर, प्रयास ही नहीं किया है, पहली बार 3 दिनों में टेण्डर बेंचे जायेंगे जिससे कोई माफिया सिंचाई विभाग की तरफ नजर भी नहीं उठा सके। मान्यवर, ड्रेनों की सफाई के लिए 31 मई डेट निश्चित कर दी गयी है और सारा कार्य हो जायेगा और उनका सत्यापन एक जून से 15 जून तक करा लिया जायेगा। किसी भी हालत में मेरे सिंचाई मंत्री रहते और इस सरकार के रहते बरसात में कोई काम नहीं किया जायेगा, यह भी व्यवस्था कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि चौधरी चरण सिंह देवबंद नहर का निर्माण इसलिए हो रहा है जिससे गंगा का पानी आये। सहारनपुर, गाजियाबाद और बागपत के जिलों में किसानों को खेत तक पानी मिले। मान्यवर, पहली बार यह व्यवस्था की जा रही है कि उस नहर से गंगा का पानी किसानों के खेत में पहुंचे। मान्यवर, नहर पटरी चौधरी चरण सिंह कावड़िया योजना के बारे में चिन्ता जाहिर की थी। मान्यवर, 3 सौ करोड़ रुपये की योजना आयी थी। इसकी होने वाली बैठक में अधिकारियों का मन नहीं था, लोग उसको फसाना चाहते थे। उसका फिर से पुनरीक्षण करके इस्टीमेट बना दिया गया जिससे कावड़ियों को जाने का रास्ता मिले। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना अच्छी योजना है। एक और बात आयी कि जौनपुर शाखा में 0 से 119.80 किमी0 नहर की पक्की पटरी वर्ष 2005-06 में ही करायी जा रही है। उसकी व्यवस्था है। चौधरी चरण सिंह नहर विकास योजना में प्रस्ताव मांगा गया था और उसमें मैंने अनुरोध किया कि कुछ अड़ंगा आ गया था और उसका मैंने निराकरण कर लिया। वह बहुत अच्छी योजना है। उसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। मान्यवर, नहरों की पटरियों का प्रयोग भारी वाहनों के लिए नहीं होना चाहिए। वह तो किसानों के

लिए होता है कि वह अपने बैलगाड़ी, बुग्गी आदि ले जा सकते हैं। सरकार ने योजना बनायी है कि उन्हें पक्का बनाकर नहरों को सुरक्षित किया जायेगा। मैं डा0 विनोद तिवारी जी से कहूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि शारदा सागर डेम पर रिपेयरिंग के लिए तुरन्त कार्य शुरू किया जा रहा है। तो वह कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?' और दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि 7 बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुयी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह योजनाएं शासन स्तर से स्वीकृत हुयी हैं या नाबार्ड पोषित हैं ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, जनपद पीलीभीत में 7 योजनाएँ और लखीमपुर में 1 योजना स्वीकृत हुयी है। इससे शारदा नदी के कटान को रोका जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष--

डा0 विनोद तिवारी जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,38,21,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-96-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,35,52,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान

अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,81,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

कोई इसमें कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,81,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर विचार और मतदान

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 59,65,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

कोई इसमें कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 59,65,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,32,08,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) जी रखेंगे मगर उसमें डी0 प्रसाद जी बोलेंगे।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना है।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि माननीय श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बल देने के लिए आपने अवसर दिया है। मान्यवर यह पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की 56 प्रतिशत जनता से सम्बन्धित विभाग है, ये बहुत बड़ी जनसंख्या के हितों के लिए उसके कल्याण के लिए 1995 में इस विभाग का गठन किया गया था, चूँकि अनुसूचित जातियों की तरह से ही हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है तो जिस

तरीके से अनुसूचित जाति इस सामाजिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षा, सम्पत्ति तथा अस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित की गई है, प्रतिबन्धित की गई है, उसी तरीके से पिछड़े वर्गों को भी हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षा, सम्पत्ति और अस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित किया गया है, इसलिए भारत के संविधान के अन्दर माननीय बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने संविधान में 15(4), 16(4) और संविधान में अनुच्छेद 340 में व्यवस्था किया, इन वर्गों के हितों के लिए, उत्थान के लिए उनके कल्याण के उनके आर्थिक विकास के लिए योजना बनाई जा सके।

मान्यवर, मण्डल कमीशन भी इसी के तहत आया और उसने अनेक सुझाव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए और वही सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को भी प्राप्त हुए और इसी के अनुसार 12 अगस्त, 1995 को उत्तर प्रदेश सरकार ने, कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, तत्कालीन मुख्य मंत्री बहन मायावती जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में 12 अगस्त, 1995 को शासनादेश जारी हुआ कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया जाए और इसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय और पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना हुई और इसके तहत पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया। माननीय मंत्री जी ने तो बहुत ज्यादा प्रकाश इस पर नहीं डाला है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। मान्यवर, 56 प्रतिशत जनता उत्तर प्रदेश की इससे सम्बन्धित है और एक छोटी सी पुस्तिका में इसके हितों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की इस विभाग के प्रति उदासीनता तो जाहिर ही है। मान्यवर, 632 करोड़ 08 लाख 92 हजार रुपये का मात्र उन्होंने बजट मांगा है, जिसमें यह छात्रवृत्ति वितरण है, टर्म लोन योजना, शिक्षा ऋण योजना, वित्त पोषित योजना आदि का इसमें जिक्र किया गया है। जो हम लोग अपने जिलों में, इससे सदन के सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे और सहमत भी होंगे, अपने जिलों में हम लोग देखते हैं यह टर्म लोन योजना जो है, यह बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी है, इसका कारण है अभी तक सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है और कुल पांच मण्डलों में उप निदेशक की नियुक्ति की गई है और 12 मण्डल अभी तक इसमें अधूरे हैं और 46 जिलों में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की गई बाकी 24 जिलों में अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। इस पुस्तिका में कहा गया है कि छात्र-वृत्ति वितरण की जाती है तो इसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी इसका समय-समय पर सत्यापन करते हैं परन्तु अध्यक्ष महोदय, जब पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जिलों में नियुक्त ही नहीं हैं तो इसका सत्यापन कौन करेगा ? इसमें आप स्वयं और सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत हो सकते हैं कि छात्र-वृत्ति योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है।

मान्यवर, पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्र-वृत्तियां नहीं मिल रही थीं। इसी प्रकार से जो टर्म लोन योजना है उसमें यहाँ से फाइल का पता नहीं चलता। मेरे क्षेत्र का एक मैटर आया था उसकी फाइल यहाँ से गायब कर दी गयी। मान्यवर, बड़े पैमाने पर इसमें अधिकारियों की उदासीनता के कारण अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का अवसर मिल रहा है। मंत्री जी इसे गम्भीरता से दिखवायें और इस पर सख्त कार्यवाही करने का काम करें। मान्यवर, पिछड़े वर्ग के कल्याण के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कुम्हारी कला उद्योग है इसमें बड़ी योजनाओं पर ऋण देने की आवश्यकता

है। अब जैसे ईंट भट्टा उद्योग है अब वह बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथों में चला गया है। जबकि ईंट भट्टा उद्योग सीधे-सीधे कला की दृष्टि से और कुम्हारी से जुड़ा मामला है तो इसमें बड़े ऋण देकर उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी तरह से काष्ठ-कला उद्योग है यह बढ़ई समाज के लोगों का काम था लेकिन यह भी बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथ में चला गया है। अब लौह उद्योग टाटा के हाथ में आ गया है। इसको देखते हुए पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये आपको गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। मान्यवर, लघु उद्योग के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री जी एक प्रशिक्षण निदेशालय खोलने की आवश्यकता है। यदि आप पिछड़े वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं। इसमें मैनेजमेन्ट गट्स पिछड़े वर्ग के उद्यमियों में पैदा हो जायेंगे। आप देखें कि बड़े-बड़े सरमायेदार आज छाये हुए हैं जबकि अति पिछड़ी जातियां हैं, उनमें प्रबंधकीय क्षमता नहीं हो पाती है और हम लोग केवल मजदूर के मजदूर ही बने रहते हैं और दूसरे बड़े उद्योग धंधे की खोलने की क्षमता विकसित नहीं कर पाते हैं इसलिये आज ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की आवश्यकता है जिसमें उद्यमियों को उद्योग के बारे में ट्रेनिंग दी जा सके। इसी तरह से जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

*श्री पूर्णमासी देहाती--

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जो बजट के प्राविधान रखे गये हैं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये यह बहुत ही कल्याणकारी बजट है। मैं केवल एक बात निवेदन करूंगा कि जैसे समाज कल्याण विभाग के बजट में अनुसूचित जाति वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी के लिये अनुदान देने का प्राविधान है और गरीब मरीजों के लिये इलाज के लिये अनुदान का प्राविधान है उसी प्रकार आप भी विचार कर लें कि जो पिछड़े वर्ग की गरीब जाति की लड़कियाँ हैं उनकी भी शादी के लिये अनुदान की व्यवस्था की जाये और जो पिछड़े वर्ग के गरीब लोग हैं, उनके इलाज के लिये अनुदान की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, बजट सराहनीय है मैं इसका स्वागत करता हूँ।

श्री शाकिर अली--

मान्यवर, इस पर श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह जी) ने कटौती का प्रस्ताव रखा और श्री ददू प्रसाद जी ने अपने विचार रखे तथा पूर्णमासी जी ने भी अपनी राय रखी इस तरीके से हमें विभाग की नीति बनाने में काफी बल मिलेगा। मान्यवर, एक बात आयी कि पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सभी जिलों में नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि 46 जिलों में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं। 25 जिलों में नहीं हैं उनको भी तैनात किये जाने का विचार है। पूर्णमासी जी ने जो अनुसूचित जाति की तरह पिछड़ी जाति की गरीब बच्चियों को उनकी शादी के समय अनुदान देने की माँग की है तो उसमें मेरा कहना है कि संसाधन जैसे होंगे वैसे ही इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)--

मान्यवर, जी नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,32,08,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान

संख्या-39--भाषा विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39--भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,97,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39--भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,97,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-92--संस्कृति विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92--संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 14,11,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92--संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 14,11,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,02,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,02,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,94,87,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,94,87,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 28,06,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 28,06,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय-वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान, अनुदान संख्या-14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,62,30,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष --

धर्मपाल जी आप कटौती प्रस्ताव रखें।

(श्री धर्मपाल सिंह के खड़े होने पर।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कोई दूसरा अनुरोध नहीं करना है। जिसके पास जिस मंत्रालय का प्रभार होता है, उसका वह कटौती प्रस्ताव नहीं रखते हैं, धर्मपाल जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आज वह माननीय सदस्य हैं, इसलिये रख सकते हैं।

श्री बलराम यादव--

मान्यवर, मैं कुछ खास बातें बजट के संबंध में रखना चाहूँगा। जो हमारा आय-व्ययक प्रस्तुत हुआ है, इसका साहित्य सभी सम्मानित सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। मान्यवर, थोड़ा सा निवेदन हमें यह करना है कि पिछले वर्ष जो हमने यहाँ बजट प्रस्तुत किया था, इस सम्मानित सदन में इस 2004-2005 के बजट के सापेक्ष हमारे परिव्ययों को चुकाने के लिये इस वित्तीय वर्ष में 23 प्रतिशत से अधिक धनराशि रखी गयी है। हमारे इस बजट में थोड़ा सा युवा कल्याण का भी हिस्सा प्रस्तुत है। मान्यवर, पंचायती राज विभाग में क्रियाकलापों को पूरा करने के लिये पहली बार 38 प्रतिशत बजट में वृद्धि की गयी है। मान्यवर, जो पिछली बार खड़ंजा, नाली निर्माण कार्य के लिये 2004-2005 में 6 करोड़ 44 लाख 25 हजार रुपया रखा गया था, वह इस बार 23 करोड़ 16 लाख बढ़ाकर लगभग 260 प्रतिशत की वृद्धि इस वर्ष के बजट में की गयी है। इसी तरह से पंचायत भवन निर्माण के लिये 5 करोड़ 47 लाख 32 हजार रुपया पिछले वर्ष रखा गया था, जबकि उसके सापेक्ष इस वर्ष 27 करोड़ 7 लाख 50 हजार रुपया यानि लगभग 395 प्रतिशत की वृद्धि इस साल के बजट में प्रस्तावित है। आज यह सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि और विशेष रूप से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, जो इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, पंचायती राज विभाग के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिये उन्होंने इतना अधिक धन देकर इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इस सदन के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। पिछले वर्ष जो भी हमारे लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को हमने प्राप्त किया है। जितना भी परिव्यय हमें दिया गया था, वह सभी धन अवमुक्त होकर, सभी [illegible] खर्च हो जायेंगे। मान्यवर, मुझे यह सूचित करते हुये हर्ष है कि इस वित्तीय वर्ष में [illegible] अनुशासन बहुत ही ठीक ढंग से रहा है। जो हमारे अनुमान थे, उसके अनुसार धन

समय से अवमुक्त होने के कारण किसी भी विभाग में कोई कार्य अवशेष नहीं बचेगा, जिसके कारण निश्चित रूप से हमारी प्रगति हुयी है। हमारे 79 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं और पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था उनके विकास के लिये काम करती है। मैं समझता हूँ कि आजादी के पूर्व, आजादी के बाद और आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो उस समय महात्मा गाँधी ने ग्राम स्वराज का जो सपना देखा था, उसी को आदर्श मानकर उसी को निर्देश मानकर आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों से प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, 73वाँ संविधान संशोधन के बाद जो नया पंचायतों का स्वरूप इस प्रदेश में आया था, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में कुछ चीजें केन्द्र के द्वारा की गयी थीं, वह सभी राज्यों के लिये अनिवार्य थीं, इसमें कुछ कार्य राज्य को करने थे यह हमारा सौभाग्य है कि उस समय हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। जो राज्य के विषय थे, जिन विषयों पर राज्य को निर्णय लेना था, विधायी व्यवस्था और संगठन, जो इस समय हमारे सामने हैं, वह उसी समय की देन है। वर्ष 1995 में हम लोगों ने पंचायतों के चुनाव कराने का काम किया था। बहुत से राज्यों में संविधान संशोधन के बाद समय से चुनाव नहीं कराये गये थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों के चुनाव समय से कराये थे और पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए जितने विधायी कार्य करने थे।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में किये गये थे। 73वें संविधान संशोधन की मंशा थी कि जो विभाग गाँव की सेवा में हैं, उनका दायित्व पंचायत विभाग को सौंप दिया जाए, प्रारम्भिक दौर में उनको कार्य सौंपा गया लेकिन थोड़े ही समय के बाद बहुत से विभागों को पुन: वापस कर दिया गया। आज 10 विभाग ग्राम पंचायतों के पास, 06 विभाग क्षेत्र पंचायतों के पास और 21 विभागों के निर्देशन का दायित्व जिला पंचायतों के पास हैं। आज एक ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपये विभिन्न अनुदानों के माध्यम से दिये जाते हैं, लेकिन उनके लेखों के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। पहली बार 04 वर्षों के लेखों के रखरखाव के लिए चार्टेड एकाउन्टेंट के द्वारा ग्राम पंचायतों के लेखे-जोखे का रजिस्टर तैयार करने के लिए केवल आदेश ही नहीं किया गया बल्कि ग्राम पंचायतों को 72 करोड़ 83 लाख 78 हजार रुपये दिये गये। प्रत्येक पंचायतों को 04 हजार रुपये लेखों के रख-रखाव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए दिये गये हैं। विकास खण्ड, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के कार्यालयों को पाँच हजार से अधिक आवादी वाले गांवों की पंचायतों को, कम्प्यूटरीकरण से जोड़ने के लिए इस वर्ष व्यवस्था की गई है।

निश्चित तरीके से इसका पालन हो जाने के बाद पंचायतों के कार्यों में तथा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसी तरह से बहुत संदेह प्रकट किया जाता है, रोज-रोज विभिन्न दलों के नेताओं और बहुत से लोगों के द्वारा कि चुनाव समय से होंगे या नहीं होंगे, सरकार और चुनाव आयोग में क्या हो गया है। आज सदन के सामने निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनाव का जो संवैधानिक दायित्व इस सरकार के ऊपर है, उस दायित्व को पूरा करते हुए, निश्चित अवधि में पंचायत के चुनाव करा लिये जायेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। उसी क्रम में पंचायतों की मतदाता सूची, उर्दू के बारे में जो बहुत सी बातें उभर के आयी हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

इसमें मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। इन्होंने कभी यह गलती नहीं की। इन्होंने तो यह कहा कि बर्बाद करेंगे, यह गलती इन्होंने कभी नहीं की। आप बेकार इन पर इल्जाम ला रहे हैं।

श्री बलराम यादव--

पहली बार विधान सभा में जहाँ यह अनुमान लगाया गया है कि 20 प्रतिशत से ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उन विधान सभाओं की मतदाता सूची उर्दू में प्रकाशित करने का काम यह सरकार करने जा रही है। साथ ही साथ यह निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज से संबंधित सूचना, अधिसूचना, महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों तथा महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों और परिपत्रों का अनुवाद प्रकाशित कराये जायेंगे। उर्दू के महत्व और इसकी माँग को देखते हुए हमने आगे बढ़कर काम किया है। हमारी न्याय पंचायतें विगत कई वर्षों से लुप्त हो गयी थीं, उनके क्रिया-कलाप खत्म हो गये थे। अबकी बार पंचायतों के चुनाव के तुरन्त बाद न्याय पंचायतों का गठन होगा और न्याय पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाकर जिस प्रकार से अदालतों में लोक अदालतों को फैसला मान्य होता है उसी प्रकार से अधिकार देकर के न्याय पंचायतों को मजबूत और सुदृढ़ किया जायेगा।

मान्यवर, एक ओर जहाँ इस विभाग में इतना धन जा रहा था लेकिन पंचायत का अपना कोई कार्यालय नहीं था। जवाहर भवन के एक छोटी कोठरी में पंचायत भवन का निदेशालय चलता था और इतने बड़े विभाग का कार्यालय के नाम पर कुछ नहीं था। 1984-85 के पूर्व पंचायत के प्रतिनिधियों ने धन इकट्ठा करके अलीगंज में जमीन खरीदा था। जब उक्त जमीन पर भवन निर्माण करने की बात आयी और यह बात बहुत जिम्मेदार लोगों ने की जो कि इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं और प्रदेश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि तीन एकड़ जमीन है, आधा जमीन बेच दो और आधे जमीन में उसी पैसे से भवन का निर्माण हो जायेगा। इस सरकार का यह प्रयास है और हमने 12.5 करोड़ रुपया देकर अलीगंज में भवन का निर्माण कराया है। उसमें पंचायत भवन व कार्यालय होंगे तथा प्रशिक्षण और शिक्षण के कार्य होंगे। प्रदेश के जितने भी प्रधान और चुने हुये जनप्रतिनिधि होंगे उनके लिए पंचायत भवन में व्यवस्था होने जा रही है और जल्दी ही बनकर पूरा हो जायेगा। इसी तरह से हमारे आदर्श आचार्य राम मनोहर लोहिया के जन्मभूमि पर उनके नाम से एक लोहिया भवन के निर्माण के लिए हमने 7.5 करोड़ रुपया दिया है। वहाँ पर एक लोहिया भवन बनाने जा रहे हैं। उसमें एक लाइब्रेरी और डा0 लोहिया के विचारों के पठन-पाठन के लिए केन्द्र बनेगा। मैं मा0 लालजी वर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि अकबरपुर में यह बनने जा रहा है। पंचायतों के क्रियाकलाप है, वह सुचारु रूप से इस प्रदेश में चल रही है और निश्चित तरीके से विभाग का जो बजट है, उसको देखकर के हम पंचायतों की गुणवत्ता बनी रहे और पंचायतें जो लोकतंत्र की मजबूत इकाई है, उसको सुदृढ़ करने में यह सरकार संकल्पबद्ध है। गाँधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने में पंचायत राज विभाग अहर्निश लगा हुआ है। मैं चाहूंगा यह जो पंचायत का बजट है इसको सर्वसम्मति से पास कर दें। इसमें कहीं कोई आलोचना की जगह नहीं है। आप जो भी सुझाव देंगे उनको पूरा किया जायेगा।

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट के बारे में अवगत कराया है। पिछली बार वर्ष 2004-2005 में जो मंत्री थे उन्होंने 9 अरब 78 करोड़ 32 लाख 74 हजार रुपये का बजट प्रस्तुत किया था लेकिन आज जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है वह 6 अरब 62 करोड़ 30 लाख 93 हजार का है। मान्यवर, इस बार 3 अरब का बजट कम प्रस्तुत किया गया है और उसके बावजूद भी कहते हैं कि पंचायत को बहुत सारा धन दे दिया। माननीय मंत्री जी जब उत्तर भाषण देंगे तो कृपया बतायें कि यह 3 अरब की धनराशि क्यों कम कर दी गयी ? माननीय मंत्री जी ने कुछ अच्छी बातें कही हैं जिनको मैं एक अच्छा शगुन मानता हूँ।

मान्यवर, पंचायतों में 3 स्तर हुआ करते हैं लेकिन उन्होंने एक स्तर के बारे में बताया है। उन्होंने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का छोड़ दिया है। जिस प्रकार से हमारे शरीर की रचना पाँच तत्वों से होती है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। अगर इस शरीर के एक तत्व की कमी हो जाए तो यह शरीर नहीं चल पायेगा इसी प्रकार से पंचायत में पाँच तत्व हुआ करते हैं। पहला सहभागिता, दूसरा सामाजिक समता, तीसरा आर्थिक विकास, चौथा पारदर्शिता और पाँचवा प्रशिक्षण। सहभागिता के बारे में माननीय मंत्री जी ने सही बात कही है। अच्छी बात की है, प्रशंसा होनी चाहिए। संविधान के 73वें संशोधन के बाद कानून बन गया और यह निश्चित हो गया कि पंचायतों के चुनाव निश्चित समय पर कराये जायेंगे। इस संशोधन के पहले चुनाव 10-12साल लेट हुआ करते थे। 24 अप्रैल, 1993 को 73वाँ संशोधन लागू हुआ। उसके बाद 1999 में माननीय कल्याण सिंह की सरकार थी तब पंचायतों को सम्पन्न बनाने के लिए पहली बार सरकार ने काम किया। उस समय 30 विभागों को गाँव पंचायतों के सुपुर्द किया गया था। इस सरकार ने धीरे-धीरे उनके अधिकारों को वापस लेकर पंचायतों को अस्तित्वहीन बनाने का काम किया। यह सरकार नहीं चाहती है कि पंचायतों को सम्मान मिले, गाँव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को साधन और अधिकार मिलें। वैसे यह विधायिका की जिम्मेदारी होती है कि पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जाए। इसलिए इसमें जो बात आई सहभागिता की सहभागिता का अर्थ है सत्ता में पंचायती राज व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत व्यवस्था का अर्थ है जो गांव के अन्तिम छोर पर खड़ा हुआ है जिसे न्याय नहीं मिलता है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, वंचित है जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है यह सारे अधिकार मिल जायं उस दिन सच्चा प्रजातंत्र होगा। यही पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने और यही महात्मा गाँधी जी ने सोचा था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि गांव सभा की दो बैठकें होंगी। हमारी सरकार में जब मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे उस समय गांव सभा की चार बैठकें हुआ करती थी। सबकी सहभागिता होती थी सबको अधिकार मिले प्रशासनिक कार्यों में पंचायतों की सत्ता हो। सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके सत्ता अधिकारियों के हाथ से लेकर गांव के लोगों को सौंप दी जाय यह सहभागिता की मंशा थी।

गांव पंचायतों को संख्या के आधार पर विकास की धनराशि दे दी जाय इस सरकार में एक हजार की आबादी वाले सैफई गांव को अरबों रुपये दे दिये गये और कुछ गांव ऐसे हैं जिनको विकास के लिए धन ही नहीं मिला इसमें सहभागिता नहीं है। सामाजिक समरसता पंचायतों के माध्यम से सामाजिक समरसता आनी चाहिए। स्त्री पुरुष में अपने अधिकार का प्रयोग करने की भावना आनी चाहिए। गरीब और अमीर एक स्थान पर बैठकर इस पंचायत प्रक्रिया में भाग लेकर

सामाजिक समता आर्थिक विकास के बारे में विचार करें तभी पंचायतों का आर्थिक विकास होगा तभी गांव का आर्थिक विकास होगा। तभी सहभागिता और सामाजिक समता आएगी। गांव में सवर्ण किसान, मजदूर, व्यापारी सभी लोग रहा करते थे। गांव में मेहतर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार एक साथ रहते थे और एक साथ उद्योग धन्धे चलाते थे उनमें सामाजिक समरसता हुआ करती थी किसी के साथ भेदभाव की भावना नहीं होती थी। लेकिन वोट बैंक के खातिर अब यह घोषणा की जा रही है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, पैसे से बिजली दे नहीं पा रहे हैं मुफ्त में कहाँ से देंगे। पंचायत विभाग ऐसा विभाग है जिसमें सभी विभाग शामिल होते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि भावनायें ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने की भावना आनी चाहिए। हमें गांवों के अन्दर के कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए तभी गांवों का विकास होगा। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम हर गांव में चार्टड एकाउंटेन्ट की व्यवस्था करेंगे आपने चार्टड एकाउंटेन्ट की व्यवस्था कर दी और चार हजार रुपये प्रति साल हर गांव के चले गए जबकि आपके ए0डी0ओ0 पंचायत है आपके ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, आपके प्रधान हैं इन सारे लोगों की नीयत पर संदेह नहीं होना चाहिए। गांव पंचायत के माध्यम से यह सारी व्यवस्थायें होती हैं। हमारी सरकार थी तो हमने निश्चित आदेश कर दिए थे। अभी तक इसके लिए प्रधान और सेक्रेट्री थे। सेक्रेट्री कुछ गुप चुप तरीके से कुछ कर लेते थे इस तरह से एक प्रश्नचिन्ह प्रधानों के उपर लग रहा था। लेकिन हमने एक व्यवस्था की थी जिसमें यह देखना था कि जो सरकारी संस्थान हैं उन पर कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया, कितना शेष बचा है, यह सारा उल्लेख रखने का काम किया था ताकि ग्राम पंचायत पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगने पाये। आपकी तरफ से भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की पारदर्शिता का निर्णय होना चाहिए। इस सरकार से कहना चाहूँगा कि आप यह जो 4 हजार देने का कर रहे हैं हम तो सोच रहे हैं कि किसी को लाभ देने के लिये किया जा रहा है। आपको यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगे आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि समय से चुनाव कराये जायेंगे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि यह चुनाव न कराकर प्रधानों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों के अधिकार समाप्त कर देंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि गाँव पंचायत में जो भी लोग हैं वे शिक्षित नहीं है इसलिये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप ने उनके प्रशिक्षण के लिये इसमें कोई धन नहीं दिया है। ग्राम सभा के साथ-साथ ग्राम पंचायत के लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हाई टेक्नो की बात कही गयी है, आपने कम्प्यूटराइजेशन की बात कही है इस सबका लाभ तब ही हो सकता है जब आपके लोग इसमें जो हैं वे शिक्षित होंगे। आप पंचायत पर चर्चा करा रहे हैं, यह अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री धर्मपाल सिंह--

मैं दो-तीन सुझाव देकर समाप्त करूँगा। मैंने कहा था कि हम अच्छी बातों की प्रशंसा करेंगे। इन्होंने वास्तव में एक अच्छा कदम उठाया है। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट कि न्याय पंचायत का [illegible] और दोषारोप समाप्त नहीं सौंप दिये जायें लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई तो ये वापस

ले लिये गये फिर न्याय पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था आई। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट में कहा गया है कि एक न्याय पंचायत की स्थापना करके उसी हिसाब से दीवानी और फौजदारी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में दिया गया है कि जब न्याय पंचायत का गठन करें तो प्रत्येक न्याय पंचायत में 5 सदस्य होंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ यह जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ है। प्रत्येक न्याय पंचायत के पाँच सदस्य होंगे जो जिलाधिकारी तथा जिला न्याय अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श करने के बाद ग्राम सभा के सदस्य के बाद नामित किये जायेंगे। इसके बाद पाँच सदस्य में से 2 सदस्य विशेष वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। एक सदस्य अनुसूचित जाति, एक जनजाति पिछड़ा वर्ग और दूसरा सदस्य महिला होगा। इनकी योग्यता के बारे में कहा गया है कि हर सदस्य के पास कानूनी डिग्री हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। आपने न्याय पंचायत की व्यवस्था की बात कही है। इस व्यवस्था से जो गाँव के झगड़े जिले और तहसील पर जाते थे वे न्याय पंचायत की प्रक्रिया में सुलझ जाया करेंगे। इसे मैं अच्छा शगुन मानता हूँ। गाँवों में पंचायती राज में आज भी गड़बड़ी है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विभाग में ग्राम्य विकास विभाग है। प्रदेश की सरकार में पंचायती राज सरकार के मंत्री जी के पास ग्राम्य विकास विभाग है लेकिन ग्राम्य विकास विभाग से पंचायती राज विभाग अलग है। पंचायती राज विभाग में ग्राम्य विकास की सारी बातें आती हैं। बी0डी0ओ0 पंचायती राज अधिकारी का कहना नहीं मानते हैं। पंचायती राज अधिकारी बी0डी0ओ0 के आधार पर काम नहीं करते हैं मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूँ। ग्राम्य विकास विभाग ब्लाक स्तर पर .....

श्री अध्यक्ष--

खत्म करें।

श्री धर्मपाल सिंह--

विकास किया जाएगा मेरी बातें तो ज्यादा रह गई हैं लेकिन मंत्री जी ने कम कहा इसलिए मैं भी कम कहकर कटौती के प्रस्ताव पर बल प्रदान करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मान्यवर, विधान सभा के मतदाता की सूची उर्दू में छप रही है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी ने विधान सभा में कहा है तो विधान सभा की मतदाता सूची भारत सरकार का चुनाव आयोग तय करेगा या मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी उधर का कोई सदस्य बोलना चाहता है?

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि न्याय पंचायत के संबंध में एक बात आई थी। भा0ज0पा0 की तरफ से एक बात आई इन्होंने इसका समर्थन किया। हमारी न्याय पंचायत खासतौर से ग्राम पंचायत नारी के प्रति और कमजोर वर्ग के प्रति कतई उदारवान नहीं रहती है। दो कानून है एक सामान्य आदेश और दूसरा स्पेशल आदेश है

हमारी पंचायत सोशल आर्डर है । मैं कहना चाहता हूँ नारी और कमजोर वर्ग जो है इसके बारे में सुवह मुजफ्फरनगर व कौशाम्बी जनपद का मामला नियम 56 के तहत प्रमोद तिवारी जी ने उठाया था कि कौशाम्बी में जनता ने फैसला दिया कि एक नारी को गधे पर बाल बनाकर बैठाल कर घुमाया गया .....

श्री अध्यक्ष--

वह पंचायत दूसरी है। यह पंचायत दूसरी है।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

मैं कहना चाहता हूँ जनता को फैसला करने का अधिकार है या आई0पी0सी0 के तहत फैसला होगा या गाँव की परम्पराओं के तहत फैसला होगा। अगर गाँव की परम्पराओं के तहत फैसला होगा तो विरोध किया जायेगा। तो जनता के फैसले से सहमत नहीं हूं।

श्री बलराम यादव--

यह न्याय पंचायत का फैसला नहीं है जाति सभा का फैसला है। न्याय पंचायत का विगत 15-20 वर्षों से है नहीं। जो पंचायती राज विभाग द्वारा जनहित की बात है .....

(श्री डी0 प्रसाद अहिरवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

वस हो गया अब बैठें।

श्री बलराम यादव--

यह कहा गया कि पिछली बार नौ अरब का बजट था इस साल छः अरब का बजट है बहुत से कार्यक्रम थे। 1999 में एक आपाधापी के बीच जिन्हें पंचायतों से जोड़ दिया गया। उनके वापस करने के कारण विभाग का अधिष्ठान व्यय घटा है और जो हमारे कार्य हैं, जो पंचायतों के कार्यकलाप हैं, उनमें बहुत बड़े धन की वृद्धि की गई है। अधिष्ठान व्यय ही मात्र घटा है। दूसरी बात जो कही, वर्ष 1999 में विभिन्न विभागों के कर्मियों के लिए बिना किसी अध्ययन के पंचायती संस्थाओं को सुदृढ़ करने के नाम पर तत्काल जो कदम उठाया गया, मैं समझता हूँ कि वह व्यावहारिक रूप के योग्य नहीं था। यह किन परिस्थितियों में हुआ, किस भावना से हुआ, मान्यवर, लगभग 10-12 विभागों के कार्य और कर्मी पंचायतों से जोड़ दिए गये। ग्राम स्तर के जितने कर्मी थे, चाहे वह जिस विभाग के थे, उन सभी को पंचायत में जोड़कर उनके संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया। आने वाले दिनों में 10-5 वर्षों के बाद न कोई ग्राम पंचायत अधिकारी मिलता, न ग्राम विकास अधिकारी, न पतरौल मिलता न सींचपाल। इस प्रकार लगभग 1 लाख लोगों को जो ग्राम स्तर के कर्मी थे, ऐसे किसान के बेटे जो रोजी-रोटी में लगे हुए थे, उन्हें पंचायतों में जोड़कर उनके सम्वर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया था। इन सेवाओं में कोई आई0ए0एस0 का बेटा नहीं आता है, कोई पूँजीपति का बेटा नहीं है और इन संवर्गों को मृत संवर्ग घोषित करने का आदेश, शासनादेश द्वारा किया गया। यह एक तुगलकी आदेश था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इन सभी विभागों के कर्मियों के मृत संवर्गों को पुनर्जीवित करने का काम किया गया और पंचायती विभाग के लिए अलग से व्यवस्था करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि आप भी प्रयास कर रहे थे। महेन्द्र पाण्डेय जी ने कहा था कि मेरे द्वारा जो होते-होते रह गया, वह आपने कर लिया

पंचायत व्यवस्था को समाप्त करने का इससे बड़ा षड़यन्त्र हो ही नहीं सकता था। आपने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की व्यवस्था के बारे में कहा। आप अपने क्षेत्र में ही देख लें। किसी भी ग्राम पंचायत के लेखे और कार्यवृत्त का रिकार्ड देखना चाहें तो न ब्लाक पर उपलब्ध है और न जिला पंचायत स्तर पर उपलब्ध है। लेखों के रख-रखाव और पैसे का सही उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है। यह कोई आडिट नहीं करेगा, यह जो 16 रजिस्टर बनने हैं, यह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किए जायेंगे। हमारे पास आडिट की अलग व्यवस्था है क्योंकि 73वें संविधान के बाद बहुत से कार्यकलाप पंचायतों को गये हैं, अगर उनके लेखों का रख-रखाव नहीं होगा तो पंचायतों को जो धन दिया जा रहा है, उसका सही उपयोग सम्भव नहीं होगा। आज मैं सदन को जरूर सूचित करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से गांवों में जा रही है और इसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। एक प्रयास हो रहा है कि एक-एक पैसा जो गांवों को जा रहा है, उसका सदुपयोग हो और आपके ऊपर जो निर्माण कार्यों का बोझ आता है, वह भी कम होगा। सम्मानित सदस्यगण, जब से आपके पास विधायक राशि आई है, क्षेत्र के लोग समझते हैं कि एक ही वर्ष में हम कितना ही कार्य स्वीकृत कर दें जबकि आपकी निधि एक करोड़ है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जब यह सब कार्य होने लगेंगे तो आपके यहाँ भी विकास कार्यों के लिए बहुत कम लोग आयेंगे। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों को स्थायी रूप से लेखों को रखना अनिवार्य है और लेखों के बिना कोई भौतिक सत्यापन नहीं हो सकता। इसलिए यह प्रयास हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे सबसे पहले जो चीजें नहीं होनी चाहिए वह रुक जायेंगी। न्याय पंचायत के गठन के लिए आपने जो सुझाव दिये हैं वह ठीक है लेकिन जिस तरह से आपने योग्यता रखने का जो सुझाव दिया है, आप एल0एल0बी0 की बात करते हैं। गांव में कहाँ से एल0एल0बी0 लाएंगे। इसलिए अनपढ़ लोगों को ही न्याय करने का सुझाव आना चाहिए। कामराज जी नहीं पढ़े थे लेकिन देश के बुद्धिजीवियों के रूप में उनका नाम आता है। हम समाजवाद के लोग विशेष अवसर के सिद्धान्त को मानते हैं। और विशेष अवसर के रूप में जिस किसी को भी कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है तो वह बड़े काम कर गया है। मैं समझता हूँ कि श्री धर्मपाल जी निश्चित रूप से कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर पंचायती राज को सुदृढ़ करने के हमारे प्रयास में साथ देंगे।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

मान्यवर, अभी चार्टेड एकाउन्टेन्ट आडिट की बात कही है। लेकिन इसमें देखने में यह आया है कि जिला पंचायतीराज अधिकारी और सी0डी0ओ0 स्तर पर हस्तक्षेप होता है। वह कहते हैं कि आप सीधे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नहीं रखेंगे। सीतापुर में एक विज्ञापन भी निकाला था। इसको दिखवा लें कि कौन लोग उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री बलराम यादव--

यह उनका काम नहीं है। यह केवल लेखों के रख-रखाव का काम करायेंगे। अगर किसी जिला विकास अधिकारी ने इस तरह का विज्ञापन किया है तो गलत है। यह पंचायतों का अधिकार है कि वह किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवा लें। लेकिन वह लेखों का रख-रखाव करायें। 16-16 हजार रुपये प्रत्येक पंचायत के खाते में 4 वर्ष का चला गया है।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

मान्यवर, पंचायत में जो कार्य हो रहे हैं उसमें जी0आर0वाई0 और एस0आर0वाई0 निधि आ रही है। प्रत्येक ब्लाक में 70 लाख से कम का इस्टीमेट नहीं आ रहा है। उन्हीं कार्यों को वह पुन: रिपीट कर रहे हैं। इसको आप दिखवा लें। प्रतिवर्ष 60-70 लाख की परियोजना के लिए एस0आर0वाई0 का पैसा जाता है और सदैव वह उनकी योजना बनती रहती है।

श्री बलराम यादव--

माननीय पाण्डेय जी, यह पैसा रोजगार सृजन के लिए जाता है इसलिए इस पक्के काम के मुकाबले मिट्टी के काम की प्राथमिकता है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न रख रहा हूँ। सारी बातें आ गयी हैं।

श्री धर्मपाल सिंह--

अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ धन के बारे में बताया था तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो धन आयेगा सी0ए0 वाला वह पंचायतों का धन होगा यह अलग से होगा ? दूसरा जो ब्लाक में परमानेन्ट मिट्टी के कार्य होते हैं हम चाहते हैं कि मिट्टी के कार्य के साथ-साथ पक्के काम भी कराये जायें तो ठीक रहेगा। एक बात और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था, हर भाषा का हम सम्मान करते हैं, उर्दू भाषा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनकी मतदाता सूची है, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर भेजी जाय, अन्य स्थानों पर न भेजी जाय।

*श्री मोहम्मद आजम खाँ--

यह अच्छी बात नहीं है। आपने उर्दू को मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हमें बड़ा कष्ट होता है जब आप जैसे पढ़े लिखे ऐसी बात करते हैं, आप उर्दू से तासुब रख रहे हैं। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र की बात कही, मैं आपको बता दूँ कि यह मुसलमानों की जुबान नहीं है, उनकी जुबान अरबी है। उर्दू जुबान हिन्दुस्तानियों की जुबान है और इसको मुसलमानशाही के नाम से जाना जाता है। यह रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी, नरेश कुमार, गोपी चन्द नारंग और प्रेमचन्द्र के नाम से जानी जाती है। यह आप उर्दू भाषा का अपमान कर रहे हैं। आप हिन्दी महानुभावों का अपमान कर रहे हैं। यह उनका अपमान कर रहे हैं जो इलाहाबाद में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे लेकिन उर्दू में लिखते थे। आप अपमान कर रहे हैं इन्कलाब जिन्दाबाद का। आप यह रास्ता छोड़िये। यह मुसलमान बाहुल्य का मामला नहीं है। मान्यवर, मुसलमान के बच्चे पाँच प्रतिशत ऐसे हैं जो उर्दू को जानते हैं बाकी 95 प्रतिशत हिन्दी ही समझते हैं। क्यों आप भाषा की नफरत पैदा कर रहे हो?

श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

यदि हिन्दी बाहुल्य क्षेत्र में उर्दू की लिस्ट चिपक जायेगी तो क्या नफरत चिपक जायेगी ? यह भाषा एक्जिमा नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, हमने ऐसा नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा बैठ जायें। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,62,30,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान, अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 52,08,61,60,000 रुपये में अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष --

कुछ बोलना है?

*बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी) --

मान्यवर, पेश हो गया, अब इसमें क्या है ?

श्री राम इकबाल सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित करूँ या आपको कुछ बोलना है?

(सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय सदस्य को बोलने के लिए मना करने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय नेता विरोधी दल ने मेरे पास इनके द्वारा प्रस्ताव रखने की सूचना दे दी है, अगर माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो उन्हें बोलने दिया जाए, उन्हें इसके लिए रोका न जाय, यह परम्परा गलत है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव रखते हुए बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमन् पूरे प्रदेश में 106.79 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से 32.42 लाख परिवार अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कार्ड धारक हैं। 75 लाख निराश्रित वृद्ध इस प्रदेश में हैं जो 65 वर्ष से ऊपर के हैं और इस आयु के ऐसे वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन नहीं पाते हैं उनको 10 किलो अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था है। मान्यवर, खाद्य रसद विभाग में समाज के उन सारे वर्गों की चिन्ता की गई हैं जिनकी जो हैसियत है । उनकी हैसियत की पूर्ति के लिए खाद्य रसद विभाग एक जगह से दूसरी जगह पर खाद्य रसद पहुंचाने की भूमिका निभाता है, यह विभाग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो गया है। श्रीमन् जो आम आदमी है, इस प्रदेश में, मैं कह सकता हूँ कि यह समस्या काफी दिन इस विभाग में चली आ रही है, श्रीमन् जो आम आदमी का शेयर है, रोज अखबारों में, टेलीवीजन पर, हर जगह यह बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो अन्त्योदय और अन्नपूर्णा योजना है जो बी0पी0एल0 के लिए अनाज है वह आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। श्रीमन् एक गम्भीर समस्या है जो केरोसिन तेल है जिसको गरीब लोग डिबरी में डालकर अपने छप्पर में उजाला करते हैं, छात्र जिसकी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गयी है, गांवों में बिजली नहीं रहती है, उसका उपयोग करता है, केरोसीन आयल का समय समुचित मात्रा में उपलब्ध न होना अपने आप में गम्भीर विषय है। इस वर्ष पूरे प्रदेश में 25 रुपये से लेकर तीस-चालीस रुपये प्रति लीटर तक यह मिट्टी का तेल बिका है। मान्यवर, जो अन्त्योदय योजना के कार्ड धारक हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि वह कार्ड धारक हैं। श्रीमन् गरीब ने भूख से दम तोड़ दिया, उसके बाद जिलाधिकारी जल्दी-जल्दी कार्ड बनाकर दे गये और साथ में यह प्रमाण-पत्र दे गए कि वह मिरगी से मर गया। मान्यवर, जब कि हकीकत यह है कि वह इन्सान ने रोटी के बिना दम तोड़ दिया था उसे वह कार्ड मिलना चाहिए था। मान्यवर, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह जी) हमारे पुराने मित्र हैं, और पाँच बार से विधायक हैं हम इनसे कुछ मदद चाहते हैं लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

पता नहीं क्या रिश्ता है आपस में ?

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेई)--

मान्यवर, एक तो दोनों के दाढ़ी है यह एक रिश्ता तो स्थाई दिखाई पड़ रहा है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, यह गंभीर समस्या है इस पर आपको विचार करना होगा कि आम आदमी तक उसका हक पहुँचना चाहिए। मान्यवर, इस बार सूखे में बहुत बड़ी समस्या हो गई कि आज मजदूरों

शामिल माना गया है। इसमें सदस्यों की संख्या की कोई बाध्यता नहीं है, न ही अनुज्ञा की आवश्यकता है। इसलिए जो विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया वह पूरी तरह से नियमों के अन्तर्गत है। मा0 राजस्व मंत्री ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि जब प्रस्ताव विचारार्थ ले लिया गया और मत-विभाजन के लिए आवाज संग्रहीत किये जाने और प्रश्न उपस्थित करने के बाद वह पारित हो गया उस समय अचानक मा0 सदस्यों का उस बारे में कोई सवाल खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 313 का सन्दर्भ देते हुए यह भी कहा कि उक्त नियम 313 के अनुसार ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनका नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उक्त नियमावली के नियम 314 का सन्दर्भ देते हुए यह भी कहा कि उक्त नियम 314 के अनुसार किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी। अन्त में उन्होंने यह भी कहा कि मा0 नेता सदन ने जो प्रस्ताव सदन में रखा उसे सदन ने ध्वनि मत से पारित किया और उस पर मा0 अध्यक्ष का विनिश्चय भी हो गया इसलिए अब यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता और न ही औचित्य का प्रश्न बनता है साथ ही उन्होंने यह अनुरोध किया कि इसे अग्राह्य कर दिया जाय।

मैंने मा0 सदस्यों को सदन में सुनने के बाद इस औचित्य के प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। अब मैं इस प्रश्न पर अपना निर्णय दे रहा हूँ।

मा0 सदस्यों द्वारा अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की उपर्युक्त सूचनाओं में निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया गया है--

1--मुख्य मंत्री जी द्वारा मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव रखे जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी।

2--भारत के संविधान तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव रखने की व्यवस्था न होने के बावजूद यह प्रस्ताव सदन में रखा गया।

3--मंत्रि-परिषद् में विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व नेता, विपक्ष से सहमति नहीं ली गयी।

जहाँ तक प्रथम बिन्दु का प्रश्न है इस सम्बन्ध में पहले प्रस्तुत किये गये मंत्रि-परिषद् में विश्वास मत के प्रस्तावों पर पूर्व दृष्टांतों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इससे पूर्व विधान सभा में मंत्रि-परिषद् में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कुल 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिनमें से 6 प्रस्ताव पूर्व सूचना के साथ और 2 प्रस्ताव बिना सूचना के सदन में प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित सदन की कार्यवाही के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे अधिकतर प्रस्तावों को नेता सदन/मुख्य मंत्री द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया गया था जब उन्हें मंत्रि-परिषद् के गठन के पश्चात् सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का निदेश दिया गया था। ऐसे प्रस्तावों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व विधान सभा सचिवालय को दी जाती रही है। जहाँ तक बिना सूचना के दिये गये ऐसे प्रस्तावों का सम्बन्ध है इस बारे में 30 जून, 1970 को एक विश्वास मत

एक अरब से अधिक का घोटाला किया गया। उस घोटाले की पर्त तब और गम्भीर हो गयी जब उस घोटाले का रहस्य उजागर करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गयी डी0 के0 शुक्ल की हत्या कर दी गयी। इस सदन में यह मामला आ चुका है और आपके संज्ञान में है तमाम नियमों के तहत और हम लोगों ने बार-बार इसमें सी0बी0आई0 की माँग की है। मैं कहना चाहता हूँ कि बस्ती, गोण्डा, सन्तकबीर नगर, लखीमपुर खीरी, बलिया इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। मैं निश्चित जानकारी के तहत आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जनपद सुल्तानपुर में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान बोरियां गायब पाई गयीं।

श्री अध्यक्ष--

कोई सार्थक सुझाव देना हो तो दे दीजिए।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मैं आपके माध्यम से इस सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच की माँग करता हूँ और राम इकबाल सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ यह विभाग है और जनता से सीधे जुड़े हुए विभाग को कितनी गम्भीरता से सत्तापक्ष ले रहा है यह भी आप देख रहे हैं, और कितनी गम्भीरता से प्रतिपक्ष ले रहा है यह भी आपके सामने है। पूरी संख्या जोड़ ली जाय तो दहाई में नहीं बैठेगी बीजेपी और बीएसपी की, कितना यह गम्भीर है। दूसरी तरफ मैं विचार कर रहा था कि जितने भी बजट आज पेश हुए हैं उसमें यह अत्यन्त जनहितकारी बजट है चाहे वह जिस विभाग का हो। आप लोगों की अपनी मजबूरी है खुलकर आप इस बजट का समर्थन नहीं कर सकते हो लेकिन नेता प्रतिपक्ष और उनके उपनेता अनुपस्थित रहकर अप्रत्यक्ष रूप से इस बजट का सामर्थ्य कर रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, यह बात सही है कि बीजेपी वाले मिले हुए हैं।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ "राजा भइया"--

मान्यवर, जितने भी तथाकथित घपले, घोटाले माननीय सदस्यों ने अभी कहे, जिस भी जनपद का जिक्र उठाया गया, यदि देख लिया जाय तो यह इनकी सरकार की कारस्तानी थी। अभी इससे यह पूछ लिया जाय कि इसका पर्दाफाश किसने किया, इस चोरी को किसने पकड़ा और कार्यवाही किस सरकार ने की तो मान्यवर, यदि कार्यवाही करने की मंशा हमारी न होती और हम कालाबाजारियों से मिले होते और यह चाहते कि यह खाद्यान्न आम आदमी तक, गरीब आदमी तक न पहुँचे तो हमें क्या आवश्यकता थी कि हम इस चोरी का पर्दाफाश करते। मान्यवर, इस विषय पर इस सदन में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता सदन सब इसमें शामिल हो चुके हैं। आपने इसमें चर्चा का समय भी दिया, उसके बावजूद भी माननीय सदस्य बार-बार घोटालों का जिक्र करते हैं। मान्यवर, इन घोटालों, घपलों का पर्दाफाश करना हमारी सरकार की उपलब्धि है, उसको तो मैं भी बताता हूँ और अनेक बार प्रेस कान्फ्रेंस

करके इस विभाग की उपलब्धि में मैंने इसको गिनाया है। इस मामले में अनेक आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारी और विभागीय उच्चाधिकारी दंडित हुये हैं। कई लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुयी है और जेल भी गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से ज्यादा समय न लेते हुये गागर में सागर भरने का मेरा काम था। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, उसमें जो भी सहयोग हमारा विभाग कर सकता है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये हमारे विभाग ने किया है। उपलब्धियां तो कई हैं, मैं पूरा पोथा-पत्री लेकर आया हूं। लेकिन आप लोगों की रुचि को देखते हुये, चूँकि आप लोग रुचि नहीं रखते हैं, संख्या के हिसाब से। शतप्रतिशत उठान हमारी इस सरकार में खाद्यान्न की हो रही है। केन्द्र सरकार के स्पष्ट नियम हैं कि उतने ही पैसे का केन्द्र भुगतान करेगा। मान्यवर, पिछली सरकार से 560 करोड़ ज्यादा राजस्व इस सरकार को मिला है और 560 करोड़ का भार उत्तर प्रदेश के खाते पर नहीं पड़ने दिया जा रहा है। यह पैसा हमें अतिरिक्त मिला है। हम जो अपने विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। माननीय राम इकबाल जी से अनुरोध करूँगा कि संख्या बल पर सरकारें चल रही हैं और इस समय जो सदन है, जो माहौल है, उसको देखते हुये आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। वैसे तो यह कटौती प्रस्ताव माननीय टण्डन जी का था, लेकिन वह आशीर्वाद देकर चले गये। इसलिये राम इकबाल जी से अनुरोध है कि वह कटौती प्रस्ताव वापस ले लें।

(श्री राम इकबाल सिंह के कुछ न कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

नहीं लेंगे, मैं प्रश्न रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 52,08,61,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मंत्री परिषद् के प्रति विश्वास मत का प्रस्ताव बिना पूर्व सूचना के लाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के एक प्रश्न पर मैंने निर्णय सुरक्षित रखा था और दो बार समयाभाव के कारण यह पूरा नहीं हो पाया। आज मैं इस पर अपना निर्णय सुना रहा हूँ।

"दिनांक 01 मार्च, 2005 को मा0 श्री हुकुम सिंह, मा0 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा0 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 लालजी वर्मा, मा0 प्रसाद तिवारी, मा0 जगदम्बिका पाल, मा0 डा0 सुशील चौधरी एवं मा0 श्री श्याम सुरत उपाध्याय, सदस्यगण, विधान सभा ने एक-एक औचित्य के प्रश्न

की सूचना दी थी जिसमें श्री हुकुम सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी ने यह विषय उठाया था कि दिनांक 25 फरवरी, 2005 को मा0 नेता सदन ने अचानक सदन में 'विश्वास मत' का प्रस्ताव रखा जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी थी। मा0 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं मा0 श्री लालजी वर्मा ने अपनी सूचना में यह कहा है कि भारत के संविधान तथा उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में मंत्रि-परिषद् में विश्वास-प्रस्ताव रखने की व्यवस्था न होने के बावजूद उक्त प्रस्ताव सदन में रखा गया। मा0 श्री प्रमोद कुमार, मा0 श्री जगदम्बिका पाल, मा0 डा0 सुशील चौधरी एवं मा0 श्री श्याम सूरत उपाध्याय ने अपनी सूचना में यह कहा है कि उक्त विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व नेता, विपक्ष की सहमति नहीं ली गयी थी।

मैंने औचित्य के उक्त प्रश्न पर दिनांक 01 मार्च, 2005 को मा0 श्री लालजी वर्मा, मा0 श्री हुकुम सिंह, मा0 श्री डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा मा0 श्री प्रमोद तिवारी को सदन में सुना। सभी ने अपनी उक्त सूचनाओं में दिए तर्कों पर पुनः बल दिया। मा0 नेता, विरोधी दल ने भी अपने विचार सदन में रखे। मा0 नेता सदन, श्री मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री, मा0 संसदीय कार्य मंत्री श्री मो0 आजम खाँ तथा मा0 राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चौधरी ने इस सम्बन्ध में शासन का पक्ष रखा। शासन की ओर से यह तर्क दिया गया उक्त मामले में किसी मा0 सदस्य ने यह नहीं कहा कि इसमें सदन की प्रक्रिया नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 105, जिसमें प्रक्रिया नियमावली के नियम 103 के अन्तर्गत दिए गए प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें दी गयी हैं, में यह उपबन्ध है कि किसी प्रस्ताव को ग्राह्य किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि वह इन शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात् उसमें सारवान् रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा, उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप तथा मानहानिकारक कथन नहीं होंगे, उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र के निर्देश नहीं होंगे, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा, उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायेगी जिस पर उसी सत्र या पिछले 6 मास के भीतर जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो, उसमें ऐसे विषय को पूर्वांश: नहीं को जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की सम्भावना हो तथा वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो राज्य के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो। मा0 राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि मा0 नेता सदन द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव उक्त नियम 105 की सभी शर्तों को पूरा करता है, इसलिए सदन की प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, शासन पक्ष की ओर से सदन में यह भी कहा गया कि जब नेता सदन ने यह प्रस्ताव रखा था तो उस समय मा0 नेता, प्रतिपक्ष या और किसी सदस्य ने इस प्रस्ताव को रखे जाने का विरोध नहीं किया था। मा0 श्री प्रमोद कुमार ने सदन में अपने कथन में इस बात का उल्लेख किया है कि नेता विरोधी दल द्वारा उस समय कोई प्रतिकार नहीं किया गया जब नेता सदन ने उक्त प्रस्ताव सदन में रखा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 180 दिन के अन्दर मंत्रि-परिषद के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है किन्तु जो प्रस्ताव लाया गया है उसको लाने की आवश्यकता नहीं थी। शासन पक्ष से मा0 राजस्व मंत्री ने इस आशय का भी तर्क दिया कि यह एक भ्रम है कि विश्वास प्रस्ताव रखने की जो प्रक्रिया है उसे शायद अविश्वास मत की प्रक्रिया में

शामिल माना गया है। इसमें सदस्यों की संख्या की कोई बाध्यता नहीं है, न ही अनुज्ञा की आवश्यकता है। इसलिए जो विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया वह पूरी तरह से नियमों के अन्तर्गत है। मा0 राजस्व मंत्री ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि जब प्रस्ताव विचारार्थ ले लिया गया और मत-विभाजन के लिए आवाज संग्रहीत किये जाने और प्रश्न उपस्थित करने के बाद वह पारित हो गया उस समय अचानक मा0 सदस्यों का उस बारे में कोई सवाल खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 313 का सन्दर्भ देते हुए यह भी कहा कि उक्त नियम 313 के अनुसार ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनका नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उक्त नियमावली के नियम 314 का सन्दर्भ देते हुए यह भी कहा कि उक्त नियम 314 के अनुसार किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी। अन्त में उन्होंने यह भी कहा कि मा0 नेता सदन ने जो प्रस्ताव सदन में रखा उसे सदन ने ध्वनि मत से पारित किया और उस पर मा0 अध्यक्ष का विनिश्चय भी हो गया इसलिए अब यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता और न ही औचित्य का प्रश्न बनता है साथ ही उन्होंने यह अनुरोध किया कि इसे अग्राह्य कर दिया जाय।

मैंने मा0 सदस्यों को सदन में सुनने के बाद इस औचित्य के प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। अब मैं इस प्रश्न पर अपना निर्णय दे रहा हूँ।

मा0 सदस्यों द्वारा अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की उपर्युक्त सूचनाओं में निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया गया है--

1--मुख्य मंत्री जी द्वारा मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव रखे जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी।

2--भारत के संविधान तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव रखने की व्यवस्था न होने के बावजूद यह प्रस्ताव सदन में रखा गया।

3--मंत्रि-परिषद् में विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व नेता, विपक्ष से सहमति नहीं ली गयी।

जहाँ तक प्रथम बिन्दु का प्रश्न है इस सम्बन्ध में पहले प्रस्तुत किये गये मंत्रि-परिषद् में विश्वास मत के प्रस्तावों पर पूर्व दृष्टांतों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इससे पूर्व विधान सभा में मंत्रि-परिषद् में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कुल 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिनमें से 6 प्रस्ताव पूर्व सूचना के साथ और 2 प्रस्ताव बिना सूचना के सदन में प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित सदन की कार्यवाही के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे अधिकतर प्रस्तावों को नेता सदन/मुख्य मंत्री द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया गया था जब उन्हें मंत्रि-परिषद् के गठन के पश्चात् सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया गया था। ऐसे प्रस्तावों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व विधान सभा सचिवालय को दी जाती रही है। जहाँ तक बिना सूचना के दिये गये ऐसे प्रस्तावों का सम्बन्ध है इस बारे में 30 जून, 1970 को एक विश्वास मत

व्यक्त करने का प्रस्ताव तब लाया गया था जब अध्यक्ष-पीठ से किसी सदस्य को इंगित किये जाने पर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सदस्य को निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया था और वह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था। इसके पश्चात् मा0 सदस्यों ने सदन में उस मामले को उठाते हुए यह कहा था कि मंत्रि-परिषद् का सदन में बहुमत नहीं रह गया है और सरकार गिर गयी है। अन्ततः यह निर्णय लिया गया था कि सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव मतदान के लिए लिया जाय। प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत हुआ और सदन द्वारा बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित किया गया।

दूसरा दृष्टांत 22 दिसम्बर, 1993 का है जब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुये तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि "यह भी प्रस्ताव में सदन में रखना चाहता हूँ। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर जो मत होगा वही मेरे मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव होगा। अतः मेरी सरकार में विश्वास व्यक्त करने के लिये इस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करें।" तत्कालीन मुख्य मंत्री के उक्त कथन पर आपत्ति करते हुये तत्कालीन मा0 नेता, विरोधी दल श्री कल्याण सिंह ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि मा0 मुख्य मंत्री ने अभी यह प्रस्ताव रखा ही नहीं है कि "यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास रखता है या नहीं।" उक्त आपत्ति का उत्तर देते हुये मा0 मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि "यह कहा गया कि प्रस्ताव विधिवत् प्रस्तुत नहीं हुआ। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मेरी सरकार द्वारा विश्वास मत भी प्राप्त माना जायेगा और वह मुझे प्राप्त हो चुका है। फिर भी चूँकि नेता, विरोधी दल ने आपत्ति की है इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वे आवश्यकतानुसार नियमों को निलम्बित करते हुये मुझे मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दें।" इसके पश्चात् तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री ने मंत्रि-परिषद् में सदन का विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया था जो तत्काल प्रश्न उपस्थित करने के पश्चात् सदन में स्वीकृत हो गया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री लालजी वर्मा ने यह प्रश्न उठाया है कि 'भारत के संविधान' तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 में मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव रखने की व्यवस्था न होने के बावजूद उक्त प्रस्ताव सदन में रखा गया था। जैसा मैंने ऊपर उल्लेख किया है। अब तक सदन में इस तरह के कुल 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं और पारित हुये हैं। इसलिए संविधान या प्रक्रिया नियमावली में इस हेतु कोई प्राविधान न होने के बावजूद ऐसे प्रस्ताव सुस्थापित परम्परानुसार सदन में प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। इसलिए इस बारे में कोई आपत्ति किये जाने को कोई औचित्य नहीं है।

रहा तक मा0 श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, डा0 सुशील चौधरी एवं श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय, सदस्यगण, विधान सभा के द्वारा उठाये गये इस बिन्दु का प्रश्न है कि मा0 नेता, सदन ने विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व मा0 नेता, विरोधी दल की सहमति नहीं ली है यह बिन्दु भी औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि नेता, सदन या मुख्य मंत्री द्वारा मंत्रि-परिषद् में विश्वास मत प्राप्त करने के प्रस्ताव पर नेता, विपक्ष की सहमति कोई मायने नहीं रखती। इस प्रस्ताव पर नेता, प्रतिपक्ष तो नेता, सदन के साथ सहमति व्यक्त कर ही नहीं सकता अन्यथा संसदीय कार्य प्रणाली में प्रतिपक्ष की भूमिका का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा।

जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पूर्व सूचना देकर और बिना पूर्व सूचना के भी प्राप्त होते रहे हैं और पारित भी होते रहे हैं। बिना सूचना के जिन दो प्रस्तावों को सदन द्वारा पारित किये जाने का मैंने पहले उदाहरण दिया है वह उदाहरण इस मामले में अधिक संगत एवं उपयुक्त प्रतीत होते हैं क्योंकि अन्य 6 प्रस्ताव समय-समय पर सरकार के गठन के उपरांत लिये जाने के अतिरिक्त मंत्रि-परिषद् में सदन का विश्वास मत लेने के उद्देश्य से भी लिये जाते रहे हैं और ऐसा इसलिए होता रहा है कि विधान सभा में किसी एक दल का पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में अन्य दलों के सहयोग से सरकारें गठित होती रही हैं।

मैंने अन्य राज्य विधान सभाओं के भी कतिपय दृष्टांतों का अवलोकन किया है। केरल विधान सभा के अध्यक्ष श्री डी0 दामोदरन पोटी ने विश्वास-मत प्राप्त करने की प्रक्रिया पर एक निर्णय 20 मार्च, 1970 को दिया था जब मुख्य मंत्री श्री सी0 अच्युत मेनन ने सदन में विश्वासमत प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह कहा था कि केरल विधान सभा के नियमों में अविश्वास प्रस्ताव से सम्बन्धित नियमों का अक्षरश: पालन विश्वासमत प्राप्त करने के प्रस्ताव के लिए किया जाना आवश्यक नहीं है। लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक कैबिनेट रिस्पान्सबिलिटी टू लेजिस्लेचर मोशन आफ कान्फीडेन्स एण्ड नो कान्फीडेन्स इन लोक सभा एण्ड स्टेट लेजिस्लेचर-जी0 सी मल्होत्रा छ के पृष्ठ 473 पर केरल विधान सभा में उक्त विश्वासमत के बारे में उल्लेख है कि ही "हेल्ड दैट इट वाज नाट एडवाइजएबिल टू इनसिस्ट आन द एडाप्शन आफ द रिलेटिवली रिजिड रिक्वायरमेन्ट लेड डाउन इन द रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजिनेश इन द केरला लेजिस्लेटिव असेम्बली फार मूविंग ए मोशन आफ नो कान्फीडेन्स इन द केस आफ ए मोशन सीकिंग वोट आफ कान्फीडेन्स। ही फारम्यूलेटेड द फालोइंग प्रोसीजर फार द मूविंग आफ ए मोशन आफ कान्फीडेन्स। द चीफ मिनिस्टर आर ए मेम्बर आफ द काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स आर द लीडर आफ द हाउस मे ऐट एनी टाइम गिव नोटिस आफ ए मोशन सीकिंग वोट आफ कान्फीडेन्स इन द काउन्सिल आफ मिनिस्टर। देयर इज नो नेसेसटी टू आस्क फार लीव आफ द हाउस टू मूव सच ए मोशन। द स्पीकर शैल इन कन्सलटेशन विथ द लीडर आफ हाउस डिक्लेयर दैट द मोशन विल बी टेकेन आन सच डे एज ही मे एप्वाइंट एण्ड शैल एलाट ए डे आर डेज फार द डिस्कशन आफ द मोशन। द स्पीकर शैल, ऐट द अप्वाइंटेड आवर आन द एलाटेड डे आर ऐज द केश मे बी द लास्ट आफ एलाटेड डेज, पुट द क्वेश्चन नेससरी टू डिटरमिन द सेन्स आफ द हाउस आन द मोशन बाई द असेम्बली। द स्पीकर मे इफ ही थिंक्स फिट प्रेस्क्राइब ए टाइम लिमिट फार स्पीचेस।" (उन्होंने कहा कि मंत्रि-परिषद् में विश्वास का मत सदन में प्रस्तुत किये जाने हेतु केरल, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में अविश्वास-मत को प्रस्तुत करने के लिये दी गयी दृढ़ आवश्यकताओं का पालन किये जाने पर बल दिये जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह प्रक्रिया प्रतिपादित की कि विश्वास मत को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य मंत्री या मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य या नेता सदन किसी भी समय मंत्रि-परिषद् में विश्वास मत प्राप्त करने की सूचना दे सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष, नेता सदन के परामर्श से यह घोषित करेंगे कि प्रस्ताव किस दिन

लिया जाय और यह तय करेंगे कि उस पर चर्चा किस दिन या कितने दिन हो। अध्यक्ष निर्धारित दिवस या दिवसों के अन्त में निर्धारित समय पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन का मत जानने के लिए आवश्यक प्रश्न रखेंगे। अध्यक्ष अगर उचित समझें तो इस हेतु भाषण की सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं।)"

केरल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मंत्रि-परिषद् में विश्वास का मत सदन में किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए सदन की प्रक्रिया नियमावली में विश्वास-प्रस्ताव के लिए उपबन्धित आवश्यकताएं पूरी करना आवश्यक नहीं हैं।

राजस्थान विधान सभा में 23 मार्च, 1990 के उपवेशन में मंत्रि-परिषद में सदन का विश्वासमत प्राप्त करने का प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरो सिंह शेखावत ने प्रस्तुत किया था। लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित उक्त सन्दर्भ ग्रंथ के पृष्ठ-769 पर यह उल्लेख है कि "इन एकोरडेन्स विथ द रिक्वायरमेन्ट लेड डाउन बाई द गवर्नर, श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, द चीफ मिनिस्टर श्री भैरो सिंह शेखावत मूव्ड आन 23 मार्च, 1990, ए वन लाइन मोशन सिकिंग वोट आफ कान्फीडेन्स आफ द हाउस, द फर्स्ट इन द हिस्ट्री आफ द लेजिस्लेटिव एसेम्बली। दी मोशन आफ कान्फीडेन्स वाज मूव्ड बाई द चीफ मिनिस्टर ऐज पार्ट आफ एजेण्डा आइटेम आफ सप्लीमेन्टरी लिस्ट आफ बिजिनेस, मिडवे ड्यूरिंग द डिबेट आन द एड्रेस बाई द गवर्नर।" (श्री देवी प्रसार चट्टोपाध्याय, राज्यपाल की अपेक्षा के अनुसार, मुख्य मंत्री श्री भैरो सिंह शेखावत ने 23 मार्च, 1990 को विधान सभा के इतिहास में पहली बार सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिये एक पंक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विश्वास मत मुख्य मंत्री द्वारा श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर चर्चा के मध्य अनुपूरक कार्यसूची की एक मद के रूप में प्रस्तुत किया गया था।)

यह निर्विवाद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव बिना संशोधन के पारित होना मंत्रि-परिषद में सदन के विश्वास की अभिव्यक्ति मानी जाती है। मा0 मुख्य मंत्री ने सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत करके सदन के इस विश्वास की पुष्टि कराने मात्र का कार्य किया है।

प्रश्नगत विश्वास मत के प्रस्ताव को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा 25 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत किये जाने पर और उस पर सदन का मत लिये जाने के समय तक किसी भी मा0 सदस्य ने उस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की थी। सदन में उक्त प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात् श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर ने केवल यह कहा था कि इस प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है। अत: दिनांक 25 फरवरी, 2005 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित होने के समय मा0 मुख्य मंत्री ने मंत्रि-परिषद् में सदन का विश्वास व्यक्त करने सम्बन्धी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह पूर्व परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुये अनुचित नहीं कहा जा सकता, अत: मैं मा0 श्री हुकुम सिंह, मा0 डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, मा0 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 लालजी वर्मा, मा0 प्रमोद कुमार, मा0 जगदम्बिका पाल, मा0 डा0 सुशील चौधरी एवं मा0 श्री श्याम सूरत उपाध्याय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं को निरस्त करता हूँ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 07-03-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत 33 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। इनमें से पहली सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के व्यस्ततम मुख्य मार्गों पर नगर निगम की देखरेख में खुले रूप से बेचे जा रहे मीट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री मोहन देव शंखवार जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यकारी संस्था पैक्सफेड द्वारा घटिया किस्म की निर्माण सामग्री लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना डा0 अजय कुमार की मेरठ मण्डल में कृषकों के हजारों निजी नलकूपों के एस्टीमेट जमा होने के बावजूद कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री प्रमोद कुमार की, श्री रामबचन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनपद मऊ द्वारा राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हेतु जमीन एवं दस लाख रुपये की धनराशि देने के उपरांत भी कालेज की स्थापना न किए जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पाँचवीं सूचना श्रीराम इकबाल सिंह जनपद बलिया की रसड़ा तहसील में मुंसिफ न्यायालय के भवन का निर्माण हो जाने के उपरांत भी न्यायालय चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। छठीं सूचना, श्री कल्याण सिंह दोहरे की राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्राचार्य के विरुद्ध जांच/स्थानान्तरण की कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में है जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना, श्री कौशल किशोर की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल में सामन्तों द्वारा दलित समाज के व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में है। जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ में सभी नर्सिंग होमों में पेशेवर रक्तदाताओं द्वारा ब्लड दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। नौवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर में स्थित संत करतार गैस एजेन्सी पर बदमाशों द्वारा धावा बोलकर लाखों रुपये की नकदी लूटने एवं बदमाशों की गिरफ्तारी न किए जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना, श्री लाल जी वर्मा की जनपद गोण्डा स्थित श्री गांधी विद्या मंदिर इण्टर कालेज, गोण्डा के प्रबन्धतंत्र द्वारा घोर वित्तीय अनियमितता किए जाने एवं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। ग्यारहवीं सूचना, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन में बेतवा प्रखण्ड सिंचाई विभाग द्वारा फर्जी कार्य एवं भुगतान किए जाने के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में है जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुई है उनके नाम निम्नलिखित हैं। श्री बीजू पटनायक, श्री लालजी वर्मा, आपने दो-दो सूचनाएं एक साथ दी हैं आप पता करें कि आप लिखकर देते हैं या कोई दूसरा लिखकर दे जाता है,

श्री लालजी वर्मा--

हमने खुद लिखकर दिया था।

श्री अध्यक्ष--

इसके अतिरिक्त श्री राम नरेश यादव, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री राजेश कुमार, डा0 विनोद तिवारी, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री बैजनाथ दुबे, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री दिलीप कुमार वर्मा, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 यशवन्त सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री जयराम विमल, श्रीमती राजरानी रावत, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री मुन्शी लाल गौतम की सूचनायें भी अस्वीकृत हुई हैं।

जनपद ललितपुर के ग्राम सिमरा, बुजुर्ग निवासी श्री रामेश्वर लोधी की मृत्यु के उपरान्त आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ललितपुर से प्राप्त सूचना के.....

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(पढ़ा हुआ वक्तव्य संलग्न है।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[अनुसार दिनांक 11-2-05 को श्री रामेश्वर लोधी ग्राम सेमरा से ग्राम गुगरवार जा रहे थे, बस कन्डेक्टर द्वारा किराया माँगने पर उनके द्वारा 5 रुपए किराया दिया गया जबकि बस का किराया 7 रुपया था। इसी बात पर दोनों के मध्य विवाद हो गया तथा बस कन्डेक्टर द्वारा श्री रामेश्वर को मारा पीटा गया जो अपनी मां के साथ ललितपुर आये तथा चोटों का परीक्षण अस्पताल में करवाया एवं उनकी मां की सूचना पर इस सम्बन्ध में थाना-बार पर मु0अ0सं0--34/05 धारा 147/323/504/506/342 भा0 दं0 वि0 बस मालिक रहीस यादव आदि 9 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। घायल श्री रामेश्वर की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गयी जिनके पंचायतनामा, पोस्टमार्टम आदि के आधार पर अभियोग धारा 304 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया तथा अभियुक्त कन्डेक्टर जयपाल, ड्राइवर हरनाम सिंह बस मालिक रहीस यादव एवं क्लीनर भगवत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रकाश में आये अभियुक्त मान सिंह पूर्व कन्डेक्टर की गिरफ्तारी शेष है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास तथा धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा रही है। पोस्टमार्टम से मृतक के शरीर में चोट आना नहीं पाया गया। शल्य, चिकित्सक द्वारा विसरा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया है।

ललितपुर के श्री संजीव कुमार सोनी सर्राफा व्यापारी के दुकान के शटर तोड़कर जेवरात एवं नकदी रुपये चोरी जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-303/05 धारा 457/380 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ कर दी गयी है। घटना की सूचना पर तत्काल स्थान दल एवं फील्ड यूनिट का प्रयोग किया गया एवं अनावरण हेतु पूर्व में प्रकाश में आये नकाबजनों चोरों को चिन्हित कर पूँछताछ की जा रही है तथा अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित कर अनावरण का प्रयास किया जा रहा है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मुन्नू सिंह की जमीन पर कब्जे के बारे में श्री संजय सिंह उर्फ संजू राना बुन्देला एवं श्री मनोहर लाल के मध्य मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है तथा शान्ति भंग की आशंका तथा इस अप्रिय घटना को रोकने के लिए दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 द0प्र0सं0 की रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी है। यह प्रकरण पूर्णत: जमीनी विवाद से सम्बन्धित है।

सेवानिवृत्त कर्नल राजेन्द्र सिंह एवं विपक्षी धर्मवीर सिंह रिस्ते में मामा-भान्जे हैं जिनके मध्य पैसे के लेन-देन का विवाद था। इसमें कर्नल राजेन्द्र सिंह द्वारा मु0अ0सं0 319/04 धारा 147/308/323/504/506/452 भा0द0वि0 विरुद्ध श्री धर्मवीर सिंह आदि 7 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा श्री धर्मवीर सिंह द्वारा क्रास केस मु0अ0सं0-319-ए/04 धारा 147/307/504/506/323/427 भा0द0वि0 व 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कर्नल राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध दर्ज कराया गया। मामले में मु0अ0सं0-319/04 के सभी 7 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा मु0अ0 सं0 319-ए/04 में 4 व्यक्ति संलिप्त पाये गये जिनमें से एक की गिरफ्तारी की गयी तथा 3 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। दोनों मामलों में दिनांक 14-12-04 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है।]

जनपद मेरठ स्थित नौचन्दी मेले में भाग लेने वाले व्यापारियों को व्यापार-कर में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री को दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई, मा0 सदस्य,विधान सभा द्वारा की गई माँग के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(पढ़ा हुआ वक्तव्य संलग्न है।)

मोहम्मद आजम खाँ--

[प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्ष भर मेलों/महोत्सवों का आयोजन होता रहता है तथा जिसमें प्रदेश के तथा प्रदेश के बाहर के दुकानदारों के द्वारा दुकानें लगायी जाती हैं। यह कहना भी सही है कि विभिन्न मेलों का आयोजन सामाजिक तथा सांस्कृतिक जुड़ाव के लिये होता है। सैफई महोत्सव में व्यापार कर की छूट व्यापार कर अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ग) के अधीन विज्ञप्ति जारी करते हुए प्रदान की गयी थी। सैफई महोत्सव दिनांक 15-01-2005 से दिनांक 30-01-2005 तक चला था, जबकि यह छूट केवल 8 दिवस हेतु दिनांक 17-01-2005 से 25-01-2005 तक की अवधि के लिए प्रदान की गयी थी। सैफई महोत्सव ग्रामीण क्षेत्र का मेला है तथा इसे आकर्षक बनाने के हेतु 8 दिवस के लिए व्यापार कर से छूट दी गयी थी। इस प्रदान की गयी छूट का प्रभाव भी हुआ तथा ट्रैक्टर एवं अन्य वाहनों की बिक्री भी काफी अधिक मात्रा में हुई। नौचंदी (मेरठ) का मेला जो कि लगभग एक माह चलता है, एक सुस्थापित एवं ख्याति प्राप्त मेला है तथा बड़े महोत्सव का मेला होने के कारण इसे किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है।]

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ की कोतवाली नगर में आरोपों के उपरान्त भी श्री पहुप सिंह, निरीक्षक (पुलिस) को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

श्री पहुप सिंह, निरीक्षक, कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध...

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[कोतवाली नगर में दि0 22-6-2003 को मु0अ0सं0-383/2003 धारा 420/423/120बी भा0दं0वि0 तथा दि0 10-4-2003 को मु0अ0सं0 214/2003 धारा 420/423/120बी भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। इसमें क्रमश: शस्त्र लाइसेंसी श्री कुन्दन सिंह एवं श्री राजेश सिंह भी अभियुक्त थे। इन अभियोगों की विवेचना सर्वप्रथम तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, नगर द्वारा की गयी। बीच में इसकी विवेचना जनपदीय विशेष अनुसंधान शाखा, प्रतापगढ़ द्वारा की गयी तथा वर्तमान में इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, नगर द्वारा की जा रही है एवं इन मामलों में श्री पहुप सिंह, निरीक्षक के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं।

जहां तक श्री पहुप सिंह को प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दि0 25-01-2005 को बसपा विधायक श्री राजू पाल की इलाहाबाद में हुयी हत्या के कारण निकटवर्ती जनपद प्रतापगढ़ में बसपा कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश था तथा दि0 2-2-2005 को प्रदेश बन्द, विरोध व प्रदर्शन था। उस समय थाना कोतवाली नगर में पूर्व निरीक्षक के स्थानान्तरण के कारण कोई निरीक्षक नियुक्त नहीं था। इसलिए जनपद में कानून व्यवस्था की दृष्टि से थाना कोतवाली नगर में प्रभारी निरीक्षक की नियुक्ति आवश्यक थी। स्थिति की गम्भीरता एवं दि0 2-2-2005 को होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए श्री पहुप सिंह निरीक्षक को कोतवाली नगर का कार्यभार देखने के लिए सम्बद्ध किया गया है।]

राजकीय कालोनी, बादशाहनगर, लखनऊ में स्थापित पानी की टंकी में सप्लाई ठीक से न होने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मौर्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

राजकीय कालोनी बादशाह नगर, लखनऊ में पानी की आपूर्ति कालोनी में...

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[स्थित ट्यूबवेल एवं ओवर हेड टंकी के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में प्रात: 6.00 बजे से 9.00 बजे, मध्याह्न 12.00 बजे से 1.00 बजे तथा सायं 6.00 से 9.00 बजे तक जलापूर्ति की जा रही थी। ट्यूबवेल से टंकी तक की पाइप लाइन जीर्ण-शीर्ण थी जिससे पानी लीकेज होकर बरबाद हो जाता था। पाईप लाइन बदल दी गयी है जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ गयी है। वर्तमान में मध्याह्न का समय बढ़ाकर जलापूर्ति हेतु 12.00 बजे से 2.00 बजे तक कर दिया गया है जिससे अध्यासी गणों को अधिक समय तक जलापूर्ति प्राप्त हो सकेगी। पाइप लाइन की कुछ पाइप खराब हैं उन्हें बदलने/मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। सम्प, पम्प हाउस एवं बाउन्ड्रीवाल के जीर्णोद्धार हेतु धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।]

जनपद सिद्धार्थ नगर स्थित बाँसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में नगर...

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(पढ़ा हुआ वक्तव्य संलग्न है।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[नगर पालिका बाँसी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नगर पालिका क्षेत्र से हटाकर 08 किमी0 की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसन्तपुर में समायोजित कर दिये जाने के कारण नगर पालिका क्षेत्र की लगभग एक लाख की आबादी को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं एवं स्थानीय जनता में व्याप्त आक्रोश का उल्लेख करते हुए नगर पालिका क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को यथावत् बनाये रखने की मांग की गयी है।

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण में सानुरोध अवगत कराना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी का संवीलियन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसन्तपुर (बांसी) में किया जा चुका है और उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य सुविधायें निर्धारित मानकानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में प्रदेश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की दृष्टि से संतृप्त है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका बांसी, सिद्धार्थ नगर से हटाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पुन: उसी स्थान पर नहीं स्थापित किया जा सकता है।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जयप्रताप सिंह--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। नगर पालिका क्षेत्र, बांसी में 50 हजार की आबादी है। वर्ष 1990 में जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी से 8 किमी0 दूर स्थापित कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो सिनेमा के बगल में किया था।

श्री जय प्रताप सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि बांसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुनः स्थापित करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो एक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास मैंने किया था फिर उसी दौरान वह स्वास्थ्य केन्द्र बांसी से 8 कि0मी0 दूर स्थापित कर दिया गया। जिससे बांसी के लोगों को वहाँ बसन्तपुर तक आने-जाने में दिक्कत होती है। किसी कारणवश यह रोक नहीं पाए। क्या अब वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री जयप्रताप सिंह--

मान्यवर, डुमरियागंज इसी तरह की व्यवस्था है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

नहीं रोक पाये इसके लिए खेद है आगे हो जाय इसके लिए कोशिश होगी।

जनपद जौनपुर स्थित तरहटी, असवाँ काछीडीह सम्पर्क मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य ने ... कराया है कि जनपद जौनपुर...

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(पढ़ा हुआ वक्तव्य सम्मिलित है।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

"[के विधान सभा क्षेत्र मछली शहर अन्तर्गत वर्ष 2004 में उनकी विधायक निधि से तरहटी सम्पर्क मार्ग, असवां सम्पर्क मार्ग, काछीडीह सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु धन आवंटित किया गया था किन्तु आज तक कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ और न ही विधायक निधि में पैसा वापस प्राप्त हुआ। इसके दृष्टिगत मा0 सदस्य द्वारा वक्तव्य की मांग की गयी है।

2--इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जौनपुर के पत्रांक-6025/वि0नि0/2003/04, दिनांक 12-02-2004 द्वारा निम्न तालिका में अंकित 03 मार्गों की मरम्मत हेतु विधायक निधि से धनराशि आवंटित की गयी थी। धनराशि की प्राप्ति एवं उसके उपयोग की स्थिति निम्नवत् है :--

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	मार्गों के नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि (जून 04 तक)	अन्य कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि
1	जंघई-असवा मार्ग के किमी0 1,2 व 3 में पैच मरम्मत का कार्य।	1.35	1.01	0.07	0.94
2	काछीडीह-नडार मार्ग पर प्रा0पा0 तक पैच मरम्मत का कार्य 500 मीटर।	1.44	1.08	0.75	0.33
3	बादशाहपुर-तरहठी मार्ग के किमी0-1, 2, 7, 8 एवं किल्हापुर तक पैच मरम्मत का कार्य 04 किमी0	4.76	3.57	2.53	1.04
	योग . .	**7.55**	**5.66**	**3.35**	**2.31**

3--उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपर्युक्त 03 कार्यों हेतु स्वीकृत कुल धनराशि रु0 7.55 लाख के सापेक्ष रु0 5.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। अवमुक्त धनराशि रु0 5.66 लाख के सापेक्ष रु0 5.66 लाख की डी0सी0एल0 प्राप्त हुई । प्राप्त डी0सी0एल0 रु0 5.66 लाख में से रु0 3.35 लाख का उपयोग उपरोक्त तालिका में अंकित कार्यों पर किया गया। शेष रु0 2.31 लाख की डी0सी0एल0 का उपयोग तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री एम0डी0 वर्मा द्वारा स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया जिसके कारण आगे का कार्य कराना सम्भव नहीं हुआ। श्री एम0 डी0 वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, अनियमितता के अन्य प्रकरण में वर्तमान में निलम्बित हैं। इस प्रकरण के संज्ञान में आने के पश्चात् इनके विरुद्ध पुनः जाँच के आदेश दे दिये गये हैं। मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

शाहजहाँपुर नगर की सीवर/ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 विधायक द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2005 को नियम 51 के ..

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[अन्तर्गत निम्नानुसार सूचना दी गई है:--

"शाहजहाँपुर नगर में पिछले 20 वर्ष से सीवर लाइन पड़ रही है, लगभग पौने दो करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है लेकिन सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चालू न होने के कारण इस रुपये का कोई इस्तेमाल (उपयोग) नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में कई पत्र, रिमाइन्डर भेजे गये हैं परन्तु सभी बे-असर रहे हैं। यदि सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न चालू हुआ तो जो भी रुपया अब तक सीवर लाइन पर खर्च किया गया है बरवाद हो जायेगा।

शहर में सीवर लाइन चालू न होने के कारण हर नाले-नाली भरे हैं, मोहल्लों में नाले का पानी ओवर फ्लो होता है जिससे गन्दगी व प्रदूषण होता है।

जनहित में इस समस्या का समाधान सीवर लाइन चालू करने से ही होगा।"

2--उपरोक्त के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि शाहजहाँपुर नगर की सीवरेज योजना अनुमानित लागत रु0 214.79 लाख वर्ष 1981-82 में स्वीकृत हुई थी, जिस पर वर्ष 1983-84 से अब तक रु0 198.81 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 195.83 लाख व्यय हो चुका है। योजना में प्रस्तावित कुल 23.00 किमी0 सीवर लाइन के सापेक्ष 1.73 किमी0 ट्रक सीवर, 2.8 किमी0 ब्रांच सीवर बिछाई गई है, जो आंशिक रूप से चालू है। योजना माह दिसम्बर, 2004 में स्थानीय निकाय को हस्तगत कर दी गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे मलजल को स्थानीय नदी के समीप रेवले लाइन के पास निस्तारित किया जा रहा है। पम्पिंग स्टेशन पूर्ण है। एक पम्पिंग प्लांट अभी अधिष्ठापित नहीं है। धनाभाव की कमी के कारण सीवेज फार्म चैनल एवं आक्सीडेशन पान्ड हेतु भूमि अधिग्रहीत नहीं हुई है। शाहजहाँपुर नगर के विस्तार एवं जनसंख्या की वृद्धि के कारण योजना के पुनरीक्षण हेतु रु0 15.00 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी किन्तु नगर विकास विभाग के आय-व्ययक में प्रश्नगत योजना हेतु धनराशि का प्राविधान न होने के कारण धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त धनराशि की व्यवस्था नगर पालिका परिषद्, शाहजहाँपुर को अपने स्रोतों से ही करना होगा।]

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर के अन्तर्गत चोरवाँ गांव में निर्मित सड़क के खड़न्जे को प्रशासन द्वारा उखाड़े जाने एवं अपात्र व्यक्ति को उसका पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा लोक महत्व के प्रश्न पर ग्राम सभा चोरवां...

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(पढ़ा हुआ वक्तव्य संलग्न है।)

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[में जिला प्रशासन, सुल्तानपुर द्वारा दबाव में आकर ग्राम सभा का खड़न्जा जो क्षेत्र पंचायत के सरकारी धन से बना हुआ था को उखाड़े जाने तथा सरकारी सेवा में सेवारत प्रधानाध्यापक की पत्नी के नाम अपात्र पट्टा किये जाने तथा सरकारी धन का गलत व्यय करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के विषय पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा जयसिंहपुर के अन्तर्गत चोरवां गांव के गाटा संख्या-790 मि0/0696 सीतापति पत्नी हरिराम, निवासी उक्त ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में खतौनी में अंकित है। यह पट्टे की भूमि थी जिस पर दस वर्ष की अवधि के पश्चात् शासनादेश के अन्तर्गत श्रीमती सीतापति की संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार प्राप्त हुआ। यह भूखण्ड पट्टा होने के पूर्व मौके पर खाली था इसलिये ग्रामवासियों का इस भूखण्ड से होकर आना-जाना था। सन् 1996 में संक्रमणीय भूमिधर होने के पश्चात् वर्ष 2002 में इस भूखण्ड से होकर मिट्टी पटवाई गयी और 2003 में खंडन्जा बिछवा दिया गया जबकि उस समय पट्टेदार को यथास्थिति बनाये रखने का स्थगनादेश सिविल कोर्ट से प्राप्त था। खड़न्जा बिछवाने से पट्टेदार सीतापति की उक्त भूमि दो हिस्सों में बट गयी थी। श्रीमती सीतापति द्वारा उक्त गाटा से ले जाये गये खड़न्जे को हटवाने हेतु कई बार उच्चाधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर सीतापति की चक गाटा संख्या-790 मि0 मे 85 मीटर खड़न्जा को हटवा दिया गया। मामला उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है।

जहाँ तक पट्टेदार की पात्रता का प्रश्न है पट्टेदार पिछड़ी जाति की महिला है और पट्टे के समय पट्टेदार के पति श्री हरि राम जो वर्तमान समय में जूनियर हाई स्कूल मे प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है, तत्कालीन भूमि प्रबन्धक समिति चोरवां तहसील सदर, जनपद सुल्तानपुर के श्रीमती सीतापति के नाम भू-आवंटन का प्रस्ताव किया था और उसका नाम पात्रता सूची में अंकित था जिसके आधार पर उनके नाम वर्ष 1985 में भूखण्ड आवंटित हुआ। खड़न्जा उखाड़ने से ग्राम वासियों के समक्ष आवागमन की कोई समस्या नहीं है क्योंकि गांव मे आवागमन के अन्य रास्ता भी है जिससे ग्रामवासी सुविधाजनक रूप से आते-जाते हैं।]

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। दिनांक 11 मार्च, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 8 बजकर 55 मिनट पर शुक्रवार 11 मार्च, 2005 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : दिनांक : 7 मार्च, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

(देखिये ता0 प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7-9 पर।)

संख्या : 6087/9-आ-1-2003-34 वि0/03

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1--आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

2--समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2003

विषय :--उत्तर प्रदेश में हाई--टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये शहरी विकास का ऐसा स्वरूप होना आवश्यक है जिसमें उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति उपलब्ध हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साफ्टवेयर के विकास को आर्थिक प्रगति का एक मुख्य सेक्टर माना गया है, अत: प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिये जीवन की गुणवत्ता एक बुनियादी आवश्यकता है। इस हेतु प्रदेश के तीव्र गति से बढ़ रहे महानगरों में अत्याधुनिक सुविधाओंयुक्त टाउनशिप में बड़े पैमाने पर निजी पूँजी निवेश को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। जनगणना, 2001 के अनुसार प्रदेश की 28 प्रतिशत आबादी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले छ: महानगरों यथा: कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ व इलाहाबाद में केन्द्रित है तथा वर्ष 1991-2001 के दशक में इन महानगरों की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक (48.10 प्रतिशत) रही है।

2--शहरी जनसंख्या में हो रही वृद्धि एवं तीव्र नगरीकरण के परिवेश में महानगरों में अवस्थापना सुविधाओं एवं आवास से सम्बन्धित समस्यायें गम्भीर होती जा रही हैं। विकास प्राधिकरणों तथा अन्य शासकीय अभिकरणों के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव एवं अन्य देनदारियाँ होने के कारण बड़े पैमाने पर भूमि का विकास कर माँग के अनुरूप बिक्री योग्य सम्पत्तियाँ सृजित किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र में नियोजित रूप से आवासीय सुविधाओं के प्राविधान हेतु निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना एक मात्र विकल्प प्रतीत होता है।

3--राज्य आवास नीति के अनुसार आवास सेक्टर में निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया है, परन्तु प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में भूमि समुचित मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण निजी क्षेत्र द्वारा अभी तक अधिकांश कार्य छुट-पुट रूप से किये जा रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र में अंतर्निहित प्रतियोगिता, व्यसायिकता, गतिशीलता, दक्षता एवं वित्तीय संसाधन जुटाने की असीम क्षमता उपलब्ध है, जिसका उपयोग नहीं हो सका है। वर्तमान आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति के परिप्रेक्ष्य में आवासिकी के क्षेत्र में सरकार की भूमि का 'दाता' के स्थान पर 'सुविधा प्रदायक' के रूप में निर्धारित की गयी है। अत: इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा एक सुविधामूलक एवं अनुकूल पर्यावरण का सृजन किया जाना अपरिहार्य है। उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा बड़े नगरों जैसे : लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा अन्य 'ग्रोथ पोटेन्शियल' वाले नगरों में अंन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हाई-टेक टाउनशिप का विकास प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। ऐसे नगरों में चिकित्सा, पर्यटन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु उच्च स्तरीय रिहायशी पर्यावरण उपलब्ध होना आवश्यक है।

4--प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निजी क्षेत्र में ऐसे 'हाई-टेक टाउनशिप' का विकास जिनमें न्यूनतम रु0 750 करोड़ का निवेश और लगभग 1500 एकड़ भूमि का विकास 5 वर्ष की समयावधि में पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव हो, निम्नानुसार पैकेज देकर निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाये :--

(1) टाउनशिप के विकास हेतु ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी विकासकर्ता कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम की धारा-3 में परिभाषित) से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। विकासकर्ता कम्पनी का चयन आर्थिक क्षमता, तकनीकी योग्याता एवं अनुभव तथा कान्सेप्ट्स एवं 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' के आधार पर किया जायेगा। विकासकर्ता कम्पनी का विगत तीन वर्षों में न्यूनतम टर्न ओवर रु0 100 करोड़ होना आवश्यक है।

(2) विकासकर्ता कम्पनियों के चयन हेतु राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

(3) टाउनशिप के विकास के लिए विकास प्राधिकरणों तथा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अथवा अन्य नामित अभिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 अथवा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन भूमि का अर्जन राज्य सरकार के पक्ष में किया जायेगा और प्रतिकर का निर्धारण यथासम्भव भू-स्वामी से समझौते के आधार पर करार नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। निगोसिएशन/ समझौते में निजी विकासकर्ता को भी सम्मिलित किया जायेगा। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वयं भी सीधे भूमि क्रय की जा सकेगी। जिन प्रकरणों में समझौते के आधार पर प्रतिकर निर्धारण नहीं हो सकेगा, उनमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रतिकर की दर निर्धारित की जायेगी। भविष्य में भू-अर्जन की दर मे किसी न्यायालय द्वारा वृद्धि किये जाने अथवा अर्जन सम्बन्धी किसी विवाद के फलस्वरूप उत्पन्न किसी भी देयता का दायित्व विकासकर्ता कम्पनी का होगा।

(4) विकासकर्ता कम्पनी द्वारा भू-अर्जन की समस्त लागत वहन की जायेगी परन्तु इस पैकेज हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क में विकासकर्ता कम्पनी को छूट देय होगी।

(5) विकासकर्ता कम्पनी की भूमि के क्रय अथवा हस्तान्तरण जो 90 वर्ष की लीज पर होगा, हेतु स्टैम्प ड्यूटी से छूट होगी, परन्तु भूमि विकास के उपरान्त विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों पर स्टैम्प ड्यूटी एवं फ्री-होल्ड परिवर्तन शुल्क एवं भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत अनुवर्ती विक्रय/फ्री-होल्ड परिवर्तन के समय विकासकर्ता कम्पनी द्वारा अर्जनकर्ता अभिकरण को देय होगा।

(6) प्रस्तावित टाउनशिप का लैण्ड यूज स्ट्रक्चर जिसमें आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत ग्रीन क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं आदि हेतु प्राविधान शामिल होंगे। प्रचलित महायोजना गाइड लाइन्स तथा बिल्डिंग बाइलाज केआधार पर किया जायेगा। प्रस्तावित टाउनशिप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से 'सस्टेनेबल' होगा।

(7) विकासकर्ता कम्पनी द्वारा चयन के उपरान्त टाउनशिप की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) 180 दिन के अन्दर तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी जिसमें प्रस्तावित टाउनशिप का ले-आउट प्लान, लैण्ड यूज प्लान, इन्फ्रास्टक्चर एवं सर्विसेज प्लान, मानक एवं विशिष्टियाँ, इम्प्लीमेंटेशन शिड्यूल, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सम्पत्ति प्रबन्धन तथा आपरेशन एण्ड मेंटीनेंश आदि के प्रस्ताव शामिल होंगे।

(8) नियत प्राधिकारी द्वारा डी0पी0आर0 पर 30 दिन के अन्दर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। विकासकर्ता कम्पनी को टाउनशिप के लैण्ड यूज में आंतरिक परिवर्तन की सुविधा इस शर्त सहित अनुमन्य होगी कि किसी भी भू-उपयोग हेतु आरक्षित भूमि परियोजना प्रारम्भ होने के समय प्रचलित मानकों एवं गाइड लाइन्स के अन्तर्गत हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन ही टाउनशिप प्लान का अनुमोदन होगा जिसके अनुमोदन हेतु अलग से प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

(9) विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किये टाउनशिप से सम्बन्धित समस्त आंतरिक, वाह्य विकास कार्य डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार क्रियान्वित किये जा सकेंगे। प्रस्तावित टाउनशिप में कतिपय सुविधायें जैसे--रोड कनेक्शन, जल निकासी, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज आदि की व्यवस्था हेतु विकासकर्ता कम्पनी द्वारा शासकीय अभिकरण को वास्तविक व्यय देय होगा परन्तु प्रस्तावित टाउनशिप के निवासियों द्वारा विद्यमान नगर की सामान्य सुविधाओं के उपयोग के लिए किसी प्रकार का वाह्य विकास शुल्क देय नहीं होगा।

(10) विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सामुदायिक सुविधाओं यथा : पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट आफिस, टेलीफोन इक्सचेंज आदि के लिए भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। प्रस्तावित टाउनशिप के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त सुविधाओं की समयबद्ध स्थापना में सहायता दी जायेगी तथा पुलिस स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि पर पुलिस स्टेशन नि:शुल्क स्थापित किया जायेगा।

(11) भू-उपयोग नियोजन एवं निर्माण कार्यों में दैवी आपदारोधी प्रावधान हेतु शासन द्वारा निर्धारित नीतियाँ तथा बी0आई0एस0 एवं आई0एस0 के सुसंगत कोड का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) परियोजना का क्रियान्वयन डी0पी0आर0 के अनुरूप एवं उनमें निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा विकास प्राधिकरण अथवा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् या किसी अन्य एजेंसी को नामित किया जायेगा जो परियोजना क्रियान्वयन के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु विकासकर्ता कम्पनी के साथ अनुबन्ध निष्पादित करेगी।

(13) प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन डी0पी0आर0 के प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण कराने हेतु सरकार द्वारा नामित अभिकरण द्वारा परियोजना की 25 प्रतिशत पट्टा गत भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार अपने पास रखा जायेगा जिससे विकासकर्ता कम्पनी द्वारा यदि कोई कार्य अधूरा छोड़ा जाता है तो उसे पूर्ण कराया जा सके।

(14) स्थानीय निकाय को सेवाओं का हस्तान्तरण होने तक उनका रख-रखाव विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वयं किया जायेगा। जिसके लिए विकासकर्ता कम्पनी को रख-रखाव शुल्क वसूल करने का अधिकारी होगा। टाउनशिप का जब तक स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण नहीं हो जाता है तब तक स्थानीय निकाय द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत गृहकर, जलकर, सीवरेज कर आदि की वसूली नहीं की जायेगी।

5--अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(जे0 एम0 मिश्र),
सचिव।

संख्या : 6087(1)/9--आ--1--03, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2--सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3--सम्बन्धित भूमि अध्याप्ति अधिकारी।
4--सम्बन्धित अध्यक्ष/जिलाधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5--आवास बन्धु।
6-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अमिताभ त्रिपाठी),
अनुसचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9-11 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न का विवरण--

निष्कर्ष :

इस प्रकरण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एवं गोपनीय रूप से उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर थाना कैण्ट में नियुक्त निम्नलिखित कर्मचारी जिनके प्रत्येक के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है कर्त्तव्य पालन में लापरवाही के दोषी है तथा उपर्युक्त विवरण के अनुसार इनका आचरण संदिग्ध है।

1--वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री शारदा प्रसाद दीक्षित, 2--उ0 नि0 श्री आर0 के0 शर्मा, 3--हेड कान्स0 279 सी0 पी0 सुभाष मिश्रा, 4--हेड कान्स0 252 सी0 पी0 चन्द्रपाल मिश्र, 5--कान्स0 3906 सी0 पी0 हरिनाम सिंह, 6--कान्स0 1122 सी0पी0 हरिनाम सिंह, 7--कान्स0 1779 सी0पी0 मुनाज कुमार यादव, 8--कान्स0 1188 सी0पी0 शिवनेत्र सिंह, 9--कान्स0 1671 सी0 पी0 सन्तोष कुमार, 10--कान्स0 344 सी0पी0 बच्चू लाल, प्रभारी निरीक्षक--थाना कैण्ट श्री हेमन्त कुमार त्यागी पुलिस रेगुलेशन के प्राविधान के अनुसार थाने के प्रभारी के रूप में थाने में नियुक्त पुलिस कर्मियों के कार्य में दक्षता तथा अनुशासन के लिए उत्तरदायी है थाना कैण्ट के पुलिस कर्मियों के इस आचरण के सम्बन्ध में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित हुआ जिससे पुलिस विभाग तथा शासन की छवि धूमिल हुई। इस विषय में थानाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व से हेमन्त कुमार त्यागी बच नहीं सकते हैं कर्मियों के कृत्यों, अपकृत्यों का दायित्व प्रभारी निरीक्षक का भी है तथा उपरोक्त पुलिस कर्मियों पर उनके आचरण/गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं रहे। इसलिए कर्तव्य पालन में लापरवाही के दोषी हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

माघ मेला 2004-05 के लिये सलाहकार समिति के नामित सदस्यों की सूची

1–जिला अधिकारी इलाहाबाद।	अध्यक्ष
2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।	सदस्य
3–अपर जिलाधिकारी (नगर), इलाहाबाद।	सदस्य
4–अपर जिलाधिकारी (वित्त), इलाहाबाद।	सदस्य
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।	सदस्य
6 पुलिस प्रभारी, माघ मेला, इलाहाबाद।	सदस्य
7 मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद।	सदस्य
8–अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, इलाहाबाद।	सदस्य
9 क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद।	सदस्य
10 अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4 (कू0मे0), नलकूप निर्माण विभाग, इलाहाबाद।	सदस्य
11–अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।	सदस्य
12–प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद।	सचिव
13–मा0 सांसद क्षेत्र इलाहाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
14–मा0 विधायक, शहर उत्तरी, इलाहाबाद।	सदस्य
15–मा0 विधायक, शहर दक्षिणी, इलाहाबाद।	सदस्य
16–मा0 विधायक, झूंसी क्षेत्र, इलाहाबाद।	सदस्य
17–श्री राघवेन्द्र मिश्र, साउथ मलाका, इलाहाबाद।	सदस्य
18–श्री राजाराम तिवारी, संचालक, भारत सेवादल (भूले-भटके) शिविर, इलाहाबाद	सदस्य
19–अध्यक्ष, प्रयागवाल सभा, इलाहाबाद।	सदस्य
20–अध्यक्ष, नाई ठाकुर सभा, इलाहाबाद।	सदस्य
21–अध्यक्ष, घाटिया संघ, इलाहाबाद।	सदस्य
22–मंत्री, घाट चौक व्यवस्था समिति, इलाहाबाद।	सदस्य
23–अध्यक्ष, दण्डी स्वामी समाज, इलाहाबाद।	सदस्य

24–अध्यक्ष, तीर्थ पुरोहित परिषद्, इलाहाबाद। सदस्य

25–अध्यक्ष, नाविक संघ, इलाहाबाद। सदस्य

26–श्री सर्वेश्वर प्रपन्नाचार्य ब्रह्मचारी, त्रिवेणी बांध, इलाहाबाद। सदस्य

27–डा0 हरिशंकर द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी, इलाहाबाद। सदस्य

28–जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, इलाहाबाद। सदस्य

29–सभासद, दारागंज, इलाहाबाद। सदस्य

30–डा0 दीनानाथ शुक्ल, प्रबन्धक, गंगा जल प्रदूषण प्रदर्शनी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। सदस्य

विशेष आमंत्री

31–नगर प्रमुख, इलाहाबाद। सदस्य

32–श्री अनुग्रह नारायण सिंह, भूतपूर्व विधायक, इलाहाबाद। सदस्य

33–श्री फूलचन्द्र दुबे, अध्यक्ष, रामलीला कमेटी, इलाहाबाद। सदस्य

34–राष्ट्रीय सेवा योजना, सी0एम0पी0, इलाहाबाद। सदस्य

35–महाप्रबन्धक, दूरसंचार, इलाहाबाद। सदस्य

36–प्रभारी अधिकारी, फोर्ट, इलाहाबाद। सदस्य

37–अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, इलाहाबाद। सदस्य

38–डा0 रामचन्द्र मालवीय, मोतीलाल नेहरू होम्योचल चिकित्सालय, इलाहाबाद। सदस्य

39–श्री भरत जी शुक्ल, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन मोर्चा, इलाहाबाद। सदस्य

40–श्री विनोद चन्द्र दुबे, भूतपूर्व अध्यक्ष, बार काउन्सिल। सदस्य

41–श्री राम चन्द्र वैश्य, व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि। सदस्य

42–श्री राकेश शुक्ल, वाघम्बरी रोड भारद्वाजपुरम् अल्लापुर, इलाहाबाद। सदस्य

43–श्री हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, इलाहाबाद। सदस्य

44–श्री रमाशंकर, एडवोकेट, निरंजनी अखाड़ा, दारागंज, इलाहाबाद। सदस्य

45–पं0 जयराम मिश्र, अध्यक्ष, गंगा पुरोहित कल्याण समिति (घाट संघ), इलाहाबाद। सदस्य

46–श्री लाल वीरेन्द्र कुमार शर्मा, चौखण्डी, कीटगंज, इलाहाबाद। सदस्य

47–श्री चन्द्रनाथ चकहा (मधु) पूर्व अध्यक्ष, प्रयागवाल सभा। सदस्य

48–स्वामी उर्ध्वेता, 194 लूकरगंज, इलाहाबाद। सदस्य

49–तांत्रिक रमेश त्रिपाठी, टैगोर टाउन, इलाहाबाद। सदस्य

50–श्री अमरजीत सिंह पटेल, महासचिव, समाजवादी पार्टी, अम्बेडकरनगर, नैनी, इलाहाबाद। सदस्य

51–श्री के0 के0 श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, एलनगंज, इलाहाबाद। सदस्य

52–श्री गुलाब सिंह यादव, सारंगदास का मन्दिर परेड ग्राउण्ड, इलाहाबाद। सदस्य

53–श्री मोतीलाल कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष, शक्ति होटल, रामबाग, इलाहाबाद। सदस्य

54–श्री महमूद उस्मानी, नगर उपाध्यक्ष, 404, अतरसूईया, इलाहाबाद। सदस्य

55–श्री भोलानाथ गुप्ता, नगर महासचिव, 141, नई बस्ती कीटगंज, इलाहाबाद। सदस्य

56–श्री रामानन्द भारतीय, जिला उपाध्यक्ष, चक हरिहरवन, झूँसी, इलाहाबाद। सदस्य

57 श्री राम मिलन यादव, अध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, लेबर कालोनी, नैनी, इलाहाबाद। सदस्य

58–श्री माधोराज वैद्य, चौखण्डी, कीटगंज, इलाहाबाद। सदस्य

59–श्री श्रवण कुमार शर्मा, चौखण्डी, कीटगंज, इलाहाबाद। सदस्य

60–श्री नारायण प्रसाद शर्मा, चौखण्डी, कीटगंज, इलाहाबाद। सदस्य

61–श्री रणजीत सिंह, खरकोनी, इलाहाबाद। सदस्य

62–श्री पदुम नारायण, जायसवाल, मनमोहन नगर कीटगंज, इलाहाबाद। सदस्य

उत्तर प्रदेश राजपत्र

नत्थी 'घ'

**माननीय सदस्यों के लिखित भाषण अंशों को जोड़ने के निर्देश

(देखिये पीछे पृष्ठ. 173 पर)

दिनांक 7 मार्च, 2005 की कार्यवाही (सिंचाई विभाग का अनुदान) के

अनुपूरक भाषण अंश

(लिखित भाषण अंश, जो कार्यवाही के अंग माने गये)

1--श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू--

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बजट प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र बेहटा के ग्राम मल्लापुर के पास होकर घाघरा नदी निकली है, दूसरी विशेष बात यह है कि उसी स्थान पर शारदा, घाघरा, सरयू का संगम होने से नदी का बहाव भयंकर रूप ले लेता है जिससे ग्राम मल्लापुर के सैकड़ों मकान विगत वर्षों में नदी में समा चुके हैं। यदि मल्लापुर के पास नदी में ठोकर नही बनाई गई तो सम्पूर्ण गांव इस वर्ष नदी में समा जायेगा जिससे पूरे गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। अत: मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ग्राम मल्लापुर के पास घाघरा नदी में ठोकर (पिचिंग) बनाये जाने की मांग करता हूँ, धन्यवाद।

2--श्री राम लाल अकेला--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र बछरावां, जनपद-रायबरेली में महाराजगंज ड्रेन, शिवगढ़ ड्रेन, अमावां ड्रेन, ईसिया ड्रेन, मुरैली ड्रेन, हसवा ड्रेन, सिकन्दरपुर और मूँगताल ड्रेन के कारण क्षेत्र की अधिकांश भूमि जल प्लावित है। इन ड्रेनों का सर्वे कराकर सफाई का निर्देश देने की कृपा करें तथा बछरावां रजबहा, रायबरेली रजबहा और राजामऊ रजवहा, जिनकी सफाई कागजों पर हुई है, इसकी जाँच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

3--श्री राम करन आर्य--

मा0 सिंचाई मंत्री जी, मेरी विधान सभा, नगर पूरब बस्ती में गोविन्दापुर, ब्लाक बहादुरपुर को मनोरमा नदी की कटान से बचाया जाय अन्यथा गोविन्दपुर इस बरसात की बाढ़ में विलीन हो जायेगा। कुआनों नदी के किनारे जिला कारागार बस्ती से लालगंज तक बंधे का निर्माण कराया जाय और बहादुरपुर से खाखरा अमावाबाद तक मनोरमा नदी के किनारे बंधा बनाया जाय। मान्यवर, राम नगर ब्लाक में भैंसहिया हिन्दू नगर के बीच रेहावर नाले पर पुल निर्माण कराया जाय, यह बस्ती जनपद के रामनगर ब्लाक में आता है। इससे 100 गांवों के लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगी। कलवारी रामपुर बंधा के किसानों को मुआवजा दिया जाय। इसी प्रकार मान्यवर, मेरे विधान सभा नगर पूरब में निम्न कार्य हैं इसे पूरा करने की कृपा करें। 1--बस्ती पम्प नहर जो कुआनों नदी पर बना है, यहाँ 10 क्यूसिक के 3 पम्प हैं जिसमें केवल दो ही पम्प चलते हैं, एक बन्द है। बरसात में पम्प उखाड़ लिया जाता है, केवल रबी की फसल की सिंचाई होती है। आपसे अनुरोध है कि बस्ती पम्प नहर में वर्टीकल पम्प लगाकर पर्मानेंट तीनों पम्पों को चलाकर सिंचाई करायी जाय।

4--श्री रामपाल यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा की अनुमति दी। मैं आपका आभारी हूँ और मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने प्रत्येक सदस्य को एक-एक नलकूप देने एवं नहरों की पटरी पर लेपन कार्य कराये जाने का स्वागत करता हूँ। मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा चारों तरफ नहरों से घिरा है। जिससे पूरे क्षेत्र की चारों तरफ सीपेज की समस्या से हजारों एकड़ जमीन कृषि योग्य भूमि बेकार हो पड़ी है तथा ड्रेने एवं खारजा की कोई सफाई नही हो रही है। जिससे किसान पूरी तरह बर्बाद एवं तबाह हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपा करके मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्त ड्रेने एवं राजबहा एवं खारजा की सफाई कराने की कृपा करें ताकि गरीब किसानों की भूमि कृषि योग्य हो सके। इसी के साथ में आपका आभारी हूँ तथा बजट का समर्थन करता हूँ।

5-- श्री मशहूद खाँ--

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र नेपाल बार्डर से सटा है जिसमें सिंचाई के लिए बांध बनाये गये हैं जो सिल्ट से भर गये हैं। पानी भण्डारण की क्षमता कम हो गयी है जिसमें भगवानपुर, बघेलखण्ड, गनेशपुर, गिरगिटही, खैरवान बांध प्रमुख हैं, इसकी सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाये। हरैया बाजार से खैरमान बांध तक नहर पट्टी को पिच मार्ग बनाया जाये। पहाड़ी नालों व नदियों की कटान रोकने के लिए समुचित व्यवस्था की जाये। नलकूप स्थापित कराए जायें। मुझे उम्मीद है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं पर माननीय सिंचाई मंत्री जी पूरा ध्यान देंगे। मैं प्रस्तुत किये गये बजट के समर्थन में बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

6--श्री वसीम अहमद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के अनुदान मांग पर समयाभाव के कारण मैं अपनी समस्या/सुझाव सदन में नही रख पा रहा हूँ। कृपया इसे आज की कार्यवाही में सम्मिलित करें। जनपद आजमगढ़ की तहसील बुदनपुर तथा सगड़ी से होकर छोटी सरजू नदी, घाघरा नदी में मिलती है। नदी की तल्ली में मिट्टी भर जाने के कारण सरजू नदी का पानी दोनों तहसीलों की हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में बोई गयी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उपरोक्त नदी की सफाई नितांत ही आवश्यक है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इसकी सफाई कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

7--डा0 यशवन्त सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट किसान हितैशी बजट है। इस बजट में हर गरीब किसान की समस्या का ध्यान रखा गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा सभी रजबहों तथा माइनरों की टेल तक सिल्ट सफाई का वादा किया है इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ का मैं रहने वाला हूँ सारे माइनर तथा रजबाहों का सिल्ट सफाई का कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद

करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि जिन लोगों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता उनसे आपासी नही वसूली जायेगी इसी के साथ माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि सिंचाई विभाग आपके द्वारा योजना के तहत ब्लाक स्तर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा कृषकों की समस्या सुनकर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी तथा जिन लोगों की जमीन के मुआवजे नहीं मिल पाये हैं उनका निस्तारण किया जायेगा।

माननीय मंत्री जी ने कावड़ पटरी योजना की शुरुवात करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले नगरों को राहत दी है वह प्रसंशनीय है। मा0 कांवड़ के समय यहाँ के मुख्य मार्ग अवरुद्ध रहते हैं तथा वहाँ पर आम जनता को परेशानी होती है मैं उनके इस कार्य की सराहना करता हूँ।

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र में टूटे हुए पुलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। लगभग 32 पुल क्षतिग्रस्त हैं तथा किसानों की बुग्गिया राजबाहों में गिर जाती है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन पुलों की मरम्मत हेतु धन स्वीकृत कराएं इसका प्राक्कलन तैयार है तथा विभाग मे विचारार्थ है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ तथा बल देता हूँ।

8--बैजनाथ दुबे--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में टेढ़ी नदी बहती है जिससे काफी जल भराव की स्थिति रहती है यदि छोटे-छोटे नालों को गहरा करके अथवा टेढ़ी नाला को गहरा करके सरयू नदी से जोड़ दिया जाय तो जलभराव की स्थिति समाप्त हो जायेगी एवं सिंचाई का साधन भी हो जायेगा कृपया सिंचाई विभाग के बजट प्रस्ताव में सम्मिलित करने का कष्ट करें मैं बजट का समर्थन कर रहा हूँ।

9--श्री लाल बहादुर यादव--

माननीय अध्यक्ष जी आपने सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गडवारा के विकास खण्ड सुजानगंज व महराजगंज में जलभराव की विशेष गम्भीर समस्या बन रहती है। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री को प्रार्थना-पत्र भी दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा विभागीय प्राक्कलन भी धन स्वीकृति की प्रत्याशा में भेजा जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि विभागीय प्राक्कलन विकास खण्ड सुजानगंज का जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा गया है उस पर धन स्वीकृत करने का कष्ट करें। जिससे क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर जमीन के छोटे-छोटे कास्तकारों का भला हो सके। पुन: मैं वर्ष 2005-2006 के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

10--श्री रामकृष्ण--

मान्यवर, सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की सभी नहरों का किनारा है। उसके बाद कोई भी नहरें आगे नहीं हैं जैसे-लौली माईनर, गौरिया माईनर रामकोट रजबहा आदि हैं बीसों वर्षों से नहरों में पानी नहीं गया है। लौली माईनर पर ग्रीसवल ग्रन्ट के पास 10 वर्ष से पुलिया टूटी हुई है। कई बार लिखने के बाद अभी तक नहीं बनाई गई है। माननीय अध्यक्ष जी नहरों में पानी भिजवाने का कष्ट करें तथा टूटी पुलिया भी बनाई जाय।

11--श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार--

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी के द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव पर समय की कमी के कारण बोलने का अवसर नहीं मिला। लिखकर मा0 सिंचाई मन्त्री जी बजट प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की निम्न समस्याओं से अवगत कराते हुए बजट प्रस्ताव में शामिल करने हेतु निवेदन करता हूँ :--

1--ग्राम मीरापुर, पनवडिया एवं रीवर खेड़ा ब्लाक-फतेहगंज पश्चिमी में गंगा नदी के द्वारा भीषण कटान जारी है जिसका प्रस्ताव बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड बरेली के द्वारा ग्राम मीरापुर में प्राक्कलन 188.25 लाख अनुमानित बनाकर मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, नलकूप कालोनी सिविल लाइन्स, मुरादाबाद के द्वारा दिनांक 11-02-05 को भेजा जा चुका है। कृपया बजट में सम्मिलित कराते हुए धनराशि स्वीकृत कर कटान रोकने हेतु कार्य कराने के निर्देश देने का कष्ट करें।

12--श्री धर्मपाल सिंह -

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। मेरे क्षेत्र हापुड़ 375 की यह एक समस्या ग्राम झन्डा मुर्शदपुर पर एक काली नदी का पुल जो कि मेरे क्षेत्र व बुलन्दशहर के ग्रामों को जोड़ती है। दोनों को आवागमन में काफी परेशानी रहती है।

कृपया इस काली नदी के पुल को बनवाने से बु0 व हापुड़ के ग्रामों को आवागमन में मुश्किलों का सामना न करना पड़े, बनवाने की कृपा करें--

13--डा0 सियाराम सागर--

मान्यवर, कृ0 मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर जनपद बरेली के लिखित कार्य, कार्यवाही में सम्मिलित करने का निर्देश देने की कृपा करें--

1--गौहनइयाँ नाले की सफाई।

2--फरीदपुर बगेड़ा नहर में टेल तक पानी पहुँचाया जाए।

3--रजऊ-रससिया मार्ग में टेल तक पानी पहुँचाया जाए।

4--फरीदपुर नहर पर ग्राम खजुरिया सम्पति के सामने नहर पर पुलिया बनायी जाये।

5--फरीदपुर बसेड़ा नहर पर ग्राम चौडेरा के निकट पुलिया का निर्माण।

6--करपिया नाले की सफाई कराई जाये।

14--श्री धर्मेन्द कुमार कश्यप--

मान्यवर, मै सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ मेरे क्षेत्र 33 सन्हा बरेली में नकटिया नदी है जिस पर पुल नहीं है। जनता को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। रेलवे के पुल से जनता निकलती है जिससे कई दुर्घटना हो चुकी है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि पालपुर-कमालपुर से चनेहटी को जोड़ने हेतु पुल बनवाने की कृपा करें। प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

15--श्री शाहिद मंजूर--

आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर जनपद मेरठ के अन्तर्गत राजबाहा गढ़मुक्तेश्वर के किलो मीटर 15.600 पर डाउन स्ट्रीम नये घाट व क्षतिग्रस्त पिचिंग कार्य कराया जाना अपरिहार्य है।

अतएव आपसे आग्रह है कि कृपया जनहित में उक्त कार्य शीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर का भ्रमण के दौरान ग्राम प्रधान बहरौड़ा तथा ग्राम-बहलोदपुर तहसील-मवाना के निवासियों द्वारा यू0पी0 गढ़ रजबाहा के जर्जर पुल के निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया है। अकबरपुर हेड, की सफाई व किठौर राजबाहा, यू0पी0 गढ़ हैड्स की सफाई कार्य।

अतएव आपसे आग्रह है कि कृपया जनहित में उपरोक्त पुल के निर्माण व सफाई हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

कृपया मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनहित में क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित कार्य कराया जाना अपरिहार्य है :--

1--ग्राम राधने से गोविन्दपुरी तक
2--ग्राम राधने से दभाई के साईफन तक } नालों की सफाई का कार्य

3--ग्राम खजूरी अल्लीपुर मार्ग
4--ग्राम शाहीपुर से कालीनगर के बीच
5--ग्राम मिर्जापुर में } नालों पर पुलियों का निर्माण कार्य
6--ग्राम राधना वि0ख0 माच्छरा में बालमीकिया के पास

अतएव आपसे आग्रह है कि कृपया उक्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक धनरा जिला प्रशासन को आवंटित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

●

पी0एस0यू0पी--एल0 50 विधान सभा--28-6-2005--813 (डी0टी0पी0)।